(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] पंचम् विधान सभा के पंचम सत्र का 25वां दिवस [संख्या 19

मंगलवार

26 मार्च, 1974

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्न

[जन स्वास्थ्य, राजस्व, स्वायत्त शासन, खाद्य, पंचायत, देवस्थान, उपक्रम, सहकारिता नगर आयोजना, पशुपालन, कृषि, योजना, वित्त विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न,

श्री रामचन्द्र पटेल

मानपुर व सिकन्दरा गामों की जल प्रदाय योजना

467. **श्री रामचन्द्र पटेल (सिकराय)**: क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील सिकराय के पास मानपुर व सिकन्दरा की जल-प्रदाय योजना स्वीकृत हो चुकी है? यदि हां, तो कब?

(1) क्या उक्त ग्रामों की ओर से वांछित धनराशि भी जमा करवा दी गई? यदि हां, तो कब?

(3) उक्त योजनाएं कब तक प्रारम्भ कर पूरी कर दी जावेंगी।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद): (1) ग्राम सिकन्दरा की जल-प्रदाय योजना माह मार्च, 1973 को 2.13 लाख रुपये की लागत की स्वीकृति की जा चुकी है। ग्राम मानपुर की योजना अभी स्वीकृत नहीं की गई है।

(2) जी हां, ग्राम सिकन्दरा से 5077 रु. दिनांक 25-1-74 को और ग्राम मानपुरा से 2500) रु. दिनांक 13-9-73 को जमा कराये गये हैं।

(3) ग्राम सिकन्दरा की जल-प्रदाय योजना को 74-75 में चालू कर दिया जायगा। ग्राम मानपुर की जल-प्रदाय योजना धन की उपलब्धि के अनुसार स्वीकृत की जावेगी।

श्री रामचन्द्र पटेल : उपाध्यक्ष महोदय, धनाभाव का कारण माननीय मंत्री महोदय

Page No 2

(2)

(श्री रामचन्द्र पटेल)

ने बताया है तो क्या उन दिनों धनराशि उन योजनाओं पर पैसा जमा कराने के बाद किसी योजनाओं को धनराशि दी गई है या आपने उनकी स्वीकृति दी है।

श्री चन्दनमल वैद : प्रश्न यह है कि इसमें दो गांवों के लिए आपने पूछा है उनमें से एक की स्वीकृति हो गई है और दूसरे को नहीं हुई है। दूसरे जिलों में और दूसरी तहसीलों में बहुत सी स्कीमें सेंक्शन हुई होंगी तो इसका मतलब यह नहीं है कि एक जिले या एक तहसील के लिए जितनी स्कीम बनाई जाय वह स्वीकृत कर दें और बाकी तहसील में किसी योजना को स्वीकृत न करें, लेकिन सारे रीजनल इम्बेलेंस को देखते हुए और उन सारी बातों को देखते हुए योजनाओं को स्वीकृत किया जाता है।

श्री रामचन्द्र पटेल : मानपुर की योजना कब तक स्वीकृत कर दी जायगी।

श्री चन्दनमल वैद : मैंने अर्ज किया कि धन की उपलब्धि के अनुसार ही किया जायगा।

श्री जयकिशन लाल : धन की उपलब्धि कितनी होगी।

श्री पी. के. चौधरी : क्या मानपुर का पैसा जमा हुआ है ?

श्री चन्दनमल वैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बताया है कि मानपुर का पूरा पैसा जमा नहीं हुआ है। मानपुर की योजना के लिए 2 लाख 12 हजार की योजना है। उसका ढाई पर्सेन्ट के हिसाब से जो पैसा जमा होना चाहिए वह 5000 रुपये उनको जमा कराना चाहिए और 2500 रुपये जमा कराये हैं। पूरा पैसा जमा नहीं हुआ है। मैंने इसको डिफेक्ट नहीं माना है। मैंने इतना ही अर्ज किया है धन की उपलब्धि से योजना स्वीकृत की जायगी।

श्री जयकिशन लाल : धन की उपलब्धि कब तक हो जायगी, और उपलब्धि नहीं हुई तो...

श्री चन्दनमल वैद : यह प्रश्न भी बजट से सम्बन्धित है और यह प्रश्न रखा गया तो मैं यह मानकर चलूंगा कि उन्होंने बजट को नहीं देखा है।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री रामचन्द्र पटेल से) माननीय सदस्य आप तशरीफ रखें। प्रश्न पूछने के बाद आप बैठने का कष्ट करें।

प्रश्नकर्ता।

श्री रामचन्द्र पटेल : विभाग की स्वीकृति के अनुसार जितनी धनराशि जमा कराना चाहिए उतनी नहीं कराई है तो उसकी सूचना ग्रामवासियों को दी गई है क्या कि धनराशि कम जमा कराई है ?

श्री चन्दनमल वैद : जब इस स्कीम को स्वीकृत करेंगे तो कहेंगे। इस वक्त धन की उपलब्धि नहीं है और उनसे कहें कि पैसा जमा करा दो तो फिर यह प्रश्न खड़ा होगा कि पूरा पैसा जमा करा दिया फिर इस स्कीम को स्वीकृत क्यों नहीं किया ? उन्होंने कुछ पैसा जमा करा दिया है और धन की उपलब्धि हो जायगी और स्कीम स्वीकृत कर दी जायगी तो कहेंगे कि इतना पैसा और जमा करा दो।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्व मंत्रीजी। (श्री रामचन्द्र से) आप तशरीफ रखिये। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री बेगाराम चौहान।

सूरतगढ़ ब्रान्च के पास की भूमि

468. श्री बेगाराम चौहान (रायसिंह नगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सूरतगढ़ ब्रांच के पास जंगलात की 55 फुट समतल पटरी है तथा 90 फुट जमीन में जंगलात विभाग ने पौधे लगा रखे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जंगलात विभाग उपरोक्त जमीन के अलावा 100 फुट जमीन और लेना चाहता है तथा किले भी गाड़ दिये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि 100 फुट जमीन और लेने से किसानों को काफी नुकसान होगा ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में कोई आदेश देने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से सम्बन्धित सूचनाएं एकत्रित नहीं हो पाई हैं, इसलिए इसको स्थगित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या 469

श्री भोमाराम।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता।

ग्राम देहली के चीनी विक्रेता के विरुद्ध मामला

470. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बहरोड़ तहसील के ग्राम दहमी के चीनी डीलर सरदार सिंह यादव को बहरोड़ के एस. डी. ओ. व तहसीलदार ने ब्लैक करते हुए तारीख 9–4–73 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया और 260 किलो चीनी पकड़ कर डी. एस. ओ. अलवर को शिकायत की ? यदि हां, तो शिकायत की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त शिकायत पर महज 10 रुपया जुर्माना कर के इसी डीलर को इसी ग्राम की चीनी वितरण करने के लिए फिर दे दी गई और अब भी वही डीलर है ?

(3) क्या यह सही है कि इस ग्राम के निवासियों ने इस डीलर की बजाय इस गांव की कोआपरेटिव को चीनी का कोटा देने के लिए दरख्वास्त पेश की और कोआपरेटिव ने भी दरख्वास्त पेश की ?

(4) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के विधायक ने भी कोआपरेटिव को चीनी देने की सिफारिश की ?

(5) क्या यह सही है कि बहरोड़ तहसील के ग्राम नादोज के चीनी डीलर मातादीन हरिजन को इस कार्य से बिना किसी शिकायत के साबित पाये ही हटा

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

दिया और इस डीलर ने राजस्थान सरकार को भी यह शिकायत की है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) बहरोड़ तहसील के ग्राम दहमी के चीनी डीलर को रंगे हाथ गिरफ्तार नहीं किया गया था अपितु तहसीलदार एवं एस. डी. ओ. ने जांच की प्रतिलिपि जिलाधीश को भेजी थी। जांच प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, श्री सरदारसिंह पर 10 रु. जुर्माना किया गया था। अध्यक्ष सहकारी समिति की सिफारिश पर ही श्री सरदारसिंह को डीलर नियुक्त किया गया था इसलिए बदलना उचित नहीं समझा गया।

(3) जी हां, इस ग्राम के चन्द लोगों ने ऐसी दरख्वास्त दी है।

(4) जी हां।

(5) श्री मातादीन डीलर नादौज के विरुद्ध सरपंच नादौज ने शिकायत की थी। एस. डी. ओ. बहरोड़ की जांच में श्री मातादीन द्वारा समान रूप से चीनी वितरण करना नहीं पाया गया। पंचायत समिति के प्रधान भी तरह तरह के लांछन लगाते थे। जांच कराने पर आरोप सही पाने पर ही उसे हटाया गया है।

श्री मातादीन ने राज्य सरकार को अपील की थी। मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अपील आपके यहां की है तो आप इसको मुलाहिजा फर्मा लें कि वाकई में उसके खिलाफ शिकायत है।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने जानकारी मंगवाई थी लेकिन वह पूरी नहीं आई है इसलिए मैंने पूरा रेकार्ड मंगवाया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह दूसरा केस है। इसके बारे में मैंने लेटर लिखा है। एस. डी. ओ. ने मौके पर जाकर चैक किया तो चीनी कम पाई गई और रिपोर्ट में लिखा है। रेकार्ड देखिये। उसमें लिखा है कि डीलर के यहां भयंकर अनियमितताएं पाई गई हैं स्टाक रजिस्टर में, इसलिए डीलर का लाइसेन्स कैन्सिल फर्माया जाय और सिक्योरिटी जप्त करने की कार्यवाही की जाय। इसके बारे में 10) रु. जुर्माना करके उसको छोड़ दिया गया तो क्या यह उसके साथ में फेवर नहीं किया गया है मैं यह जानता हूं कि जितने भी डीलर हैं सब गड़बड़ करते हैं। हजारों का घोटाला हुआ है और 10) रु. जुर्माना करके उसको छोड़ दिया। इसको रंगे हाथों पकड़ा है है और मैंने लेटर लिख कर भेजा है। जब कोआपरेटिव वाले लेने को तैयार थे फिर भी एक प्राइवेट डीलर अलग नहीं किया है। इतनी शिकायतें करने के बाद भी एक्शन नहीं हो पाया है तो इससे साफ जाहिर होता है कि करप्शन फैला हुआ है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह सोचने की बात है। अब आपको उसका लाइसेन्स

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
रद्द करने के पावर्स हैं तो कैसे उसको दिया गया। आज मंत्री महोदय यह घोषणा करेंगे कि उसको नहीं देंगे।

श्री शिवचरण माथुर : एस. डी. एम. की रिपोर्ट के आधार पर ही कलेक्टर ने कार्यवाही की है और उसकी वहां पर अपील है और अक्टूबर में दूसरे केस की भी अपील हुई है। एस. डी. एम. की रिपोर्ट के आधार पर केस गम्भीर मालूम पड़ता है और जो सजा दी गई है वह कम है। इसके आधार पर पूरा रेकार्ड मंगवा कर जांच करा रहा हूं। मैं यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि उसकी गम्भीरता को देखते हुए कार्यवाही की जायगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपका दूसरा प्रश्न यह है कि एक तो व्यक्ति विशेष को आपने यह दी है और उसके मुकाबले में कोआपरेटिव की तरफ से प्रार्थना-पत्र आपको दिया हुआ है। यह घोटाला है। उसने अपील की है और उसके बाद में तस्फिया हो तो उसके दरम्यान में कोआपरेटिव सोसाइटी को एक मात्र इस आधार पर कि व्यक्ति विशेष को प्रिफरेन्स न देकर कोआपरेटिव सोसाइटी ने मांग की है तो उसको क्यों न दिया जाय ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : मैंने लिख कर भेजा है और कोआपरेटिव ने भेजा है तो कलेक्टर साहब ने कहा है कि जांच कर रहे हैं। एक प्राइवेट डीलर को जिसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया है उस आदमी को वापिस एपाइन्ट किया जा रहा है।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : कोआपरेटिव सोसाइटी जो ज्यादा जिम्मेदार है उसको दिया जाय इसमें क्या ऐतराज है ?

श्री शिवचरण माथुर : इसमें ऐतराज की बात नहीं है। सरकार की नीति ही यही है कि इन्डिविजुअल के मुकाबले में कोआपरेटिव सोसाइटी को दिया जाय, लेकिन कलेक्टर ने एक्शन लिया है उसके खिलाफ अपील हुई है तो उसकी जांच करनी पड़ेगी। इसमें सन्देह वाली बात मालूम पड़ती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरे प्रश्न की बात नहीं समझे। मैं यह कहता हूं कि वह जानते हैं लेकिन फिर भी एक व्यक्ति विशेष को कोआपरेटिव के मुकाबले में प्रिफरेन्स क्यों देते हैं ? क्या वे जानते नहीं है कि इस पर 10 रुपया जुर्माना हो चुका है तो वही एक बात है कि जिसकी वजह से उसके हाथ से लेकर कोआपरेटिव सोसाइटी को दे दें।

श्री शिवचरण माथुर : कोआपरेटिव सोसाइटी को तभी दे सकते हैं जब कि एक प्रकार से उसका लाइसेन्स खत्म हो।

श्री भानुकुमार शास्त्री : 10) रुपया उस पर जुर्माना हुआ है तो इसी बेसिस पर आप उसको खत्म कर दें। आपके पास रिपोर्ट है।

श्री भंवरलाल भदादा : 10) रुपया जुर्माना करने की बात ही लाइसेन्स खत्म करने के लिए काफी है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : उसको एड करने के लिए···

श्री शिवचरण माथुर : कागज देखे बिना यह कह देना उचित नहीं है। यह हमारी नीति है कि पर्टीक्यूलर एक व्यक्ति के मुकाबले में सहकारी समिति को प्राथमिकता देते हैं। यह आदेश सारे जिलाधीशों को हैं। इस केस का जहां तक सम्बन्ध है उसके कागजात मंगाकर जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जायगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा प्रश्न यह है कि इसमें 10) रुपया जुर्माना हुआ। उसके अगेन्स्ट में एस. डी. एम. की बड़ी सीरियस रिपोर्ट है यह बात तो आपने स्वीकार कर ली है। इसके बाद में आखिर आपका फूड डिपार्टमेंट पर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल है। मैं आपसे पाइन्टेडली यह पूछना चाहता हूं कि उसको सप्लाई क्यों जारी है। बाकी का प्रश्न आप छोड़ दें।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : एडमिनिस्ट्रेटिव पाइन्ट आफ व्यू से....

श्री शिवचरण माथुर : मैंने आप से निवेदन किया है। जो मामला अपील में आया है। उसको फौरी अपील करने का अधिकार है। उसके बाद मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : यह तो एस्टेब्लिश हो गया है कि वह ब्लैक करता है। फिर कौनसी जानकारी रह गई है। अब तो आपके एक्शन का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप जुडिसियरी की बात ले रहे है। यह एक्स्ट्रा जुडिसियरी अलग से है। आपको यह मालूम है कि अनियमितता हुई है। तो उसका लाइसेंस कैंसिल करके को-आपरेटिव को देना चाहिए। उसको सप्लाई नहीं करें।

श्री शिवचरण माथुर : राज्य सरकार ने फूड कमिश्नर के पास सुनवाई के लिए दे रखा है। इसलिए यहां पर उसके कहने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ऐसा कर रखा है तो ठीक है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : अपील के बाद कैंसिल करेंगे तो वह कैंसिल की अपील कर देगा। वह ब्लैक मार्केटियर रहा। Let him go in second appeal.

श्री शिवचरण माथुर : उसकी अपील सुनने के लिए फूड कमिश्नर को आथोराइज्ड कर रखा है। जब अपील में है तो केटेगोरीकल कुछ कहना उचित नहीं है। वैसे राज्य सरकार की यह नीति है कि इण्डीविज्युअल के मुकाबले सहकारी समिति को महत्व देते हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह जो भ्रष्ट तत्व हैं, उनका जल्दी डिस्पोजल करें। दूसरे उसको जो सप्लाई कर रहे हैं, वह सप्लाई नहीं करना चाहिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह कर सकते हैं।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : क्या खाद्य मंत्री जी यह महसूस नहीं करते हैं कि इस प्रकार से ज्यूडिशियरी के बहाने उस ब्लैक मार्केटियर को सप्लाई करते रहेंगे।

(श्रीयोगेन्द्रनाथ हांडा)

क्या खाद्य मन्त्री यह महसूस नहीं करते हैं आपकी फुड पोलिसी को इनफ्लुएंस करने का यह ढंग है।

क्या मन्त्री महोदय यह महसूस नहीं करते हैं कि यह ब्लैक तभी बन्द हो सकता है, जब स्ट्रोंगली इसको हैण्डल करें। आपके अगेंस्ट अपील हो सकती है। Don't care for that.

श्री पी. के. चौधरी : यह ज्युडिशियरी कैसे हुआ? क्वासी ज्युडिशियरी भी कैसे हुआ। आप उसको सप्लाई बन्द कर सकते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : उसी फूड एक्ट के अण्डर में सप्लाई की जाती है। उसका जो जुर्म है, उसके लिए राजस्थान सरकार ने फूड कमिश्नर को अधिकार दिया हुआ है। जब तक वह फाइनल नहीं हो जाता है तब तक और कुछ कर सकना ठीक नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप उनको लाइसेंस दे रहे हैं जो ब्लैक करते हैं। आप कहते हैं कि समाजवाद लायेंगे। आपकी मंशा क्या है। आप उसको सप्लाई क्यों कर रहे हैं। इसमें ज्यूडिशियरी होने का सवाल कहां पैदा होता है। 90 % उपाध्यक्ष महोदय, ब्लैक होता है। सभी आपस में मिले हुये हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वेरी वैल।

श्री केशरीमल : यह अपील पैण्डिंग कब से है? यह '73 का मामला है। आपके पास कब से पेण्डिंग है।

श्री पी. के. चौधरी : मैं यह बात पूछना चाहता हूं कि यह रिवोक करने का मामला कैसे है। कोई एक्शन उसके खिलाफ हुआ फिर अपील किस बात की है? On what grounds he has gone in appeal? His licence has not been revoked. Then on what grounds he has gone in appeal जब रिवोक नहीं हुआ तो अपील किस बात की है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री शिवचरण माथुर : यह दूसरा मसला है। मैं इसको आज ही देख लूंगा।

श्री पी. के. चौधरी : ऐसा सदन में कभी आया नहीं। If he has violated the law, his licence should be revoked

श्री शिवचरण माथुर : अगर उसका लाइसेंस कैंसिल होता है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : अगर नहीं, आप उसका कैंसिल करेंगे।

श्री शंकरलाल : उसका लाइसेंस आप रद्द कीजिये।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा: जुर्माना तो माफ होता रहेगा।

श्री सज्जनसिंह : आप उसकी अपील का फैसला आहिस्ते कीजिये। लेकिन उसकी सप्लाई तो बन्द कीजिये। उसके बजाय को-आपरेटिव को दीजिये।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : लाइसेंस फौरन कैंसिल करें।

श्री शिवचरण माथुर : इस बारे में जल्दी से जल्दी फैसला हो यह कोशिश की जायेगी। उसकी सप्लाई स्टाप कर दी जायेगी और को.आपरेटिव को प्राथमिकता दे दी जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट।

दौसा पंचायत समिति के कर्मचारियों का चिकित्सा भत्ता

471. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा)–क्या पंचायत मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति दौसा के सेवारत कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों व कब से?

(2) क्या राज्य सरकार इस बाबत उक्त समिति को उचित आदेश देकर अधीनस्थ कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता दिलाने की व्यवस्था करेगी?

पंचायत मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) पंचायत समिति के सेवारत कर्मचारियों का चिकित्सा व्यय पंचायत समिति की स्वीकृत राशि के अनुसार भुगतान होता रहा है। चिकित्सा व्यय भुगतान हेतु पंचायत समिति की निजी आय से 20,000 रु. स्वीकृत हुये थे, जो भुगतान किये जा चुके हैं। धनराशि के अभाव में अध्यापकों के चिकित्सा बिल माह जून, 73 से आगे पास नहीं किये जा सके।

(2) पंचायत समिति का वर्ष 1974-75 का बजट स्वीकृत होने पर पेण्डिंग मेडिकल बिलों का भुगतान कर दिया जावेगा।

प्रश्न संख्या 472

श्री उपाध्यक्ष : श्री माणक चन्द सोगानी।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 473

श्री राजेन्द्रसिंह :

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री लूणाराम।

ग्राम ठुकरियासर में हौद का निर्माण कार्य

474. श्री **लूणाराम** (डूंगरगढ़)–क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष सरपंच ग्राम पंचायत तोलीयासर (चूरू) में ग्राम ठुकरियासर में धरातल पर बन रहे पानी के हौद में मसाला टेण्डर के मुताबिक न लगाने व अच्छी किस्म का न बनने के सम्बन्ध में ठेकेदार के विरुद्ध विभाग को शिकायत की थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जो हां, अधिशासी अभियन्ता, चूरु द्वारा जो जांच की गई थी, वह कार्य स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार पाया गया।

श्री लूणाराम : यह जांच कब करवाई गई है ? इत्तिला होने के पूर्व या बाद में ?

श्री चन्दनमल बैद : यह इत्तिला होने के बाद में ।

श्री लूणाराम : क्या जो शिकायत की गई थी कि टेण्डर के मुताबिक उसने मसाला नहीं लगाया है । इसके बारे में जांच में क्या पाया गया ?

श्री चन्दनमल बैद : स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही वांछित मसाला लगाया है ।

श्री लूणाराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : निर्माण कार्य नियमानुसार टेण्डर के मुताबिक ही हुआ है ।

श्री लूणाराम : उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत है । ।

श्री चन्दनमल बैद : उक्त हौज का कार्य पूर्ण विवरण के अनुसार ही हुआ है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उसका टेण्डर जब मंजूर किया था तो वह कहीं से भी लाकर बना सकता था ।

श्री चन्दनमल बैद : यह नहीं है कि उसमें मसाला सब-स्टेण्डर्ड का लगाया गया हो । यह शिकायत हुई थी तो जांच रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो लगाना चाहिए था, वही मसाला लगाया गया है । उसके बाद हौज में पानी भर कर देखा गया है । आज भी पानी हौज में भरा हुआ है । लीक नहीं हुआ है ।

श्री लूणाराम : शिकायत में यह साफ उल्लेख किया गया था कि वहां पर जो अमरैली नदी है । वह काली मिट्टी की नदी है । उस मिट्टी में काफी फर्क है । उस ठेकेदार ने गलती की है । उस ठेकेदार के लिए माननीय मन्त्री महोदय यह कहते हैं कि उसमें पानी ठहर जाता है । पानी तो किसी में भी ठहर सकता है । यह सारा मालूम है । माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि मसाला ठीक लगाया गया है । इसकी फिर से जांच करवा ली जाये तो ठीक होगा ।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को इतना बड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं थी । माननीय सदस्य यह समझते हैं कि जांच ठीक तौर से नहीं हुई है तो अभी एक्जीक्यूटिव इंजिनियर से जांच हुई है, मैं आदेश दे देता हूं कि सुपरिन्टेंडिंग इंजिनियर से जांच हो जाय ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ठीक है, जांच कराने में कोई बात नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट !

मांगरोल ग्राम में पकड़ा गया मामला

475. श्री श्रीनिवास शारदा (निम्बाहेड़ा) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि एस. डी. ओ. निम्बाहेड़ा ने एन्फोर्समेंट इन्सपेक्टर के साथ दिनांक 15-1-74 को मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा चौराहे पर 3 बैलगाड़ी 30 बोरी

(श्री श्रीनिवास शारदा)
गेहूं पकड़ा था ? यदि हां, तो ये बैलगाड़ी कहां से आ रही थी और कहां जा रही थी ?

(2) क्या उक्त गेहूं की रसीद दी गई थी ? यदि हां, तो किस व्यक्ति को दी गई थी ? यदि नहीं, तो क्या बिना रसीद दिये कोई अधिकारी किसी का माल अपने कब्जे में ले सकता है ?

(3) क्या गेहूं को कब्जे में लेने की सब कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई है ? यदि हां तो इस समय गेहूं की बोरियां कहां सुरक्षित हैं ?

(4) क्या उपरोक्त कार्यवाही में अधिकारों का दुरुपयोग हुआ है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेवार है ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों की जांच कराने को तैयार है ?

खाद्य मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) केवल इन्सपेक्टर एवं एन्फोर्समेंट आफिसर, निम्बाहेड़ा ने तीन बैलगाड़ी गेहूं जिसमें 30 बोरी थी शंभुपुरा से निम्बाहेड़ा जाती हुई पकड़ी और चालान उप जिला दण्डनायक निम्बाहेड़ा में पेश किया।

(2) जिस व्यापारी का गेहूं बताया था वह मौके पर मौजूद नहीं था और न ही वह बाद में कभी रसीद लेने आया, इसलिये रसीद देने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) कानूनी कार्यवाही पूरी की गई व गेहूं को राजस्थान स्टेट–वेयर हाउस के गोदाम में दिया जाकर उसकी राशि न्यायालय में जमा करवा दी गई।

(4) मामला न्यायालय में विचाराधीन है जब तक निर्णय न हो जाये किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

श्री श्रीनिवास शारदा : आपका यह फर्माना है कि एस. डी. ओ. शरीक नहीं था।

श्री शिवचरण माथुर : जी हां। जो जानकारी मुझे है उसमें एन्फोर्समेंट इन्सपेक्टर और एन्फोर्समेंट आफिसर ने पकड़ी दिखाई है।

श्री श्रीनिवास शारदा : यह जानकारी गलत है, मंत्री महोदय. आपका यह कहना कि इस माल का कोई मालिक पेश नहीं हुआ, जहां मेरी जानकारी है, कलेक्टर चित्तौड़ को, चार पांच आदमी हरियाणा गांव के हैं, उन्होंने जाकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये हैं कि हम मालिक हैं–हम मण्डी में ले जा रहे थे, जिसके लिए हम अधिकृत हैं इसका विक्रय करने के लिए उपभोक्ताओं को। इसके बावजूद नाजायज तौर पर पकड़ी और मौके पर पंचनामा नहीं बनाया। गाड़ी वाला ले जाय, गाड़ी में मालिक हो या नहीं रसीद तो देनी होगी और जब्ती का आदेश भी नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : जो मेरी जानकारी है, उसके मुताबिक गाड़ी पकड़ी गई, उसके लिए यह कहा गया कि शंकरलाल कल्ला नाम के व्यापारी की गाड़ी थी। वह नहीं आया, इसलिए जब्त कर लिया गया। आप कहते हैं कि कलेक्टर को बाद में दर्ख्वास्त दी यह जानकारी दूसरी है। अब कोर्ट के सामने यह मामला है, यह बात

(श्री शिवचरण माथुर)
वहां कही जाती है तो इस पर कोर्ट का फैसला हो जायगा।

श्री श्रीनिवास शारदा : कोर्ट में म मला कब गया है ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : रसीद देनी चाहिए। रसीद क्यों नहीं दी गई, पंचनामा क्यों नहीं बनाया ?

श्री शिवचरण माथुर : पंचनामा बनाया था, मालिक कोई नहीं था, इसलिए रसीद नहीं दी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : रसीद तो देनी चाहिए उसको जो सीज़ करता है।

श्री शिवचरण माथुर : पंचनामा बनाया गया था, मालिक नहीं था, इसलिए रसीद देने का प्रश्न नहीं उठता।

एक माननीय सदस्य : बैल को ही दे देते।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उन्होंने रसीद बना तो ली, देने के लिए मालिक नहीं मिला, रसीद काटी तो थी ?

श्री शिवचरण माथुर : रसीद कैसे बनी जब मालिक सामने नहीं है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : बैलगाड़ी पर आदमी नहीं बैल ही बैल चला रहे थे ?

श्री शिवचरण माथुर : यह जानकारी दी गई, यह बताया गया कि बैलगाड़ी को चालक चला रहा था। माल शंकरलाल कल्ला का था, वह मौजूद नहीं था। कोई मालिक ओन (own) करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए पंचनामा बनाया गया और राजस्थान स्टेट वेअर हाउस गोदाम में जमा करा दिया और बेच कर कीमत न्यायालय में जमा करा दी गई। अब केस न्यायालय में है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : किसानों ने एप्लीकेशन दे दी कि हम मालिक हैं तो उन्हें रसीद देनी चाहिए।

श्री श्रीनिवास शारदा : मैं जानकारी के लिए निवेदन कर दूं, यह सारी मिलावट है। यह स्थिति है कि माल पांच किसानों का था, चार तो हरियाणा के थे, और पांचवा शंकरलाल कल्ला था। यह सही बात है कि चार किसानों के नाम को एवोइड किया गया है, लिया नहीं गया है। इसके अलावा जो बैलगाड़ी थी, वह क्यों छोड़ दी गई ?

श्री शिवचरण माथुर : ऐसा है जो बात आप कह रहे हैं वह सही हो सकती है। लेकिन इस वक्त मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए कोई बात नहीं की जा सकती है। फैसला होने के बाद जो उचित होगा वह कार्यवाही की जायेगी।

श्री श्रीनिवास शारदा : बैलगाड़ी में ले जा रहे थे, तो क्या जमानत ली गई ?

श्री शिवचरण माथुर : यह बात कोर्ट के सामने पेश हो सकती है।

श्री श्रीनिवास शारदा : कोर्ट में कब दिया गया ? जस्ट ए मिनिट !

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्रीमती कान्ता कथूरिया !

श्री शिवचरण माथुर : 19-3-74 को।

श्री श्रीनिवास शारदा : इतने लम्बे समय के बाद। क्या इतना वक्त मेनुपुलेशन के लिए दिया गया ?

श्री शिवचरण माथुर : मेनुपुलेशन है या नहीं-यह कोर्ट का निर्णय आने के बाद कहा जा सकता है। लगता यह है क्योंकि 15-1-74 का मामला है और 19-3-74 को दर्ज कराया गया है। लगता ऐसा है। लेकिन कोर्ट में मामला है, इसलिए इसमें कार्यवाही नहीं कर सकते।

श्री श्रीनिवास शारदा : एक क्वेश्चन मेरा है····

श्री उपाध्यक्ष : नॉट अलाउड। आप तशरीफ रखिये। यह कोर्ट में केस पेंडिंग हैं। आप तशरीफ रखिये। नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉट अलाउड। आप तशरीफ रखिये।

श्री श्रीनिवास शारदा : केवल एक जानकारी लेना चाहता हूं। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

श्री श्रीनिवास शारदा : वह यह है कि जिन अधिकारियों ने अधिकारों का दुरुपयोग किया, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी ?

श्री शिवचरण माथुर : मैंने निवेदन किया, कोर्ट से फैसला हो जाने के बाद यह साबित होता है कि दुरुपयोग अधिकारों का किसी ने किया है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्रीमती कान्ता कथूरिया !

श्री पी. के. चौधरी : कोर्ट का सवाल नहीं है, तीन महीने के बाद में चालान पेश क्यों किया, उसी समय क्यों नहीं किया ? 15 जनवरी को पकड़ी गई और 19 मार्च को चालान पेश किया, इसमें देरी क्यों हुई ?

श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल : सदन चल रहा है, इसलिए कोर्ट में पेश करवा दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कान्ता कथूरिया !

पलाना कोलरी

476. **श्रीमती कान्ता कथूरिया** (कोलायत) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के पलाना क्षेत्र में घरेलू खपत का कोयला पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि लाखों रुपयों की लागत से निर्मित पलाना कोलरी बन्द पड़ी है ? यदि हां, तो कब से ?

(3) क्या वर्तमान कोयला संकट को ध्यान में रखते हुए पलाना कोलरी को पुनः चालू करने की सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजकीय उपक्रम मंत्री (श्री चन्दन मल बैद) : (1) जी नहीं। पलाना में कोयला

Page No 13

(13)

(श्री चन्दनमल बैद)
न होकर लिगनाइट पाया जाता है, जो घरेलू खपत में नहीं आता।

(2) जी हां, 17-1-69 से पलाना कोलरी में आग लग जाने के फलस्वरूप खान बन्द पड़ी है।

(3) जी हां, मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लि. की सलाह से योजना तैयार की जा रही है।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : पलाना कोलरी के बारे में रिपोर्ट आयी हुई है, उसमें लिगनाई के मोटे प्रोजेक्ट को बन्द करने की और ब्रिकेटिंग योजना लगाने की है?

श्री चन्दन मल बैद : मैं अर्ज कर चुका हूं, मिनरल एक्सप्लोरेशन लि. से, राजस्थान इण्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन से सलाह करके 9-3-74 को मीटिंग की है, और उसकी सलाह से योजना बनाई है कि किस तरह शुरू किया जा सकता है और खान को शुरू करने से क्या सम्भावना हो सकती है।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : योजना को शुरू करने में कितना समय लग जायगा?

श्री चन्दन मल बैद : रिपोर्ट के आने के बाद बता सकता हूं।

श्री लक्ष्मण सिंह : यह खान कितने दिन से बन्द है, यह क्या मैं जान सकता हूं, खान कितने दिनों से बन्द है, मंत्री महोदय?

श्री चन्दन मल बैद : यह अर्ज कर चुका हूं।

श्री लक्ष्मण सिंह : फ्यूअल की कमी है उनकी पूर्ति करने के लिए यह पलाना को चालू करना परम आवश्यक है। ऐसी स्थिति में क्या यह परम आवश्यक नहीं है कि जल्दी से जल्दी सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और उपाय किये जाने चाहिए, जिससे जो बन्द पड़ी खान है वह चालू हो जाय?

श्री चन्दन मल बैद : मैं अर्ज कर चुका हूं आग लग जाने से 17-1-69 से यह बन्द है। उसके बाद, कोयले, फ्यूअल की कमी आई तो 9-3-74 को हाई लेवल मीटिंग हुई और योजना बनाई जा रही है, योजना बनने के बाद यह सोचा जा सकता है कि इस खान को किस रूप में किस तारीख से चालू किया जा सकता है।

श्री केशरी मल : इस खान के बन्द होने के पहले कितने श्रमिक इसमें काम करते थे?

श्री लक्ष्मण सिंह : कितने दिनों से यह खान बन्द है?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि इस खान में कितने ही लाख रुपये डेड इन्वेस्टमेंट के रूप में कितने वर्षों से पड़े हुए हैं और बार बार यहां पर दस दफा कहने के बाद यह दिखवा रहे हैं, योजना तैयार कर रहे हैं। बजट भाषण में ही कहा गवर्नर महोदय के अभिभाषण में भी कहा गया। उसके बाद वर्ष पर वर्ष निकलते रहे लेकिन योजना तैयार नहीं हुई। आप स्पेसिफिक टाइम लिमिट मुकर्रर कर दीजिये। जो करोड़ों रुपये का डेड इन्वेस्टमेंट

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)
पड़ा हुआ है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है, इसके अलावा मुल्क में कोयले की कमी है, वहां पर फ्यूअल तैयार हो सकता है। योजना की बात ठीक है, लेकिन आप पन्द्रह दिन, महीने में रिपोर्ट तैयार हो जायगी, स्पेसिफिक टाइम लिमिट बता कर हमें विश्वास दिलायें।

श्री केसरी मल : खान बन्द होने के पूर्व कितने श्रमिक काम करते थे जो बेकार हो गये हैं?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अलग से प्रश्न है।

श्री चन्दन मल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है, पहले भी खान को शुरू करने का विचार किया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ऐसा विचार था कि इस खान के लिगनाईट के आधार पर थर्मल पावर स्टेशन लगाया जाय। लेकिन भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन ने उस योजना को स्वीकार नहीं किया। इस वास्ते खान का काम शुरू नहीं किया गया। थर्मल पावर स्टेशन की मंजूरी हो जाती तो फोर्थ फाइव ईअर प्लान में खान को शुरू किया जा सकता था। चूंकि थर्मल पावर स्टेशन स्वीकार नहीं किया गया इसलिए फोर्थ फाइव ईअर प्लान में खान के लिगनाइट को दूसरे काम में लिया नहीं जा सका और खान को शुरू नहीं किया गया।

ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि खान बन्द होने से पूर्व कितने श्रमिक काम करते थे। यह डिटेल मेरे पास नहीं है।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : खाली मेरा सवाल है, मैंने लिगनाइट के मोटे प्रोजेक्ट को छोड़ कर स्पेसिफिक इतना पूछना है कि घर में काम आने वाला कोयला है, कब उत्पादन चालू होगा। थर्मल पावर स्टेशन नहीं लगाया, लेकिन जो डामेस्टिक यूज का कोयला है, उसका उत्पादन कब चालू होगा? आप स्पेसिफिक टाइप बता दें।

श्री चन्दन मल बैद : वह डामेस्टिक यूज में नहीं आ सकता। लिगनाइट खान में से निकलता है, उसमें 45 मोइश्चर रहता है। उसके बाद जैसे जैसे हवा के सम्पर्क में आता है, मोइश्चर कम हो जाता है। उसका आग पकड़ने का डर रहता है। यह कोयला थर्मल पावर स्टेशन लगा कर काम में लाया जा सकता है, या भट्टी में काम आ सकता है। घर में काम में नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि घर में आग लगने का डर रहता है। यह एक्सपर्ट्स के द्वारा राय दी गई है।

श्रीमती कांता कथूरिया : मैं निवेदन करूंगी कि ब्रिकेटिंग प्लांट की आप बात करते हैं, जिसकी योजना बिलकुल अलग है। 45 प्रतिशत मोइश्चर की आप बचत करते हैं वह तो कालेरी चलाने की बात है। आपकी जो रिपोर्ट है उसमें ब्रिकेटिंग प्लांट की बात कहीं नहीं आई है। मेरा स्पेसीफिक प्रश्न यह है कि ब्रिकेटिंग प्लांट लगाकर आप डोमेस्टिक यूज के लिये कोयला ले सकते हैं। आप 45 प्रतिशत मोइश्चर की बात करते हैं, वह तो केवल प्लाना थर्मल पावर प्लांट के बारे में है।

श्री चन्दनमल बैद : वह तो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है। अगर माननीय सदस्या

(श्री चन्दनमल बैद)
उसके बारे में ज्यादा ज्ञान रखती हैं, तो मैं क्या करूं ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप उस ज्ञान का फायदा उठायें।

श्रीमती कांता कथूरिया : ब्रिकेटिंग प्लांट को लेकर डोमेस्टिक फ्यूअल बनाने के बारे में अगर आपके पास कोई रिपोर्ट हो तो बताएं। ऐसी कोई रिपोर्ट आपके पास नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन से भी कोई इस खान के बारे में बात हुई है ?

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्या कोई एक्सपर्ट नहीं हैं, तो उनके ज्ञान का फायदा कैसे उठाऊं ?

मैं जवाब दे चुका हूं। आप लेट आयें, तो उसमें मेरा क्या कुसूर है ?

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : प्रश्नकर्ता महोदया की जो भावना है इस प्रश्न के पीछे, उसके साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति है। यह कच्चा कोयला है, मेरी इसके बारे में पूरी जानकारी है और इस कच्चे कोयले को आराम से निकाला जा सकता है। वह रा-मेटिरियल की तरह प्रयोग हो सकता है और इस पर खाना भी पकाया जा सकता है और डोमेस्टिक यूज के लिये काम में लिया जा सकता है। आज जब देश में फ्यूअल की कमी है, तो जो जानकारी प्रश्नकर्ता महोदया ने दी है, उसके सम्बन्ध में मंत्री महोदय क्या जानकारी करेंगे ? शीघ्र से शीघ्र इसकी जानकारी करके जनता को सहूलियत दें।

श्री चन्दनमल बैद : मैं पहले ही माननीय सदस्या के प्रश्न में अर्ज कर चुका हूं कि मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड से हमारी 9-3-74 को बात हुई है और हमने उनसे इसके बारे में योजना बनाने के लिये कहा है। इससे ज्यादा एक्सपर्ट बाडी आज देश में नहीं है। उनकी एक्सपर्ट राय आने के बाद ही कुछ हो सकता है। हम खुद चाहते हैं कि लिगनाइट का सदुपयोग हो।

श्री लक्ष्मणसिंह : क्या सरकार ने मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन से इस पहलू पर रिपोर्ट मांगी है कि उस लिगनाइट को रामेटेरियल की तरह काम में लिया जा सकता है कि नहीं, यह एक एंगल है, और दूसरा एंगल है कि क्या यह डोमेस्टिक यूज में लिया जा सकता है। मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में भी विचार कर लें। प्रश्नकर्ता महोदया की यह भावना है। मैं तीस चालीस वर्ष पहले पलाना कोलेरीज देखने गया था, उस वक्त वह तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। आप उसका रा-मेटिरियल की तरह भी उपयोग कर सकते हैं और डोमेस्टिक यूज में भी ला सकते हैं। इसलिये मंत्री महोदय से मेरा यह निवेदन है कि जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु जो आपको जानकारी दी गई है, उस सम्बन्ध में भी आप मिनरल एक्सप्लोरेशन से रेफरन्स करें।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त की उससे मैं सहमत हूं,

Page No 16

(16)

(श्री चन्दन मल बैद)
लेकिन माननीय सदस्या ने जो बात कही कि लिगनाइट डोमेस्टिक यूज में भी लिया जा सकता है, यह सही नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आपने केवल अपने विभाग की रिपोर्ट देखी है या पब्लिक अन्डरटेकिंग्स कमेटी की रिपोर्ट भी देखने का कष्ट किया है ? दूसरी बात, क्या यह सही नहीं है कि स्टेट टाइम में पलाना लिगनाइट पावर हाउस में भी यूज किया जाता था ? आप तो बीकानेर के रहने वाले हैं, आपको तो मालूम ही होगा। और क्या यह भी सही नहीं है कि यह कोयला खाना पकाने के काम भी आता था ?

एक माननीय सदस्य : जी हां।

श्री चन्दनमल बैद : मुझे ऐसी जानकारी नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बीकानेर पावर हाउस में और खाना पकाने के घरों पर यह कोयला काम में आता था और पब्लिक अन्डरटेकिंग्स कमेटी ने भी यह नोट किया है। आपके एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट बन्ध है। बिकेटिंग प्लांट का सुझाव जो माननीय सदस्या ने रखा है उसकी सिफारिश पब्लिक अन्डरटेकिंग्स कमेटी ने भी की है।

श्रीमती कांता कथूरिया : आपने फरमाया कि योजना तैयार करवा रहे हैं। आपने यह भी कहा कि लिगनाइट डोमेस्टिक यूज में नहीं आ सकता तो फिर योजना किस बात की बनवा रहे हैं ? जब आप कह रहे हैं कि लिगनाइट से डोमेस्टिक फ्युअल नहीं बन सकता, तो फिर मिनरल एक्सप्लोरेशन से क्या रिपोर्ट मांगी है ?

श्री चन्दनमल बैद : इससे थरमल पावर स्टेशन चलता था और ब्रिक क्लिन भी चलते थे। लेकिन डोमेस्टिक यूज में भी यह काम में लिया जाता था कि नहीं इसकी जानकारी नहीं है। अब प्रश्न यह आता है कि हम क्या योजना बना रहे हैं। मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन को हमने यह कहा है कि इस कोयले को किस प्रकार यूज किया जा सकता है यह एक्सप्लोर करके हमें रिपोर्ट दें। और हमारी राजस्थान इन्डस्ट्रियल एन्ड मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन और मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन मिलकर योजना बना रहे हैं। मैं उनसे यह भी निवेदन करूंगा कि वह इस बात को भी देख लें कि क्या यह डोमेस्टिक यूज में लिया जा सकता है कि नहीं।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह आता है···

श्री उपाध्यक्ष: I have given sufficient time to you.

श्रीमती कान्ता कथूरिया : इस बात को वेरीफाइ करें···

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

प्रश्न संख्या 477

श्रीमती निर्मला कुमारी।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिए)

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

कृषि भूमि पर लगाये गये उद्योग

478. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा महल, जयपुर)—क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य के विभिन्न शहरों में कृषि भूमि पर लगाये गये उद्योगों का नियमन करने के नियम प्रकाशित कर दिये हैं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर शहर की गृह निर्माण सहकारी समिति ने अपनी कृषि भूमि को आवासीय भूमि में बदलवाने के लिए राज्य के मुख्य नगर नियोजक से अपनी भूमि का प्लान स्वीकृत कराया है?

(3) क्या कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तन कराने के लिए आवश्यक होगा कि वह भूमि जयपुर के मास्टर प्लान में आवासीय क्षेत्र हो? क्या जयपुर के मास्टर प्लान को अन्तिम रूप दे दिया गया है? यदि नहीं, तो क्या उसके बिना कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तन किया जा सकता है?

(4) क्या आवासीय भूमि में परिवर्तन का मूल्य आसान किश्तों में वसूल किये जाने का प्रावधान है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? क्या कमजोर वर्ग को उचित रियायत दी गई है? यदि हां, तो कैसे? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

नगर आयोजना मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी): (1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। जयपुर के मास्टर प्लान को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। नियमानुसार ऐसा परिवर्तन सम्बन्धित क्षेत्र की भूमि के लिए सम्भव नहीं है।

(4) जी हां। कमजोर वर्ग के लिए रियायत की व्यवस्था है। यह व्यवस्था नियमों में 11-11-73 को संशोधन करके की गई है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: तीन के जवाब में जो आपने...

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न ही पूछें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: क्या मास्टर प्लान फाइनल हुए बिना मुख्य नगर नियोजक विभाग नक्शा पास करने की सिफारिश कर सकता है? एक प्रश्न।

श्री रघुनाथ विश्नोई: एक ही पूछें।

श्री रामनारायण चौधरी: यह कैसा प्रश्न है, कैसी मांग है, उस पर निर्भर करेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: क्या लठ मार जवाब दिया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई: दिया उनको, लगा आपको।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: क्या जयपुर नगर का जब तक मास्टर प्लान फाइनल नहीं हो चुका है, तब तक अवाप्ति का नोटिस नहीं दिया जायेगा?

श्री उपाध्यक्ष: इसका जवाब दे चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसका जवाब दे दिया है।

(शोरगुल : अश्रव्य)

आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि मास्टर प्लान के अलावा जो भूमि आवासीय है उस पर वाणिज्यिक कारखाने वगैरह बन गये हैं उनको भी अवाप्ति के नोटिस दे दिये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उस जमीन पर बड़े बड़े कारखाने तथा बड़े बड़े होटल बन गये हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं उसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न अभी शेष है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार का आपके कानून में प्रावधान है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिये क्राउन एक्ट के तहत रियायती दरों पर उन्हें भू-खण्ड आवन्टन करने का कोई प्रावधान है ? इसी प्रश्न के साथ दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आज राजस्थान का जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उसको भी दो सौ रुपये मिलते हैं तो इसको आप कौनसी श्रेणी मे लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आपके यहां पर क्राउन एक्ट लागू होता है ?

श्री रामनारायण चौधरी : हाँ साहब क्राउन एक्ट हमारे यहां पर लागू होता है। और उसके अनुसार सुविधा दी जाती है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तो फिर आपने इसमें क्या सुविधा दी है। आज तो राजस्थान सरकार का छोटे से छोटा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उसको भी दो सौ रुपया मिलता है। अब शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को आपने इनसे नीचा रखा है या आप उन्हें उनसे ऊपर मानते हैं उस दृष्टि से आप उन्हें कमजोर वर्ग में लेते हैं क्या ? तो उसके कम्पेरीजन में आप उन्हें क्या विशेष रियायत देना चाहते हैं ? मेरा यह प्रश्न है।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में प्रश्न संख्या 4 में यह जवाब दिया है कि जी हां, कमजोर वर्ग के लिये रियायत की व्यवस्था है यह व्यवस्था नियमों में 14-11-73 को संशोधन करके की गई है। अब माननीय सदस्य किस तरह के लोगों के लिये प्रस्ताव लाते हैं उस पर निर्भर करता है। उसके लिये वह प्रस्ताव प्रस्तुत करें और नियमों में प्रावधान हुआ तो उन्हें सुविधा दी जायेगी। पर यह तो प्रस्ताव पर निर्भर है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या राज्य सरकार मास्टर प्लान के तैयार हुए बिना अवाप्ति की कार्यवाही कर सकती है जिसके लिये कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रूलिंग आ चुकी है ? और अगर वह अवाप्ति करती है तो किस एक्ट के तहत ?

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
एक्वीजीशन एक्ट के तहत या यू. प्राई. टी. के एक्ट के तहत।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जब तक मास्टर प्लान तैयार नहीं हो जाता तब तक थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन अगर चीफ टाउन प्लानर उसके लिये डेफीनेट क्लीयरेन्स दें तो उसके लिये कार्यवाही की जा सकती है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसमें आपने अवाप्ति के लिये 80 पर्सेन्ट केसेज में नोटिस विदड्रा कर दिया है...

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह प्रश्न तो करते नहीं हैं भाषण करते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मास्टर प्लान बन कर फाइनल नहीं हो रहा है। आज लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। यह क्या व्यवस्था है आखिर इसकी सोमा तो होनी चाहिये कितने दिन में....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न पूछें।

श्री दीपंकर : यह तो बोलने शुरू होने के बाद हवा में उड़ने लग जाते हैं।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य। अब इस प्रश्न को समाप्त करें। आपने जो प्रश्न पूछे हैं उसके जवाब आ गये हैं। रिपीट मत करिये। नेक्स्ट प्रश्न।

श्री मोहरसिंह।

दुग्ध उत्पादन वृद्धि की योजना

479. श्री मोहरसिंह (चूरू)–क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर, चूरू एवं गंगानगर जिले में दुग्ध उत्पादन वृद्धि के लिये क्या योजना है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या योजना अनुसार कार्य प्रगति पर है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) वर्तमान समय में कितना दुग्ध इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त होता है? दुग्ध की कमी को दूर कर उत्पादन बढ़ाने के लिये अब क्या उपाय किये जा रहे हैं?

(4) यह योजना कब तक पूर्ण हो जावेगी?

पशुपालन मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) बीकानेर जिले में दुग्ध उत्पादन वृद्धि एवं डेयरी के विकास हेतु एक योजना आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत स्वीकृत हुई है। इस योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम, ग्रामों में दुग्ध उत्पादन सहकारी

(श्री शिवचरण माथुर)
समितियां स्थापित करना तथा दूध को इकट्ठा करना है एवं बीकानेर में एक लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला फीडर बेलेंसिंग डेयरी प्लान्ट लगाना है। दुग्ध संग्रह कार्यक्रम के साथ साथ दुग्ध उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम को करने का भी योजना में प्रावधान है।

चूरू जिले में दुग्ध उत्पादन वृद्धि के लिये एक योजना डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार की है जो कि भारत सरकार के विचाराधीन है। इस योजना के प्रथम चरण में 10,000 लीटर प्रति दिन क्षमता वाला एक चिलिंग प्लान्ट लगाने का प्रस्ताव है।

(2) जी हां, योजनानुसार कार्य प्रगति पर है। बीकानेर जिले में डेयरी प्लान्ट लगाने के लिए 143 लाख रुपये के भारतीय डेयरी निगम आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अन्तर्गत 140 लाख रुपये की स्वीकृति दे दी है। चूरू जिले में चिलिंग सेन्टर के लिये डी.पी.ए.पी. के अन्तर्गत अभी तक कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 1974–75 में धनराशि प्राप्त होने का सम्भावना है।

(3) वर्तमान में बीकानेर में लगभग तीन हजार लीटर प्रतिदिन दूध संग्रह किया जा रहा है। दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है जो वर्ष 1974–75 में लागू हो जाने की सम्भावना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक पशुओं के लिए आहार की व्यवस्था, पशु प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था व कृत्रिम गर्भाधान के कार्यक्रम लिए जाते हैं।

(4) सामयिक वित्तीय साधन मिल जाने पर इस योजना के पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

श्री मोहरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो मन्त्री महोदय कह रहे हैं वह गलत कह रहे हैं क्योंकि अभी तक सरदार शहर के अन्दर फैक्ट्री का भवन बना हुआ नहीं है। प्लान्ट ने अपना कार्य चालू नहीं किया है। इसलिए यह जो उपलब्धि बता रहे हैं वह नहीं हो सकेगी। अभी तक तो ऐसी स्थिति है कि वहां पर भवन बन रहा है। और प्रशासनिक पोस्टें बढ़ा दी हैं। प्लान्ट ने चूंकि काम करना शुरू नहीं किया है अतः दूध इकट्ठा नहीं किया जा रहा है और सारा का सारा फिजूल खर्च बढ़ा दिया। है यह कौनसा काम चालू हो गया यह तो सारा का सारा उल्टा काम हो गया है।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो जवाब दिया है उसको माननीय सदस्य ने पूरा सुना नहीं है। मैंने कहा कि भवन बन रहा है। बेलेंसिंग प्लान्ट के लिए आर्डर दे दिया है जो कम्पोनेन्ट्स यहां अपने देश में से खरीदने थे उसके लिये और जो फॉरिन से आने थे उसके लिए भी आदेश दे दिये गये हैं। चूंकि हमने तय कर लिया है इसलिये यह हो रहा है। वैसे यह योजना सरदारशहर वाली डी.पी.ए.पी. योजना के अन्तर्गत ली गयी है लेकिन अभी तक उसका भारत सरकार से क्लीयरेन्स आया नहीं है। हमें

(श्री शिवचरण माथुर)
उम्मीद है कि इस वर्ष के अन्त तक आ जायेगा तब उसको शुरू कर दिया जायेगा। लेकिन जब तक क्लीयरेन्स नहीं आवे हम क्या कर सकते हैं। राजस्थान की सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है। इसके अलावा बीकानेर के प्लांट के बारे में यह है कि वहां भी काम चल रहा है।

श्री मोहरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब आया नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप कारखाना खोलना चाहते हैं Chilling प्लान्ट लगाने चाहते हैं लेकिन जो कार्य दूध इकट्ठा करने का है वह तो शुरू कर नहीं रहे हैं बल्कि सरकार दूसरी चीजों पर जैसे स्टाफ बढ़ाना है उस पर खर्चा कर रहे हैं। चिलिंग प्लान्ट की शुरुआत ही नहीं हुई तो फिर क्या फायदा? यह कौनसी प्रगति हुई! दूध तो इकट्ठा हो नहीं रहा स्टाफ लाकर वहां रख दिया है। आपने काम तो किया नहीं खर्चा बढ़ाया है। इस मामले में आपने घोड़े के आगे गाड़ी कर दी है और कह रहे हैं कि प्रगति कर दी।

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न में गंगानगर का नाम भी है पर मन्त्री महोदय आप तो सरदारशहर और बीकानेर की बात कर रहे हैं। गंगानगर की बात नहीं कर रहे हैं।

श्री लूणाराम : उपाध्यक्ष महोदय, पहले जो पशुपालन मन्त्री थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि डूंगरगढ़ में डेयरी के लिये प्लान्ट लगेगा उसके लिये क्या हुआ?

(श्री लूणाराम और श्री मोहरसिंह के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मोहरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, काम की प्रगति हुई है। आज भी बीकानेर में जो दूध की डेयरी के लिये जा रहा है वह ट्रकों से जाता है जिसमें कि राज्य सरकार का खर्चा अधिक आता है। आप जल्दी से जल्दी सरदारशहर में चिलिंग प्लांट लगावें और काम प्रारम्भ करावें।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष, महोदय, जहां तक डूंगरगढ़ का सवाल है उसके लिये दुग्ध प्लान्ट के खोलने की घोषणा कब हुई यह मुझे पता नहीं है। मूल योजना में बीकानेर में एक लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला फीडर बेलेन्सिंग डेयरी प्लान्ट लगाना है। उसके लिये भवन का निर्माण कार्य चालू है और उसके प्लान्ट के लिए उसमें क्या क्या कम्पोनेन्ट चाहिये उसके लिये जो हमारे देश में मिल सकते हैं और जो बाहर से आने वाले हैं उसके लिये आदेश दे दिया गया है। ज्योंही कम्पोनेंट आये काम शुरू हो जावेगा। जहां तक सरदारशहर की बात है उसके लिये मेरा निवेदन है कि यह प्रोग्राम डी.पी.ए.पी. के अन्तर्गत तैयार किया गया है। इस योजना के प्रथम चरण में 1000 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला एक चिलिंग प्लान्ट लगाने का प्रस्ताव है। लेकिन अभी तक भारत सरकार से धनराशि उपलब्ध नहीं हुई है। इस वर्ष के अन्त तक धनराशि प्राप्त हो जायेगी। तब क्लीयरेन्स आते ही शुरू कर दिया जावेगा। हम भारत सरकार से जल्दी क्लीयरेन्स लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिये हमने स्थान तय कर लिया है और दूसरी बातें सभी तय कर ली हैं।

श्री केदारनाथ : मन्त्री महोदय बार बार सरदारशहर का नाम क्यों ले रहे हैं? पास में वित्त मंत्रीजी बैठे हैं इसलिये।

श्री रामकिशन : यह तो पहले योजना की जानकारी वित्त मन्त्री जी को दे रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : जहां तक गंगानगर की योजना पर कार्यक्रम का सवाल है उस पर भी चिलिंग प्लान्ट लगाने का विचार किया जा रहा है।

श्री लूणाराम : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया कि क्या घोषणा की गयी मेरे से पूर्व मंत्री द्वारा उसकी मुझे जानकारी नहीं है। तत्कालीन मंत्री महोदय जब डूंगरगढ़ पशु मेले में पधारे थे तब घोषणा की थी। मुझे भी सूचना दी थी। आपको जानकारी करनी हो तो मंत्री महोदय विराजे हुए हैं। इसलिये मंत्री महोदय स्पष्ट घोषणा करें। मैं चाहूंगा कि वहां पर चिलिंग प्लान्ट स्थापित किया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिये समय चाहिये।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : लूणकरणसर से दूध बीकानेर में आता है।

श्री शंकरलाल एवं अनेक सदस्य : (एक साथ बोलने से अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी घोषणा ऐसे कैसे मूर्छित हो गयी है।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : लूणकरणसर में चिलिंग प्लॉन्ट लगाना अति आवश्यक है क्योंकि लूणकरणसर तहसील से दूध बीकानेर जाने में कच्चे रास्ते होने से बीच में ही फट जाता है और खराब हो जाता है। इसलिये वहां पर एक चिलिंग प्लान्ट लगाने की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री शिवचरण माथुर : हर जगह तो चिलिंग प्लान्ट लगाना संभव होगा नहीं। कोशिश यह की जाती है कि जहां से आसानी से बिना फटे हुए दूध आ सकता है वहां पर चिलिंग प्लान्ट न लगाया जाय और जो बहुत दूर के स्थान हैं और जहां से बीकानेर को दूध आने में खराब हो जाता है तो वहां पर पहले उसको ठंडा कर लिया जाय और फिर उसको ट्रान्सपोर्ट किया जाय तो वहां पर चिलिंग प्लांट की बात हो सकती है लूणकरणसर बीकानेर से दूर नहीं है। वहां पर दूध इकट्ठा किया हुआ बीकानेर आ सकता है। यदि इतने अधिक चिलिंग प्लान्ट लगा दिये जावेंगे तो मूल प्रोजेक्ट ही घाटे का हो जावेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चिलिंग प्लान्ट वहीं पर लगाने की बात हो सकती है जहां पर दूर से दूध आता हो और दूध के ट्रान्सपोर्टेशन में दिक्कत आती हो इसलिये उसको वहां ठंडा करके ट्रान्सपोर्ट करने की व्यवस्था की गयी है। इस दृष्टि से जहां जहां पर भी चिलिंग प्लान्ट्स की आवश्यकता थी वहां लगाने की बात है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : उस जगह की··

श्री मोहरसिंह : यह विरोधाभास क्यों हो रहा है?

श्रीमती कान्ता कथूरिया : लूणकरणसर तहसील से जो दूध आता है वह एक दिन में बीकानेर में नहीं पहुंचता है। कच्चे रास्ते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न पूछ चुकी हैं आप और माननीय मन्त्री महोदय जवाब भी दे चुके हैं। आप तशरीफ रखिये।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : जहां तक मन्त्री महोदय का जवाब है वह चाहते हैं कि प्लांट इकोनामिक होना चाहिये मैं इससे सहमति प्रकट करती हूं। मैं नहीं चाहती हूं कि जगह जगह चिलिंग प्लांट्स लगाये जायें। मेरा कहने का अभिप्राय यही था कि लूणकरणसर-तहसील से एक दिन में बीकानेर दूध नही पहूंच सकता है। यदि पहूंच जाय तो हम इसकी मांग नहीं करेंगे। वहां पर नहीं पहुंच पाता है इसलिये आपकी योजना भी सफल नहीं हो पाती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चिलिंग प्लांट लगाने में डिस्टेन्स, टेम्प्रेचर में कौनसा आप अधिक आवश्यक समझते हैं ? क्या टेम्प्रेचर काउन्ट नहीं करते ? डिस्टेन्स ही क्यों काउन्ट करते हैं ? जयपुर और उदय-पुर मिल्क स्कीम्स हैं....

श्री उपाध्यक्ष : सप्लीमेन्टरी करें उससे पहले मूल प्रश्न को देख लें और उसके बाद करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने देख लिया है। आप यह कहते हैं कि जगह जगह चिलिंग प्लान्ट नहीं लगा सकते हैं। टेम्प्रेचर काउन्ट नहीं करते हैं। बीकानेर का हाई टेम्प्रेचर है...

श्री शिवचरण माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरे क्षेत्र के टेम्प्रेचर के मुताबिक ही मेरा टेम्प्रेचर है।

श्री उपाध्यक्ष : आपके क्षेत्र के टेम्प्रेचर से कौन परिचित नहीं है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : वे टेम्प्रेचर मेन्टेन करते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : मैं यह कह रहा था कि टेक्निशियन्स ने जांच की थी। उसी आधार पर चिलिंग प्लान्ट्स हम लगाना चाहते हैं। कौनसा इसके लिए उपयुक्त स्थान हो सकता है इसका ध्यान रखा जाता है। मैं आशा करता हूं इस सम्बन्ध में भी इन बातों का ध्यान रखा गया होगा। लूणकरणसर तहसील से दूध आता है, आखिर वही समस्या रहेगी कि 60 मील दूर से दूध गांव से आता है इसलिए वहां भी चिलिंग प्लान्ट लगे इन सब बातों को देखते हुए जहां जहां भी चिलिंग प्लान्ट लगाने की बात हो सकती थी यही विचार किया गया है कि एक सरदार शहर में और दूसरा गंगानगर या सूरतगढ़ में से लगाया खोला जाय।

श्री लक्ष्मणसिंह : क्या आप...

श्री उपाध्यक्ष : क्वेश्चन इज क्लोज्ड।

पोस्टपोन्ड क्वेश्चन्स।

स्थगित प्रश्न

दिनांक 5-3-74

राजस्थान सिविल सेवा (नवीन वेतन मान) नियम, 1969

47. श्री **गिरधारीलाल भार्गव** (हवा महल)—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सिविल सेवा (नवीन वेतनमान) नियम, 196 दिनांक 1-9-1968 से लागू किये गये हैं ?

(2) क्या यह सही भी है कि वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 9(17)एफ. डी. (रूल्स)।70 दिनांक 20-10-74 द्वारा जिन कर्मचारियों ने दिनांक 31-3-70 को 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो उन्हें एक अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकार की गई है ? यदि हां, तो दिनांक 31-3-70 ही निश्चय करने का क्या आधार है ?

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी हां।

(2) यह सही है कि जिन कर्मचारियों ने दिनांक 31-3-70 को 12 वर्ष और निरन्तर राज्य सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अन्य शर्तों के साथ 1-4-70 से एक अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकार की गयी है। यह तत्कालीन मुख्य मंत्री और राज्य कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से वार्ता के पश्चात् एवं मन्त्रिमण्डल के निर्णय के पश्चात निश्चित की गयी है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 31-3-70 तारीख की पाबन्दी न रख कर ज्योंही लाभ हो जाय सेवा का आगे वह लाभ देना चाहते हैं या नहीं ?

श्री चन्दनमल बैद : जी नहीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्यों नहीं।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने जब 'जी नहीं' कहा है तो इसका मतलब ही यही है कि कि 'जी नहीं'।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : राज्य कर्मचारियों की वाजिब समस्या को समझ कर निश्चित तारीख न रख कर जिन 2 की 12 वर्ष की सर्विस हो जाय इससे बहुत कर्मचारियों को लाभ होगा।

श्री चन्दनमल बैद : दिस इज मेटर आफ ओपिनियन।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 5-3-74)

स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन फीस से सहकारी समितियों को मुक्ति

51. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा, जोधपुर)—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहकारी समितियां स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन फीस से मुक्त हैं ?

(श्री अमृत लाल गहलोत)

(2) क्या यह सही है कि कृषि उपज मंडी समितियां जिनका गठन राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) अधिनियम 1973 के अन्तर्गत किया गया है, स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस से मुक्त नहीं है ?

(3) क्या कारण है कि सहकारी समितियां निजी क्षेत्र की व्यापारिक संस्थायें होते हुए भी उन्हें उपरोक्त ड्यूटी व फीस से मुक्त रखा है ?

(4) क्या कारण है कि कृषि उपज मंडी समितियां सार्वजनिक क्षेत्र की प्रशासन एवं विकास करने वाली संस्थायें होते हुए भी स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन फीस से मुक्त नहीं की गई हैं ?

(5) अन्य कौन कौन से राजकीय विभाग, उपक्रम, स्वायत्त शासन संस्थायें इत्यादि स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन फीस से मुक्त हैं ?

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल बेद): (1) जी हां, राजस्थान कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट, 1953 के अन्तर्गत सहकारी समितियां स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन फीस से मुक्त हैं ।

(2) नियमानुसार कृषि उपज मण्डी समितियां जिनका गठन राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) अधिनियम 1973 के अन्तर्गत किया गया है स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन फीस से मुक्त नहीं हैं। जहां तक उपज मण्डी समितियों द्वारा बैंकों से ऋण लेकर विकास कार्य करने का सम्बन्ध है, ऐसे अवसरों पर राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी से मुक्ति दे दी गई है ।

(3) राजस्थान सरकार द्वारा सहकारी समितियों को स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन फीस से इस बात को ध्यान में रखते हुए मुक्त किया गया है कि दूसरे राज्यों में तथा राजस्थान की भूतपूर्व रियासतों में भी सहकारी समितियां इस कर से मुक्त थीं ।

(4) कृषि उपज मण्डी समितियों को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है, तथा जहां तक कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा बैंकों से ऋण लेकर विकास कार्य करने का सम्बन्ध है, ऐसे अवसरों पर राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी से मुक्ति दे दी गई है ।

(5) सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिए)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुए ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: एक 491 है । स्थगित प्रश्न है, इम्पोर्टेन्ट है ।

श्री चन्दन मल बेद : आज जल प्रदाय योजना की डिमाण्ड्स हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये कल ले लिये जावें ।

श्री सज्जनसिंह : मेरा भी स्थगित प्रश्न स्थगित रहेगा ?

श्री उपाध्यक्ष: आपका एक तो इन्हीं से सम्बन्ध रखता है । बाकी मैं पोस्टपोन करने में असमर्थ हूं ।

Page No 26

(26)

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल पाली से आने वाले माननीय सदस्य श्री सज्जन सिंह जी ने जब कृषि की मांग पर बहस चल रही थी तब कृषि मंत्री जी से इस्तीफा देने की बात कही थी। उनका इस्तीफा मांगा था।

श्री उपाध्यक्ष : बिजनेस शुरू होने के बाद ले लें।

श्री रामकिशन : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह बिजनेस शुरू होने से पहले चलेगा। यह प्रश्नकाल के तत्काल बाद आवेगा। उन्होंने मिनिस्टर से इस्तीफा मांगा था, कारण भी दिये थे। बीज खाद नहीं दिला पाये। तो नियमों के तहत मन्त्रीजी के खिलाफ सेंसर मोशन था। क्या जानकारी कर सकता हूं मैं कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में विचार कर रही है कुछ, क्योंकि वह शासकीय दल के एक सदस्य की तरफ से था? शासकीय दल के एक सदस्य ने जब प्रस्ताव रखा है और वह रिकार्ड में है तो मैं जानना चाहूंगा कि सरकार उसे स्वीकार करने जा रही है?

श्री शंकरलाल : नियमों का हवाला देते हुए कहें तो अच्छा रहेगा।

श्री रामकिशन : बिना नियम के नहीं कह रहा हूं। मैं 119 के तहत कह रहा हूं। जो मैं जानकारी चाहता हूं कि क्या सरकार इसे सेंसर मोशन के रूप में ले रही है और क्या माननीय सदस्य ने जिसने यह रखा है वे इसको आगे उठाना चाहते हैं? इसके सम्बन्ध में आगे कहना चाहते हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वह रिटिन में कोई मोशन नहीं था।

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है माननीय सदस्य का अनुग्रह हमें मानना चाहिये। यह मोशन जो कल सज्जनसिंह जी ने रखा बिना अटेन्शन के ही चला जाता अगर ये इसको आज सदन में नहीं उठाते। इसलिये यह एक सेंसर मोशन है, ओरल है, राइटिंग में नहीं है और यदि यह सेंसर मोशन है और चूंकि सत्तादल की ओर से रखा गया है और सभी सत्तादल के माननीय सदस्य इस पर उस समय मौन रहे हैं इसलिये सबकी सम्मति इसके पक्ष में है। यह मानकर इसे सेंसर मोशन क्यों न मान लिया जावे। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप तो इनका आभार मानिये कि उन्होंने यह प्रश्न आज यहां उठाकर आपको स्पष्टीकरण करने का मौका दिया है। यह सेंसर मोशन है तो सज्जनसिंह जी खड़े होकर इसको मूव करें और साथ ही आपका स्पष्टीकरण लें। नहीं तो माननीय सदस्य क्षमा याचना करें और आप उनको क्षमा करें।

श्री पी. के. चौधरी : There is no motion under rule 119

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, आप चर्चा करने की अनुमति दे रहे हैं जब कि इन्होंने व्यर्थ ही 119 का हवाला दिया है 119 में साफ लिखा है लिखित में होना चाहिये और अध्यक्ष की सम्मति से उठाया जाना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आसन मौन था तो यह सम्मति ही तो हुई।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप इजाजत न दें। हम भी यही चाहते हैं और न माननीय सज्जनसिंह जी को स्पष्टीकरण करने का मौका दें। जो स्थिति जहां है वहीं रहने दीजिये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अगर आप यह मानते हैं कि यह 119 की तहत रेगुलर नहीं है तो फिर स्पष्टीकरण क्यों दिलवा रहे हैं।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था तो दे दें। क्या शासन 119 की मान्यता दे रहा है इसे ?

श्री केदारनाथ : टैक्निकली यह 119 सैंसर मोशन या नो कान्फीडेन्स मोशन लाने के लिये अपोजीशन वालों के लिये है। यह सारी किताब अपोजीशन वालों के लिये रूल से भरी है। अब अगर कांग्रेस और सत्ता में बैठी हुई पार्टी का ही सदस्य सैंसर करना चाहे तो उसके लिये नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। इसलिये ओरल मोशन की तारीफ में इसको गिन लिया जाना चाहिये।

श्री सज्जनसिंह : सफाई का प्रश्न नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, पर चूंकि आपने इस प्रसंग को यहां छेड़ा है इसलिये उसका उत्तर दूंगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : शासन इसका काग्नीजैन्स ही नहीं ले रहा है तो फिर आप ही क्यों ले रहे हैं। इसे ऐसे ही छोड़िये।

श्री सज्जनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न यहां उठाकर विरोधी पक्ष के लोगों ने केवल प्रचार करने की दृष्टि से यह रुख अपनाया है। मेरा राज्य सरकार या उसके किसी मंत्री के विरुद्ध कोई सैंसर मोशन लाने का न इरादा था न, मैंने वे शब्द उपयोग में लिये थे। माननीय सदस्य उस समय सदन में उपस्थित भी नहीं थे। केवल पत्रों को पढ़ाकर उस पर से धारणा बनाकर अब उसका कोई राजनैतिक लाभ लेना चाहते हैं। वह उनको मिल नहीं सकता।

मैं पुनः यह निवेदन करता हूं कि मुझे सरकार में पूर्ण विश्वास है। कृषि मन्त्री महोदय की काबलियत में, योग्यता में पूर्ण विश्वास है और यह भी जो तरीका आपने अख्तियार किया है इसकी मैं निन्दा करता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया उस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि यह 294 के अन्तर्गत व्यवस्था के प्रश्न से सम्बन्धित है ऐसा नहीं है। और न व्यवस्था का प्रश्न इसमें अन्तर्निहित है। इन्होंने जो कुछ भी विचार व्यक्त किये हैं नियमों में वे नहीं आते। फिर पर्सनल एक्सप्लेनेशन के तौर पर भी जो स्पष्टीकरण आ गया है वह भी नियमों में नहीं आते। इसलिये मैं इसे व्यवस्था का कोई प्रश्न स्वीकार नहीं करता।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कृषि मन्त्री जी को धन्यवाद तो देना चाहिये कि आपके वर्चस्व को इन्होंने बढ़ाया है यह प्रश्न सदन में रखकर।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट–3 देखिये)।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

नगरपालिका डीडवाना के हरिजन कर्मचारियों की बकाया राशि

469. श्री भोमाराम (डीडवाना): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका डीडवाना के हरिजन कर्मचारियों को पिछले 5 माह से वेतन नहीं दिया गया है और करीब 64000 रुपये कर्मचारियों के बाकी हैं? यदि हां, तो भुगतान नहीं करने का क्या कारण है तथा अब कब तक भुगतान कर दिया जावेगा?

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका डीडवाना के ऊपर अभी भी पानी व बिजली के करीबन 1,80,000 रुपये के बिल बकाया हैं तथा कर्मचारियों का एरियर व पी. एफ. का भी करीबन 12 280 रुपया बकाया है? यदि हां, तो भुगतान नहीं करने का क्या कारण रहा है तथा अब राज्य सरकार इन बिलों का भुगतान कब तक करायगी?

(3) क्या राज्य सरकार ने नगरपालिका डीडवाना की इससे पूर्व भी जांच की है? यदि हां, तो जांच का क्या नतीजा रहा?

(4) नगरपालिका डीडवाना को सन् 1972 से आज तक क्या आय रही है व कितना व्यय हुआ? मदों सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) चार माह के वेतन के 60,000 रुपये बकाया हैं। नगरपालिका में आय की कमी के कारण हैं। वेतन चुकारा करने के प्रयत्न नगरपालिका द्वारा किये जा रहे हैं।

(2) नगरपालिका व विद्युत् मण्डल के व जलदाय विभाग बीच चुंगी कर को वसूली, भूमियों का किराया लेने व बिजली के बिलों का भुगतान करने संबंधी विवाद है, इसलिए कितनी राशि बकाया है कहा जाना सम्भव नहीं है। कर्मचारियों के पी. एफ. की राशि पोस्ट आफिस में जमा करवादी गई है।

(3) जी हां।

मामला विचाराधीन है।

(4) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

सहायता आयुक्त के पास पंजीकरण के विचाराधीन मामल

472. श्री माणकचन्द सौगानी (अजमेर, पूर्व): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सहायक आयुक्त देवस्थान (जयपुर खण्ड) के पास अजमेर शहर व जिले के कई सार्वजनिक प्रन्यासों के पंजीकरण के फार्म जांच करने हेतु गत दस ग्यारह वर्षों से अभी तक

(श्री माणक चन्द सोगानी)
अनिर्णीत पड़े हुए हैं जिनके कारण उक्त प्रन्यासों का पंजीकरण नहीं हो सका है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रन्यासों की सम्पत्ति की रक्षार्थ प्रन्यासियों द्वारा किये गये दावे अदालतों में इस आधार पर रुके पड़े हैं कि प्रन्यासों का पंजीकरण नहीं हुआ है और इस तरह प्रन्यासों की रकमें वसूल होने में बाधा आ रही है ?

(3) यदि हां, तो उक्त प्रन्यासों के पंजीकरण के प्रश्नों का जल्दी निपटारा करने के लिये राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) हां अजमेर शहर व जिले के सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 के अन्तर्गत आज तक के कुल 130 केसेज अनिर्णीत पड़े हैं जिनमें से 1966 तक 36 केसेज हैं तथा 1966 से 1973 तक के 94 केसेज हैं।

(2) इस संबंध में विभाग के पास कोई सूचना नहीं है। प्रन्यासी ही सही जानकारी दे सकता है।

(3) पंजीयन की कार्यवाही निरन्तर जारी है।

अध्यापकों की बकाया राशि

473. श्री राजेन्द्र सिंह (उनियारा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) टोडारायसिंह, प्राथमिक एवं क्रमोन्नत प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को कब से व किस कारण से वेतन नहीं मिल रहा है ?

(2) क्या विभाग द्वारा इस विषय में कोई स्टे दिया हुआ है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अध्यापकों का पंचायत विभाग से शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण कर दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों तथा राज्य सरकार इनको वेतन कब तक दिला देगी ?

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग द्वारा धनराशि आवंटित न की जाने से दिनांक 1-9-73 से वेतन नहीं दिया गया है।

(2) पंचायत समिति टोडारायसिंह द्वारा किये गये अध्यापकों के स्थानान्तरण आदेश विभागीय आदेश दिनांक 31-12-73 द्वारा स्थगित किये गये थे, जो दिनांक 21-3-74 को निरस्त किये जा चुके हैं। स्टे की कापी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) पंचायत समिति क्षेत्र के शिक्षकों का शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण के लिये प्रचलित नियमों के तहत वर्ष 73–74 में इस पंचायत समिति से 14 शिक्षकों का स्थानान्तरण वरिष्ठता के आधार पर शिक्षा विभाग में हुआ है। इन 14 शिक्षकों में 5 शिक्षक वे भी हैं जो नगर क्षेत्र टोडारायसिंह की शालाओं में अब तक कार्यरत हैं। शेष 16 अध्यापकों का शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण उनके कनिष्ठ होने के कारण नहीं हो सका है। इस तरह शेष

(पंचायत मंत्री)

16 अध्यापकों पंचायत समिति में शिक्षकों के स्वीकृत पदों पर ही कार्य करते रहेंगे। शिक्षकों को वेतन दिये जाने के संबंध में विभाग द्वारा शिक्षा विभाग बीकानेर को आवश्यक धनराशि पंचायत समिति के पी.डी. खाते में हस्तान्तरित किये जाने के लिए निवेदन किया गया है और धनराशि आवंटित होते ही वेतन दे दिया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट-4 देखिये)

गृह निर्माण सहकारी समितियों को भूमि

477. श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़)-क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चित्तौड़गढ़ तहसील तथा भदेसर तहसील में अनुसूचित जाति तथा जनजाति की गृह निर्माण सहकारी समितियां कौन कौन सी रजिस्टर्ड हुई हैं ?

(2) इन गृह निर्माण समितियों को क्या मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा ऋण दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) निकट भविष्य में कब तक इन समितियों को ऋण वितरित कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ तथा भदेसर तहसीलों में 4 निम्न अनुसूचित जाति/जनजाति भवन निर्माण सहकारी समितियों का पंजीयन हुआ-

तहसील भदेसर

(1) निकुम पिछड़ी जाति भवन निर्माण सहकारी समिति लि.

(2) भादसोडा भवन निर्माण सहकारी समिति लि.

तहसील चित्तौड़गढ़

(1) चित्तौड़गढ़ भवन निर्माण स. स. लि.

(2) सांवा भवन निर्माण स. स. लि.

(2) जी नहीं। सांवा गृह निर्माण सहकारी समिति लि. को राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव फाइनेन्स सोसायटी द्वारा 16-3-74 को ऋण स्वीकृत किया जा चुका है।

भादसोड़ा भवन निर्माण सहकारी लि. का ऋण आवेदन आक्षेप पूर्ति हेतु लौटाया गया। अभी तक पूर्ति के पश्चात् प्राप्त नहीं हुआ।

शेष दो सहकारी समितियों के आवेदन-पत्र ही प्राप्त नहीं हुये हैं।

(3) जिस समिति को ऋण स्वीकृत किया जा चुका है उसके रहन नामे निष्पादन कराने के तुरन्त पश्चात् ऋण वितरण किया जा सकेगा। शेष दो समितियों के ऋण आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर ऋण स्वीकृत किया जाना सम्भव हो सकेगा। भादसोड़ा समिति का आवेदन-पत्र आक्षेपपूर्ति के बाद आने पर नियमानुसार स्वीकार किया जा सकेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामीण क्षेत्रों की पेय जल समस्या

352. श्री वृद्धिचन्द्र (बाडमेर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों का पेय-जल समस्या के निवारण के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना में क्या प्रावधान रखा गया है ?

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत कितने ट्यूबवेल्स विभिन्न जिलों में बनाने का विचार है और उनके निर्माण पर कितनी राशि व्यय की जायेगी ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त योजना में पाइप लाइन स्कीम के अन्तर्गत कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

उत्तर

(1) राज्य की पांचवी पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। योजना के आकार को अन्तिम रूप दिये जाने पर मदवार प्रावधान को अन्तिम रूप दिया जा सकेगा।

(2) 1 के उत्तर के अनुसार कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।

(3) 1 के उत्तर के अनुसार कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।

उदयपुर नगर की नल योजना

353. श्री देवीलाल (सराडा) —क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर नल योजना के अन्तर्गत गांव मादड़ी मेनेरियों को ले लिया गया है ? यदि हां, तो क्या इसमें नल योजना लागू कर दी गई है ? यदि हां, तो कितने मोहल्लों में नल की टोटियां लगाई गई हैं।

(2) क्या यह सही है कि भीलों की आबादी वाले मोहल्ले में नल लगा दिया गया है ? यदि हां, तो पानी की टोंटी कब से लगाई गई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा आदिवासियों के व हरिजनों के मोहल्लों में नल बिछाने के लिये कोई सहायता सन् 1971–72–73 से वर्षों में जन स्वास्थ्य विभाग उदयपुर को दी गई है ? यदि हां तो कितनी धनराशि दी गई थी ?

उत्तर

(1) जी हां। जी हां, इस योजना के अन्तर्गत 5 मोहल्लों में नल की टूंटियां लगाई जा चुकी हैं।

(2) जी हां। वर्ष 72–78 में पानी की टूंटी लगाई गई थी।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठाता।

जैतसर फार्म

354. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़)—क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चक नम्बर

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

5,6,7 जे. के. एम. एवं चक नं. 10,11, 12,13 बी. जी. डी. जैतसर फार्म ने अपने अन्तर्गत ले लिये थे या लेने का निर्णय किया था ?

(2) क्या यह सही है कि अब उपरोक्त रकबा (चकों का) जैतसर फार्म ने अपने अन्तर्गत न लेने का निर्णय कर लिया है ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त रकबे में उनको पुराने भूमिहीन काश्तकार वर्षों से लगातार काश्त कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब कब से ? काश्तकारों के नाम दर्शाते हुये सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है उपरोक्त चकों के अधिकतर काश्तकारों ने अपने कब्जे काश्त का रकबा कभी नहीं छोड़ा और उनके पट्टों का नवीनीकरण पिछले दो तीन वर्षों से इस शर्त पर किया जाता रहा है कि वे सरकार को यह शर्तनाम लिख कर दें कि सरकार जब भी चाहेगी, वे जमीन खाली कर देंगे ? यदि हां, तो क्या यह नहीं है कि सरकार अपने उपयोग के लिये या किसी भी कार्य के लिये जब भी चाहें सरकारी अस्थाई आवंटन की भूमि खाली करा सकती है ? यदि हां, तो इस प्रकार के शर्तनामें का क्या औचित्य था ?

(5) क्या यह सही है उपरोक्त शर्तनामा कई काश्तकारों ने नहीं दिया ? और इसी आधार पर इन काश्तकारों का नवीनीकरण नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या यह उचित था ?

(6) क्या यह सही है उपरोक्त चकों में सौ से अधिक ऐसे भी काश्तकार हैं जिन्हें हनुमानगढ़ के पास भूमिहीनों के रूप में भाखरा नहर क्षेत्र की भूमि अलाट की, तथा यह रकबा मन्डी एरिया घोषित हो जाने के कारण उन्हें बेदखल करके एवज में चक 5, 6, 7 जे.के.एम. तथा 10,11,12,13 बी.जी.डी. में जमीन आवंटित की गई ? यदि हां, तो ऐसे काश्तकारों के पट्टा नवीनीकरण न करने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि इन चकों में स्थाई आवंटन भी किया जा रहा है ? फिर ऐसे काश्तकारों का स्थाई आवंटन न किये जाने का क्या कारण है ?

(7) क्या यह सही कि उपरोक्त चकों के काश्तकारों ने उपनिवेशन विभाग के एक अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एन्टीकरप्शन विभाग द्वारा पकड़ा दिया था ? यदि हां, तो क्या इसी कारण इन काश्तकारों का पट्टा नवीनकरण नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) जैतसर फार्म के लिए भूमि का आरक्षण किया गया था ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) जी हां ।

चूंकि यह आराजी जैतसर फार्म के लिये आरक्षित थी आवंटितों को स्पष्ट रूप

(उपनिवेशन मंत्री)
से आरक्षण की जानकारी देने के लिये उनसे इकरारनामा लेकर नवीनीकरण किया गया।

(5) जी हां।

(6) जी हां। अस्थायी पट्टेधारकों के पट्टों का नवीनीकरण इस कारण नहीं किया गया कि जिस भूमि का उन्हें अस्थायी आवंटन किया गया था वह जैतसर फार्म के लिये आरक्षण में थी और इसके आवंटन के लिये विशेष शर्त लगी हुई थी।

जी हां। अब इस भूमि को आरक्षण में से निकाल दिया गया है और इन आराजियात का स्थायी आवंटन किया जा रहा है। स्थायी आवंटन करते समय भी अस्थायी कृषि पट्टाधारकों को जिनके पट्टों का नवीनीकरण हो चुका है उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। जिन काश्तकारों का नवीनीकरण इस कारण नहीं हुआ कि उन्होंने इकरारनामा नहीं दिये उनके केसेज की जांच करके अगर वे भूमिहीन पाये जावें और इकरारनामा न देने के कारण ही जिनका नवीनीकरण रोका गया था उनका नवीनीकरण बाद जांच कर देने के लिये आयुक्त उपनिवेशन को आदेश भेज दिये गये हैं।

(7) जी हां।

जी नहीं। काश्तकारों द्वारा इकरारनामा न देने के कारण नवीनीकरण नहीं किया गया था?

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

शीत लहर के कारण राज्य में फसलों को क्षति

355. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि शीत लहर के कारण राज्य में फसलों को क्षति पहुंची है? यदि हां, तो किस किस जिले में किस किस अनुपात से? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

जी हां,

सही अनुमान का गश्त के बाद पता चल सकेगा।

बाड़मेर जिले की सरकारी चरागाहों पर अनधिकृत कब्जे

.356. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

बाड़मेर जिले की अलग अलग तहसीलों में विभिन्न स्थानों पर गत सात वर्षों में कितने सरकारी चरागाहों पर लोगों द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया गया तथा अनधिकृत कब्जों में कुल कितनी भूमि तहसीलवार है? कृपया पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

बाड़मेर जिले की विभिन्न तहसीलों में विभिन्न स्थानों पर गत सात वर्षों में

Page No 34

(३४)

(राजस्व मंत्री)
सरकारी चरागाहों पर किये गये अनाधिकृत कब्जों की सूचना परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

कुडियावाला भूमि पर अवैध कब्जा

357. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले की चौहटन ग्राम की जमीन कुड़िया वाला के बारे में श्री हेमसिंह पुत्र सुरतान-सिंह सा. चौहटन ने डिप्टी कलेक्टर जागीर को अपनी निजी सम्पत्ति करार देने के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत चौहटन ने उक्त आवेदन-पत्र के विरोध में उजरदारी पेश की ?

(3) क्या यह सही है कि श्री हेमसिंह ने अपने उक्त दावे को लिखित तौर से प्रार्थना-पत्र डिप्टी कलेक्टर जागीर को प्रस्तुत कर विथ्ड्रा (Withdraw) किया जिस पर उनका आवेदन-पत्र खारिज हुआ ? उक्त निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त दावे के विथ्ड्रा करने के बाद ग्राम पंचायत चौहटन ने उक्त जमीन पर नाजायज कब्जा हटाने के लिये श्री हेमसिंह के विरुद्ध दफा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जो तहसीलदार चौहटन द्वारा कब दर्ज की गई ?

(5) उक्त कार्यवाही का तहसीलदार द्वारा कब फैसला किया ? उक्त फैसले की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) क्या यह सही है कि उक्त फैसले की कोई अपील नहीं की गई ?

(7) क्या यही है कि उक्त फैसले के बाद में अभी तक श्री हेमसिंह का नाजायज कब्जा नहीं हटाया गया है ? यदि हां, तो देरी के क्या कारण रहे ? अब कब तक कब्जा हटा दिया जायगा ?

(स्थगित किया गया)

पंचायत समितियों की निजी आय

358. **श्री श्रीनिवास शारदा** (निम्बाहेडा) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान की पंचायत समितियों की निजी आय को कितनी कितनी राशि अब तक एकत्रित हुई है तथा धनराशि कहां अथवा किस अकाउन्ट में पड़ी है और एकत्र हुई धनराशि के वर्षवार क्या आंकड़े हैं ?

(2) क्या कभी राज्य सरकार ने यह भी सोचा कि उक्त राशि से उपलब्ध होने वाली ब्याज की हानि पंचायत समितियों को उठानी पड़ी है ?

(श्री श्री निवास शारदा)

(3) निजी आय की धनराशि किन्हीं शिड्यूल्ड बैंकस् अथवा सहकारी बैंकों में रखने की छूट देना सरकार क्यों उचित नहीं मानती ?

(4) आंकड़ों की सूची कृपया सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान की पंचायत समितियों की वर्ष 1960–61 से 1972–73 तक कुल निजी आय में 1237.32 लाख रुपये एकत्रित हुई। निजी आय की सम्पूर्ण धनराशि सम्बन्धित पंचायत समिति के पी.डी. एकाउन्ट में जमा है। निजी आय के वर्षवार आंकड़े संलग्न है।

(2) राजस्थान पंचायत समितियां एवं जिला परिषद् (वित्तीय, लेखा एवं बजट) नियम 1959 के प्रावधानों के तहत पंचायत समिति की समस्त प्राप्तियां उनके पी.डी. लेखों में जमा होती हैं।

(3) उपयुक्त नियमों में केवल वही प्रावधान है कि पंचायत समिति की निजी आय को उनके निजी निक्षेप लेखों में जमा किया जावे।

(4) वर्षवार प्राप्त निजी आय की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट–6 देखिये)

ग्राम पंचायत शिवबाड़ी की भूमि

359. श्री केदारनाथ (गंगानगर)

श्री रामकिशन (भरतपुर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील बीकानेर की ग्राम पंचायत शिवबाडी की सीमा नगर परिषद् क्षेत्र से बिल्कुल लगती है।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम शिवबाडी की आबादी करीब 1500 है और आबादी भूमि की कोई समस्या न होते हुए भी 677 बीघा कृषि भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित किया गया है।

(3) क्या यह कालोनी हरीजनों के लिए बनाई जाने की योजना थी ? यदि हां, तो इस कालोनी में कितने पट्टे हरिजनों को दिये गये तथा कितने सरकारी अधिकारियों व सेठ साहुकारों को पट्टे दिये गये। जिनको पट्टे दिये गये हैं उनके नाम सहित सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि यह भूमि नगर पालिका से मिली होने के कारण भारी कीमत की है और इसको बिक्री नाम मात्र की कीमत पर फर्जी ढंग से सेठ साहूकारों को दी गई है।

(5) क्या राज्य सरकार ने उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में जांच के सिलसिले में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा कागजात जब्त करवाये थे ? यदि हां, तो उस कार्यवाही का क्या परिणाम निकला ?

(श्री रामकिशन)

(6) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत शिवबाडी का आज तक आडिट नहीं किया गया है? यदि किया गया है तो आडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(स्थगित किया गया)

बीकानेर होलसेल भण्डार

360. श्री रामकिशन (भरतपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बीकानेर होलसेल भंडार के माध्यम से कन्ट्रोल की कौन कौन सी वस्तुएं वितरित की गई?

(2) अब तक होलसेल भंडार के माध्यम से कितनी नियंत्रित मूल्य का कपड़ा, लोंग, इलायची, बादाम, विदेशी साड़ियां बिक्री हुई? क्या इन चीजों की बिक्री वास्तव में जनता को हुई है?

(3) क्या यह सही है कि नियंत्रित मूल्य का कपड़ा फर्जी कार्डों के माध्यम से फर्जी रूप से वितरित दिखा दिया जाता है तथा वह कपड़ा काले बाजार में बिकता है?

(4) क्या सरकार कंट्रोल के कपड़े की कालाबाजारी की जांच कराने का इरादा रखती है? यदि हां, तो क्या पहले इसके संबधित रिकार्ड को सीज किया जाकर जांच कराने का विचार है?

उत्तर

(1) बीकानेर होलसेल भण्डार के माध्यम से कन्ट्रोल की वस्तुएं क्रमशः चीनी कपड़ा, खाद्यान्न (गेहूं, बाजरा, ज्वार, चांवल, मैदा सूजी) खण्डसारी, वितरित की गई।

(2) दिनांक 30–6–73 तक होल सेल भण्डार के द्वारा 1,90,847) रुपये का नियंत्रित कपड़ा एवं 2,52,667 रुपये का लोंग इलायची, बादाम, विदेशी जब्तशुदा साड़ियां तथा घड़ियां बेची गईं। जी हां इन चीजों की बिक्री जनता को ही हुई है।

(3) जी नहीं। कपड़े का काला बाजार में बेचे जाने की अब तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(4) ऐसी जानकारी मिलने पर जांच कराई जावेगी। जांच के लिये आवश्यक हुआ तो रिकार्ड सीज किया जा सकता है।

बिना कार्य किये उठाई गई राशि

361. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कितासर शीतलनगर जिला चूरू की सड़क पर 1972 में मेट हेमाराम की गेंग में उदाराम पुत्र नथाराम जाट कितासर को दिनांक 27-3-72 से 25–4–72 तक की हाजरी लगा रखी थी व भुगतान भी पास करवा दिया?

(श्री लूणाराम)

(2) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी से दोनों उदाराम ने जो कि एक ही वल्दीयत के व एक ही नाम के कोतासर भाटीयान व बीदावतान ने यह बोल कर भुगतान नहीं ली की हम सड़क पर कभी गये ही नहीं भुगतान किस बात का लें। और भुगतान की रकम वापस जमा कर दी गई ? यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे फर्जी काम करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं तो आज तक न करने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। इस संबंध में जांच चालू है और जांच से दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नगरपालिकाओं में प्रशासकों की नियुक्ति

362. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राजस्थान में कुल कितनी नगरपालिकाओं को भंग किया गया है उनकी जगह पर कार्य करने के लिये किस किस नगरपालिका में किस किस व्यक्ति को प्रशासक नियुक्त किया गया है ? ऐसे प्रशासक का नाम व पद तथा नगरपालिका का नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि प्रशासक की नियुक्ति प्रतिनिधि विधायकों एवं संसद सदस्यों, राज्य सभा के सदस्यों आदि की राय पर की गई है ?

उत्तर

(1) 130 नगरपालिकाओं को भंग किया गया है सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 11-3-74)

भगत की कोठी रेल्वे स्टेशन के पास का भवन एवं भूमि का स्वामित्व

65. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व जोधपुर राज्य द्वारा स्थापित भगत की कोठी रेल्वे स्टेशन के पास सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री का भवन और भूमि जो अभी राजस्थान स्टेट बेयरहाउसिंग कारपोरेशन के काम आ रही है विलय के समय राज्य सरकार की थी ?

(2) क्या यह सत्य है कि इस समय उपरोक्त सम्पत्ति के स्वामित्व का दावा कोई प्राइवेट पार्टी कर रही है ? यदि हां, तो उसका स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में कैसे चला गया ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 11–3–73)

जयपुर एवं जोधपुर में कोयले का वितरण

67. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा जोधपुर)–क्या नागरिक रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

दिनांक 1-10-72 से 31-12-73 तक जयपुर एवं जोधपुर नगरों को घरेलू उपयोग के लिए खनिज कोयले के किस किस किस्म के कितने कितने वेगन क्रमश: आवंटन किये गए, उसमें से कितने प्राप्त और प्राप्त हुए में से किस वितरण प्रणाली से किस भाव जनता में बांटे गए? कृपया उसकी सूची माहवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

दिनांक 1–12–73 के पूर्व बिक्री वितरण प्रणाली नहीं थी दिनांक 1-12-73 से जयपुर जिले में कोयला विक्रेता संघ द्वारा 1 क्विंटल प्रति राशन कार्ड पर विक्रय किया गया। जिसकी दर हार्ड कोक 31/– रु. प्रति कि. तथा साफ्ट कोक 23/– रु. प्रति कि. ली गई।

जोधपुर में कोयला फ्री सेल में वितरण किया गया जिसकी रेट हार्ड कोक 26–56 रु. एवं सोफ्ट कोक 19–53 पैसा पर बिक्री किया गया।

(कृपया परिशिष्ट–7 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 11–3–74)

आबूरोड एवं पिंडवाडा में भूमि आवंटन के मामले

68. श्री भूराराम (आबू)–क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

आबूरोड एवं पिंडवाड़ा तहसीलों में भूमि के अलाटमेंट व नियमन के कुल कितने कितने केसेज पेन्डिग हैं? सन् 1971 से अब तक दोनों तहसीलों में नियमन के कितने कितने केसेज निपटाये गये हैं और कितने शेष हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

विवरण सूची में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट–8 देखिए)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 11-3-74)

जयपुर जिले के विकास पर व्यय की गई धनराशि

81. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ)–क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की आबादी, राजस्थान प्रदेश की जनसंख्या के दसवें हिस्से की है? यदि हां, तो राजस्थान की कुल आबादी कितनी है और जयपुर जिले की कितनी है?

(श्री हनुमान सहाय व्यास)

(2) क्या यह सही है कि सन् 1962 से 1972 तक विभिन्न योजनाओं, अकाल राहत कार्यों, अन्य सिंचाई, विद्युत् सड़क आदि विभिन्न निर्माण विकास रोजगार, न्यूनतम नीड प्रोग्राम आदि योजनाओं के माध्यम से अन्य जिलों में अत्यधिक राशि विकास कार्यक्रमों पर व्यय की गई है और जयपुर जिले में जन संख्या के अनुपात से नहीं व्यय की गई है? यदि नहीं तो सन् 1962 से 1972 तक विभिन्न जिलों में कितनी कितनी राशि व्यय की गई है और किन किन योजनाओं के तहत ?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के अनेकों महत्वपूर्ण सिंचाई के बांध, सड़क निर्माण आदि कार्यों के सुझाव राज्य सरकार के पास हैं यदि हां, तो कौन कौन से ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 18-3-74)

राजस्थान में अनाज का वितरण

213. **श्री गुरदयाल सिंह संधु** (करणपुर)–क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में एक अप्रेल, 1973 से एक मार्च, 1974 तक जिलावार गांवों व शहरों को कितना कितना वनस्पति घी, गेहूं, चीनी, मोटा अनाज व मिट्टी के तेल का कोटा अलाट किया गया, रिपोर्ट जिलावार अलग अलग दी जावे और यह बतलाया जावे कि जिस क्षेत्र के देहातों को कोटा नहीं दिया गया, उसका क्या कारण है ? यह भी बतलाया जावे कि हर जिले में शहर में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु का क्या कोटा दिया गया और जिन स्थानों पर कोटा नहीं दिया गया उसका क्या कारण है तथा इस अन्तर का क्या कारण है ?

उत्तर

वनस्पति घी, गेहूं, चीनी, मोटा अनाज व मिट्टी के तेल का जो कोटा जिलेवार आवंटित किया गया की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। देहातों को चीनी समान मात्रा में दी जाती है। अन्य वस्तुओं का कोटा समान नहीं देने का निम्नांकित कारण है :—

(1) केन्द्र से गेहूं का पर्याप्त आवंटन प्राप्त न होना।

(2) केन्द्र से मोटे खाद्यान्नों में केवल माईलो ही प्राप्त होता है जिसे ग्रामीण जनता द्वारा पसंद नहीं करने के कारण जिलाधीशों की मांग नहीं प्राप्त होती।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कहीं खाद्यान्न सुलभता से मिलता है। अतः वहां आवंटित खाद्यान्न की मांग नहीं होती है।

(4) देहातों में वनस्पति की आवश्यकता नहीं होती है फिर भी मांग होने पर दिया जाता है।

(खाद्य मंत्री)

(5) केरोसीन आइल उपलब्धि एवं आवश्यकता के अनुसार वितरित कराया जाता है। प्रति व्यक्ति निर्धारित कोटा संलग्न सूची में विविध शहरों में अंकित है। वितरण की मात्रा में विभिन्नता कभी कभी वस्तु उपलब्धि में कमी बेशी के कारण हो जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 18-3-74)

राजस्थान में अनाज व्यापारियों के परमिट

214. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर)– क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक खाद्यान्न ले जाने हेतु किस किस व्यापारी को 1 जनवरी, 1973 से अब तक किन किन शर्तों के साथ कितने कितने अनाज का परमिट दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त कालावधि में राज्य के बाहर से राज्य में आयात करने हेतु किस किस व्यापारी को कितने कितने और किस किस प्रकार के अनाज का किन किन शर्तों पर परमिट दिया गया?

(3) उक्त कालावधि में राज्य से कितने और किस प्रकार के खाद्यान्न के बाहर ले जाने का कितने कितने अनाज का किस किस व्यापारी को कब कब परमिट दिया गया और क्यों?

(4) उपर्युक्त परमिट किस किस अधिकारी द्वारा दिये गये हैं?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहां अनाज की कमी होती थी, खाद्यान्न ले जाने की अनुमति इस शर्त पर दी जाती थी कि व्यापारी जिलाधीश से खाद्यान्न का भाव निर्धारित करवा कर उनके निर्देशानुसार ही उक्त खाद्यान्न का जनता में वितरण करेगा।

(2) राज्य के बाहर से राज्य में आयात करने हेतु किसी भी व्यापारी को परमिट नहीं दिया गया।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। राज्य से बाहर चना ले जाने का परमिट व्यापारियों को इस शर्त पर दिया गया कि वे दिनांक 3-9-73 तक 25 प्रतिशत एवं 4-9-73 से 11-10-73 तक 20 प्रतिशत के रूप में जमा कराकर शेष चना राज्य के बाहर ले जा सकेंगे।

(4) उपरोक्त सूची में अंकित कर दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है।

(1) श्री योगेन्द्र नाथ हांडा, सदस्य

(श्री उपाध्यक्ष)
विधान सभा की ओर से भरतपुर की दो फर्मों को ब्लैक लिस्ट से वापस हटाने के सम्बन्ध में,

(2) श्री गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से लक्ष्मण गढ़ (सीकर) में पिछले 10 वर्षों का हाऊस टैक्स एक साथ वसूल किये जाने के सम्बन्ध में,

(3) श्री राम किशन, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 16 मार्च को कोटा में आयोजित किये गये चंचल नाइट के समय हुई तोड़फोड़ आदि के सम्बन्ध में,

इन विषयों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(4) श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा श्री कान्ती कुमार पोद्दार को डाक्टोरेट की डिग्री देने की घोषणा के विषय में। यह विषय विश्वविद्यालय का एक आन्तरिक मामला है और अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है।

(5) श्री हनुमान सहाय व्यास, सदस्य विधान की ओर से तहसील विराटनगर, जिला जयपुर के ग्राम ढाणी जयसिंहपुरा की भूमि में 3 वर्षों से लगातार बरसात का पानी भरा हुआ है, इस विषय में। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है।

(6) श्री गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से रतनगढ़ के एक वार्ड में पीने के पानी के अभाव के विषय में,

(7) श्री हनुमान सहाय, सदस्य विधान सभा की ओर से विराटनगर, जिला जयपुर के कुछ गांवों में पीने के पानी के अभाव के विषय में।

इन प्रस्तावों पर माननीय सदस्य आज जन स्वास्थ्य सम्बन्धित बजट की मांग के समय चर्चा उठा सकते हैं।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : एक स्थगन प्रस्ताव मैंने भेजा था।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने स्थगन प्रस्ताव के लिये माननीय अध्यक्ष के चेम्बर में विचार विमर्श कर सकते हैं।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी मांगी है और दूसरे स्थगन प्रस्ताव के विषय में जानकारी भी नहीं मांगी गई है। मैं यह कहना चाहूंगा जो कान्ति कुमार पोद्दार को राजस्थान विश्वविद्यालय डोक्टरेट की डिग्री दे रहा है, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह सिलसिला उदयपुर युनिवर्सिटी ने शुरू किया और अब राजस्थान युनिवर्सिटी इसको आगे ले जा रही है। कान्ति कुमार पोद्दार कोई एकेडेमिक क्वालिफिकेशन नहीं रखते, किसी काम में स्पेशलाइजेशन नहीं, कोई इन्डस्ट्रीज में स्पेशलाइजेशन किया होता तो समझ में आता कि डाक्टोरेट की उपाधि दी जा रही

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

है। केवल मैट्रीक्यूलेट हैं, ग्रेजुएट भी नहीं हैं मुश्किल से अन्डर ग्रेजुएट होंगे। कोई स्पेशिलाइजेशन नही किया है। इसलिए स्पष्ट है राजस्थान युनिवर्सिटी का यह डिग्री देना एक राजस्थान सरकार के ऊपर एसपीरेशन है और खासकर भरतराम चरतराम जितने इजारेदार, जितने केपिटलिस्ट हैं उनको आज डिग्रियां दे रहे हैं बजाय उनको डाउन किया जाय। मैं पूछना चाहूंगा वही कान्ति कुमार पोद्दार जिसको पिछले वर्ष इसी सदन से जबकि उन्होंने अपने पोद्दार पार्क को केवल 3 लाख में बेच दिया। राज्य सरकार ने कहा था हम वेल्यूएशन करेंगे। माननीय सदस्यों ने कहा था तीन करोड़ से अधिक है और आज 6 करोड़ से भी अधिक है इसमें स्विमिंग पूल है वह केवल 7 लाख का है, कान्ति कुमार पोद्दार ने बेच दिया। कोई पेनेल्टी नहीं लगाई कोई स्टाम्प ड्यूटी टेक्स नहीं लगाया, कोई इन्कम टेक्स का केस नहीं बना। ये पोद्दार जिनके काले कारनामों को सारा भारतवर्ष जानता है। 31 वर्ष हो गये! 18 हजार गवर्नमेंट के शेयर है आज तक तक राज्य सरकार ने नहीं दिया। भारी टेक्स की चोरी की, भारी ब्लेक मनी की। भारत सरकार से याने प्राप्त किया जो याने गरीब जुलाहों के लिये था। गरीबों को एक पैसे का याने नहीं मिला। यह कोई मामूली मामला नहीं है बड़ा गंभीर मामला है उपाध्यक्ष महोदय। क्या राजस्थान युनिवर्सिटी इस ब्लेक मनी के कलेक्शन के लिये इन पोद्दार साहब को डिग्री देना चाहती है। ब्लेक मनी करने वालों को, इनफ्लेशन करने वालों को राजस्थान सरकार प्रोत्साहन करना चाहती है। राजस्थान सरकार को इन्हें जेल सींखचों में रखना चाहिये और 65-66 में इन्हीं पोदार के लोग क्रमवार जेल में रह चुके हैं और इतने बड़े टेक्स इवेजन के बाद राजस्थान सरकार पोद्दार पार्क के मामले में लेकर हथकड़ी डालती है लेकिन उसके बजाय आज हम कान्ति कुमार पोद्दार को डाक्टोरेट की उपाधि दे रहे हैं, उनको डिग्री देकर विभूषित चाहते हैं, उनको ग्लोरी देना चाहते हैं। मैं नम्र निवेदन करूंगा कि इस केस के सम्बन्ध में माननीय इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर या मुख्य मंत्री एक स्टेटमेंट दे क्योंकि उभर करके यह नीति का प्रश्न हो गया है। यह रेकरिंग क्रम हो गया है। आज जनता अनाज के लिए तड़फ रही है और हम इन लोगों को यह प्रोत्साहन देते हैं जो निश्चित रूप से जन आक्रोश बनेगा। अव्वल तो स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिए था। फिर इसी से दूसरा प्रश्न उठा है भरतपुर की दो कम्पनियां वार्ष्णेय कारपोरेशन और महा लक्ष्मी कारपोरेशन...

श्री उपाध्यक्ष : इस पर जानकारी चाहिए, जानकारी आने पर मौका मिलेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जानकारी आने पर कोई मौका नहीं मिलेगा। स्टेटमेंट दें तब तो मौका मिलेगा। इनको डि-रजिस्टर करने के बाद-वार्ष्णेय कारपोरेशन और महा लक्ष्मी कारपोरेशन के नाम को कोई संस्था एग्जिस्टेन्स में थी ही नहीं, इनका कहीं नाम निशान नहीं था लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। लाखों टन लोहे का कोटा लिया। बहुत बड़ा ब्लेक मार्केटिंग लोहे के कोटा का किया। डि-रजिस्ट्रेशन हो गया और डी-रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर रजिस्ट्रेशन

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

हो रहा है। सरकार इसको उठा रही है। क्या गवर्नमेंट को इनटेगरिटि और बोना-फाइड डाऊटफुल नहीं होता। फर्जी रजिस्ट्रेशन करवा कर सरकार से लाखों करोड़ों का कोटा इनको मिले तो उपाध्यक्ष महोदय

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्र निवेदन करूंगा इन दोनों मामलों में, क्योंकि दोनों पालिसीज के मेटर है, आज राज्य सरकार की नीतियां दक्षिण पंथी होती जा रही हैं। आज राज्य सरकार का दक्षिण पंथी प्रयास उभर कर सारे भारत वर्ष में सामने आ रहा है और लाखों लाखों लोग यह पूछना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार से कि उनकी नीतियां क्या है। क्या बड़ी बड़ी इन्स्ट्रीज वालों को, ब्लेक मार्केटियर्स को इजारेदारों को, होल्डर्स को डेकोरेशन करना चाहती है, डिग्री देना चाहती है, उनको बाकायदा बहाल करना चाहती है....

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

इस तरह से अपनी नीतियों को जारी रखना चाहती है। अव्वल तो यह एडजोर्नमेंट मोशन एडमिट होना चाहिए था ताकि सरकार की नीति पिन पाइन्ट हो सके।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहला मेरा स्थगन प्रस्ताव रतनगढ़ नगर के बारे में, रतनगढ़ रेल्वे स्टेशन रेलवे लाइन को दो हिस्सों में बांटा हुआ है। एक तरफ वाला हिस्सा वार्ड नं. 8 व 9 है। दिल्ली, जोधपुर वाली लाइन इस नगर के बीच में से निकलती है। निवेदन यह है कि एक प्राइवेट कम्पनी सार्दूल वाटर सप्लाई की व्यवस्था करती है और अभी तक राज्य सरकार ने इस वितरण की व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लिया। इसका कारण यह है कि जो वार्ड नं. 8 व 9 के लोग महरूम रह जाते हैं वहां पर पीने के पानी की न लाइन है और न किसी प्रकार का सार्वजनिक नल है। वार्ड जिसका मैं जिक्र करूंगा उसकी जन संख्या 35 हजार है। 8–10 हजार वन-एहथ आबादी हरिजनों और आदिवासियों के लोगों की है निवेदन करना है जब राज्य सरकार यह कहती है हरिजनों के मोहल्लों में नल लगा रहे हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को पीने का पानी मुहैय्या करा रहे हैं तो जहां 8–10 हजार की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों की संख्या है वहां पीने का पानी न दे सके, न कोई सार्वजनिक नल लगवा सके। एस. इ. एन. के द्वारा, उनके विभाग के द्वारा दो बार सर्वे हो चुका है और नक्शा बना लिया गया और वार्ड नं. 8 व 9 विशेषकर 8 वहां पर पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी को निवेदन करूंगा वह कांग्रेसी विधायक का क्षेत्र है. ऐसी स्थिति में प्रार्थना करना चाहूंगा वे पीने के पानी की व्यवस्था शीघ्र से शीघ्र करवाये। रेलवे क्वार्टर्स में जो नल लगा हुआ है उसको भी उठाकर प्राइवेट बना लिया गया है। वहां की जनता पुलिया पार करके और पुलिया है ही नहीं बड़ी मुश्किल से जाना पड़ता है। केन्द्र सरकार यह कहती है 60 प्रतिशत राज्य सरकार हिस्सा दे और 40 प्रतिशत

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

केन्द्र की सरकार देना चाहती है फिर भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हो रही है.. तो कई लोगों को रेल्वे लाइन पार करके पीने के पानी के लिये मटकी लेकर दूर जाना पड़ता है जिसके कारण से कई दुर्घटनायें हुई हैं, कई लोग रेल के नीचे आ कर मरे हैं इसलिए पुलिया का निर्माण नहीं हो और वार्ड नम्बर 8 के निवासी पानी के लिए तरसें जबकि सर्वे हो चुका है तो मैं समझता हूं कि माननीय जन स्वास्थ्य मंत्री जी आज ही घोषणा करें। अब वह क्यों नहीं करा रहें है वह जाने और लोग जाने लेकिन मैं समझता हूं कि जनता की समस्या है और इसमें आपसी मन मुटाव का प्रश्न नहीं है और माननीय मंत्री जी वहां की समस्या का निदान करेंगे, यह निवेदन है।

दूसरा निवेदन यह है कि लक्ष्मणगढ़ सीकर की नगरपालिका ने एक साथ दस साल का हाउस टैक्स लगा दिया और वह गत दस वर्षों का एक साथ हाउस टैक्स वसूल करने जा रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी चाही है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जानकारी कभी आयेगी नहीं। स्थगन प्रस्ताव मन्जूर किया नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : इसमें जानकारी चाही है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जानकारी में जानकारी और शामिल हो जायेगी कि दस साल का हाउस टैक्स वसूल किया जाये तो कितना अन्याय होगा। एक वर्ष का ही भली प्रकार नहीं दे पाते तो दस वर्षों का लक्ष्मणगढ़ सीकर की नगरपालिका वसूल करे और लोगों को नोटिस दे और यदि वह टैक्स नहीं देते हैं तो इस मंहगाई में एक वर्ष का ही देना मुश्किल हो जाता है तो दस वर्ष का वह कैसे चुका पायेंगे और नगरपालिका के अधिकारी वहां की गरीब जनता को परेशान करते हैं, कुर्की करते हैं और किवाड़ उतार कर ले आते हैं इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह हाउस टैक्स लगाती है तो एक साल का लगाये। दस साल का वसूल करने का नगरपालिका को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कोटा के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव दिया था आपने सिर्फ जानकारी का निर्णय दिया है। और स्टेटमेन्ट देने के लिए कह देते तो बोलता नहीं अन्यथा यह प्रश्न इतना गम्भीर है...

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी आने के पश्चात ही कुछ कह सकते हैं।

श्री रामकिशन : आप जानते हैं मैं नियमों में ही बोलता हूं। यदि स्टेटमेन्ट के लिए कह देते तो बैठ जाता। मगर केवल जानकारी की बात है तो निवेदन करूंगा..

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप (श्री रामकिशन) बैठकर परीक्षा कर लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : परीक्षा तो आप मेरे से पहले कई बार ले चुके हैं।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, 16 मार्च, 1974 को एक पोस्टर निकाला जाता

प्रश्नातीय व्यवस्था

(श्री रामकिशन)

है कोटा के अन्दर और उसमें यह एलान किया जाता है कि हिन्दुस्तान में जो अभिनेता चंचल है वह कोटा आ रही है और वह अपना अभिनय प्रदर्शित करेंगी। एक कमेटी फार्म की जाती है जिसमें डी.आई.जी श्री बिश्नोई थे, जे.के. सिन्थेटिक के अधिकारी थे और दूसरे लोग थे। उनके नाम से पोस्टर निकाला जाता है और सारे कोटा में प्रचार किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रचार करने के बाद टिकट छपवाये जाते हैं और ऐसी जानकारी मिली है कि करीब 50 हजार रुपये के टिकट बेच दिये जाते हैं। उसके बाद जहां स्थान दिया जाता है वहां जनता पहुंच जाती है। न तो वहां अभिनेता पहुंचे और न जो आयोजक हैं वह ही पहुंचे...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सारा मामला ही अभिनय है।

श्री रामकिशन : . . इस तरह कोटा की जनता को करीब 50 हजार रुपये से ठगा गया है और मौके पर अभिनेता नहीं पहुंचे और आयोजक भी नहीं पहुंचे। वहां इस कारण काफी अव्यवस्था हो गयी और उसमें काफी सामान तोड़ दिया गया, औरतों की बेइज्जती की गयी और यह मामला इतना गम्भीर है कि आज तक राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। यह धोखाधड़ी का मामला है जिसमें राज्य सरकार के बड़े अधिकारी शामिल हैं। तो मैं राज्य सरकार से चाहूंगा कि ऐसे गम्भीर मामले पर राज्य सरकार को खुद ही कोई कार्यवाही करनी चाहिए थी। यह सारा प्रेस में आया है, अखबारों में छपा है, लोगों ने शिकायत की है और असल स्थिति यह भी रही कि वह अभिनेता आ भी गये थे और उनके नाम से जो रुपया लिया गया था उनको कुछ दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। इसलिए वह तो मौके पर नहीं पहुंचा और राज्य सरकार के बड़े अधिकारी, जो कि आयोजक थे वह भी नहीं पहुंचे और कोटा की जनता को 50 हजार रु. के टिकट बेच कर रुपये वसूल कर लिये गये। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के अधिकारियों को भाग लेने का क्या अधिकार था। अगर है तो डी. आई. जी. को स्वयं को कार्यवाही करनी चाहिए और इस मामले को इसलिए छुपाया जा रहा है कि इसमें पुलिस के बड़े अधिकारी और उद्योग विभाग के बड़े अधिकारी शामिल हैं। इसलिए सारे मामले को छिपाया जा रहा है। मैं राज्य सरकार से चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में वह जानकारी दे कि सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही की जा रही है?

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व (ग्रुप-1) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 3 (ग) (53) राज–1/63 भाग–2 दिनांक 23 अगस्त, 1973 को सदन की मेज पर रखता हूं।

46

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सतर्कता आयोग का अष्टम वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रेल, 1972 से 5 जून, 1973) सदन की मेज पर रखता हूं।

प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री शंकरलाल (सभापति उपक्रम समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय उपक्रम समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:--

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मंडल अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1968–69 से संबंधित समिति का 18 वां प्रतिवेदन।

(2) राजस्थान राज्य विद्युत मंडल अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1969–70 से संबंधित समिति का 19 वां प्रतिवेदन।

श्री **उपाध्यक्ष** : विधायी कार्य

श्री रामकिशन : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री **चन्दन मल बैद** : इसके बाद में।

श्री **उपाध्यक्ष** : मैं ऑर्डर में ही चल रहा हूं।

विधायी कार्य

विधायी कार्य

पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

श्री **चन्दनमल बैद** (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान यात्री एवं माल करारोपण अधिनियम, 1959 में संशोधन करने हेतु विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान यात्री एवं माल करारोपण अधिनियम, 1959 में संशोधन करने हेतु विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

स्वीकृत

(पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी)

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान यात्री एवं माल करारोपण अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने हेतु विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

श्री रामकिशन (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 131 के अन्तर्गत भरतपुर शहर में पेयजल समस्या की ओर जन स्वास्थ्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री **चन्दनमल बैद** (जनस्वास्थ्य मंत्री): भरतपुर शहर में इस समय मल्लाह स्थिति कुओं व बोरिंग से पेयजल वितरित किया जा रहा है। इस शहर की जनसंख्या लगभग 70,000 है और विभिन्न कुओं व बोरिंग से रोजाना 7 लाख गेलन पानी वितरित किया जाता है। यद्यपि शहर की आबादी को देखते हुए पेयजल की मात्रा पर्याप्त नहीं है किन्तु भरतपुर के आसपास का सारा

(श्री चन्दनमल बैद)

भाग खारी होने के कारण उक्त मात्रा से अधिक पानी कुओं आदि से उपलब्ध कराना सम्भव है।

भरतपुर शहर की बढ़ती हुई आबादी और यहां के औद्योगीकरण को मद्देनजर रखते हुए अधिक पेयजल प्राप्त कराने की दृष्टि से राज्य सरकार ने वर्ष 1963 में 33.64 लाख रुपये की लागत की एक योजना स्वीकृत की थी। उक्त योजना में बन्ध बरेठा से भरतपुर तक पाइप लाइन डालकर 20 लाख गैलन प्रतिदिन पानी लाने का प्रस्ताव था। योजना की स्वीकृति के पश्चात् कार्य भी प्रारम्भ कर दिए गए थे किन्तु कुछ समय बाद ही बन्ध बरेठा से पानी लाने के प्रस्ताव का कुछ विरोध होने के कारण योजना का कार्य बन्द प्राय: हो गया। विभाग ने कई स्थानों पर बोरिंग आदि करके मीठा पानी प्राप्त करने की दृष्टि से छानबीन की किन्तु कोई सफलता नहीं मिली। बन्ध बरेठा से पानी लाने के विरोध का मुख्य कारण यह था कि सिंचाई के लिए पानी कम उपलब्ध हो पायेगा जिससे किसानों को नुकसान होगा। लेकिन सारी छानबीन के पश्चात् यही निष्कर्ष निकाला कि बन्ध बरेठा के अतिरिक्त भरतपुर के पेयजल हेतु और अन्य अच्छा श्रोत नहीं है। अतः कुछ वर्षों के पश्चात् बन्ध बरेठा की योजना पर पुनः कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। योजना के कार्य के लिए जीवन बीमा निगम से ऋण प्राप्त किया गया और वर्ष 72–73 के अन्त तक इस योजना पर कुल 37.27 लाख रुपये व्यय हुए जिसमें से 14.44 लाख रुपया राज्य सरकार के बजट से था और शेष जीवन बीमा निगम द्वारा प्राप्त ऋण से था।

प्राय: सभी वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी होने के कारण और योजना में कुछ नये कार्य और सम्मिलित करने के कारण वर्ष 1973 में राज्य सरकार ने 85.42 लाख रु. की संशोधित योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी। वर्ष 73-74 में इस योजना के कार्यों पर 5.00 लाख रु. व्यय होने का प्रावधान है। योजना के अन्तर्गत बन्ध बरेठा से भरतपुर तक लगभग 44 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन डालने का प्रस्ताव था जिसमें 90 प्रतिशत से अधिक कार्य समाप्त किया जा चुका है और शेष कार्य भी मार्च, 74 तक पूर्ण होने की आशा है। मल्लहा पर पानी की सफाई के लिए फिल्टर प्लाण्ट का कार्य चल रहा है और कुछ महीनों में ही पूर्ण कर दिया जावेगा। शेष अन्य मुख्य 2 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं और योजना वर्ष 1974 की गर्मियों में चालू की जा सकती है। किन्तु दुर्भाग्यवश वर्ष 1972 में बाढ़ के कारण बन्ध बरेठा टूट गया और अभी उसमें पानी इकट्ठा नहीं किया जा सका है और सिंचाई विभाग द्वारा बन्ध का कार्य चल रहा है ऐसी अवस्था में बन्ध बरेठा से भरतपुर तक पाइप लाइन पूर्ण हो जाने के उपरान्त भी इस वर्ष पेयजल प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।

शहर की पेयजल की स्थिति को देखते हुए विभाग द्वारा अस्थाई रूप से कुछ मात्रा में अधिक पानी प्राप्त कराने की दृष्टि से मिलकपुर ग्राम के पास नलकूप बनाये हैं। इन नलकूपों के द्वारा भरतपुर

(श्री चन्दनमल बैद)
शहर को लगभग 2-3 लाख गेलन अतिरिक्त पानी देने का प्रस्ताव है ताकि आने वाली गर्मियों में कठिनाई ना हो। दो नलकूप बनाये जा चुके हैं तथा 2 नलकूप मार्च में और बना दिये जायेंगे। ऐसी आशा है कि मार्च के अन्त तक इन नलकूपों से भरतपुर शहर को अतिरिक्त मात्रा में पेयजल प्राप्त कराया जा सकेगा। उसके पश्चात् अगली बरसात में बन्ध बरैठा में पानी भर जाने के उपरान्त स्वीकृत योजना के अनुसार वितरण व्यवस्था की जा सकेगी जिससे वहां के निवासियों को व उद्योगों को आवश्यकतानुसार पानी प्राप्त हो सकेगा।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो बन्ध बरैठा की बात कही है, मैं मानता हूं कि यह योजना चल रही है लेकिन जैसी अब की साल बाढ़ आई थी और अगर वैसी ही हालत इस साल हो गई और यह बन्ध बरैठा टूट जाता है तो सारे शहर की पानी की व्यवस्था इस पर निर्भर करती है इसलिए अभी से दूसरी क्या व्यवस्था की जा सकती है, इस पर राज्य सरकार क्या सोचती है।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि आज के हालात में मिलकपुर में कुए बनाए जा रहे हैं लेकिन आज भी हालत ऐसी है कि सर्दियों में भी शहर में पानी उपलब्ध नहीं होता है। कुछ ऊंचे इलाके हैं जहां पर पानी नहीं मिल पाता है लोगों को और काफी परेशानी हो जाती हैं मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि बन्ध बरैठा का जहां तक सम्बन्ध है जिस प्रकार इस साल बारिश हुई अगर फिर इसी तरह से इस बार भी बारिश हो गई तो वह बन्ध ठहरने वाला नहीं है और इसी पर सम्पूर्ण सप्लाई निर्भर करेगी तो परेशानी बढ़ जाएगी।

इसके साथ साथ मिलकपुर कुओं की जो खोज की गई है उसी तरह से अगर बाण गंगा नदी क्षेत्र के अन्दर और खोज की जाती है तो शहर को स्थायी पानी की व्यवस्था की जा सकती है। आपने जो अस्थायी व्यवस्था की है और इस ओर जो कदम उठाया है वह कदम ठीक है और अगर इसी तरह की और कोई अस्थायी व्यवस्था की जा सके तो पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य से अर्ज किया कि भरतपुर की जल प्रदाय योजना के बारे में 85 लाख की स्वीकृति दी जा चुकी है और भरतपुर के लिए पानी ला रहे हैं और उसके बाद भी यह कहा जाय कि बंध बरैठा टूट जाएगा उसकी व्यवस्था के लिए एक अलग से योजना बना कर तैयारी रखें, यह तो सम्भव नहीं है। लेकिन सात लाख गेलन पानी, जैसा कि मुझे सूचना दी गई है, भरतपुर शहर को सप्लाई किया जा रहा है और तीन चार लाख गेलन पानी नल कूपों से लेकर सप्लाई करने जा रहे हैं। तो अगर बंध बरैठा हमारा दुर्भाग्य हुआ और फिर टूट गया तो सिवाय इसके हमारे पास क्या रास्ता है कि जो सात आठ लाख गेलन पानी मिलकपुर ट्यूब वैल से ले सकते हैं वह लेकर के सप्लाई करेंगे। इस तरह की कोई

(श्री चन्दनमल बैद)

आकस्मिक बात हो जाय और उसका सामना करने के लिए पहले से हर शहर के लिए अलग 12 योजनाएं बना कर रखें तो इतने धनवान तो कम नहीं हैं। इतने धनवान अगर हम होते तो फिर बात ही क्या थी?

श्री उपाध्यक्ष : अनुदानों को मांगों की प्रस्तुति।

(व्यवधान—प्रक्षव्य)

श्री चन्दनमल बैद : कव्वों की करकराहट से...

श्री रामकिशन : हम कव्वे हैं। हम तो आपकी सुरक्षा चाहते हैं और हमें ही कव्वा बना दिया।

आय-व्ययक अनुमान 1974-75
मांग संख्या 13 व 27 की प्रस्तुति

श्री चन्दनमल बैद : आपको नहीं कहा।

श्री रामकिशन : तो परसरामजी को कहा।

श्री चन्दनमल बैद : अपने आपको बताया है।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 13 व 27

मांग सं. 13

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 13 के सम्बन्ध में, 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,56,99,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

मांग सं. 27

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग सं. 27 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 13,82,66,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : मांगें प्रस्तुत हुई। श्री गिरधारीलाल भार्गव।

मांग संख्या 13 व 27 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

1. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा-महल, जयपुर) : मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 245 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मनोरंजन कर के संग्रहण पर होने वाले अनावश्यक व्यय पर चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा बिक्री कर की वसूली में दुकानदारों को परेशान करने पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

50

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
कम कर दिया जाय (बिक्री कर कानून के सरलीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पड़ोसी राज्यों के बराबर बिक्री कर निर्धारण किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

5. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर के संग्रहण पर होने वाले व्यय में कमी करने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240 के अंतर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर की वसूली से छोटे दुकानदारों की परेशानी पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगर में पेयजल की उपलब्ध के लिये उचित प्रेशर के अभाव पर चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जलपूर्ति योजना द्वारा पर्याप्त मात्रा में उचित प्रेशर से शुद्ध पेयजल उपलब्ध न कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

9. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर की कच्ची व गृह निर्माण सहकारी समिति की भूमि पर बने मकानों को जल कनेक्शन न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

10 मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिकाओं से हस्तान्तरित जल प्रदाय योजनाओं की अक्षमता पर चर्चा के लिये)।

11. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपों से जलपूर्ति योजना की असफलता पर चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 27–मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (औजारों और संयंत्र के क्रय में होने वाली अनियमितताओं के कारण स्थान स्थान पर मेन्स के खराब हो जाने व फट जाने से होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर में पेयजल समस्या के समाधान हेतु बनायी योजना को शीघ्र कियान्वित करने पर चर्चा के लिये)।

14. श्री राम प्रसाद बोहरा (झालरा पाटन): मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक

(श्री रामप्रसाद बोहरा)
240 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में सी. टी. ओ. का कार्यालय खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में पत्थरों की बिक्री पर पूरा बिक्री कर वसूल न होने पर चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये (जिला झालावाड़ में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु बोरिंग मशीन द्वारा कुओं को गहरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

17. श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा): मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथ द्वारा के फेन्सी चांदी के गहनों और मीनाकारों के सामान पर बिक्री कर के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय नेहरू (बाला) निवारण योजनान्तर्गत नाथद्वारा तहसील के पहाडी क्षेत्रों में जलदाय योजना शीघ्र पूरी करने सम्बन्धी पर चर्चा के लिये)।

19. श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय जाय (बिक्री कर के निर्धारण और वसूली में बढती शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अहोर जलपूर्ति योजना के लिये गांव वालों द्वारा राशि जमा कराने पर भी योजना प्रारम्भ नहीं करने पर भी योजना प्रारम्भ नहीं करने पर चर्चा के लये)।

21. श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़) मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर वसूली की वर्तमान पद्धति में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पेयजल की उपयुक्त व्यवस्था न होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

23. श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व) मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इस विभाग की कमियों को दूर करने पर चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर में पेयजल की पूर्ति करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

(52)

25. श्री गोपाल जोशी (बीकानेर): मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर वसूली सरलीकरण व तकनीकी आधार के कारण लोगों को तंग करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए लिफ्ट कैनाल से पानी मिलने की अग्रिम योजना व पुराने कुये गहरे व नये कुए खुदवाने के बारे में चर्चा के लिए)।

27. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर के पुराने किले के सामने कचहरी के पास सूर सागर तालाब में सारे शहर का गन्दा पानी इकट्ठा होता है उसे हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

28. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर वसूली में अव्यवस्था है इस पर चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हाईड्रोजियोलोजिकल रिकोन्सेन्स योजना के अन्तर्गत बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों को भूतल जल प्राप्ति की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा सर्वे नहीं किये जाने के कारण उक्त जिलों में जो कि पहिले से ही पिछड़े हुये हैं विकास की गति न बढ़ने पर चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले की नीबंला नलकूप से जादडू तक जल प्रदाय योजना जिसमें सोनड़ी, बैसाला, सुरा, नांद, कनोड़ा, कैरावा, पोखरा, दूधाबेरी, मलवा, जादडू आदि गाव सम्मिलित किये हुये हैं और जिस योजना का सर्वे किया जा चुका है की स्वीकृति देने में राज्य सरकार द्वारा ढिलमिल नीति अपनाने पर चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले की निम्न जल प्रदाय योजनाओं पर कार्य चल रहा है परन्तु उसकी गति धीमी है, अतः कार्य में तीव्र गति देने की आवश्यकता पर ताकि गर्मी के दिनों में जनता को पानी की सुविधा मिल सके:—

(1) आंडू से पनावडा जल प्रदाय योजना, पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत,

(2) भाडरवा से देरासर जल प्रदाय योजना, पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत,

(3) भाटरवा से बाड़मेर आगोर होती हुई शमसर कुआ (रावतसर) उक्त ग्राम प्रदाय योजना में रायसर कुआ (रावतसर) में एवं मगना की ढाणी में गर्मी के दिनों में पानी पहुंचाने के लिये)।

32. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

कम कर दिया जाय (बाड़मेर नगर की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग ने सर्वे कर विस्तृत योजना बाड़मेर नगर जल प्रदाय योजना बनाई है इसकी स्वीकृति देकर जल्दी से जल्दी कार्य शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

33. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले की ऊंडू से पनोंडा ग्राम जल प्रदाय योजना को लूरगाड़वा तला (वाटाडू) रामदान का तला (वाटाडू), खेती की ढाणी (आकदड़ा) नरसाली नाडी (कोलू) की बस्तियों एवं जाजवा और उतरनी गांवों को सम्मिलित कर विस्तार रिवाइज्ड स्कीम बनाकर संबंधित ग्रामीण जनता को लाभ पहुंचाने के बारे में चर्चा के लिये)।

34. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के भीमड़ा ग्राम में नया नलकूप बनाकर भीमड़ा ग्राम से नौसर जल प्रदाय योजना जिसमें निम्न बस्तियों एवं ग्राम आते हैं की योजना का सर्वे कराकर स्वीकृत करा कर इसी वर्ष कार्य शुरू करना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जल कष्ट की भयंकर समस्या है और जिसके कारण ग्रामीण जनता में तीव्र असंतोष है उनके कष्ट के निवारण के लिये उक्त योजना की स्वीकृति एवं कार्य जल्दी से जल्दी शुरू करने की आवश्यकता पर बल। (1) हेमांणियों का नला (वाटाडू) (2) दुर्गाणियों का नला (वाटाडू) (3) सिंदराय का तला की ढाणियां (कोलू) (4) नरसाली नाडी (कोलू), (5) हेमनी का तला स्कूल (बापतू चिमनजी), (6) मादातर तला स्कूल (बापतू भोपजी), (7) जोधेतर तला (बापतू भोपजी), (8) बागाणियों की ढाणी (सोमेसरा) (9) सोमेसरा, (10) भोजासर ग्राम, (11) सेवनियाला ग्राम (12) नोसर (13) बोड़वा (14) खेगटो (उपरोक्त गांवों एवं बढ़ियों में घनी बस्ती है और भीमड़ा के अलावा और पानी का कोई सोर्स नहीं है इस पर चर्चा के लिये)।

35. श्री नाथूराम (बागीडोरा): मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (व्यापारियों आदि से करों की वसूली में व्याप्त शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

36. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्र में शुद्ध पेयजल के अभाव पर चर्चा के लिये)।

37. श्री करणसिंह (डीग):-मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर की वसूली व्यवस्था में सुधार लाने हेतु चर्चा के लिये)।

38. श्री केशरीमल (ब्यावर):- मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया

(श्री केशरीमल)

जाय (विभाग के कार्यों में शिथिलता और अनियमितताओं के बारे में चर्चा के लिये)।

39. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर में पेय जल की उचित व्यवस्था नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर का पेय जल जो भकरैरा ग्राम से दिया जाता है उसका जल दूषित होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों में पेयजल की व्यवस्था में बरती जा रही ढिलाई के बारे में चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्य की धीमी गति के बारे में चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (बनास से ब्यावर को पेयजल देने बाबत चर्चा के लिये)।

44. श्री सांवरमल मोर (श्रीमाधोपुर):– मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर विभाग द्वारा समय पर टैक्स वसूल करने में होने वाली धांधली तथा इससे होने वाले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

45. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण व शहरी जल योजनाओं द्वारा समय पर जनता को पानी उपलब्ध नहीं करना तथा उससे फैले व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

46. श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) :– मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर शहर में लम्बे समय तक सी.टी.ओ. की नियुक्ति न होने से तथा ए.सी.टी.ओ. की गलत कार्यवाही से सरकार को होने वाली हानि पर चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर शहर की पेयजल की समस्या से जनता की परेशानियों पर चर्चा के लिये)।

48. श्री जय किशन लाल तोसावड़ा (फागी) :–मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में बिक्री कर सही रूप में वसूल नहीं किया जा रहा है इस पर चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री जय किशन लाल तोसावड़ा)
कम कर दिया जाय (हलवाइयों से वसूल किये जाने वाले कर के लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जलपूर्ति हेतु सही योजना नहीं बनती और कार्यान्वित नहीं की जाती, इस संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) :

51. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर की बकाया की वसूली पर चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल-प्रदाय विभाग के सामान की बरबादी पर चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खारे पानी वाले ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

54. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240-के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली में सहायक वाणिज्य-कर अधिकारी का कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए)।

55. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली तहसील के दांतील, ग्राम में जल-प्रदाय योजना शुरू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

56. (1) श्री केदारनाथ (गंगानगर) :–
(2) श्री रामकिशन (भरतपुर) :
मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्रीकर की वसूली में राज्य सरकार को शिथिलता पर विचार पर चर्चा के लिए)।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

57. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240-के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर संग्रहण में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर में जल-प्रदाय योजनाओं की क्रियान्विति में होने वाले विलम्ब पर चर्चा के लिए)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

59. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचौर-गुजरात सरहद पर बिक्री कर की चौकी से बिक्री कर से आमदनी कम होने पर चर्चा के लिए)।

60. मांग संख्या 13; मुख्य शीर्षक 245–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पैसेन्जर गाड़ियों के टिकटों पर यात्री कर वसूली के बारे में चर्चा के लिए)।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

61. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पड़ोसी राज्यों के बराबर बिक्री करों की दर करने के बारे में चर्चा के लिए)।

62. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर की चौकियों पर वसूली में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के बारे में चर्चा के लिए)।

63. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर वसूली में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने पर चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर की वसूली के नियमों में सरलीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए)।

65. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282-के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम-कर दिया जाय (तहसील सांचोर में चालू वाटर सप्लाई स्कीम एवं नई स्कीमों के शीघ्र क्रियान्वयन करने की चर्चा के लिए)।

66. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर–हाडेचा जल-प्रदाय योजना से सांचोर कस्बे की जल प्रदाय योजना अलग करने के बारे में चर्चा के लिए)।

67. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर में पानी सप्लाई बन्द होने पर हाल ही होने वाली तोड़फोड़ में जल विभाग के सामान की क्षति के बारे में चर्चा के लिए)।

68. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर–हाडेचा जल-प्रदाय योजना की शीघ्र क्रियान्विति के बारे में चर्चा के लिए)।

69. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर तहसील में क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं की शीघ्र क्रियान्विति एवं नई जल प्रदाय योजनायें शीघ्र मंजूर करवाने के बारे में चर्चा के लिए)।

70. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पीने के पानी की समस्या का शीघ्र समाधान करने के बारे में जल बोर्ड की स्थापना पर चर्चा के लिये)।

श्री नूनाराम (डूंगरगढ़) :

71. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री संग्रहण के व्यापक दोषों को दूर करने पर चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर की चोरी

(श्री लूणाराम)
को रोक कर बचत करने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिए)।

73. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर को कड़ाई से वसूल किया जाना चाहिए इस पर चर्चा के लिए)।

74. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पीने के पानी को उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिग्गा, चूरू) की अधूरी जल-प्रदाय योजना को पूरी कराने पर चर्चा के लिये)।

76. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिग्गा जल-प्रदाय योजना को विभाग अपने चार्ज में ले व विद्युत् विभाग का भुगतान करे इस पर चर्चा के लिये)।

77. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मोमासर व बिग्गा योजनाओं के कुओं की मरम्मत करवाया जाय वरना ढहने की संभावना है इस पर चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (ग्राम घनेर को पूरा पानी नहीं दिया जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

79. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रीजनल स्कीम तोलियासर, मोनियासर, रिड़ी, मावतसर, लिखमीसर का अविलम्ब कार्य प्रारम्भ करवाकर पानी दिया जाय इस पर चर्चा के लिये)।

80. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रीजनल स्कीम रास्ता दुलचासर, पूनरासर, गुंसाईसर, राजासर सवाई रुपलीसर, सेरुणासर, रानासर शीघ्र स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ करवाया जाय इस पर चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रीजनल स्कीम पुन्दलसर, बजरंगसर, जेतसीसर, खेजड़ा आसपालसर, राजासर में बारान, तोलासर, शीघ्र मंजूर की जाय पर चर्चा के लिये)।

82. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्री डूंगरगढ़ पेय जल योजना को शीघ्र पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर):
83. मांग संख्या 13, मुख्य, शीर्षक

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

240-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर की चोरी रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

84. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल-प्रदाय योजनाओं की कमियों पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल (पाली) :

85. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (पाली के रंगरेजों से अनुचित कर वसूली होने पर चर्चा के लिये)।

86. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था हेतु एक बोर्ड के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री विजयसिंह राठौड़ (मांडल) :

87. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240-के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर विभाग के कर्मचारियों की ग्रामीण व्यापारियों के साथ मनमानी करने पर चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240-के अंतर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (बिक्री कर अधिकारियों की बड़े व्यापारियों से सांठ-गांठ से होने वाली हानि पर चर्चा के लिये)।

89. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282-के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाइपों से ग्रामीण जल पूर्ति हेतु योजनाओं के अपर्याप्त विस्तार पर चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282-के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रीय जल पूर्ति योजनाओं की पूरी सर्वे नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282-के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन सहयोग की रकम प्राप्त हो जाने पर भी सरकार द्वारा ग्रामीण जल योजना की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

श्री चेतराम (टोडाभीम) :

92. मांगसंख्या 13, मुख्य शीर्षक 240- के अन्तर्गतमांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर असेसमेंट, करों की उगाई आदि में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 27, मुख्य शीषक 282-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नादौती तहसील, सवाई माधोपुर) के 15-20 गांवों में पेयजल की समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने पर चर्चा के लिये)।

श्री भंवरलाल मधादा (भीलवाड़ा) :

94. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर अधिकारियों की अनियमितताओं और उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

(श्री भंवरलाल शदादा)

95. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) :

96. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की कर वसूली में धीमी गति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

97. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 245–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में बस मालिकों से यात्री कर की वसूली समय पर नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

98. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाखेरी जल योजना बनाई गई उसमे पूरे कस्बे को समय पर पीने का पानी नहीं मिलने पर तथा नई योजना अब तक नहीं बनाई गई उस पर चर्चा के लिये)।

99. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केशवरायपाटन की जल योजना द्वारा साफ पानी नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

100. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी की ग्रामीण नल योजना का कार्य बडरखेड़ा एवं कापरेन का कार्य अब तक चालू नहीं किये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी की नगर-पालिका लाखेरी एवं केशवरायपाटन में जल योजना का कार्य सुचारु-रूप से नहीं चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) :

102. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में बिक्री कर की वसूली में सुधार लाने पर चर्चा के लिये)।

103. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में लाखों की तादाद में बिक्री कर की बकाया पड़ी है। इस पर चर्चा के लिये)।

104. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जलपूर्ति के अभाव पर चर्चा के लिये)।

105. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के पीने के पानी की सम्पूर्ण व्यवस्था सही ढंग में नहीं की गई इस पर चर्चा के लिये)।

106. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के ग्राम सलूंडिया व धट्टू को रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम में सम्मिलित करके ग्रामीण जनता को पीने का पानी उपलब्ध करने की चर्चा के लिये।)

107. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम कालू तहसील लूणकरणसर की जनता को पीने के पानी की सुविधा दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के ग्राम ककू जैसे तीन हजार से अधिक आबादी वाले ग्राम को पीने का पानी उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिए)।

109. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के ग्राम पांचू की जनता को विभाग द्वारा पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी नहीं दिया जा रहा है व स्कीम को रिवाइज करके जनता को पीने का पानी सम्पूर्ण मात्रा में दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

110. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम नाथूसर, साईसर, घरणोक रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम को क्रियान्वित करके ग्रामीण जनता को पीने का पानी उपलब्ध किए जाने के लिये चर्चा के लिए)।

111. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम जयसिंह देसर वाटर सप्लाई स्कीम को शीघ्र ही चालू करके आने वाली ग्रीष्म ऋतु के पहले ग्रामीण जनता को पीने का पानी उपलब्ध किये जाने पर चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के ग्राम जांगलू की जनता को पीने का पानी संतोषजनक पर्याप्त मात्रा में दिया जावे व टैंक व टंकी रिजर्व पानी का इन्तजाम किये जाने पर चर्चा के लिये)।

113. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील कोलायत के ग्राम दासूडी व खोदासर रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम को जल्दी ही पूरा किया जावे व दासूडी ग्राम के मीठे पानी के कुए को बोरिंग कर टंकी व टैंक बनाने पर चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के ग्राम भमरी, बीदासरिया व भोम बीदासरिया की रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम स्वीकृत कर जनता को पीने का पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराने की चर्चा के लिए)।

115. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के ग्राम भादला व शोभाना की वाटर सप्लाई स्कीम

(श्री कुम्भाराम इन्दलिया)

को प्रतिशीघ्र चालू करके ग्रामीण जनता को पीने के पानी की सुचारु रूप से सप्लाई करने की चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के ग्राम सोमलसर की वाटर सप्लाई स्कीम को रिवाइज करके ग्राम भाडिया, दासनू रायसर बीरमसर आदि ग्रामीण जनता को इस स्कीम में पीने का पानी दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम भामर पारवा मोनियाना आदि ग्रामों की रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम भामरसर से ग्रामीण जनता को पीने का पानी की व्यवस्था कराने पर चर्चा के लिये)।

118. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम देवलसर वाटर सप्लाई स्कीम को रिवाइज करके ग्राम जैगला की जनता को पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) :

119. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर संग्रहण में व्यापारियों को होने वाली परेशानियों पर चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर विभाग में चल रहे व्यापारियों के केसेज निपटाने में होने वाली देरी पर चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर में पेयजल, उपलब्ध कराने हेतु बड़ी पाइप लाइन डालने में होने वाले विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर में विशेष कर परकोटे के अन्दर पेयजल का उचित प्रेशर नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में पेय जल समस्या के समाधान में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

124. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विद्युत शुल्क की वसूली में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

125. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चक 15 एच. एम. एच. चक 4 आर. आर. डब्ल्यू तथा चक 1 एस. एन. एम. तहसील हनुमानगढ़ में सन् 1972 में मंजूर किये गये तीन भट्टों के ईंटों व

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
कोयले की खरीद फरोख्त पर बिक्री कर की चोरी की चर्चा के लिये)।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) :

126. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर में हो रही अधिकाधिक चोरी पर रोकथाम लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास (मालपुरा) :

127. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 240–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में बड़े पैमाने पर बिक्री कर की चोरी, योजनाबद्ध तरीके से होने पर चर्चा के लिये)।

128. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल-प्रदाय योजनाओं का कोई आधार नहीं बनाकर स्वेच्छा से व्यक्तिगत कारणों से परिचालित करवाने पर चर्चा के लिये)।

129. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल पूर्ति के अन्तर्गत राशि आवश्यकता की अपेक्षा व्यक्तिगत कारणों से व्यय करने पर चर्चा के लिये)।

130. श्री दीपंकर (लाडनूं) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खारी पट्टी में पीने के पानी की समस्या के समाधान पर चर्चा के लिये)।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) :

131. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पांचवीं पंचवर्षीय योजना में ड्रेनेज के लिये जयपुर को 3 करोड़ और जोधपुर नगर को केवल 30 लाख रुपये की धनराशि आवंटन व सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

132. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर नगर को इम्प्रूवमेंट आफ मेन्स व अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मोहल्लों में पानी के नलों के लिये राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि आवंटन न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये

133. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर तहसील की अधूरी डिगाड़ी चैनपुरा ग्रामीण जल योजना को आगामी वर्ष में पूर्ण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

134. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर जिले में मीठे पानी की व्यवस्था हेतु जल-प्रदाय योजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

135. श्री चतुरभुज (टोडारायसिंह) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले की टोडारायसिंह नगरपालिका क्षेत्र में जल-प्रदाय योजना के पुन-

(श्री चतुर्भुज)
गठन के लिए जनता द्वारा कई बार मांग प्रस्तुत करने पर भी राज्य सरकार द्वारा उदासीनता अपनाने पर चर्चा के लिए)।

136. श्री अजीतसिह (टोंक) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोडारायसिंह में पेयजल की टोंक को बड़ी बनवाने पर चर्चा के लिये)।

137. श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कर कम कर दिया जाय (सुजानगढ़ व रतनगढ़ तहसील के ग्रामों में पेयजल के संकट पर चर्चा के लिये)।

138. श्री देवीलाल (सराड़ा) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम दिया जाय (जिला उदयपुर तहसील सराडा के सेमारी तथा चावण्डा में नल-योजना चालू करने पर चर्चा के लिए)।

139. श्री भीमसेन (लूणकरनसर) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लूणकरनसर क्षेत्र के खारे पानी वाले गांवों में राजस्थान नहर एवं लिफ्ट कैनाल के पानी के आधार पर क्षेत्रीय नल जल योजनाएं क्रियान्वित करने पर चर्चा के लिए)।

140. श्री मीठालाल (लालसोट) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाल सोट जल-प्रदाय योजना को शीघ्र कार्यान्वित करवाने हेतु चर्चा के लिये)।

141. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोट खावदा तहसील चाकसू की जल-प्रदाय योजना को शीघ्र स्वीकृत करने हेतु चर्चा के लिये)।

142. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंडावरी, झिडवाना, रामगढ़ पचवारा तहसील-लालसोट जिला जयपुर की जल-प्रदाय योजनाओं को शीघ्र स्वीकृत करवाने हेतु चर्चा के लिये)।

143. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट मोटर स्टेण्ड पर नलों में पानी देने हेतु चर्चा के लिये)।

144. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले की जिन जिन ग्रामीण जल-प्रदाय योजनाओं को 2॥ प्रतिशत अनुदान राशि जमा हो गई है उन्हें स्वीकृत कराने हेतु चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट जल-प्रदाय योजना का शीघ्र विकास करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

146. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सैंथल, तहसील दौसा व ग्राम आंधी तहसील जमुवारामगढ़ की जलप्रदाय योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति दिलवाने हेतु चर्चा के लिये)।

147. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा की जलदाय योजना को शीघ्र पूरा करवाने हेतु चर्चा के लिये)।

148. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम आंधी की जलप्रदाय योजना को शीघ्र चालू करने हेतु चर्चा के लिये)।

149. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सैंथल की जलप्रदाय योजना को शीघ्र चालू करने हेतु चर्चा के लिये)।

150. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा दौसा की जलप्रदाय योजना को शीघ्र पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

151. श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर में जल-प्रदाय योजना को पूरा न किये जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री झाबरमल सुण्डा (फतेहपुर) :

152. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले की फतेहपुर तहसील के 13 गांव जहां खारा पानी है। पीने के पानी की व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) :

153. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय) ग्राम करणसर नल योजना लागू कराने हेतु चर्चा के लिये)।

154. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम हिंगोनिया में नल योजना लागू कराने पर चर्चा के लिए)।

155. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सिनोदिया, खाताड़ी कलां खुर्द में रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

156. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांभर पंचायत समिति में अर्द्ध विस्तार सर्वे करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(श्री पी. के. चौधरी)

157. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम हरसोली में नल योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

158. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आलनियावास, हड़वा पादूकला खुर्द मेरुन्दा, थावला आदि 4000 (चार हजार) जन संख्या वाले ग्रामों में पानी पीने की व्यवस्था हेतु जल प्रदाय योजना लागू करने हेतु चर्चा के लिये)।

159. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति डेगाना जिला नागौर के उन ग्रामों में जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पानी की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जहां का पानी या तो एकदम खारा है अथवा जमीन में है ही नहीं पर चर्चा के लिये)।

160. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भोगा जल-प्रदाय योजना समिति डेगाना, जिला नागौर को अविलम्ब प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

161. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूहारी पंचायत समिति डेगाना जिला नागौर में अधूरी जल प्रदाय योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

162. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मांजू तहसील डेगाना जिला नागौर में चालू जल-प्रदाय योजना अन्तर्गत ग्राम में पाइप लाइन देने के संबंध में चर्चा के लिए)।

163. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति डेगाना जिला नागौर अन्तर्गत जल प्रदाय योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा) :

164. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा छीपाबड़ोद जिला कोटा की जल प्रदाय योजना को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये)।

165. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम हरनवदा शाहजी एवं ग्राम सारथल तहसील छीपा-बड़ोद जिला कोटा को जल–प्रदाय योजनाओं को शीघ्र स्वीकृत किए जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिए)।

166. श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोहर-भादरा-सूरतगढ़ के खारे पानी के गांवों में क्षेत्रीय जल-प्रदाय योजनाओं को शुरू करने पर चर्चा के लिए)।

167. श्री गिरराज प्रसाद तिवारी (बयाना): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के

Page No 66

(66)

श्री गिरराज प्रसाद) अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला भरतपुर के बयाना सब डिवीजन में पेयजल की पूर्ति करने के संबंध में चर्चा के लिए)।

168. श्री हनुमान सहाय (बैराठ) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विराट नगर तहसील के ग्रामों की जल प्रदाय योजना स्वीकृत नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

169. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विराट नगर तहसील के ग्राम धवली, राड़ावास, करीटी, मेड़, हनूतपुरा, भामरू, भामोद, खोरालाड़खानी नल योजनाओं की स्वीकृति पर चर्चा के लिए)।

170. श्री शंकरलाल जाट (कपासन) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ जिले की ग्रामीण जल प्रदाय योजना की शिथिलता पर चर्चा के लिए)।

171. श्री भरूलाल (अकलेरा) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा अकलेरा जिला झालावाड़) की पेयजल नल योजना का निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न कराया जाकर योजना को कार्यरूप में परिणित करने पर चर्चा के लिए)।

172. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील अकलेरा (जिला झालावाड़) क्षेत्रान्तर्गत सरड़ा ग्राम की पेयजल नल योजना, योजना में ली जाकर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिए)।

173. श्री महेन्द्र कुमार : (पाडवा) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में जलपूर्ति की कमियों व बरती गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

174. श्री भीमराज (नोहर) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोहर तहसील के ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिए)।

175. श्री उम्मेदीलाल (हिन्डौन) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282– के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हिन्डोन की जल योजना के अभाव पर चर्चा के लिये।

176. श्री रामचन्द्र (सिकराय) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282– के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम भानपुर व सिकन्दरा में जल योजनाओं को पूरा कराने पर चर्चा के लिये)।

177. श्री राजेन्द्र सिंह (उनियारा): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282– के

(श्री राजेन्द्र सिंह)
अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (राज्य में विशेषकर टोंक जिले में पेय जल के अभाव पर चर्चा के लिये)।

178. श्री गौरीशंकर (खानपुर) : मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील खानपुर के हरीगढ़–सारोला ग्रामों की पेय जल नल योजनाओं को स्वीकृत करने पर चर्चा के लिये)।

179. श्री रामगोपाल (किशनगंज): मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति शाहबाद क्षेत्र में 400 फीट तक भूगर्भ में छिपे जल स्रोतों को खोज निकालकर पेय जल उपलब्ध कराने वाली मशीन की मांग पर चर्चा के लिये)।

180. मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक 282– के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भंवरगढ़ जल प्रदाय योजना जिसके लिये जनता ने 2-1/2 प्रतिशत अपनी धनराशि योगदान रूप में देकर राजकीय कोष में जमा कर दी है उसे मंजूर करने हेतु चर्चा के लिये)।

181. मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले के विभिन्न तहसीलों की चालू जल प्रदाय योजना, स्वीकृत जल प्रदाय योजना तथा सर्वे की हुई जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

182. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील शाहबाद के 7 गांवों में पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिये हैण्ड पम्प लगाए, किन्तु वह अभी तक चालू नहीं किए गए जिस पर चर्चा के लिये)।

183. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति शाहबाद के 36 गांवों में हैण्ड पम्प राज्य सरकार द्वारा लगाने के लिए स्वीकृति हुई किन्तु केवल 6 गांवों में ही अभी तक हैण्ड पम्प लग पाये हैं इस संबंध में चर्चा के लिये)।

184. श्री गोपीलाल (पीपल्दा) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पीपल्दा, मेहा, मन्डावरा खातोली ग्रामों की ग्रामीण नल योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

185. श्री शिवनारायण (बारां) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जल योजना के अभाव पर चर्चा के लिये)।

186. श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

(श्री भुवनेश चतुर्वेदी)

दिया जाय (कोटा शहर की जलदाय योजना की असफलता पर चर्चा के लिये)।

187. श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाइजी का तालाब, जोधपुर में शहर के गन्दे पानी को एकत्रित करके जनस्वास्थ्य को खतरे में डालने पर चर्चा के लिये)।

188. श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर तहसील के ग्राम रूपनाथगढ़, पिपराली, पलासरा में पीने के पानी की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

189. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खंडेला नगर में पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

190. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम छोटी उदेई की जल योजना को शीघ्र कार्यान्वित कराने पर चर्चा के लिये)।

191. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर में पानी की समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

192. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील गंगापुर जिला सवाई माधोपुर के ग्राम स्यालोली टोकली में जल प्रदाय योजना बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

मांग सं. 13 व 27 पर विचार एवं उनका पारण

श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवा महल): माननीय उपाध्यक्षजी, महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण में और जो हमारे माननीय वित्त मंत्रीजी ने भाषण दिया उनके भाषण में बहुत सी बढ़िया 2 बातें पढ़ने को मिली . . .

श्री चन्दनमल बैद: आप पर तो असर हुआ नहीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: पर ये बातें केवल बातें हैं।

श्री निरंजन नाथ आचार्य: शुगर कोटेड।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: और वे बातें इसलिए हैं कि आप कहते हैं और राज्यपाल महोदय के भाषण में भी यह है आप कहें तो मैं पढ़कर सुनाऊं, आप कहते हैं कि इतने गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था कर दी, इतने शहरों में पीने के पानी की व्यवस्था कर दी, मैं तो निवेदन करूंगा कि आप दूर मत जाइये, जहां पर आपका निवास स्थान है और जहां पर राजस्थान के 184 एम. एल. ए. जयपुर शहर में निवास करते हैं, वहां पर आप पानी की व्यवस्था का ठीक प्रकार से नहीं कर सके हैं। हालत यह है कि जयपुर शहर में सर्दी के दिनों में भी पहली

श्री गिरधारीलाल भार्गव)
मंजिल पर पानी नहीं प्राप्त होता है, गर्मी की तो बात ही छोड़ दीजिए। गर्मी की मौसम तो अब आ रही है, अब थोड़े दिनों के बाद पता चलेगा कि जयपुर शहर के अन्दर पानी की क्या हालत है। यह बात दूसरी है कि विधायक बंगलों में पानी को 24 घण्टे छोड़ रखा हो तो आपको भले ही कष्ट मालूम नहीं पड़े लेकिन मैं तो अपनी कांस्टीट्यूएंसी के बीच मे, पुरानी बस्ती के बीच में रहता हूं, मुझे मालूम है कि क्या कष्ट है जनता को पानी के लिए। प्रातः काल 7 बजे सर्दी में पानी बन्द हो जाय। आप अगर 8 बजे भी सो कर उठें माननीय मंत्रीजी...

श्री चन्दनमल बैद : मैं तो साढे तीन बजे उठता हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आप तो रात भर सोते नहीं हैं, वह अलग बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी हालत यह है कि पानी का प्रेशर नहीं है और गर्मी के दिनों में बिल्कुल प्रेशर नहीं होगा और यदि आपको जनता का दुख देखना हो तो इस परकोटे के भीतर आप किसी भी चौकड़ी में चले जांय, कोई सी भी चौकड़ी हो, मेरे चारों भाइयों की कांस्टीट्यूएंसी में चले जांय, आपको मालूम हो जाएगा कि सात बजे पानी बन्द हो जाने के बाद ऊपर जो टंकियां पानी की हैं, वे भर्ती नहीं हैं और नहीं भरने के कारण जो आदमी शौच से निवृत्त होने के लिए जाते हैं तो उनको शौच आदि कार्यक्रमों के लिए भी पानी नहीं मिलता है। इसके कारण नालियों में गन्दगी भरी रहती है। नगरपालिका का भिस्ती जब सात बजे बाद आता है और उसको कहते हैं कि भाई जरा इन नालियों को भी साफ कर दो तो वह पानी कहां से लाएगा। पानी के अभाव में नालियां साफ नहीं हो पाती और इसलिए गन्दगी फैलाने की जिम्मेदारी माननीय मंत्रीजी आपकी है। मैं निवेदन करूंगा शायद आप इस बात को मानेंगे, शीशी मेरे पास मौजूद है, मैं निकाल कर अभी बता सकता हूं लेकिन मैं आपको...

श्री चन्दन मल बैद : यह तो हर साल का काम है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरी बात को अगर वैसे ही उड़ाना चाहें तो आपकी मर्जी है लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि आज की तारीख में भी आप यदि चाहें तो कभी भी प्रातःकाल 7 बजे चौगान में चले जांय जहां पर आज गणगौर का मेला जुड़ेगा हरिजन मोहल्ला है, वहां पर आप पधारेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 7 बजे मलमूत्र से मिला हुआ पानी आता है। 5 बजे सायंकाल मे बिल्कुल सड़ा हुआ पानी आता है.....

श्री शंकर सिंह रावत : गये साल वाली शीशी तो नहीं है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : बिल्कुल सड़ा हुआ पानी आता है। आप कभी भी प्रातःकाल में देख लीजिए। इसका कारण यह है कि या तो आपकी वाटर सप्लाई लाईन है वह बिल्कुल जरजर हो गई है, जगह जगह से टूट गई है और उसके साथ गटर की

70

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
लाईन जुड़ी हुई है। जब आपकी पानी की सप्लाई बन्द हो जाती है तो उस लाईन में गटर का पानी प्रवेश कर जाता है। जिस समय प्रेशर बढ़ता है वह गन्दा पानी उसके साथ चला जाता है और जब उस पानी से स्नान करते हैं तो मल मूत्र उसमें पड़ा होगा। इसी प्रकार से मटकों में जब पानी भर कर रखते हैं तो उसमें वह गन्दगी चिपक जाती है। आप ही बताइये कि कैसे उस पानी को पीयेंगे और किस प्रकार से जल प्रदाय योजना पर विश्वास करेंगे। यह देखना हो तो मैं अभी आपको शीशी दिखा सकता हूं मलमूत्र और सड़ गन्दे पानी से मिली हुई लेकिन सदन की मेज पर रखने की अनुमति नहीं है इसलिए यहां नहीं रख कर मैं आपको अपने कमरे में वह शीशी दिखा दूंगा लेकिन यह नल का उदाहरण आपके सामने मौजूद है।

मैं दूसरा और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्रेशर लोगों के घरों तक पहुंचता नहीं है, और जो आपने जयपुर शहर के बाहर, जयपुर की चार दीवारो के बाहर नल कूप बनाए हैं उन नल कूपों से भी लोगों को पूरा पानी नहीं मिल रहा है। चाहे वह तिलकनगर हो, चाहे बजाजनगर हो या बनीपार्क हो, उन एरियाज के अन्दर भी लोग पीने के पानी के लिए तरसते हैं। इसलिए सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करूंगा कि प्रेशर को ठीक करायें और पानी सप्लाई का समय प्रातःकाल दस बजे तक रखें और सायंकाल 5 से 10 बजे तक रखें ताकि लोगों को पीने का पानी प्रेशर' के साथ ऊपर वाली मंजिल पर मिल जाय। होता यह है कि चार चार मंजिल के मकानों के ऊपर पानी नहीं जाता है। लोगों को नीचे आकर सुबह सात बजे से पानी भरना पड़ता है। पानी लेने के लिए भी क्यू लगानी पड़ती है। आये दिन क्यू लगाओ। मिट्टी के तेल के लिये क्यू लगाओ, अनाज के लिए क्यू लगाओ, चीनी के लिये क्यू में खड़े हो। एक दिन में सात सात जगह क्यू में खड़ा होना पड़ता है और अब आठवीं क्यू हो जाएगी पीने के पानी के लिए। इसके लिए भी क्या मंत्री महोदय ने लोगों को कसरत कराने का कार्यक्रम बनाया है। यह बनाया है तो ठीक है। लोग अभी से बाल्टियां लेकर नीचे आते हैं और नित्य प्रति का ही यह कार्यक्रम हो गया है।

दूसरी जो जयपुर की एक्यूट प्राब्लम है वह यह है कि जयपुर शहर में 110 कच्ची बस्तियां हैं और गृह निर्माण सहकारी समितियों की 136 बस्तियां हैं। मैंने बराबर इस बारे में यहां पर प्रश्न उठाया था और हो सकता है कि मैं मंत्री महोदय को वह प्रश्न कुशलता के साथ समझाने में असफल रहा हूं परन्तु इन सहकारी समितियों को भूमि अवाप्ति का नोटिस दे देने के कारण वाटर वर्क्स के लोगों ने इन गृह निर्माण सहकारी समितियों के मकानों को वाटर कनेक्शन देने के लिए इन्कार कर दिया है। वाटर लाइन आप वहां पर नहीं डालेंगे और इस प्रकार वहां के मकानों में रहने वालों को पानी का कनेक्शन नहीं देंगे। इस प्रकार आप वहां पर पीने का पानी मुहैय्या नहीं कर रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने 20 नवम्बर, 73 को यह घोषणा की थी कि जिन्होंने पक्के मकान बना लिये हैं उनके मकानों का नियमन कर दिया

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

जाएगा। इस घोषणा के बाद कौनसी रुकावट की बात आ जाती है कि गृह निर्माण सहकारी समितियों के क्षेत्रों के अन्दर आप वाटर लाइन नहीं डालें और लोगों को पीने का पानी मुहैय्या नहीं करावे लोगों ने अपने मकान किसी तरह से बना लिये हैं। दूर दूर से पानी लाकर मकान बनाये हैं। लाखों रुपया खर्च किया है और इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आप उनको पीने का पानी मुहैय्या नहीं करायें, वाटर लाइन नहीं डालें तो मैं समझता हूं कि लोगों को आप इस बात के लिए आन्दोलित कर रहे हैं कि उनको कम से कम इतना किलो पानी दिया जाये। याने अब पानी के लिए आन्दोलन करना होगा। गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा बने मकानों के क्षेत्र में आपने वाटर लाइन डालने के लिए क्यों रोक लगा दी है। सिर्फ इसलिए कि भूमि अवाप्ति का नोटिस जारी हो गया है। जबकि दूसरी ओर सरकार की यह घोषणा है कि इनका नियमन किया जाएगा। इसी प्रकार की जयपुर शहर में करीब 110 कच्ची बस्तियां हैं जिनके लिए भी सरकार ने यह घोषणा की है कि जो जहां पर रहता है, उसको वहां से बेदखल नहीं किया जाएगा। इनका नियमन कर दिया जाएगा। यह बात कही है। गृह निर्माण सहकारी समितियों के बारे में आपकी घोषणा 20 नवम्बर, 73 की है और कच्ची बस्तियों के बारे में 21 अगस्त, 1971 की घोषणा है। यह घोषणा तत्कालीन मुख्य मंत्री ने की थी। अब आप इनको बेदखल नहीं करेंगे तो कच्ची बस्ती के निवासियों को पीने का पानी मुहैय्या न हो, उनके मकानों में नल का कनेक्शन लगे नहीं। इस प्रकार की रोक लगाना अच्छा नहीं है। कच्ची बस्तियों में वाटर लाइन डाली जानी चाहिये। जो वहां पर मकान है, उनमें रहने वालों को पानी का कनेक्शन दिया जाना चाहिये और इसी प्रकार से गृह निर्माण सहकारी समितियों के जो मकान कृषि भूमि में बने हुए हैं उनको भी पानी के कनेक्शन मिलने चाहिये अगर आप पीने का पानी जयपुर शहर में नहीं दे सकेंगे तो जो दूसरे शहरों और गांवों वालों को पीने का पानी मुहैय्या करने की आपकी घोषणा है, वह शेख चिल्ली की घोषणा मात्र होगी। आज यहां संसार चन्द्र रोड पर पाइप पड़े हुए हैं। तीस इंची पाइप पड़ा हुआ है। गत एक साल से पड़ा हुआ है और यह पाइप जयपुर शहर की पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिए पड़ा हुआ है। यह इसलिए पड़ा हुआ है कि अमानीशाह से चांदपोल गेट और छोटी चौपड़ तक पानी की लाइन डाली जायेगी। इसी तरह से 24 इंची पाइप पड़ा है। वह भी गत एक वर्ष से। अधिकारी क्यों इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण है···

श्री निरंजननाथ आचार्य: On a point of order, Sir. There is no quorum in the House.

(गणपूरक सूचक घंटी)
(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं यह निवेदन कर रहा था···

श्री श्रीराम गोटेवाला : On a point of information, Sir. भार्गव साहब ने यहां पर यह कहा है कि संसार चन्द्र रोड़ पर पाइप पड़े हुए हैं मैं यह जानना चाहता हूं कि संसार चन्द्र रोड़ पर ये पाइप कहां पर पड़े हुए हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : श्मशान रोड़ पर पड़े हुए हैं। बड़े बड़े पाइप पड़े हुए हैं और गत एक वर्ष से पड़े हैं। यह पाइप इसलिये नहीं लगा पाए हैं कि सोखपिट का अभाव है। यह विभाग की अकर्मण्यता है। जो पुराने चीफ इन्जीनियर होते थे वे पहले से ही सारे सामान की व्यवस्था कर लेते थे। परन्तु यह तो स्पष्ट ही विभाग की अकर्मण्यता है। इसके लिए कौन दोषी है? मैं यह समझता हूं कि उस व्यक्ति को आप सजा दें, यह तो मैं नहीं चाहता हूं लेकिन उसको वारनिंग अवश्य दीजिये। गर्मी का मौसम आ गया है। लोगों को पानी का संकट फिर से भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार रामगढ़ से बड़ी चौपड़ तक एक बड़ी लाइन डालने की योजना थी। किन्तु यह कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। आपके विभाग के पास पैसा नहीं हो, पैसे की कमी हो, यह बात भी नहीं है। आज की तारीख में 17 लाख रुपया आपके जयपुर जलदाय विभाग के पास इन योजना को पूरा करने के लिए पड़ा हुआ है। दुर्भाग्य से मार्च का महीना समाप्त होने जा रहा है। विभाग की अकर्मण्यता के कारण बड़ी लाइन डालने का कार्य आप पूरा नहीं करा पाये हैं। फिर सड़ी गली लाइनों को जिसमें कि गटर का पानी प्रविष्ट हो जाता है उनको तो क्या बदल सकते हैं। जिन स्थानों में, जिन मोहल्लों में गरीब लोग रहते हैं, उनको तो पीने का पानी क्या पिला सकते हैं? आपके पास पैसा है, पाइप पड़ा हुआ है किन्तु फिर भी लाइन डालने का काम नहीं हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जनसंघ दल ने पहले एक आन्दोलन किया था और सरकार द्वारा 5 लाख रुपया स्वीकार किया गया था। इस आन्दोलन के फलस्वरूप यह आश्वासन दिया गया था कि पानी की टंकियां तीन वर्ष के अन्दर लगा दी जाएंगी। तीन वर्ष का समय पूरा हो गया है। ये टंकियां ताजमहल की तरह जयपुर शहर में खड़ी हुई हैं। मार्च, 73 तक भी इस कार्य को पूरा नहीं किया जा सका है। तीन वर्ष पूरे हो गये और इन टंकियों का काम पूरा नहीं हो पाया है। पानी का अभाव है। कहीं पर किसी चीज का अभाव है और इन सारे अभावों को दूर करने के लिए ये टंकियां जयपुर शहर में स्थान स्थान पर बनाने का फैसला किया गया था जो आज वहां पर ताजमहल बनकर खड़ी हैं। क्या ये ताजमहल रह जायेंगी या यादगार के रूप में रहेंगी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो वायदा किया है, इन टंकियों को पूरा करने का, वह काम कब पूरा हो जाएगा। इन टंकियों के पूरा न होने के कारण परकोटे के भीतर की जनता को असुविधा हो रही है। बाहर की बस्तियों के लोग भी इन टंकियों के बन जाने के कारण सुविधा पाते परन्तु वह सुविधा भी उनको नहीं मिली है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो अधिकारी दोषी हैं, उन दोषी अधिकारियों को कम से कम आपके द्वारा इस कार्य के लिए ताड़ना दी

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
जानी चाहिये।

जयपुर में पानी की सप्लाई का सब से बड़ा स्रोत रामगढ़ का बंधा है। यह मिट्टी से भरा पड़ा है। सिचाई विभाग से यह बांध लिये जाने के बाद इसकी आज तक सफाई नहीं हुई है। इसमें एक मिट्टी की दीवार है। गर्मी के दिनों में जब पानी कम हो जाता है तो यह मिट्टी की दीवार साफ दिखती है और इसके कारण पानी इधर का उधर नजर आता है। आज तक इसकी कभी भी सफाई नहीं करवाई है। अगर यह मिट्टी को दीवार हटा दी जाती है, इसकी सफाई हो जाती है तो पानी मिट्टी की दीवार की तरफ रह जाता है वह भी सप्लाई के काम आ जाता और पानी की समस्या जो रहती है वह भी कुछ सुलझती और इस प्रकार पीने के पानी की समस्या बिगड़ नहीं पाती। रामगढ़ बांध जब से आपने लिया है, सफाई करने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। अमानीशाह के पास जो 70 कुएं पीने के पानी के हैं, उनका पानी भी धरातल से नीचे जा रहा है और जो उनकी केपेसिटी होनी चाहिये वह नहीं रही है। आज तक इनकी सफाई की व्यवस्था भी नहीं हुई है। तो इससे बढ़कर आपके विभाग की अकर्मण्यता और क्या होगी। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह पानी की समस्या जयपुर शहर में भयंकर रूप लेगी। इसका आप समाधान करें। आप यह कहते हैं कि इतने कुए खुदवा दिये, इतनी टंकियां बनवा दी इतनी वाटर लाइन डलवा दी। पाइप पड़े हुए हैं। आपके काय का यहां पर मैंने यह चित्रण किया है। टंकियां खड़ी हुई हैं। आप कहते हैं नलकूपों का पानी धरातल पर पहुंच गया है।

जोधपुर का उदाहरण दूंगा। रामपुरा रुण्डा में आपने कुए खुदवाये। आस पास के क्षेत्र में जो खेती के कुए थे उनका पानी सूख गया। जयपुर शहर के आस पास लोग खेती करते हैं। परन्तु इनमें अधिकतर मंत्रियों के फार्म है। यहां पर उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। यह सब कोई जानता है। जयपुर शहर को श्रेय है इन मंत्रियों को पनपाने का, उनको मालदार बना देने का। मंत्री महोदय, आपका भी मकान जयपुर शहर के अन्दर है। माननीय विधायकों के भी मकान यहां पर है। गर्मी के दिनों में यहां पर पानी की समस्या होगी। यह आप से ऐसे हल नहीं होगी। इसके लिए आपको जयपुर शहर में बनास योजना लानी पड़ेगी।

बनास योजना जिससे लाभ होगा अजमेर जिले को, जिससे लाभ होगा टोंक जिले को, सिचाई के लिए नहर आयेगी, लोगों को पीने का पानी मुहैय्या होगा। मैं समझता हूं कि इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बना रखा है। बनास योजना को लायेंगे आज ही सदन में घोषणा कीजिये। क्योंकि 13 करोड़ की योजना है तो इस 13 करोड़ की योजना पर लाखों रुपये नक्शे बनाने में और सर्वे में खर्च हो गये हैं। जिसमें लाखों रुपये सर्वे में खर्च हो जायं और लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी ऐसी सुन्दर योजना को खटाई में डाला जाय, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जयपुर शहर में पीने के पानी की समस्या का स्थाई हल करना है तो आपको घोषणा

Page No 74

(74)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
करनी पड़ेगी कि बनास योजना अभी भी समाप्त नहीं हुई है। हाई कोर्ट की बैन्च को बार बार समाप्त कर देते हैं तो जयपुर में हाई कोर्ट की बैन्च और दूसरी बनास की योजना इस सम्बन्ध में राज्य सरकार मानती नहीं है तो हट किस बात का है। हाई कोर्ट की बैंच के बारे में इतना हठ है तो कह सकते हैं कि जोधपुर वाले कहते हैं। लेकिन बनास योजना में कौन रोड़े अटकाता है। इसलिए बनास योजना को लागू करें।

मैं निवेदन करूंगा इसके साथ–साथ कि आपके यहां से विभाग से बिल जो सप्लाई किये जाते हैं उनमें भयंकर त्रुटियां रहती हैं। मैंने निवेदन किया है कि 10 साल जो पुराने रेकार्ड मिस्त्री खाने में जमा थे उनको दीमक के खा जाने के कारण खड्डों में समा दिया गया है। वह रेकार्ड है। पिछले दिनों का बिल बना कर भेज देते हैं। गरीब जनता पिछले दिनों के बिल नहीं रखती है और वह उनको बता नहीं सकता है तो उनका कनेक्शन काट दिया जाता है। मीटर गलत लगाये जाते हैं। केप्स्टन के ओडायल मीटर होते हैं और पानी नहीं आता है और हवा पास होती है तो सूं सूं करते रहते हैं। मीटर का नाम राहुल। नाम तो बड़ा अच्छा बुद्ध भगवान के लड़के के ऊपर। किसी का नाम गंगा जमुना है तो आपके नाम पर चन्दनमल मीटर भी रख लेते···

श्री निरंजननाथ आचार्य : चन्दन मीटर।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : वह राहुल मीटर जो ओ डायल मीटर होता है वह पानी बन्द होता है और नल जिस समय खुला रहता है तो सूं सूं की आवाज करता है और ओ डायल मीटर होने के कारण चलता रहता है, केप्स्टन का मीटर चलता रहता है। इस प्रकार से वाटर वर्क्स की जो निकम्मी व्यवस्था है कि बिल ज्यादा आते हैं, पीने को पानी नहीं मिलता है और 7 बजे ही नल बन्द हो जाते हैं, प्रेशर मिलता नहीं फिर भी 40–40 रुपये का बिल आ जाता है। मैंने परसों ही निवेदन किया था कि त्रिपोलिया पर ठंडी प्याऊ के सामने लोगों ने एक हेली चला रखी है उस हेली पर 3254–65 का एक महीने का बिल है। लोगों के मकानों का भयंकर रूप से बिल आते हैं। उनकी बेचारों की किस प्रकार की हालत होगी। तो वाटर वर्क्स के जो अधिकारी हैं उनको आप ताड़ना देकर इन बिलों को दुरुस्त कराने की कृपा करेंगे। जयपुर शहर में पीने के पानी की समस्या है उसका समाधान करेंगे। जो पाइप लाइन्स पड़ी हुई हैं उनको डालेंगे और टंकियों के कन्स्ट्रक्शन को पूरा करेंगे, और जयपुर में वाटर वर्क्स की जो अव्यवस्था है उसको ठीक करेंगे (समय–समाप्ति–सूचक घंटी) और बनास योजना को लागू करेंगे।

अब मैं निवेदन करूंगा टेक्सेज के बारे में। बिक्री कर आखिरकार राजस्थान में क्यों लागू हुआ? वह इसलिए लागू हुआ था, उपाध्यक्ष महोदय, कि राज्य सरकार का यह कहना था कि शराब की आय से राज्य का काम चलता है इसलिए शराब बन्दी करने के लिए बिक्री कर लागू होगा। बिक्री कर की आय को आपने अपनी आय मान ली फिर भी राज्य सरकार भूखी रही

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
राजस्थान सरकार चाहती थी कि राजस्थान के लोग शराब पिये नहीं इसलिये उसने लाटरी चालू की। वह लाटरी चलाने के बाद भी राज्य सरकार भूखी रही, बिक्री कर लगाने के बाद भी राज्य सरकार भूखी रही। लाटरी और बिक्रीकर को राज्य सरकार खा गई, और राज्य सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए राजस्थान में शराब बन्दी नहीं कर सकते। माननीय मंत्रीजी आप बड़े जोरदार मंत्री हैं, और जोरदार मंत्री इस तरह से हैं कि जिस समय आप शिक्षा मंत्री थे तो आपने गरीब अध्यापकों के ट्रान्सफर किये और बड़े जोरों के स्तर पर किये। आपने अपंग और लूले लंगड़ों का ट्रान्सफर कर दिया। आपने कहा कि मैंने विशनसिंहजी का ट्रान्सफर कर दिया। आपने लूले लंगड़ों का ट्रांसफर कर दिया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अध्यापकों के ट्रान्सफर किये, लेकिन जो शराब का विभाग है उसके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं श्री मुन्नालालजी आर्य वह 15 वर्षों से जयपुर में बैठे हैं, उनका ट्रान्सफर करने की हिम्मत की ? हिम्मत क्यों नहीं की ? अगर उनका ट्रान्सफर कर दें तो आपका मंत्री पद से ट्रान्सफर हो जाय। आपने गरीब अध्यापकों का ट्रांसफर कर दिया, लूले लंगड़ों के ट्रान्सफर कर दिये। उनको आप बाहर भेज सकते हैं। चन्दनमल जो आपने अध्यापकों के ट्रान्सफर तो कर दिये, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपने मुन्नालाल आर्य का ट्रान्सफर क्यों नहीं किया ? आपकी विज्ञप्ति है कि स्कूलों के पास में, कालेज के पास में, मस्जिद के पास में, किसी मन्दिर के पास में शराब की दुकानें नहीं हों, लेकिन मैं दावे के साथ और चैलेन्ज के साथ में कहता हूं कि आप मेरे साथ चलिये कि यह शराब की दुकानें मस्जिदों के पास में है। आप सुभाष चौक में जाकर देखिये जहां पर आपके पर्यटक लोग आते हैं, आपके मन्त्री लोग आते हैं वहां पर शराब पीकर लोग सड़कों पर सोते हुए नजर आते हैं और वह कहते हैं कि वह मंत्री कौन हैं जिसने यहां पर शराब की दुकानें खुलवा रखी हैं। मुन्नालाल आर्य यहां पर 15 वर्ष से मौजूद है उनका ट्रान्सफर करने की आपने चेष्टा नहीं की। वह आपके आदेश को अवहेलना करके मंदिरों के पास में शराब की दुकानें चला रहे हैं। विधायक लोग वहां पर गये थे। उन्होंने देखा है कि दुकानें खुली हुई हैं। गांधीजी की शताब्दी में दुकानें खोली गई है। गांधीजी ने कहा था कि जो राज्य अपना काम शराब से चलाता है वह राज्य खत्म होगा। आपने इनकी मुन्नालालजी आर्य को योग्यता के बारे में कभी विचार किया है ? आपने इन मुन्नालालजी की योग्यता के बारे में विचार नहीं किया ? उनकी सम्पत्ति कितनी है उसकी जांच के बारे में कोई विचार नहीं किया।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज आप उनको तनख्वाह देते हैं बिक्री कर लगाकर। छोटे दुकानदारों पर आपने लगा दिया, खोमचे वालों पर लगा दिया, हलवाइयों पर लगा दिया। वे अगर पढ़े लिखे होते तो आज कचोरी समोसा क्यों बेचते। वह पढ़े लिखे होते तो वह लिख देते कि चन्दन मलजी ने इतनी रोटियां खाई और उनके वालिद साहब का क्या नाम है, इतना सैल्स टैक्स जमा करा दो। आपने छोटे व्यापारियों को परेशान कर रखा है।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

बिक्रीकर की पद्धति का आपने सरलीकरण नहीं किया ताकि लोग आसानी से बिक्री कर चुका देते। आपने छोटे दुकानदारों को परेशान कर रखा है। गत सत्र में राजस्थान के हलवाइयों ने विधान सभा के सामने बिक्रीकर के सरलीकरण के बारे में आन्दोलन किया था, लेकिन आपने सरलीकरण नहीं किया, उनकी बात नहीं सुनी। वह कहते थे कि अगर पढ़े लिखे हो होते और बिल काट सकते थे तो कचोरी समोसा ही क्यों बेचते? उन गरीबों को राहत देना चाहिए। आपको आंकड़े लेने चाहिए कि आपके पड़ौसी राज्य हैं उनके वहां पर बिक्री कर क्या है और बिक्रीकर की वसूली का किस तरह से सरलीकरण है, लेकिन आप सरलीकरण नहीं करना चाहते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है कि राजस्थान में आपकी बिक्री कर की नीति के आधार पर उद्योग धन्धे स्थापित नहीं करना चाहते हैं। वह कहते हैं कि यू. पी. में सुविधा है, हरियाणा में सुविधा है और हम यहां के बिक्रीकर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। आप अगर उद्योगधन्धों को पनपाना चाहते हैं तो आज घोषणा करिये कि पड़ौस के राज्यों से बिक्रीकर के आंकड़ें मंगायेंगे और वहां पर जो उनको सुविधाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे और उसके आधार पर सुविधा देने की बात करेंगे।

इसी प्रकार से मनोरंजन कर के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि मनोरंजन कर की वसूली किस प्रकार से होना चाहिए। यह भी आपने अपने हाथ में ले लिया। कहने को इन्सपेक्टर बढ़ा दिये। अगर आप पैसा दे दें म्युनिसीपैलिटी को तो कमेटी वाले कर लेंगे और उससे अच्छा कर लेंगे। आपने यह घोषणा कर दी कि हमने डबल तो कर दिया और जो खर्चा होता है इन्सपेक्टर का और यह जो विभाग मनोरंजन कर की वसूली करता है वह खर्चा भी मिट जायगा। आप म्युनिसिपैलिटी को दें तो म्युनिसिपैलिटी की आमदनी डबल नहीं चौगुनी हो जायगी। जयपुर शहर में पहले तीन सिनेमा के आधार पर आय थी और आज तो 8–9 सिनेमा हो गये हैं और देखने वालों की संख्या भी बढ़ गई है और आपने तो टैक्स और लगा दिया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मनोरंजन कर आप म्युनिसिपैलिटीज को दे दें। लाटरी चालू कर दी तो भी आप भूखे रहे, बिक्री कर लगा दिया तो भी भूखे रहे, शराब पिलाते गये तो भी आपका पेट भूखा होता गया। कच्ची बस्तियों में हम गये थे तो नारकीय जीवन व्यतीत करते देखा है। कभी आप मेरे साथ चलें खड़े नहीं रह सकते। निरन्जन नाथ जी और पंडित रामकिशनजी मेरे साथ थे तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार की हालत है। किस प्रकार से शाम को सुभाष चौक में लोग शराब पीकर पड़े रहते हैं सड़कों पर और लोग उन्हें उठा कर एक तरफ कर देते हैं चांदपोल के हनुमानजी के मन्दिर के पास ठेका है। कच्ची बस्ती में ठेका है। कच्ची बस्ती में पानी और अनाज की समस्या हल नहीं हो। ठेका आप वहां पर खोल दें। जोड़ो तो टैक्स। खरचो तो टैक्स। एक ही टैक्स बाकी था जो कि नेहरू के जमाने में डा. करमरकर थे दानि मर कर कर दें। मरने पर भी आपने टैक्स लगा

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
दिया है। सारी स्टेट्स के मुकाबले में आप की बिक्री कर प्रणाली बहुत ही निकम्मी है। मनोरंजन कर का अधिकार आपको म्युनिसिपैलिटीज को देना चाहिये।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

आज जयपुर शहर का हाल बिल्कुल खराब है। म्युनिसिपलिटीज का जो आय का स्रोत था; तो तो सिनेमाओं का टैक्स आप लेते हैं। 1 रुपये में 65 पैसे टैक्स के आप वसूल करते हैं। आप उनके बारे में विचार करेंगे। बिक्री कर के बारे में विचार करेंगे। मनोरंजन कर के बारे में विचार,

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

बिक्री कर की गडबडी के बारे में विचार करेंगे आप इसको ठोस सुझाव के रूप में मान कर चलें। और, निश्चित रूप से इन पर विचार व्यक्त करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी बिक्री कर के बारे में अपने विचार व्यक्त करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि झालावाड में बिक्रीकर की काफी चोरी होती है। एक किताब सालभर में कहीं खत्म होती है। लाखों रुपयों के टैक्स की चोरी हो रही है। कई केस पेंडिंग पड़े है। लाखों रुपये बाकी हैं। बड़े बड़े व्यापारी हैं, वह टैक्स की चोरी करते हैं। छोटे आदमियों की तो कुर्की हो जाती है। छोटे छोटे लोगों का तो वसूल हो जाता है। इस प्रकार से झालावाड़, सीतावाड़ी, भवानीमण्डी, पाटन इनमें बड़े बड़े मेले लगते हैं। इसमें मवेशियों पर 5-7रु. टैक्स लिया जाता है। मध्यप्रदेश में 1 रु. टैक्स है। झालावाड मेले के कई लाख रुपये होते है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जैसा कि मध्यप्रदेश में टैक्स है, वैसा ही यहां पर भी लगाया जाये। यहां पर टैक्स अधिक है, इसीलिए कम आय होती है। अधिक टैक्स होने के कारण से बड़े व्यापारी वहां पर नहीं आते हैं। जो लोकल आदमी होते हैं, वही खरीदते हैं। इसी कारण से यह आय घटती जा रही है। इसी प्रकार से होटल वालों पर जो 50 हजार और 30 हजार का किया है। जो खुद काम करते हैं, उनका 50 हजार पर टैक्स है और जो नौकर रखते हैं उनका 30 हजार पर टैक्स है। वैसे हर होटल वाले को नौकर रखना पडता है। इसलिए दोनों प्रकार के होटल वालों की 50 हजार सीमा रखनी चाहिए। झालावाड में जो बिक्री कर की वसूली हुई है, उसके बारे में निवेदन करूंगा कि बिक्री कर की चोरी होने के अलावा 21 लाख 77 हजार रुपया हुआ है। मेरा निवेदन है कि झालावाड में सी.टी.ओ. आफिस होना चाहिए। झुंझुनूं, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, जालोर, टोंक, बूंदी, इनमें सी.टी.ओ. आफिस हैं। झालावाड के लिए मैंने गतवर्ष भी निवेदन किया था।

श्री चन्दनमल बैद : चूरू में कहां है?

श्री रामप्रसाद बोहरा : चूरू में सी.टी.ओ. आफिस हो।

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

मेरा निवेदन है कि इतनी आमदनी होने पर भी सी.टी.ओ. ऑफिस नहीं रख रहे हैं। लोगों को इसमे बहुत खर्चा उठाना पडता है। दूसरी जगह लोगों को जाना पड़ता है मैं निवेदन करूंगा कि पहले की तरह से सी. टी. ओ. ऑफिस लगा दिया जाये।

मैं थोडा सा जल प्रदाय के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। बकानी पंचायत समिति में सरडा ग्राम है। वहां के लोगों को नदी का पानी पीना पडता है जो कि अच्छा पानी नहीं है। उन लोगों की रकम जमा हो चुकी है। लेकिन जल प्रदाय योजना की व्यवस्था अभी भी नहीं है। झालावाड में मई के महीने में आधे हिस्से में पानी पहुंचता है और आधे हिस्से में पानी नहीं पहुंचता है। सवेरे 3 घण्टे और शाम को 2 घण्टे पानी दिये जाने के आदेश हैं। लेकिन इस आदेश के अनुसार दिया नहीं जाता है। पानी की वहां पर कमी नहीं है नदी से पानी आता है।

एक बात और कहना चाहूंगा, आपकी जो टैक्सेशन की चुंगिया जगह जगह पर हैं। ट्रक वालों से वहां पर 10-10 और 20-20 रुपये लिये जाते हैं। हजारों रुपया आपका जाता है।

इसके अलावा जो माइनर इरीगेशन योजना चली है। पीने के पानी के कुंयें गहरा करने की अत्यन्त आवश्यकता है। इसके लिए आप बोरिंग मशीन की व्यवस्था करेंगे। और अन्त में मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम झालावाड़ में सी. टी. ओ. ऑफिस कायम करने की घोषणा अवश्य करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहर कोठारी।

(अनुपस्थित)

श्रीमती निर्मला कुमारी।

(अनुपस्थित)

श्री यशवन्तसिंह नाहर।

(अनुपस्थित)

श्री माणकचन्द सोगानी।

(अनुपस्थित),

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, जनस्वास्थ्य और बिक्रीकर के बारे में मैंने अपने कटौती प्रस्ताव रखे हैं। मैं इस सम्बन्ध में अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मैं पहले लोक स्वास्थ्य विषय पर अपने विचार रखूंगा। राजस्थान प्रान्त का 51% भाग रेगिस्थानी भाग है इस क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या भयंकर रूप की बनी हुई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमने इस जल समस्या के निवारण के लिए जो कदम उठाये थे, वह कदम बहुत ही मन्द गति का था। हमने नगरों और शहरों की पानी की समस्या की ओर पहले ध्यान दिया था और उस पर

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
ज्यादा राशि खर्च की थी और ग्रामीण क्षेत्रों की हमने बिल्कुल अवहेलना करदी थी। प्रथम पचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना के आंकड़ों को आप देखेंगे तो यह पायेंगे कि नगरीय क्षेत्रों में अधिक खर्च किया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में कम खर्च किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना के वक्त हमने जब राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि 83 परसेन्ट जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और वहां की जल की समस्या एक ऐसी भयंकर समस्या है, जिसका निवारण होना आवश्यक है तो राज्य सरकार का ध्यान इस ओर गया और हमारे वित्त मंत्री जी, जो कि जन स्वास्थ्य मंत्री जी भी हैं, ने चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए अधिक प्रावधान किया और चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें बनी। हमारे जिले में भी ग्रामीण जल प्रदाय योजना बनी और पहले से अधिक राशि खर्च की गई। परन्तु जिस प्रकार राज्य सरकार इस जल की समस्या को हल करने के लिए प्रयास कर रही है और जिस प्रकार की समस्या है, उसको देखते हुए जो राशि खर्च की जा रही है, वह बहुत ही कम है। राज्य सरकार ने भी यह माना है और पांचवीं पंचवर्षीय योजना, जो ड्राफ्ट रूप में है, में उन्होने माना है।····

(1.11 म. प.)

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता, सभापति, पीठासीन)

कि 23 प्रतिशत गांवों में अभी तक जल समस्या का निवारण हुआ है और 77 प्रतिशत गांव अभी भी ऐसे हैं जिनमें जल समस्या का हल नहीं हुआ है, और यह कार्य राज्य सरकार को करना है, 77 पर्सेन्ट विलेजेज को कवर करना है और जो पापूलेशन है गांवों में रहती है उसको कवर करना है। इसके लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना, जो ड्राफ्ट रूप में हैं, में वर्णन किया है कि 73 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी। परन्तु मुझे मालूम हुआ है कि 73 करोड़ पांचवीं पंचवर्षीय योजना में नहीं मिले हैं, ज्यादा से ज्यादा 60 करोड़ रुपये ग्रामीण जल प्रदाय योजना पर खर्च किये जायेंगे। तो यह अमाउन्ट जो है, यह बहुत कम है क्योंकि 1971-72 में भी राज्य सरकार ने जब केलकुलेशन लगाया, उसके आधार पर भी 201 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे तब इस समस्या का हल हो सकता है। अब और भाव मंहगे हो रहे हैं, उसको देखते हुए इस समस्या के हल के लिए 300 करोड़ रुपये खर्च किये जायं तब जाकर यह समस्या हल हो सकती है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में खर्च करने जा रहे हैं, 60 करोड़ रुपये, इसको देखते हुए इस समस्या का हल 20 वर्ष में भी नहीं हो सकता है। मैं चाहता हूं, पानी जैसी समस्या को अगर हम हल नहीं करते हैं, इसको प्राथमिकता नहीं देते हैं तो इसके लिए हमें समय निर्धारित कर देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस समस्या को सम्पूर्ण तरीके से हल कर देना चाहिए। दूसरों में हम कुछ कम खर्च करें, परन्तु हम इसके लिए प्रावधान ज्यादा से ज्यादा कर देना चाहिए। इस वर्ष मे जो प्राविजन रखा गया है, वह साढ़े पांच करोड़ ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिए रखा गया है। पहले वाली जो स्कीम है,

80

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

जो ली गई हैं, उनको ही कम्प्लीट करना है। कौनसी इस वर्ष में नई स्कीम ली जायेंगी। जो आपने सर्वेक्षण किया है, 33 करोड़ रुपये की योजना के बारे में सर्वेक्षण कर दिया गया है मार्च 74 तक और मार्च, 75 तक 56 करोड़ रुपये की योजना का कम्प्लीट सर्वेक्षण करा देंगे। इन योजनाओं का सर्वेक्षण करा दिया जायगा, यह कब सम्पूर्ण होगा–इसके बारे में स्थिति पूरे तौर पर निश्चय ही जन स्वास्थ्य मंत्री स्पष्ट करें।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में श्री रघुनाथ विश्नोई ने एक गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया था, और उसके बारे में बड़ा डिस्कशन हुआ था, और वह डिस्कशन दो तीन साल तक चला था, और डिस्कशन चलने पर राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी कि हम इस गैर सरकारी संकल्प को मान लेंगे और जल्दी से जल्दी इस समस्या के हल, निवारण के लिए बोर्ड की स्थापना कर देंगे। परन्तु अभी तक राज्य सरकार ने बोर्ड की स्थापना नहीं की है। बोर्ड की स्थापना हो जाय तो और तरीके से भी, राज्य सरकार के तो सोर्स हैं ही, उसके साथ साथ और सोर्सेज से टेप करके राशि प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बोर्ड के बारे में जब राज्य सरकार ने पूरी तरह से हमें विश्वास दिलाया है, आश्वासन दिया है और एग्री कर लिया है तो बोर्ड का गठन करें। और जल्दी से जल्दी गठन करके इस कार्य को चालू किया जाय।

अब मैं मेरे क्षेत्र की योजना है उनके बारे में कुछ विचार रखना चाहूंगा। नोमला से सियाणी ग्रामीण जल प्रदाय योजना का सर्वेक्षण हो चुका है–यह मुझे जानकारी मिल चुकी है। इस योजना को, मैं चाहता हूं, 1974-75 में लेकर, स्वीकृत करके इसके कार्य को शुरू किया जाना चाहिए। भीमड़ा से नौसर तक पाइप लाइन के बारे में, जिसमें आठ गांव हैं और आठ ढाणी आती है, योजना को लेकर, सर्वेक्षण करा कर उसके काम को हाथ में लिया जाना चाहिए। भीमड़ा के अलावा कोई सोर्स नहीं है। ट्यूब वैल के द्वारा ही यह समस्या हल हो सकती है। इसलिए भीमड़ा में नये ट्यूब वेल खोल कर नौसर तक पानी पहुंचाने की पाइप लाईन डालकर व्यवस्था करें। अड्डू से पनाउडा और भाडरवा से देरासर तक जल प्रदाय योजना का कार्य चल रहा है, लेकिन गति धीमी है इसलिए गति को तीव्र करके उस कार्य को सम्पूर्ण किया जाना चाहिए।

अब मैं बाड़मेर नगर की पानी की समस्या के बारे में कुछ विचार रखना चाहूंगा। बाड़मेर नगर की पानी की समस्या के लिए एक योजना राज्य सरकार ने बना ली, और उस योजना को इस वर्ष स्वीकृति देकर इस वर्ष जल्दी से जल्दी चालू किया जाना चाहिये ताकि बाड़मेर नगर में पानी की समस्या हल हो, साथ साथ यह पानी उत्तर लाइन एरोड्राम को भी मिल सके। मिलिट्री पॉइन्ट आफ व्यू से, डिफेन्स पाइन्ट आफ व्यू से यह योजना इम्पार्टेन्ट है। अभी जो पानी सप्लाई हो रहा है, उससे पूर्ण रूप से संतोष नहीं है जनता को। इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी योजना को

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

चालू करके इसे इस वर्ष में सम्पूर्ण किया जाना चाहिये।

अब मैं कुछ भूतल जल प्राप्ति की दृष्टि से इस जिले में सर्वेक्षण कराने के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। जालोर जिले का सर्वेक्षण भूतल जल की दृष्टि से हो गया है, परन्तु बाड़मेर, जैसलमेर और जिन जिलों में भूतल जल प्राप्ति की दृष्टि से सर्वेक्षण नहीं हुआ है, उनके कार्य को जल्दी से जल्दी हाथ में लिया जाना चाहिये। आप कोई योजना बनायें, ग्रामीण जल प्रदाय की, यदि पूरी तरह से पहले सर्वेक्षण नहीं होता है तो योजना बनाने में कठिनाई होती है और हमें भी यह पोजीशन मालूम पड़ जायगी कि जमीन के नीचे कितना जल कहां उपलब्ध हैं। यह मालूम पड़ जाय तो योजना बनाने में सहायता मिलेगी। जो ट्यूब वेल खड़े किये गए हैं भीमड़ा से नीमला में जो ट्यूब वेल खोदे गये हैं, उन ट्यूब वेल से कितना पानी कितने वर्षों के लिए उपलब्ध हो सकेगा, बाद में हम फिर किस प्रकार पानी की समस्या को हल कर सकेंगे। ऐसा नहीं हो कि यह ट्यूब वेल से जल प्राप्ति 20 वर्ष तक हो और बाद में ट्यूब वेल में पानी न रहे तो किस प्रकार से पानी की समस्या को हल करेंगे। यह प्रश्न भी है, इस पर सोचने की जरूरत है। इसलिये मैंने इर्रिगेशन की डिमाण्ड के वक्त भी इस पर विचार प्रकट किये थे और अब भी विचार प्रकट करता हूं कि राजस्थान नहर नाचना तक जाती है, नाचना से फलसूंड, फलसूंड से सिलवाड़ा से सीधी चल कर कच्छ की खाड़ी में जाती है। इस प्रकार की योजना बनाई गई थी। यह सिंचाई की योजना जल्दी से जल्दी बनाई जा सके तो पानी उपलब्ध हो सकता है। और कोई नहीं तो पानी उपलब्ध हो सकता है उससे चारे की पूर्ति कर सकते हैं। इस प्रकार की योजना बनाई जानी चाहिये। अगर हम ट्यूब वेल पर निर्भर रहे और कोई हम परमानेन्ट सोल्यूशन इस बारे में नहीं सोचें कि इस प्रकार सोल्यूशन हो सकता है, और बाद में जाकर कठिनाई उपस्थित हुई तो हम इसमें सक्सेसफुल नहीं कहलाये जा सकते है। इसलिए हमें बहुत ही गंभीरता से सोचना है, हमारे भविष्य को सोचना है और हमें योजना बनानी है। बाड़मेर नगर की जो योजना बनायें उसके लिये सोचना है। आप जितनी भी योजनायें बनायें वे कम से कम 30 साल तक जनता की मांग की पूर्ति करती हों नहीं तो फिर तीन साल के बाद योजना बनानी पड़े, इस प्रकार की योजनाओं से काम चलने वाला नहीं है। योजना चाहे गांवों की बनायें, चाहे नगरों की चाहे शहरों की लेकिन ऐसी बनायें जो 30 वर्ष तक काम दे सकें और 30 वर्ष तक उन क्षेत्रों में पानी की समस्या न रहे, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए।

सेल्स टैक्स के बारे में मैं कुछ विचार रखना चाहता हूं। बिक्री कर की बकाया के बारे में जो मुझे जानकारी मिली है जो मुझे एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में दी गई थी वह है:–

1966–67	50.18 लाख
1967–68	50.92
1968–69	12.56

(श्री वृद्धि चन्द्र जैन)

1969–70	10.50
1970–71	14 40
1971–72	117 79
1972–73	76.81
1973–74	102.40

आखिरी तीन वर्षों में बिक्री कर की बकाया अधिक बढ़ी है। तो आपको देखना चाहिए कि पहले के सालों में इतनी बकाया नहीं बढ़ी और अब बढ़ी यह उचित नहीं है। कुल बकाया 408.56 लाख है यद्यपि इसमें रीजनिंग दी गई है कि 126.08 लाख के स्थगन आदेश हैं, अगर स्थगन आदेश हैं तो जोर नहीं दिया जा सकता बाकी जो बकाया है उसकी वसूली के बारे में राज्य सरकार को पूरी तरह से कोशिश करके वसूली की जानी चाहिए।

दूसरी बात हमारी बिक्री कर पड़ोसी राज्यों के बराबर होनी चाहिए क्योंकि यदि बिक्री कर में अपने यहां और हिमाचल प्रदेश, अपने यहां और पंजाब या हरियाणा में अंतर होगा तो यहां का जो मार्केट है वह सफल नहीं हो सकता है। इसलिए पूरी तरह से एग्जामिन करके इसमें जो भिन्नता हो उसको कम से कम करें और पड़ोसी राज्यों के बराबर हमारी बिक्री कर को करें।

दूसरी बात, मैं सी. टी. ओ. की आफिस के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अगर वित्तीय कठिनाई के कारण बाड़मेर में सी. टी. ओ. का आफिस स्थापित नहीं कर सकते तो कम से कम वह जोधपुर में रखा जाए। हम अगर सी. टी. ओ. आफिस के लिए पाली जायं तो कठिनाई होती है इसलिए आपसे निवेदन है कि सी. टी. ओ. का आफिस बाड़मेर में कर दें वहां बिक्री कर की काफी वसूली होती है, मनोरंजन कर की वसूली होती है। अगर यह कर सकते हैं और आपकी वित्तीय स्थिति अलाऊ कर सकती है तो करें नहीं तो जोधपुर में यह हो ताकि जोधपुर में आसानी से पहुंच कर जो बिक्री कर के केसेज हों या दूसरे मामले हों, उनको हल कर सकें।

हलवाइयों के बारे में निवेदन है कि वे कोई छोटी छोटी चीज बेचते हैं, कोई 4 आने की चीज बेचे तो किस प्रकार से टैक्स लगाए और एक रुपए की बेचे तो एन्ट्रीज करके सबको रसीद देना मुश्किल है। जो छोटे छोटे हलवाई हैं उनके बारे में आपको सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार से कर वसूल करें। परंतु सिस्टम का सरलीकरण करें ताकि उनको कठिनाई न पड़े, इस बारे में भी राज्य सरकार को सोचना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन है कि बिक्री कर कानून में सरलीकरण करें और जन स्वास्थ्य के बारे में पानी की समस्या के हल के लिए आप पूरी कोशिश करें और सदन को विश्वास में लें कि हम कब तक इस समस्या का समाधान कर सकेंगे। अगर इसमें देरी की तो जनता ठहरने की नहीं है, जनता यह चाहती है कि दो मील से आगे उनको पानी लाने के लिए न जाना पड़े। जनता को 8–8, 10–10 मील जाना पड़े

(श्री वृद्धि चन्द्र जैन)

यह जनता सहन नहीं कर सकती। इसलिए जिन क्षेत्रों में ज्यादा संकट है जहां पानी खारा है और जिस पानी से ज्यादा बीमारी होती है उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दें, दूसरे क्षेत्रों को छोड़ दें तो भी कोई कठिनाई नहीं होगी परंतु जिन क्षेत्रों में समस्या भयंकर रूप में खड़ी है जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहां इसका हल करना चाहिए।

अब मैं पांचवी योजना के बारे में जो मैंने प्रश्न पूछा था उस बारे में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। पांचवीं योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रदाय योजना में रेगिस्तानी मरुस्थलों पर जो व्यय किया जाएगा उसके आंकड़े ये हैं:–

बाड़मेर के लिए 241.50 करोड़

चूरू के लिए जहां की आबादी कम है 320.40 करोड़

श्री केशरीमल : ये आंकड़े गलत हैं। ये लाख हैं करोड़ नहीं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे करैक्ट कर दिया। तो बाड़मेर के लिए 241.50 लाख, चूरू 320.40 लाख, जोधपुर 251.70 लाख और नागौर में 441.10 लाख। तो मेरा कहना है कि इन जिलों में खर्चा करने के लिए प्रावधान पांचवीं योजना में करें, उन क्षेत्रों में पानी उपलब्ध नहीं होता, ढाणियों की ढाणियां बसी हुई हैं, 8-8 मील तक लोगों को पानी के लाने के लिए जाना पड़ता है, उसको आप प्राथमिकता दें। यदि पानी उपलब्ध है और खारा है तो उनको प्राथमिकता दें और जो प्रावधान करें, उसके अन्दर जिन जिलों में स्थिति खराब है, उनको प्राथमिकता दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार और वित्त मंत्रीजी इस पर विशेष विचार करें और मैंने जो प्रश्न रखे उनको हल करने का प्रयास करें।

श्री सभापति : श्री केशरीमल।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय आज सदन में बिक्री आदि और लोक स्वास्थ्य जल पूर्ति आदि की मांगों के बारे में चर्चा चल रही है। मैंने इसमें दो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। पहले मैं बिक्री कर के बारे में जो कि वाणिज्यिक कर विभाग से संबंध रखता है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय कर विभाग के अन्दर पहले अपने यहां पर 6 तरह के कर लिये जाते थे। जिसमें कृषि कर, यात्री कर, वाणिज्यिक कर, मनोरंजन कर, शराब पर कर आदि थे। इन 6 करों में से कृषि कर को तो सन् 60 में ही राजस्थान में उठा दिया गया था। यह क्यों उठाया क्या बात थी यह तो राज्य सरकार को ही जानकारी है। माननीय सभापति महोदय इन 6 तरह के करों में जो भी आज वसूली हो रही है वह वास्तव में पूरी तरह से नहीं हो रही है। जो कर से हमारी राज्य सरकार को वसूली की रकम होनी चाहिये वह नहीं आ रही है। उसमें काफी अन्तर है। अगर उसे ठीक तरह से वसूली की जाय तो हमारी सरकार

Page No 84

(84)

(श्री केशरी मल)

की काफी आय बढ़ सकती है। सभापति महोदय इन 6 करों से जो भी इनकम हमारे राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभाग ने बतायी उसके अनुसार सन् 1964–65 में 1412 लाख रुपये की आमद राज्य सरकार को हुई थी और वह आमद सन् 72–73 में 4630 लाख की हो गयी। तीन गुनी बढ़ गयी। आंकड़ों को देखने से तो यह पता लगेगा सभापति महोदय कि आंकड़े तीन गुना ज्यादा हैं लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आंकड़े बिलकुल ही धोखा है क्योंकि आज जो सन् 64 में 100 इन्डेक्स था वह बढ़ कर सन् 1972–73 में 300 हो गया तो तिगुना तो वह यो ही हो गया तो यह टैक्स जो तीन गुना ज्यादा बढ़ने की बात करते है वह गलत है तीन गुने तो आज भाव भी बढ़ गये। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार को वास्तव में आमद तीन गुनी नहीं हुई। सभापति महोदय अगर वास्तविक जो वसूल करना चाहिये था उतना अगर टैक्स वसूल किया जाता तो राज्य सरकार को आमद निश्चित बढ़ सकती है। ऐसी मेरी मान्यता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सभापति महोदय, यह बीच में जो आता है उसे आप हटा दें। इसके आने से आपका चेहरा नहीं दिखायी देता है।

श्री रामकिशन : चेहरा देखे बगैर आपका रूआब नहीं पड़ सकता है हम पर।

श्री केशरीमल : इसी तरह एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वसूलियां पूरी नहीं की जाने से लोगों में वसूलियों के लाखों रुपये बाकी रहते हैं जिससे व्यापारी लोग उससे अपना धन्धा सरकारी रकम पर करते हैं। इसके अलावा टैक्स देने का सवाल है यह व्यापारी लोग बिल काटते नहीं हैं और कुछ बिल काट लिये बाकी बिना बहियों में जमा खर्च किये ही बिक्री कर देते हैं उन्होंने तो तय कर लिया है कि इतना बिक्री कर देना उतना ही देते हैं बाकी तो जो बिक्री विभाग में नौकर लोग हैं वे और व्यापारी लोग मिल कर पैसा खाते हैं। इसके अन्दर तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि या तो बिक्री कर विभाग की ढिलाई अधिक है या यह स्पष्ट है कि बिक्री विभाग को इन व्यापारियों से मिली भगत है और यही कारण है कि आज इन व्यापारियों में राज्य सरकार की करोड़ों रुपये की वर्षों से बकाया चली आ रही है। इस तरह यह होता है कि यह व्यापारी वर्ग के लोग एक साल अगर दस लाख रुपये नहीं जमा कराता है तो दूसरे साल भी वह पहले साल की बकाया और दूसरे साल की बकाया मिल कर 20 लाख हो सकती है इस प्रकार तीसरे साल 50 लाख और यों करते-करते वह कुछ वर्षों में चार-पांच करोड़ तक पहुंच जाती है। आज यो तो हमारी सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है दूसरी तरफ पैसे की कमी का कारण पैसे की वसूलियां नहीं होना है। मैं तो साफ-साफ शब्दों में यही कहूंगा कि अगर आप बकाया वसूलियां नहीं कर सकते हैं तो आपकी इसमें व्यापारियों से मिली भगत के सिवाय कुछ नहीं है। व्यापारी खुले आम बिक्री कर कम देकर सरकार के पैसे से अपना बिना ब्याज दिये ही व्यापार कर

(श्री केशरी मल)

रहे हैं। इसके अलावा यह जो कृषि कर हमारी राज्य सरकार ने सन् 1960 में समाप्त किया उसका क्या कारण था वह कृषि कर तो बड़े-बड़े जमींदारों पर लगता था उसे आपको नहीं उठाना चाहिये था। मेरी तो यह राय है कि जो बड़े-बड़े काश्तकार हैं जमींदार हैं उनसे कृषि कर लिया जाना चाहिये इसके लिये आप एक बहुत ही आश्चर्य की बात देखेंगे कि जो कृषिकर 60 में समाप्त हो गया उस समय की बकाया अभी तक वसूल नहीं हो पायी है यह भी उसी तरह की बात है सभापति महोदय कि आज जिस बात को 14 साल हो गये हैं और आपका विभाग उनसे, वसूली, बकाया की, नहीं की जा सकी है जैसे व्यापारियों से मिली भगत है उसी तरह इनसे भी मिली भगत है। इसके अलावा आज सभापति महोदय शराब के ऊपर कर की बात चल रही है शराब की बिक्री बन्द होना चाहिये। मैं तो समझता हूं कि अब शराब का धन्धा तो घर-घर का धन्धा हो गया है। शराब बन्द नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप बन्द भी कर दें तो लोग अपने घरों में बैठकर, गर्मियों में बैठकर शराब बनाते हैं। तो यह सभापति महोदय बन्द होने वाली बात नहीं है। सरकार खुद अच्छी तरह से समझती है सभापति महोदय आज गांवों के अन्दर और शहरों में आपको गली-गली में नाजायज शराब बनती है आप चाहें तो देख सकते हैं। आप देखकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं क्योंकि इसमें पुलिस वालों के, और सेन्ट्रल एक्साइज वालों के व एक्साईज डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के मन्थली पैसे बन्धे हुए हैं। उनकी उनसे मिली भगत है। हमने तो सन् 33-34 में शराब बन्दी के लिये डन्डे खाये थे अब कुछ कांग्रेसी भाई शराब बन्दी का नारा देते हैं जबकि यह आज घर-घर का धन्धा हो गया है। इसलिये अगर राज्य सरकार इस पर टैक्स लेनी है तो कोई गलती नहीं कर रही है। लेकिन सभापति महोदय आज एक ठेकेदार जो शराब की दुकान करता है वह जितना ठेके की रकम भरता है और जितनी बोतलें राज्य सरकार से लेता है उसकी एवरेज इतनी नहीं आती है इससे तो उसे नुकसान ही होता है लेकिन असलियत यह है कि वह ठेकेदार नाजायज शराब अपने घर पर ही बनाता है और उसको सस्ते दामों में माल तैयार करके या गांवों से खरीद कर बाजार में बेचते रहते हैं। वह सौ बोतलें या दो सौ बोतलें खरीदेगा और बाकी नाजायज तौर से हजारों बोतलें बेचेगा। आज नाजायज शराब के पीपे के पीपे और ड्रम्स के ड्रम्स गांवों से गाड़ियों से भरकर आते हैं लेकिन वह पकड़े नहीं जाते हैं कारण इसका यह है कि सभी एक्साईज डिपार्टमेन्ट के अधिकारियों की मिली भगत है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इन सभी चीजों को जो कि इल-लीगल है उन्हें रोका जाना चाहिये और जो वसूलियां बाकी हैं वह भी वसूल की जानी चाहिये। इसके साथ-साथ मैं कुछ यात्री कर के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय आज यात्री कर जो राजस्थान स्टेट रोडवेज की नेशनलाईज रूट्स से पैसा मिलता है वह उतना ही है जितना कि बिना नेशलाईज्ड रूट्स की बसों पर जो बसें चलती हैं। सभापति महोदय आज राजस्थान में 8 परसेन्ट रूट्स नेशनलाईज किए हुए और बाकी 92 प्रतिशत रूट्स

(श्री केशरी मल)

ऐसे हैं जो कि नेशनलाईज्ड नहीं हैं। सभापति महोदय आज 92 प्रतिशत गाड़ियों से कितना यात्री कर आना चाहिये आखिर इसकी कोई परसेन्टेज तो होनी चाहिए। इसकी जांच की जानी चाहिये कि क्या कारण है कि परसेन्ट जो नेशनलाइज्ड रूट है वहां पर चलने वाली बसों से क्यों यात्री कर कम मिल रहा है। इसके अलावा आज जो प्राइवेट बसेज ओपरेटर हैं वे लोग जहां उनके पास 50 सवारी का परमिट होता है उसके लिये वह अपनी बस में 100 सवारी बैठाते हैं। जब उन्हें कहते हैं तो वह कहते हैं कि कि मेरे पास 50 सवारी का परमिट है और जो अन्दर सवारी बैठती है वह तो बैठेगी। ऊपर जो 50 सवारी बैठती है वह अलग। इसके अलावा वे लोग एक दो या पांच सात टिकट काटते हैं बाकी लोगों के टिकट भी नहीं काटते हैं यही कारण कि आज यात्री कर आपको प्राइवेट आपरेटर्स से कम मिल रहा हैं। सभापति महोदय आज इन लोगों को जो कर विभाग में काम करते हैं उनका और प्राइवेट आपरेटर्स की सांठगांठ से यह हो रहा है। इनका तो जाल बिछा हुआ है। और उन दोनों की मिली भगत से राज्य सरकार को पैसा टैक्स का नहीं मिलता है लेकिन वह लोग कमा रहे हैं। इसलिये जरूरी है कि सरकारी गाड़ियां चलायी जानी चाहिये और सब रूट्स का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये। जिसमे दोनों तरफ से सरकार को आमद हो।

मनोरंजन कर के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। मेरे समझ में नहीं आता मनोरंजन कर से बड़ी आमद हो रही है। किन्तु इसमें एक भेद-भाव भी तो बरता जा रहा है। उससे पता लगता है कि किस प्रकार सरकार कर रही है। बंगला देश के युद्ध के समय टैक्स लगाया गया था। 2) रुपये के नीचे टैक्स लगाया है। 2) रु. से ऊपर पर टैक्स नहीं लगाना चाहते क्योंकि वह गरीब आदमी हैं। इससे नीचे वालों पर लगाना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि 1) 1।।) में सिनेमा देखते हैं उनको टैक्स देना होगा और बाकी को नहीं। यह तरीका न्यायोचित नहीं है। भेदभाव के तरीके को समाप्त करना होगा 2) रुपये से अधिक लोग सिनेमा के लिये पे कर सकते हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिये, जिनमें क्षमता है अधिक खर्च करने की उन पर तो अधिक टैक्स लगाना चाहिये। आपकी इस किताब में दिया हुआ है कि 72–73 में 2) रुपये के टिकट पर दस पैसे मनोरंजन कर का लगाया है। किताब को पढ़ने से ऐसा लगता है। ये जितने सिनेमाज हैं इनसे अच्छी आमद हो सकती है। इन सबका राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। एक दफा पूंजी लगने के बाद इनमें दूसरी बार पूंजी नहीं लगती है। पूंजी लगाने का तरीका भी सरकारी है। पूंजी लगाने वाला सरकार से लेता है। सरिये सीमेन्ट आदि उसको हजारों सैंकड़ों की तादाद में मिलते हैं। जबकि गरीब आदमी को जरूरत के लिये भी नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं इसका राष्ट्रीयकरण किया जाय इससे आमद भी बढ़ सकती है।

विद्युत के ऊपर शुल्क लगता है। आजकल यह आम रिवाज हो गया है कि गांवों में इन्जीनियर लोग और उपभोक्ता लोग मिलकर बड़ी बड़ी मोटरें चलाते है

(श्री केशरी मल)

और उनको डाइरेक्ट चलाने का तरीका बना लिया है। उनको पैसा जरूर मिल जाता है जितनी यूनिट चलायी न तो उनका सरकार को पैसा मिलता है और न ही टैक्स के रूप में सरकार को मिलता है। इस तरह की चोरियां सब विभागों में हो रही है। इससे सरकार को बड़ा नुकसान हो रहा है।

ये कुछ सुझाव मैंने दिये हैं, बस रूट्स का राष्ट्रीयकरण, सिनेमाओं का राष्ट्रीयकरण, शराब के धन्धे जो खुले आम प्राइवेट चल रहे हैं उनको सख्ती से बन्द करने की बात मैंने रखी।

जन-स्वास्थ्य के सम्बन्ध में मेरा निवेदन करना है माननीय सभापति महोदय। यह विभाग हमारे जन जीवन से पूरा ताल्लुक रखता है। इस विभाग का कार्य गांव और शहर के लोगों को पेयजल की व्यवस्था करना है और इस विभाग का निर्माण 1965 में हुआ था। पहले यह विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग में सम्मिलित था। जब से यह विभाग गठित हुआ है इसमें बड़ी तरक्की हुई है। 65 में यह विभाग था ही नहीं। इस विभाग में हजारों की तादाद में अफसर कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि इकट्ठे हुए हैं। देखने में यह आ रहा है कि जिस तरह से इस विभाग का काम होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। बहुत लोग आलोचना करते हैं कि ये सफेद पोश लोग मेहनत करने के काम का जब अन्जाम निकलने का मौका आवेगा तो उसमें वे कोताई करेंगे। पीने के पानी की समस्या के साथ साथ पानी की बीमारी की भी यहां बड़ी समस्या है। या तो पानी खारी है जिससे पेट में दर्द वगैरा होता है या ऐसा पानी है कि जिसको पीने से शरीर के अंग हड्डियां मुरझा जाती है। जिन इलाकों में लोगों को पीने का पानी मिलने का सोर्स नहीं है उन इलाकों में पूरी तरह से छानबीन होनी चाहिये। इस सारे विभाग को शोध के लिये लगाना चाहिये कि किस प्रकार से सारे एरिया में पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सम्बन्ध में जितनी कोशिश की जानी चाहिये थी उसमें नाकामयाब रहे हैं।

विभाग के जरिये से यह देखने को मिला है कि बगैर सोचे समझे पैसा खर्च किया जा रहा है। एक कमेटी के सिलसिले में कुछ दिन पहले दौरे पर गया था। मैंने देखा पाइप डले हुए थे, ओवर हैड टैंक्स बने हुए थे। लेकिन वहां पर कहीं पानी का पता ही नहीं। उनको मिल जायगा या नहीं यह भी निश्चित नहीं। ऐसी योजनायें बनाना और हमारी जनता के पैसे को जो टैक्स हम देते हैं उसको, बेकार खर्च करना बड़ा गुनाह है।

एक माननीय सदस्य : कोरम नहीं है।

(गण पूरक सूचक घन्टी)

(गण पूर्ति के पश्चात्)

श्री केदार नाथ (कोरम पूरा होने पर) : सभापतिजी, कांग्रेस वालों का भत्ता काट लेना चाहिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : विरोधियों की पूरी सीटें खाली पडी हैं।

श्री केशरीमल : मैं अर्ज कर रहा था कि पीने के पानी की इस प्रकार से छानबीन

(श्री केशरीमल)
होनी चाहिए। योजनायें जो बने वह सफल हों यह भी जरूरी है।

बहुत सी योजनायें बनती हैं उनमें क्षेत्रीय भावनाएं आ जाती हैं। कुछ इलाकों में अच्छे काम हो जावेंगे और बाकी को नजरअन्दाज कर दिया जावेगा। कहीं अधिक काम बढे हुए हैं और कहीं आवश्यक काम भी पूरे नहीं होते हैं। क्षेत्रीय भावना जो है यह दुखदायी है। पेय जल की व्यवस्था करना यह सबके लिए समान रूप से आवश्यक है और यदि वहां पर क्षेत्रीय भावना सोच लेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा।

योजनायें बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाय कि उनको किस प्रकार से पानी पहुंचाया जा सकता है जिनको आवश्यकता है। बीकानेर के 8 जिले तो ऐसे हैं कि यदि पानी की व्यवस्था न हो तो प्यास के मारे ही मर जायें ऐसी स्थिति है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मरुस्थल के 8 इलाकों को पानी की व्यवस्था कर दी जाय यह निरसंदेह बहुत बड़ा काम है। मैंने देखा है कि कितनी कितनी दूर से पानी लाते हैं। कुए में पानी देखना है तो धूप की परछाई देख कर देखा जा सकता है। ऐसी जगह पर पानी की व्यवस्था न करें तो कहां करेंगे? चाहे 20 मील, दस मील दूर हो चाहे जितना पैसा वहां पर खर्च हो, लेकिन उनको पानी दिया जाना चाहिए और उसके लिए व्यवस्था करना जरूरी है। बीकानेर के आस पास यदि नहर जा रही है तो वहां से लिफ्ट से, पाइप के जरिये से पानी लाया जा सकता है। आस-पास के इलाके ऐसे हैं कि जहां पानी नहीं मिलता है, तो खारी है, पीने से बीमार हो जाते हैं, गरमी में जानवर पानी पीते हैं तो वैसे मर जाते हैं और नही पीते हैं तो प्यासे मर जाते हैं। ऐसा प्रयत्न करें कि वहां मीठा पानी पीने के लिए मिल सके।

श्री लूणाराम : बीकानेर के साथ चुरू को भी मत भूलो।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बीकानेर डिवि-जन में चुरू जिला भी आ जाता है।

श्री केसरीमल : आज भारत सरकार की सहायता भी इस दिशा में बन्द हो गई है। इसके बावजूद भी अगर कुछ इलाके ऐसे अब भी रह गये हैं जहां पीने का पानी पहुंचाना जरूरी है तो उसके लिए भारत सरकार को पुनः सहायता जारी करने के लिए कहा जा सकता है, और अपने साधनों का उपयोग भी किया जाय यह व्यवस्था भी की जा सकती है। प्रश्न पीने का पानी का जहां भी हल करने से रह गया हो उसको कहीं से भी मदद लेकर या सरकार स्वयं अपने साधनों से पूरा करने का अवश्य प्रयत्न करें, यह उसका पहला फर्ज है।

सभापति महोदय, पानी की जितनी भी योजनायें होती हैं चाहे शहरों के लिए हों या गांवों के लिए हरिजन बस्तियों में पानी पहुंचाने की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। उनको आज क्या गांवों में और क्या शहरों में सब जगह कठिनाई है। गांव में तो जहां एक आध कुआ होता है वहां स्वर्ण उनको उस कुए पर से पानी नहीं लेने

(श्री केशरी मल)

देते। कोई सींच कर उनको दे तभी उनको पानी मिल सकता है। वहां आज भी छूआछूत का वही पुराना फैलाव है। इनमें कुछ भी बदलाव गांवों में नहीं आया है। तो उन गांवों में या तो वहां से वे लोग ले सकें ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए या कुआ उनके लिए और बनवाया जाना चाहिए। शहरों में उनके मोहल्लों में पाइप लाइन डलवानी चाहिए।

शहरों में सम्पन्न लोग रहते हैं कई उनके यहां नल पहले पहुंच जावेगा। एक एक गली में एक एक के बजाय दो दो पहुंच जावेंगे। पर हरिजन जिन मोहल्लों में रहते हैं वहां एक भी पाइप नहीं पहुंचाया जाता। यहां तक होता है कि जहां तक सवर्ण लोग रहते हैं वहां तक पाइप पहुंच जाता है मगर उससे लगता हुआ ही मोहल्ला हरिजन भाइयों का है तो वहां से पाइप आगे नहीं सरकता। यह स्थिति बड़ी दर्दनाक है। इसे बदला जाना चाहिए। सरकार की नीति का पालन ठीक नहीं होता। सरकार को इस दिशा में कड़ाई से काम लेना चाहिए। इसके लिए सरकार पैसा देती भी है तो उसका उपयोग नहीं होता। जब तक पैसा ले जाने वाले की इच्छा न हो कि जिस काम के लिए पैसा लिया जा रहा है वह उसी में लगे। तो स्थानीय लोगों की स्थानीय संस्थाओं में नीतियां ठीक नहीं हैं। उनको बदलना होगा। परिगणित जाति के लोगों को पीने का पानी व्यवस्थित रूप से हमें देना ही होगा।

श्री सभापति : आपका समय हो गया है। समाप्त करें।

श्री केसरीमल : मेरी पार्टी का एक घण्टा का समय है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आधा घण्टा है।

श्री केसरीमल : नहीं नहीं, एक घण्टा है।

श्री दीपंकर : एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह लाइन नीचे करवा दी है। बोलने वालों की काफी लम्बी चौड़ी लिस्ट है।

श्री सभापति : मेरे पास बोलने वालों की सूची ठीक तरह से है।

एक माननीय सदस्य : आज गणगौर का त्योहार अलग है।

श्री दीपंकर : केशरीमल जी तो चले जावेंगे बोलकर। इसलिये इनको सबसे अन्त में अब समय दिया जाना चाहिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : बूढ़े लोग गणगौर देखकर भी क्या करेंगे। फिर यह तो सामन्ती त्योहार है।

श्री जयकिशन : गीत भी है गणगौर का कि निकल गई गणगौर मोल्यो मोड़ो आयो रे।

एक माननीय सदस्य : कईयों की तो निकली हुई है।

श्री केशरीमल : पुराने समय में सामन्ती युग में भी राजा महाराजाओं की समझ में यह बात आई हुई थी और इसके

(श्री केशरीमल)

लिये भी उन्होंने उस समय कई स्थानों पर कुए, तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवाया था। उन पर ध्यान दिया जाय और उनमें मिट्टी आदि जो भर गये हैं उनको निकाल कर साफ करवाया जावे, उनकी मरम्मत कराई जावे। उनसे भी पीने का पानी मिल सकता है और जानवरों व सिंचाई के लिये भी थोड़ा सहारा मिल सकता है।

राजस्थान में अजमेर जिला ऐसा है जो समुद्र तल से ऊपर है। इसमें केकड़ी को छोड़कर बाकी का हिस्सा पथरीला है और इस कारण इस हिस्से में बराबर पेय जल की समस्या बनी हुई है। अजमेर के लिये कई प्रयास किये गये। ब्यावर के लिये भी किये गये। जालिया योजना, मकरेड़ा योजना, भांवता, बड़ा पुष्कर आदि के बाद राजसमन्द की योजना आई। नसीराबाद में भी कमी है पानी की। किशनगढ़ में भी कमी है। इस कारण किशनगढ़ में तो कोई कारखान नही लग पाये हैं। यही हालत ब्यावर की है। नये उद्योग लगाने वाले की हिम्मत नहीं पड़ती। अधिकांश उद्योगों में पानी की आवश्यकता बहुत रहती है। ब्यावर का तो इसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ब्यावर के आसपास लाइम स्टोन के पहाड़ के पहाड़ खड़े हैं। करोड़ों टन पत्थर, अच्छी लाइम स्टोन का वहां आसपास मे है जहां एक दो नहीं कई सीमेन्ट के कारखाने एक साथ लग सकते हैं। अकेला यही एक मात्र एक ऐसा स्थान है जहां एक साथ कई बड़े बड़े सीमेन्ट के कारखानों को रा मेटीरियल फीड कर सकता है। पर पानी के अभाव के कारण एक भी कारखाना लगने की वहां स्थिति नहीं है। आज वहां पानी लाया जाय यह बहुत बड़ी आवश्यकता है और राजसमन्द से लाया जाय चाहे उसे ऊंचा करके लाना पड़े। आज विज्ञान का युग है।

आज अजमेर में पानी की परेशानी है। ऊंचे स्थानों पर पानी आज भी नहीं पहुंचता। गर्मी के आने वाले दिनों में समस्या और भी गम्भीर बन जावेगी। सरकार को इस ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिये।

मेरा ख्याल है पंचवर्षीय योजना में इस के लिये तीन करोड़ का प्रावधान किया गया है राजसमन्द से पानी के लिये। वहां सदन में और बाहर भी जब कभी मुख्य मन्त्री जी या दूसरे सम्बन्धित मन्त्री जी मिले तो ब्यावर की पानी की समस्या के लिये निवेदन किया है मैंने बराबर। अगर ऐसा प्रावधान हो तो मन्त्री महोदय निवेदन करें जयपुर के लिये जरूर तीन करोड़ का प्रावधान रखा है और अगर उससे हमारा फायदा होता है तो बात दूसरी है। लगता है हमारी तरफ उनका ध्यान नहीं गया है। माननीय सभापति महोदय मैं आपके जरिये से उनसे निवेदन करना चाहता हूं ब्यावर, अजमेर के लिये क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते है? हम लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहते है या नहीं। माननीय सभापति महोदय जब हमने आसिंद से पानी की बात की तो कहने लगे गोलियां चलेगी तब ही ब्यावर, अजमेर को पानी मिल सकेगा जब हमने राजसमन्द से पानी लेने की बात की तो जवाब मिला डन्डे चलेंगे, पत्थर

(श्री केशरीमल)

चलेंगे तब पानी मिल सकेगा। दूसरी जगह से भी पानी लेने की बात की तो कहा नहीं मिलेगा। सरकार को खुद को व्यवस्था करनी है। या तो प्यासे मरें या लड़ करके मरे और प्यासे मरने के बजाय लड़ करके क्या नहीं मरे। सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी लेकिन मैं जरूरत महसूस नहीं करता कि ऐसी स्थिति आये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने विश्वास दिलाया कि ब्यावर के लिये अवश्य जल की योजना होगी लेकिन अब तक सब योजना ना मंजूर हुई है। अब जो राजसमन्द की योजना है। उसके लिये माननीय मंत्री जी बतायेंगे। योजना नहीं बनने से ब्यावर के पानी के लिये हर दूसरे तीसरे साल 20-25 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है हमारे यहां अकाल पड़ता है। और हर दूसरे या तीसरे वर्ष 25-30 लाख खर्च कर दें और पानी की व्यवस्था न करें यह कौनसा आपका तरीका है। क्यों पैसा खर्च किया जा रहा है। मैं सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा इस तरह व्यर्थ का पैसा खर्च न करें, इसके लिये जरूरी है, एक दफा पैसा खर्च हो और पानी का स्थायी प्रबन्ध हो। हमारे यहां बांधों को अधूरा छोड़ दिया है नहीं तो थोड़ी बहुत उनसे ही सहायता मिलती। सरकार की योजना का पता नहीं चलता है, कितनी ही योजनायें बनाते हैं लेकिन अधूरी रह जाती है। क्या सोचकर योजना बनाते हैं, यह समझ में नहीं आता है। क्या पहले योजना बनाने वालों ने गलत योजना बनाई और अगर गलत बनाई तो उन पर सख्त कार्यवाही की जाय और अगर योजना सही बनाई है तो फिर कौनसी अड़चन आपके सामने आ जाती है...

श्री रघुनाथ विश्नोई : शायद दो मिनिट तो समाप्त हो गये हैं।

श्री सभापति : थोड़ा थोड़ा बोलिये, आज जल्दी समाप्त करना है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके 35 मिनट हो चुके हैं।

श्री केसरीमल : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कभी भी पानी की पूरी सहूलियत नहीं मिलती लेकिन पता नहीं किन कारणों से ध्यान नहीं दिया जाता है। अन्त में मेरा यह कहना है सभापति महोदय इस विभाग में जो कर्मचारी काम करते हैं, उनका जिक्र करूंगा। मुझे खुशी है, बहुत लोगों को काम पर लगाया लेकिन इस विभाग के कर्मचारियों के साथ जो ज्यादती होती है। मैंने देखा है इस विभाग में जो पम्प चलाने वाला, काम करने वाला है वह एक एक आदमी 24-24 घण्टे ड्यूटी देता है। वही आदमी पहरा देता है, वही आदमी ड्यूटी देता है और वही आदमी सब कुछ काम करता है और उस आदमी को वर्षों वर्क चार्ज पर चलाते हैं। दूसरे लोग जो शहर में हैं किसी तरह आन्दोलन करके अपना हक ले लेते हैं लेकिन गांवों के लोगों को देखा है जो इस विभाग में काम करने वाले हैं उनको वह सहूलियत नहीं मिलती है, वह उनको भी मिलनी चाहिये, उनके साथ भी न्याय होना चाहिये। अन्त में हजारों कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों को वर्क चार्ज को रूप में चलाया जा

(श्री केशरीमल)

रहा है और लगातार वही काम कर रहे हैं लेकिन उसके अधिकार, उनके अधिकारों से भिन्न हैं। उन कर्मचारियों को भी स्थायी रूप से लिया जाय और मेरा यह भी निवेदन है इस विभाग के कार्य के स्थान हैं, उन पर बोनस आदि का कानून लागू है लेकिन उस कानून के मार्फत उन वर्क शाप पर काम करने वाले हैं को जो सहूलियत मिलनी चाहिये, वह नहीं मिलती है। मैं जिक्र करूंगा इन कानूनो के मातहत बोनस मिलना चाहिये लेकिन आज तक बोनस नहीं दिया जा रहा है •

श्री दीपंकर : आप क्यों लेकलोफ कर रहे हैं····

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मजदूरों की बात का समर्थन करूंगा लेकिन सभापति महोदय अब इनको बिठा दीजिये···

श्री सभापति : श्री नाथूराम (अनुपस्थित)

श्री करणसिंह (अनुपस्थित)

श्री सांवरमल मोर (अनुपस्थित)

श्री किशन मोटवानी (अनुपस्थित)

श्री जयकिशन।

श्री जय किशन लाल (फागी) : आदरणीय सभापति जी जल्दी ही समाप्त करूंगा लेकिन पांच मिनिट अधिक बोलूंगा इसलिये कि आज गणगोर है। सभापति महोदय, आज सदन में दो प्रकार की मांग प्रस्तुत की जा रही है। प्रथम मांग बिक्री कर सम्बन्धी···

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरा नाम बीच में था, छूट कैसे गया ?

श्री जयकिशन लाल : मेरे पास से ले लीजिये मुझे गणगोर की आवश्यता है···

श्री केसरी मल : यदि गणगोर की आवश्यकता है तो मिनिस्टर महोदय से डिमान्ड रखो···

श्री जय किशन लाल : आप भटकते फिरोगे यदि गणगोर की आवश्यकता नहीं हुई तो। सभापति महोदय प्रथम बिक्री कर सम्बन्धी जो कर लगाया जाता है और दूसरा है लोक स्वास्थ्य या जल प्रदाय योजना। इन दोनों मांगों के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे राजस्थान के अन्दर ही नहीं बल्कि समस्त हिन्दुस्तान के अन्दर यह टैक्स की समस्या बड़ी भयंकर समस्या है और इस समस्या के अन्दर विभिन्न प्रकार की योजना हम सफल कर सकते हैं यदि पूर्ण रूप से टैक्स उगा लिया जाय तो, क्योंकि टैक्स की वसूली ठीक ढंग से नहीं होती इसलिये मेरा निवेदन है सभापति महोदय हमारी सरकार से और माननीय मंत्री जी से कि टैक्स की सही रूप से वसूली की जाय और उस वसूल किये हुये धन को एक विशेष प्रकार की योजना बनाकर यदि उस वसूल किये हुये टैक्स को योजना में खर्च किया जाय तो वास्तव में जिन योजनाओं को हम बना कर छोड़ देते हैं केवल धन सम्बन्धी स्थिति के कारण। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि यदि सही रूप से टैक्स की वसूली करके इन योजनाओं में लगा दी जाय तो हमारी समस्त योजनाएं फलीभूत हो सकती है।

इसलिये मेरा निवेदन है कि कौन व्यापारी किस प्रकार के टैक्स की चोरी कर

(श्री जयकिशन लाल)

रहा है। उसकी सारी स्थिति को सम्भाल कर यदि टैक्स की वसूली करके साधारण जनता की भलाई के लिये, साधारण किसानों के लिये योजना बनाई जाय और उस धन को खर्च किया जाय तो वास्तव में गरीब जनता को पूर्ण रूप से सुधार सकते हैं। मेरा निवेदन है जिस प्रकार हमारे बजट में टैक्स नहीं लगाया गया, मैंने उस समय भी निवेदन किया था और आज भी कर देना चाहता हूं शराब पर टैक्स लगा दिया जाय। जो विभिन्न प्रकार की कीमती शराब बेची जाती है, उसका जो टैक्स वसूल किया जाय, उस टैक्स की धनराशि गरीब जनता में लगा दी जाय तो जो शोषण किया जाता है, वह रुक जायेगा। आज गरीबों के पास रहने को मकान नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं इस पैसे से उनकी व्यवस्था की जा सकती है। क्योंकि आज के दिन गरीब व्यक्ति शराब छोड़ता जा रहा है और अमीर शराब को ज्यादा ग्रहण करता जा रहा है। वह इंग्लिश शराब, व्हिस्की जो विभिन्न प्रकार की है उस पर टैक्स लगा दिया जाय तो यह टैक्स उन मालदार व्यक्तियों पर लगेगा और उनसे वसूल किया गया टैक्स गरीबों के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण हो सकता है। मेरा निवेदन यह है कि अभी दो तीन रोज पहले अखबार में था कि विभिन्न स्थानों पर जहां गरीब बस्तियां हैं जैसे रेगरों की बस्ती है, खटीकों की बस्ती है या हरिजनों की बस्ती है वहां के लोगों ने विभिन्न प्रकार के आंदोलन चला रखे हैं लेकिन अभी दो तीन रोज पहले अखबारों में पढ़ा होगा और आपको मालूम होगा कि सरकार गरीब जनता की बीमारियों को मिटाने की कोशिश कर रही है लेकिन साथ ही साथ वहां पर लगाये हुए शराब के ठेकों को फिर से नीलाम किया जा रहा है और वहां फिर से ठेके खुल भी गये हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के टैक्स लगाये जायें तो सारी जनता जो साधारण तबके की है उसका भला हो सकता है। मेरा निवेदन यह भी है माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से हमारी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में करीब 50 हजार की संख्या में हलवाई छोटी छोटी दुकानों पर बैठकर अपना जीवनयापन करते हैं। उनके ऊपर सेल्स टैक्स लगा रखा है। मेरा सुझाव है कि गरीब हलवाइयों के ऊपर सेल्स टैक्स को लगायें वह वार्षिक टैक्स लगा दिया जाये और वह एक मुश्त के अन्दर उनसे वसूल कर ली जाये तो साधारण बिना पढ़े लिखे हलवाई हैं उनके सामने दिक्कत नहीं आ सकती है क्योंकि वह अशिक्षित होने के कारण उनके यहां कर्मचारी जाते हैं, उनको धमकी देते हैं और पैसा एंठते हैं और यह गरीब बिना पढ़ा लिखा साधारण हलवाई बहुत परेशान है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हलवाइयों के सामने जो विपत्ति है उसको सरकार दूर करे और उनसे वार्षिक एक मुश्त टैक्स ले ले जिससे साधारण तबके का हलवाई परेशान नहीं होगा। ऐसे साधारण और छोटे हलवाइयों की संख्या आज राजस्थान के अन्दर 50 हजार के करीब है और उनके साथ जो मजदूर लगे हुए हैं उनकी भी संख्या 1½ लाख के करीब होगी। "

(2-13 म. प.)

(श्री केदारनाथ, सभापति, पदासीन)

(श्री जयकिशन लाल)

तो 80 हजार के करीब तो हलवाई और 1।। लाख के करीब उनके साथ काम करने वाले मजदूर तो इनके पीछे' कम से कम आठ, दस लाख आदमियों का भला होता है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार की व्यवस्था यदि सरकार बना दे तो हलवाइयों का तो भला होगा ही लेकिन साथ ही साथ गरीब लोगों का जो कि उनके साथ में व्यवसाय में लगे हुए हैं उनका भी भला हो सकता है। इसलिए इस प्रकार का मेरा निवेदन है और मेरा सुझाव है–इसको मानकर पूर्ण रूप से उसका सरलीकरण किया जावे तो गरीब तबके के लोग आसानी से बच सकते हैं।

दूसरा निवेदन यह है कि टैक्स कहां लगने चाहिए यह भी सरकार को देखना चाहिए। जो बड़े बड़े होटल चलाते हैं और जो उनके मालिक हैं उनके ऊपर टैक्स लगाने से टैक्स की वसूली उनसे होगी जो कि उन होटलों के अन्दर लखपति और करोड़पति जाकर निवास करते हैं या भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए उनके ऊपर टैक्स लगाने से और यदि मालदार व्यक्तियों से वसूल किया जायेगा तो वह टैक्स हमारी योजनाओं के लिए अति लाभदायक होगा। आज हम गरीब हलवाइयों के ऊपर टैक्स लगाते हैं वो बड़ी समस्याएं हैं। छोटी सी दुकान जो कि गली के अन्दर है और साधारण हलवाई अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए छोटी सी दुकान लेकर बैठा है वहां पर छोटे तबके के लोग ही जायेंगे। मालदार व्यक्ति वहां नहीं जा सकता। छोटी दुकानों पर रिक्शा चलाने वाले या ठेले चलाने वाले व्यक्ति अपना पेट भरने के लिए चार आने की पकोड़ी या मामूली सी आठ आने की मिठाई खाने की कोशिश करते हैं और जो टैक्स है वह उनको देना पड़ता है जो कि साधारण व्यक्ति है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि बड़ी होटलों के ऊपर टैक्स लगा दें। उनसे वसूल किया जाता है तो आसानी से साधन उपलब्ध हो सकते हैं।

सभापति महोदय, आज टैक्स की चोरी भयंकर रूप से होती है। मेरा तो यहां तक सुझाव है कि तहसील वाइज या पंचायत समिति के आधार पर या जिले के एरिया पर समिति बना दी जाये और उस समिति के अन्दर जनप्रतिनिधि भी हों, उसके अध्यक्ष हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी हों, और उसमें डाइरेक्टर हों, सेक्रेटरी हों। इस प्रकार के दस, पांच आदमी उसमें हों और उनकी समिति बना दी जाये और जिले के अन्दर कौन कौन व्यापारी टैक्स नहीं दे रहा है, किस व्यापारी के अन्दर कितने दिनों का टैक्स बकाया है–इन सारी चीजों को वह समिति देखे। यदि इस प्रकार की समिति बनाकर हर जिले या पंचायत समिति या तहसील वाइज उसका सर्वेक्षण किया जाये और उन व्यक्तियों के अन्दर जिनके अन्दर टैक्स बाकी है उनको आदेश दे दिया जावे और उस आदेश में शर्त रख दी जाये कि फलां समय के अन्दर 15 दिन, 20 दिन या एक महीने के अन्दर यह टैक्स सरकार के खजाने में जमा नहीं करवाया तो आपका व्यापार, आपका लाइसेन्स या जो भी सुविधा सरकार की ओर से मिल रही है उसको कैंसिल कर दी जायेगी। इस प्रकार के आदेश यदि सरकार प्रसारित करे

Page No 95

(95)

(श्री जयकिशन लाल)

मैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि वास्तव में कुछ समय के अन्दर ही यह टैक्स बड़ी आसानी से वसूल हो सकता है। आप जानते हैं और हमारा सिद्धान्त भी है कि भय के बिना प्रीत नहीं होती। इसी बात को मानकर निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रकार से जो भी टैक्स की चोरी करते हैं उनके सामने भय हो जायेगा हमारी सरकार की ओर से तो आसानी से टैक्स की वसूली हो सकती है और उस टैक्स को वसूली से जो धन प्राप्त होगा उससे हम विभिन्न प्रकार की योजनायें चलाकर उसके अन्दर हम फलीभूत हो सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जितनी भी टैक्स के अन्दर चोरी हो रही है उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए अन्यथा यह होता है कि हम योजनायें बनाते हैं टैक्स लगाने की तो जो हमारे वकील हैं, कर्मचारी हैं वह जाकर जिस व्यापारी के ऊपर टैक्स लगना होता है वह उसको बचाने की योजना उनके सामने रख देते हैं और उस योजना से वह व्यापारी आसानी से बच जाता है। एक तरफ वही कर्मचारी जो उसी टैक्सेशन के कार्यालय में कार्य करते हैं वही व्यक्ति दुकानदार के घर जाकर योजना बता देते हैं कि सरकार किस प्रकार का टैक्स लगाने वाली है तो साथ ही साथ वह योजना बनाकर उनके सामने रख देते हैं कि इस टैक्स से बचने के लिए यह योजना है इस प्रकार के कागजात बना लीजिए या रजिस्टर बना लीजिए तो आसानी से सरकार की ओर से लगा हुआ टैक्स है उससे बच सकते हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की समिति बनाकर यदि सर्वेक्षण किया जाये और आदेश प्रसारित किये जायें तो वास्तव में जो टैक्स की चोरी होती है वह आसानी से बचाई जा सकती है और साधारण जनता को भी लाभ हो सकता है।

दूसरा मेरा निवेदन माननीय सभापति महोदय, जल प्रदाय योजनाओं के बारे में है। सरकार इस बात का अनुभव करती है कि आदमी अन्न के बिना कई दिनों तक भूखा रह सकता है, कपड़ों के बिना एक ही प्रकार का कपड़ा पहनकर कई दिनों तक रह सकता है, आवास के बिना खुले आसमान के नीचे बैठकर अपना जीवन काट सकता है लेकिन मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि पानी एक ऐसी चीज है कि पानी के बिना एक घन्टा भी व्यक्ति प्यासा नहीं रह सकता है। चाहे वह कोई भी हो, पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो या पेड़ पौधे हो पानी के बिना यह जिन्दा नहीं रह सकते। पानी की जहां प्यास लगती है और पानी की कमी होती है वह अपना प्राणान्त कर देते हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि पानी के लिए विशेष प्रकार की योजनायें बनाई जायें। चाहे हमें पानी को प्राप्त करने के लिए किसी न किसी प्रकार से नवीन योजना बनाकर, चाहे केन्द्र से उसके बारे में सहायता ली जाये या अन्य स्थानों से सहायता ली जाये लेकिन पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से होनी चाहिए जब जब भी योजना बनती है, हम जो आये दिन पढ़ा करते हैं तीन करोड़ की योजना, दो करोड़ की योजना, चार करोड़ की और एक करोड़ की और लाखों की योजना केवल शहरों के लिए

(श्री जयकिशन लाल)

बनाई जाती है और वह शहरों तक ही सीमित कर दी जाती है। तो मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन कर देना चाहता हूं कि ग्रामीण जनता के साथ में ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? यह बेचारी जनता कुओं से पानी निकाल कर अपना जीवन चलाती है, अपने खेतों का सिंचन करती है और पशुओं को पानी पिलाती है, और उसके आधार पर अपना जीवन निश्चित रूप से सुरक्षित रखती है। मेरा निवेदन है और मेरा इस प्रकार का सुझाव है कि ये योजनाएं शहरों से

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

कट करके, क्योंकि सब प्रकार की व्यवस्था यहां पर है, हर स्थान पर नल योजना है, हर स्थान पर विभिन्न जगहों पर बोरिंग लगे हुए हैं, हर जगह पर किसी न किसी प्रकार के पानी के बंधे बंधे हुए हैं और उन बंधों से शहरों को पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन आज ग्रामीण जनता जो है, जब अकाल की स्थिति आ जाती है तो उनके कुओं का पानी सूख जाता है और जब कुओं का पानी सूख जाता है तो उनके प्राण सूखने के भी अवसर आ जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि शहरों की योजना को कट करके उस योजना को गांवों की ओर अग्रसर कर दें, उन योजनाओं को गांवों के साथ जोड़ दिया जाय तो साधारण गरीब और किसान जनता का भला हो सकता है। उन छोटे 2 गांवों में जहां पर केवल किसान अपने कुओं से पानी सींच करके अपनी खेती को करते हैं, यदि उनके लिए योजना बना दी जाय, उनके कुओं को गहरा करा दिया जाय तो उनका भला हो सकता है। अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे ब्यावर से आने वाले और उन्होंने बताया था कि हरिजनों के साथ इस प्रकार का भेदभाव होता है अभी भी, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। आप भी मंत्री महोदय गांवों के रहने वाले हैं, आप जानते हैं कि जो साधारण गरीब जनता है, जहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति रहा करते हैं उनके लिए पानी की बड़ी भयंकर समस्या है। जो उच्च वर्ग के लोग हैं जिनके स्वयं के अपनी जातीय दृष्टि से उनके कुए हुआ करते हैं, उनके ऊपर गरीब और नीच जाति के लोगों को चढ़ने नहीं दिया जाता है।

श्री दीपंकर : नीच जाति का किसी को कहो ही मत।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : मैं नहीं कहता लेकिन जो कहते हैं मैं तो ऐसा मानता हूं जैसे There is no difference between he and she.

मेरा कहने का मतलब यह है कि अधिकारों के अन्दर ही और शी में किसी प्रकार की समानता है, हो और शो समान है। मेरा मतलब अधिकारों से है, फिजिकली नहीं।

माननीय मंत्री महोदय हंस रहे हैं पर मेरे अर्थ को समझने की ओर ध्यान देवें।

श्री दीपंकर : माननीय सदस्य को गण-गौर का दृश्य याद आ गया।

श्री सभापति : समाप्त कीजिए।

श्री जयकिशनलाल तोसावडा : मेरा निवेदन है कि गांवों में जाकर देखें, जातीय दृष्टि से वर्ग वाईज पीने के पानी के कुए और पनघट बने हुए हैं और जो हरिजन जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं उनके लिए हर गांव में कोई कुआ नहीं है। वे बेचारे क्या करते हैं कि किसी किसान से माफी मांगते हैं। किसान के सामने अपनी दयनीय स्थिति रखते हैं और वह कहते हैं कि आपके कुए से पानी लेने के लिए थोड़ी इजाजत दे दीजिए तो वह जाकर पानी भर सकते हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय आपकी इस योजना के अन्दर एक इस प्रकार का सर्वेक्षण करवा लीजिए कि किस गांव के अन्दर हरिजनों के लिए बड़ी भयंकर समस्या है। किन ग्रामों और कस्बों के अन्दर और मोहल्लों के अन्दर हरिजनों के लिए बड़ी भयंकर समस्या है और वह सारी की सारी धनराशि हरिजनों के उत्थान के लिए और जिनके पास कुए हैं उनको गहरा करवा दिया जावे और जिनके पास कुए नहीं हैं, उनको नवीन कुए खोदने के लिए यदि यह धनराशि उनको दिलवा दी जावे तो साधारण जनता का और इन गरीबों का भला हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय कि यह योजना इसी वर्ष लागू कर दी जाय और प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक पंचायत समिति और ग्राम से इसकी लिस्ट मंगवा लें

(समय समाप्ति सूचक घण्टी).

और प्रत्येक इस प्रकार के काम हैं वहां के, उनकी सारी की सारी लिस्ट मंगवा लें और उनके बारे में सर्वेक्षण कराने के लिए समिति बना दी जाय और उस समिति के अन्दर किस किस पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम में कुओं की आवश्यकता है, यदि इस प्रकार की योजना बना कर इन कुओं को खुदवाने की व्यवस्था कर दी जाय तो आज हमारे राजस्थान में जो 2 करोड़ 57 लाख के करीब जनता है और जिसमें से 30 प्रतिशत हरिजन और अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग रहा करते हैं, उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था यदि हमारी सरकार कर दे तो हम निवेदन कर देना चाहते हैं कि हमारे यहां की जो इस प्रकार के तबके की जनता है वह पूर्ण रूप से अहसानमन्द रहेगी और उनका जीवन यापन भली प्रकार से हो सकता है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

केवल दो मिनिट का समय और दे दीजिए।

अब मैं मेरे क्षेत्र के बारे में बता देना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र के अन्दर अभी 5–6 महीने पहले एक योजना बनी थी जल प्रदाय की और उस योजना के अन्दर कुछेक गांवों को लिया गया था लेकिन मेरा निवेदन है कि इन गांवों के अन्दर आज तक सर्वेक्षण नहीं हुआ। जैसा शिवदासपुरा है चाकसू तहसील के अन्दर, माधोराजपुरा है फागी तहसील के अन्दर, चन्दलाई चाकसू तहसील के अन्दर, रेनवाल फागी है फागी तहसील के अन्दर, निमेडा है फागी तहसील के अन्दर, इस प्रकार के गांवों की

(श्री जयकिशनलाल)

योजना बनकर के तैयार है लेकिन अभी तक इन कस्बों में जाकर सर्वेक्षण नहीं हुआ है और जब सर्वेक्षण ही नहीं हुआ तो योजना बनकर सरकार के दफ्तर में कैसे आवेगी और कैसे मंत्री महोदय के सामने आवेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि तुरन्त आदेश दे दिया जावे कि जिस जिस गांव और कस्बे की योजना बनी है उनका पूर्ण रूप से सर्वेक्षण करवा दें और तुरन्त ही जलप्रदाय योजना लागू कर दें जहां पर कुए नहीं हैं। अगर यह हो जाय तो साधारण जनता को आसानी से सुविधा मिल सकती है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जैसे पूर्वी राजस्थान के अन्दर हर जगह पर कुओं की संख्या भी काफी हैं, नहरें भी चलती रहती हैं और छोटे छोटे तालाब और बंध भी होते हैं लेकिन उस पश्चिमी राजस्थान में सिवाय बालू रेत के टीलों के कुछ नहीं है। यदि इस प्रकार की जल प्रदाय योजना पूर्ण रूप से बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, सीकर है जहां पर केवल बालू के टीले हैं, झुंझनूं भी इस प्रकार का जिला है, जहां पर इस प्रकार की योजना बनाई जाय जल प्रदाय की और वहां पर जनता को पीने के पानी के लिए कुए खुदवा दिए जावें तो पूर्ण जनता का भला हो सकता है। क्योंकि वैसे भी जैसलमेर, बाड़मेर वगैरह तो ऐसे स्थान हैं जहां पर छोटे 2 टैंक बनाकर बरसात का पानी एकत्रित करके पीने के काम में लिया है और उसके अन्दर विभिन्न प्रकार के कीड़े और कीटाणु पैदा हो जाते हैं और उस पानी को पीकर मजदूर, गरीब और साधारण जनता बीमारियों से ग्रस्त हो जाती है. इस इलाके के अन्दर यदि इस प्रकार का प्लान बना कर लागू करते हैं और साथ ही साथ उसको पूर्ण करवा दिया जाय तो इस प्रकार से जो भी जनता पानी को पीकर बीमार हो जाती है,

(समय समाप्ति सूचक अनवरत घण्टी)

बीमारी से ग्रस्त हो जाती है, विभिन्न प्रकार के रोगों से भयंकर रूप से ग्रस्त होकर मौत की गोद में चली जाती है, वह मौत की गोद से बच सकती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह दोनों प्रकार की मांगें हैं वह साधारण तौर से बड़ी जनता के लिए नहीं, मालदार व्यक्तियों के लिए नहीं लेकिन साथ ही साथ मनुष्यों से लेकर पशु-पक्षी तक के लिए अति आवश्यक है। इसलिए मेरा निवेदन है कि दोनों ही मांगों पर पूर्ण रूप से विचार करके जल प्रदाय योजना सारे राजस्थान के अन्दर सही रूप से लागू कर दी जायं तो साधारण जनता का भला भी होगा और सब प्रकार की सुविधा होगी। यही कह कर मैं अपने विचार व्यक्त करना समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री सुरेशचन्द्र।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : सभापति महोदय, इस सदन में जब जब चर्चायें की हैं उनमें सरकार द्वारा यह जाहिर करने का प्रयास किया गया है कि हमारा प्रदेश प्रगति की ओर बढ रहा है। हमने हर क्षेत्र में इतनी तरक्की कर ली है यह बराबर यहां इस सदन में कहा जाता है। लेकिन सभापति महोदय, जब हम इस प्रदेश की स्थिति को देखते हैं तो हम इस निष्कर्ष

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

पर आते हैं कि आज भी हमारे राजस्थान प्रदेश के 22 हजार गांवों में हम पीने का पानी मुहैया नहीं कर पाये हैं। आज स्थिति यह है कि या तो वहां मीठा पानी नहीं है या पीने के पानी की व्यवस्था ही नहीं है। जब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से हमें यह मानना पड़ेगा कि यह हमारे लिए शर्मनाक बात है और हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा। आप खाने की बात छोड़िए, आप पहनने की बात छोड़िए, आप मकान की बात छोड़िए, हवा तो प्रकृति दे रही है इसमें आपका अहसान नहीं है, लेकिन पानी की बात आती है और आप राजस्थान की जनता को पीने का पानी मुहैया नहीं करा सकते तो फिर आप किस गौरव से कहने की हिम्मत करते हैं कि हमने प्रदेश में प्रगति की है। सभापति महोदय, आज सबसे बड़ी समस्या हमारे प्रदेश की पीने के पानी की है। इसके लिए निश्चित रूप से हमें योजना तैयार रखनी पड़ेगी। हम पांचवीं योजना की तैयारी कर रहे हैं। अगले महीने से इसकी शुरूआत क रहे हैं लेकिन मैं समझता हूं कि आज भी हमारे सामने कोई योजना नहीं है, आज भी हम कहने की स्थिति में नहीं हैं कि पांचवीं योजना समाप्त होने पर भी प्रदेश में पीने के पानी की व्यवस्था आप कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि हमारे मंत्री महोदय, जन स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह कहने की स्थिति में नही है। हमारी सरकार के लिए यह एक शर्म की बात है, हमारे प्रदेश के लिए शर्म की बात है और यहां के अधिकारियों के लिए शर्मनाक है। हम इन सारी योजनाओं को प्रदेश की जितनी भी योजनायें हैं, जिन पर हम काम कर रहे हैं, कम से कम पानी की समस्या पर हमें कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था, ऐसी योजना बनानी चाहिए ताकि गांवों को पीने का पानी मिल सके। इस कार्य को प्राथमिकता नहीं देंगे तो मैं समझता हूं कि जनता इस बात को अब बर्दाश्त नही करने वाली है। हमारे आश्वासनों पर विश्वास करने वाली नहीं है अधिक न कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमारी योजनायें हैं, जो योजनायें चल रही हैं, आज उनकी स्थिति दयनीय है। यह घोषणा की गई थी कि जो दो हजार की आबादी के गांव हैं, वे ढाई परसेन्ट जन सहयोग जमा करा देंगे तो उनके यहां पर जल प्रदाय योजना स्वीकार की जाएगी। इस सदन में अनेक बार यह प्रश्न उठाया गया है। यह बात कही गयी है। यह बात कही गयी है कि इन गांवों से ढाई परसेन्ट जन सहयोग मिल जाने के बाद भी इस स्थिति में नहीं हैं कि इन योजनाओं को शुरू कर सके, स्वीकार कर सकें। मेरा निवेदन है कि आप यह बात छोड़िये कि सारे प्रदेश के अन्दर आप पीने के पानी की व्यवस्था कर सकेंगे। जिन गांवों से ढाई परसेन्ट का जन सहयोग आप ले चुके हैं, उनकी योजनाओं को आप चालू करें और वहां पर काम जल्दी से जल्दी शुरू करवा दें। क्या इसके लिए आपके विभाग की तैयारी है? परन्तु विभाग की तैयारी नहीं है। जो पेम्पलेट तैयार करके माननीय सदस्यों को वितरित किया गया है, वह यह बताता है– कि आप इस स्थिति में नहीं है कि पांचवी योजना तक भी इन योजनाओं को पूरा कर सकेंगे। इन योजनाओं में आप काम शुरू नहीं कर सकेंगे। मेरा नम्र निवेदन है कि

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

सरकार को इसकी पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। जल्दी से जल्दी ये योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। दूसरी बात यह होनी चाहिए कि जहां पर योजनाएं शुरू हैं, चालू हैं क्या आप उन योजनाओं से सन्तुष्ट हैं? उनके कार्य की किस प्रकार की रिपोर्ट है? जहां जल प्रदाय योजनाएं हैं, क्या वहां ये योजनायें सुचारु रूप से काम कर रही हैं? जहां तक मेरी जानकारी है मेरे क्षेत्र कोटपुतली में 4/5 साल पहले योजना शुरू हुई थी और आज तक ओवर हैड टैंक तैयार नहीं हैं। इस प्रकार की योजना है कि वह पूरे कस्बे को पानी नहीं दे पा रही है। यह सवाल विचित्र है। जब यह सवाल इस सदन में किया जाता है तो ये अधिकारीगण मंत्री महोदय से जवाब दिला देते हैं कि इस क्षेत्र में पानी नहीं जा रहा है जो कि योजना के बाद बढ़ गया है। यह आबादी योजना के बाद बढ़ गई है। और जो शहर आपकी योजना बनाने के पहले बसा हुआ है, उसकी आप योजना बनाते हैं, वह इस प्रकार की बनती है कि उसमें कोई भाग उस आबादी का शामिल होने से रह जाता है। और यही कारण है कि आज तक पूरे कस्बे को आपकी योजना के द्वारा पानी नहीं मिल पा रहा है। बीस साल की बसी हुई आबादी को आप पानी नहीं दे पा रहे हैं।

आपने यहां पर कई बार यह घोषणा की है कि जहां भी बिजली और नल योजना प्रारम्भ होगी, सबसे पहले हरिजन बस्तियों को यह सुविधा आप देंगे। यहां पर भाषण करते हैं। परन्तु जहां कहीं भी ऐसी योजनाएं शुरू की गई हैं यह देखने में आया है कि हरिजन बस्तियों को इनसे दूर रखा गया है। यह बेईमानी आप क्यों कर रहे हैं? और करते हैं तो इस प्रकार करते हैं कि जो अन्य लोगों की आबादी है, उसके पास से नजदीक जो घर हरिजन का है, हरिजन बस्ती का है, उसके पास आप एक टेप लगवा देते हैं। क्या यही आपका हरिजन बस्तियों को नल देने का आश्वासन है? इसके लिए आपकी कोई योजना नहीं है। हरिजन बस्तियों के लिए योजना के पैसे का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। हरिजन बस्तियों के अन्दर पूरी लाइन नहीं बिछाई जाती है। टैंक की कोई व्यवस्था नहीं है और न किसी प्रकार से टेप ही पूरे लगाये जाते हैं। इसी प्रकार से यह कहना चाहता हूं कि जहां आपकी योजनाएं हैं वहां भी आपकी सुचारू व्यवस्था नहीं है। लगातार आपकी यह पानी की व्यवस्था असफल हो रही है। कोटपूतली में देखता आ रहा हूं, वहां एक एक हफ्ते तक पानी गायब रहता है। वहां पर पानी की परेशानी है। मुख्य मंत्री महोदय पधारे थे उस रोज भी पानी की बड़ी परेशानी रही। उस रोज भी आपका जलदाय विभाग लोगों को पानी नहीं दे सका। जब वे जाने लगे मीटिंग हो रही थी, उस वक्त पानी जोर से दिया। आपकी सरकार क्या कहना चाहती है? उस दिन माननीय सदस्य गोटेवाला जी वहां पर थे। वे इस बात के लिए गवाह हैं। यह व्यवस्था आपकी है। तो ये जो योजनाएं चल रही हैं, उनको कम से कम आप व्यवस्थित ढंग से चालू करें। जलदाय विभाग का दफ्तर इतनी दूरी पर है कि सम्पर्क स्थापित नहीं कर पाते। अब टेलीफोन लगा लिया है हिम्मत कर के पूछते हैं तो हालत यह कहती है कि बिजली नहीं आ रही है।

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

बिजली वालों से पूछते हैं तो वे कहते हैं कि बिजली आ रही है। फिर उनको कहते हैं बिजली आ रही है। तो कहते हैं वोल्टेज पूरा नहीं आ रहा है। इस प्रकार जनता को भ्रमित किया जा रहा है। पानी वाले कहते हैं बिजली वाले जिम्मेवार हैं। जहां आपकी योजनाएं हैं, वे सुचारू रूप से चलें चाहे फिर वे कोटपूतली की हों, चाहे दौसा की हों और चाहे किशनगढ़ की हों। किशनगढ की भी यही हालत है। वहां पर टैंक की स्थिति ठीक नहीं है। स्टाफ पूरा नहीं है। लाइन भी पूरी बिछी हुई नहीं है। इसी प्रकार से दौसा की स्थिति है। वहां पर भी पानी के वितरण की व्यवस्था पूरी नहीं है। जहां जहां भी आपकी योजनाएं हैं वे ठीक ढंग से नहीं चल रही हैं। आपका प्लान ठीक नहीं है। और जो कुछ भी प्लान है, उसका इम्पलीमेन्टेशन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। इस प्रकार की ये जल प्रदाय की योजनाएं हैं, मैं समझता हूं, ढकोसला मात्र हैं। सिर्फ कागजों में ही कहते हैं कि इतना कर दिया, जनता को इतना लाभान्वित कर दिया। जो नल योजना आप बनाते हैं, उसके बारे में मुझको एक शिकायत है। जो योजनायें बनती हैं वे शहरो में अधिकतर बनती हैं और गांवों के लिये कम बनती हैं। क्या गांवों में कम आबादी बसती है? मैं यह नहीं कहता कि शहरों के लिए नल योजना न बने। बहरहाल एक नक्शा होना चाहिये और उसमें हर बात का ध्यान रखा जाना चाहिये और आपकी योजनाएं सिर्फ शहर तक ही सीमित नहीं रह जानी चाहिये। यह कोई सन्तोष की बात नहीं है। बल्कि यह शर्म की बात है। जो अगले साल का प्रावधान है, उसको देखने से सन्तोष नहीं होता है। आप शहरों में अधिक खर्चा कर रहे हैं। प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी गावों में रहती है और गांवों की आबादी को लाभान्वित करने के लिए अधिक से अधिक गांवों में खर्च किया जाना चाहिये। मेरे क्षेत्र की एक गांव की योजना है। जनसंख्या भी ठीक है और जनसहयोग भी आपके विभाग में जमा है किन्तु आज तक वहां की स्वीकृति नहीं हुई है। इसलिये मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां जहां भी जन सहयोग जमा हो चुका है, वहां की योजनाएं आपको शुरू करनी चाहिये। आपकी घोषणा होने पर लोगों ने प्रयास किया। जनता को जनसहयोग देने के लिए तैयार किया और जब पैसा जमा हो चुका है तो आप बदल रहे हैं। यह कहते हैं कि वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। आपकी हालत क्या है? आप कर्जदार हैं, आप दिवालिया हो चुके हैं। फिर यह घोषणा क्यों करते हैं और जनता को मुगालते में क्यों रखते हैं? कर्जे से दबे हुए हैं तो आपको इस प्रकार से आश्वासन नहीं देना चाहिये। इस प्रकार आश्वासन देकर आप जनता को अधिक दिन मुगालते में नहीं रख सकते हैं और इससे काम नहीं चलेगा।

आज की जो दूसरी डिमांड है—वह बिक्री कर की है। बिक्री कर विभाग एक आमदनी का विभाग है सरकार की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये। इसकी ठीक व्यवस्था हो तो आपकी आमदनी बढ़ सकती है। जितना खर्चा इस टैक्स की वसूली के

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

लिये करते हैं और जितना टैक्स वसूल होता है उसका काफी बड़ा हिस्सा तो वसूली करने में ही खर्च हो जाता है इसके लिए आपने एक लम्बी चौड़ी व्यवस्था कर रखी है। अभी माननीय सदस्यों ने यहां पर बताया है कि लाखों रुपया बड़े बड़े लोगों में बकाया है। आप समाजवाद की बात करते हैं। आप क्यों नहीं बड़े लोगों से वसूली करना चाहते हैं? आप क्यों नहीं उनको लज्जित करना चाहते हैं। आखिर यह कर उनमें बकाया है, चाहे वह बिजली का हो, चाहे सेलसटैक्स का हो। यह बकाया क्यों निकलती है। आखिर आपकी यह कमजोरी क्यों हैं? जिसकी वजह से यह बकाया चल रही है। जिन लोगों में यह बकाया है, उनकी हालत अच्छी है। उनकी हैसियत अच्छी है। फिर उनसे क्यों वसूली नहीं हो पा रही है? अगर किसी गरीब के पास बकाया होती तो उसकी फौरन कुर्की कर लेते। उसका ट्रक सीज कर लेते। मकान की कुर्की कर लेते। परन्तु बड़े लोगों के खिलाफ आप कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से आपके जो चैक पोस्ट बोर्डर पर हैं, उन चेक पोस्ट्स पर आपको क्या व्यवस्था है? मैंने जहां तक सुना है चेक पोस्ट पर नियुक्ति कराने के लिए विभाग में भाग दौड़ होता है। लोग यह चाहते हैं कि उनकी नियुक्ति चैक पोस्ट पर हो। वे यह चाहते हैं कि उनकी ड्यूटी वहां पर हो। इसके लिए टेलिफोन भी होते हैं। अधिकतर इसके लिए सिफारिश होती है। चैक पोस्ट से कोई ट्रक गुजरेगा जब तक वह ट्रक वाला चेक पोस्ट को सलामी न दे, सलामी का मायना क्या है, चाहे उस ट्रक वाले ने जो माल वह ले जा रहा है उसका टैक्स दे दिया हो वह सलामी नहीं दे देता है, तब तक वह ट्रक उस चेक पोस्ट से नहीं जा सकेगा। इसका परिणाम क्या होता है? जनता में असन्तोष होता है। यह चर्चा होती है कि जब तक कोई ट्रक अलग से रिश्वत नहीं दे वह वहां से पास नहीं हो सकता है। इनके अलावा जो एग्रीकल्चर इम्पलीमेन्ट हैं उनको टैक्स से आपने एग्जम्प्ट कर रखा है। उसका सर्टीफिकेट भी उसके पास मौजूद रहता है। इसके लिए आपके विभाग के निर्देश हैं परन्तु फिर भी चेक पोस्ट के लोग इन लोगों को परेशान करते हैं। उन लोगों को बिना कारण वहां बिठा लिया जाता है और इस प्रकार मजबूर होकर उन्हे रिश्वत देनी पड़ती है। वास्तव में ये चेक पोस्ट लूट पोस्ट की तरह से काम कर रहे हैं। बड़ी बुरी तरह से लूट रहे हैं। यदि अचानक ही आप इन चेक पोस्टों पर, चुंगियों पर जाएंगे तो यह जानकारी मिल जाएगी। हमारे सदस्य भी इससे प्रभावित हुए हैं। चेक पोस्ट पर बहुत बार खड़ा किया गया है और उनसे कई बार वसूली की गई है।

इस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि यह जो आपकी सेल्स टैक्स की प्रणाली है यह भी प्रणाली एक अजीब है। इससे छोटे व्यापारियों को राहत नहीं मिलती है। जो छोटे तबके के लोग हैं उनको राहत नहीं मिलती है। रिटर्न्स की आपकी यह व्यवस्था, असेसमेंट की आपकी यह व्यवस्था यह सारी व्यवस्थाएं बड़ा व्यापारी तो बरदाश्त कर सकता है, लेकिन छोटे व्यापारी को आप अगर यह कहें कि मुनीम रखे और बार बार असेसमेंट के लिए जयपुर आता रहे तो यह सारा खर्चा

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)
अगर आप उस पर डालते हैं तो यह उचित नहीं है। आपको सरलीकरण सारे प्रोसीजर का करना चाहिए जिससे छोटे व्यापारियों को लाभ मिल सके। बड़े व्यापारियों पर आप कितना ही टैक्स बढ़ा दें, उसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है।

सेल्स टैक्स के ए. एस. टी. ओ. का आफिस आपने शाहपुरा में कायम कर रखा है। एस. डी. ओ. का आफिस कोटपुतली में है और आपके ए. एस. टी. ओ. का आफिस शाहपुरा में है। यह किस प्रकार से आपने कर रखा है। तहसील हैड क्वार्टर पर है, डिग्री कालेज वहां पर है और सारे हैड आफ दी डिपार्टमेंट वहां पर हैं और ए.एस.टी.ओ. का आफिस आपने यहां पर कायम कर रखा है। उसको वहां पर कोटपुतली में आप कायम करें।

वसूली के बारे में कहना चाहूंगा कि आज व्यापारियों की जो स्थिति है उसमें वे दो तरह के खाते मेन्टेन करते हैं। एक तो सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के लिए और दूसरे दो नम्बर के खाते जिन्हें अलग से रखते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था है। फ्लाईंग स्क्वेड आपके पास मौजूद है। मेरे क्षेत्र में तो मैंने कभी देखा नहीं कि कभी अचानक इस प्रकार से चैकिंग की हो कि जिसमें घोटाले पकड़े हों। इतना बड़ा स्टाफ आपका क्या करता है?

पैसेन्जर टैक्स की हालत देखिये। बस में सवारियां जाती हैं ओवर लोड लेकिन टैक्स आपके विभाग में पूरा वसूल नहीं किया जाता है। आपके इन्सपैक्टर्स की माहवारी बन्धी रहती है तो उनके चैकिंग का प्रश्न ही नहीं और जैसे किसी रूट पर जिसकी माहवारी नहीं बन्धी होती है तो उसकी चैकिंग जरूर होती है। बस वाले बार बार कहते हैं कि इतनी चैकिंग होती है, बराबर टैक्स क्यों नहीं देते हो तो वह कहते है कि माहवारी नहीं बन्धी है इसलिए चैकिंग होती है। माहवारी बन्धी हो तो महीनों तक चैकिंग नहीं होती है। कभी कभी आपके बड़े आफिसर राउण्ड लेकर कभी कभी देखें तो सही कि किस प्रकार की स्थिति चल रही है और किस प्रकार से लोग मनमानी करते हैं और राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं और टैक्स की वसूली नहीं होती है।

इस प्रकार से मैं यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है, चाहे, वह सेल्स टैक्स हो, चाहे एन्टरटेनमेंट टैक्स हो एन्टरटेनमेंट टैक्स के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मेरे यहां पर एक सिनेमा है। सिनेमा को आपके अधिकारियों ने कभी नहीं देखा कि क्या स्थिति है। वहां पर नाममात्र का टैक्स खानापूर्ति के लिए जमा होता है। एन्टरटेनमेंट टैक्स पूरा वसूल नहीं करते हैं और आपके अधिकारीगण जाकर देखते नहीं हैं कि क्या स्थिति है। यह आप जाने। टैक्स की प्रणाली का सरलीकरण करना चाहिए और टैक्स की व्यवस्था में सुधार करना चाहिए और टैक्स की वसूली में सख्ती करना चाहिए।

मार्च का महीना आपका बहुत जोरदार होता है। मार्च का महीना होता है तो आपके सारे आफिसर्स फील्ड में नजर आते हैं, और मार्च के महीने में एस.टी.ओ. की

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

गाड़ी लगातार घूमती रहती हैं। वह कहते हैं कि हमारा टार्गेट बना हुआ है। वह व्यापारियों से कहते हैं कि अगर बकाया नहीं है तो एडवान्स दे दो ताकि टार्गेट पूरा हो जाय और कमिश्नर साहब राजी हो जायं और उनसे कह सकें कि इतनी वसूली कर दी ताकि आमद की जगह पर हमारा पोस्टिंग हो जाय। साल भर तो वसूली नहीं करते हैं। साल भर तो बकाया की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और केवल मात्र मार्च में जो टार्गेट फिक्स्ड कर दिया कि इतने रुपये की वसूली करनी पड़ेगी उसी वक्त लोगों को परेशान करते हैं कि बकाया नहीं है तो एडवान्स दे दो, लेकिन टार्गेट पूरा होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो व्यवस्था आपकी है वह गलत व्यवस्था है। आपको हर महीने चैक करना चाहिए, हर महीने आपको वसूली की स्थिति देखना चाहिए कि कौन व्यापारी टैक्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। बकाया अगर किसी में है तो 11 महीने तो चुप रहे और बारहवें महीने आप उससे पूरा टैक्स वसूल करना चाहते हैं तो बहुत से लोगों की ऐसी स्थिति नहीं होती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था जो आपकी है वह गलत व्यवस्था है। उसके हिसाब से लोगों को परेशान किया जाता है। मानलें कि किसी बस वाले में 5 हजार रुपया बकाया है, या 3 हजार रुपये किसी ट्रक वाले में बकाया है या किसी व्यापारी में 11 हजार रुपया बकाया है और वह देने की स्थिति में नहीं है तो अधिकारियों की मौत हो जाती है और अधिकारियों की मौत होती है तो वह कहते हैं कि 500 रुपये जमा करा दो और 200 रुपया हमको दे दो तो 4 हजार रुपया छूट जायगा, नहीं तो 5 हजार रुपया देना पड़ेगा, अटैचमेंट करेंगे, गाड़ी खड़ी कर देंगे, ट्रक खड़ा कर देंगे। इस प्रकार की व्यवस्था से सरकार बदनाम होती है। इसके बारे में आपको सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि मन्थवाइज टैक्स आता है कि नहीं। मन्थवाइज टैक्स नहीं देने वाले पर एक भार महसूस होता है।

इस प्रकार, सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि आज की व्यवस्था जो है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। सेल्स टैक्स की व्यवस्था में, पैसेन्जर टैक्स की व्यवस्था में, एन्टरटेनमेंट टैक्स की व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। चाहे वह बिक्रीकर की बात हो, यात्रीकर की बात हो, सारी व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए। इसके बारे से प्रोसीजर में सुधार लाना चाहिए।

मैं यह कहना चाहूंगा कि आपके यहां ऐसी स्थिति है असेसमेंट के तरीके में कि जब व्यापारी आता है आफिसर के पास तो उसका दृष्टिकोण क्या रहता है। आपका अधिकारी सरकार का पक्ष लेगा या व्यापारी का पक्ष लेगा? सरकार के पक्ष को तो कोई सुनने वाला नहीं है, वहां पर तो केवल व्यापारी का पक्ष होता है। व्यापारी ने आपके अधिकारी को खुश कर दिया तो सरकार को हजारों रुपयों का नुकसान हो गया। आपका सरकारी अधिकारी सरकार का पक्ष नहीं लेता है। सके बारे में यह व्यवस्था हो कि इस प्रकार से एमेंडमेंट पास हो कि जिस प्रकार

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)
से रिटर्न पेश हो जिसके आधार पर व्यापारी को आप सुविधा दें कि 40 हजार का सेल्स टैक्स होता है तो उसका चैक आपके पास भेज दें अपने हिसाब से भेज दें। ऐसी व्यवस्था होना चाहिये। उसके लिए बड़ा खर्चा पड़ता है और विभाग को भी परेशानी होती है वह नहीं होनी चाहिए। केवल इतनी सी बात कहकर मैं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री बनवारीलाल (अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय सभापति महोदय, बिक्री कर विभाग के बारे में मैंने कुछ कटौती प्रस्ताव रखे हैं। उन कटौती प्रस्तावों के जरिये गुजरात बोर्डर पर एक गरडाली चैकपोस्ट लगी हुई है वहां पर राजस्थान प्रान्त से गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ जो सामान जाता है बिक्री कर के मामले में, आने वाले माल से और जाने वाले वाले माल से बिक्री कर की आमदनी करने का प्रश्न होता है, इसके लिए मैंने राजस्थान सरकार से यह जानने की कोशिश की है कि पिछले वर्षों में चैकपोस्ट से कितनी आमदनी हुई है ? वहां पर एक उड़न दस्ता भी रहता है। वहां पर एक ए. एस. टी. ओ. रहता है, आपका स्टाफ भी है, और चैकपोस्ट भी लगी हुई है तो वहां पर लोगों की यह धारणा है, हमारी यह धारणा है कि ऐसी चैकपोस्टें जो कि दूसरी स्टेटों की बोर्डर पर लगी हुई हैं उन पर सिनियर आफिसर लगाकर पूरा कर वसूल करना चाहिएं। आपने वहां पर छोटे मोटे कर्मचारियों आदमियों का स्टाफ लगा रखा है उससे राज्य में कर की वसूली बहुत कम होती है यह हमारा पर्सनल अनुभव है। वहां पर ज्यादातर चैकपोस्ट पर जो लोग लगे हुए हैं वह साधारण नागरिक के रूप में लोग व कार वगैरह आती हैं उनको भी रोक कर अपनी नाजायज आमदनी वसूल करने में लगे रहते हैं, और ऐसे ट्रक्स जो स्मगलिंग में लगे हुए हैं यानी किसी पर्टीक्यूलर चीज पर नियन्त्रण है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर रोक लगा रखी है तो उनसे अपनी आमदनी वसूल करते हैं, और राज्य के खजाने में बहुत कम पैसा जाता है। इसलिए मैंने इस कटमोशन के जरिये राज्य सरकार से सूचना एकत्रित करना चाहा है, और जिस समय जो आफिसर वहां पर काम करते हैं उस समय में यदि उनकी आमदनी अधिक हो तो उनको रिवार्ड देना चाहिए और जिस समय करों की वसूली नहीं हो और जो कर लगाये जायं और सारी स्थिति में अगर कर वसूल न हों तो उस पोस्ट के अधिकारी का वहां से तबादला करने से ही मामला आपका हल नहीं होगा। वह आमदनी के हिसाब से जाता है। मेरे सुनने में यह आया है कि चैकपोस्ट पर आमदनी के हिसाब से आफिसर्स को लगाते है। पहले मैंने राज्य सरकार से पूछा था कि उनके पोस्टिंग का आधार क्या है तो माननीय मंत्री महोदय ने बताया था कि 2-3 महीने से ज्यादा नहीं रखते हैं, ऐसी पालिसी निर्धारित कर रहे हैं, परन्तु उसको करीब दो साल हो गये ऐसी पालिसी तो

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)
हमारे सामने आई नहीं। अगर कोई रूल बना हो तो हमें तो पता नहीं है।

यह जो सीनियर आफिसर कर विभाग के हैं उनको इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए बिल्कुल ऐसी इन्टेग्रिटी के सीनियर आफिसर हों उनको ऐसी जगहों पर पोस्ट करें। अपने राज्य की वित्तीय स्थिति बड़ी संकटपूर्ण है, और ऐसे चेकपोस्ट के ऊपर टैक्स का इवेजन और लीकेज अगर होता है तो यह बहुत ही सीरियस बात है, जनता पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है. दूसरे लोगों पर और सीधा सरकार पर इसका असर पड़ता है और हम जन-प्रतिनिधियों को भी सुनना पड़ता है। तो चैकिंग पोस्टों की सीनियर अधिकारियों के द्वारा चैकिंग होनी चाहिए, और जिस अधिकारी के बारे में आपको पता लग जाय कि वहां पर राज्य के खजाने में टैक्स जमा नहीं कराके अपने खुद के खजाने में जमा करा रहे हैं तो ऐसे अधिकारियों को आपको दण्ड देना चाहिए।

इसलिए मैंने इस कट मोशन के जरिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहा है कि आपके स्वयं की इन्फर्मेशन के लिए आप अपने आंकड़े इकट्ठा करलें कि किस चैक पोस्ट पर ऐसा होता है। मैंने तो एक चैक पोस्ट का प्रश्न रखा है। इसकी सूचना इकट्ठी करलें।

उधर आबू रोड पर चैक पोस्ट है। वहां पर साल भर से ज्यादा अधिकारी नहीं रखे तो अच्छा है। एक बार माननीय वित्त मंत्री महोदय ने यह बताया था परन्तु वह स्कीम अभी तक चालू ही नहीं हुई होगी। मैं कोई किसी के लिए व्यक्तिगत आधार पर कुछ नहीं कह रहा हूं। मेरा निवेदन है कि जो अधिकारी अच्छी आमदनी नहीं दे सकता है, अच्छी इनकम सरकार की नहीं करता है तो उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए। टारगेट के अनुसार इनकम होनी चाहिए। सभापति महोदय, हमारे जो पड़ौसी प्रान्त हैं, उनमें जो कर लगा हुआ है। वह यहां की अपेक्षा कम है और सुविधा जनक भी लोगों को पड़ता है। नतीजा यह है कि हम को कर का फायदा नहीं होता है। हमें इसके कारण हानि होती है। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि हमें अपने पड़ौसी प्रान्तों की एक कानफ्रेंस बुलानी चाहिए। माननीय वित्तमन्त्री महोदय का यह फर्ज है कि जो बहुत ज्यादा अन्तर अन्तर्राज्यीय करों का है, उसको ठीक किया जाये। जैसे उदाहरण के तौर पर मवेशियों पर यहां आपने 5% कैटिल बिक्री कर बाहर मवेशी जाने पर लगा रखा है। जैसा कि झालावाड़ और बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है। मेरा यह कहना है कि यह जो आपने 5% टैक्स लगा दिया है उससे आपकी बिक्री कर की आय गिर गई है। नतीजा यह हुआ है कि मवेशी गुजरात में जाकर बिकती हैं। वहां पर मवेशी बिक्री कर नहीं है। हमारे यहां टैक्स ज्यादा है। इससे हमारी हानि होती है। बदनामी भी होती है और पशु पालकों पर प्रभाव भी बुरा पड़ता है। इस रूप में विचार करें तो इससे करप्शन भी बढ़ता है। अगर मवेशी नहीं बिकते हैं तो वह वापिस लेकर जाते हैं और दिया हुआ टैक्स वापस नहीं मिलता है। टैक्स लेकर वापिस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

बिक्री होगी तो बिक्री कर लेंगे नहीं होगी तो नहीं लेंगे। लेकिन अगर अधिकारी चाहें तो वह वापिस लौटा सकता है। नहीं चाहे तो नहीं लौटाये। इसलिए इस प्रकार का टैक्स नहीं लगाना चाहिए जिससे कि भ्रष्टाचार की गुंजाइश हो। जो राजस्थान में बस सर्विस के रूप में और जो दूसरे तरीकों से बिक्री करना असेसमेण्ट करते हैं। वह अधिकारी की मान्यता पर, उसकी ग्रानेस्टी पर निर्भर करता है। अच्छे आफीसर होते हैं तो ज्यादा आमदनी सरकार की करते हैं। इसलिए जो कार्य प्रणाली है, उस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। चैक पोस्ट पर जो मनमानी का तरीका है, उस पर विचार करना चाहिए। अच्छा आदमी आनेस्ट आदमी तो वसूल कर सकता है। यह टैक्स ऐसा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा वसूल होना चाहिए। मैं इस ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा। जो अधिकारी अपने कार्य की अवहेलना करते हैं। ज्यादा से ज्यादा जनता को परेशान करते हैं, उनको दण्डित करना चाहिए। जिससे कि लोगों की प्रवृत्ति रुक सके। सभापति महोदय, यह स्थिति तो सेल टैक्स के बारे में हुई। जनस्वास्थ्य के बारे में, विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, जनरल रूप में तो मैं माननीय मन्त्री महोदय को धन्यवाद दूंगा। राज्य सरकार ने खारे पानी के बारे में जो जनरल स्कीम ली थी झुंझुनूं बीकानेर में जनस्वास्थ्य विभाग की जो जनरल स्कीमें चल रही हैं, पिछले 3-4 साल में काफी प्रगति हुई है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जो भी धन खर्च करें, वह पूरा यूटिलाइज होना चाहिए। वहां पर 8-10 मील से जाकर लोग पानी लाते हैं। वह गन्दा पानी होता है। उससे रिंग वार्म से लोग बीमार हो जाते हैं। बीमारी हो जाती है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य सूक्ष्म में बोल लें। क्योंकि काफी बोलने वाले मेम्बर हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सोरी। मैं जल्दी ही समाप्त करता हूं।

छोटी छोटी स्कीम बनाई जायें। पीने के पानी के हर गांव में कुवें बनाये जायें। छोटे छोटे पानी के सोर्सेज हों जिनसे कि वह अपनी समस्या का समाधान कर सकें। तो इस प्रकार से राज्य सरकार को इस बारे में काफी प्रयत्न करना चाहिए। विशेष तौर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रश्न आता है। कहीं पर पाइप-लाइन है। टेप लगा दिया लेकिन पानी चालू नहीं किया। पास में कोई और कालोनी है तो वहां पर शुरू कर दिया। मैं माननीय मन्त्री महोदय से मिला तो उन्होंने कहा कि 15 दिन में नल लग जायेगा। 15 दिन में पानी शुरू हो जायेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज ही मुझे पत्र मिला है। साल भर हो गया है वहां बस्ती में सांचोर की ढाणी पर पानी नहीं पहुंचा है। चालू करते नहीं हैं। इसके बारे में समस्या पैदा हो जाती है। ये छोटी छोटी बातें हैं। इनके बारे में ध्यान सरकार को देना चाहिए। हम जनता को सन्तोष नहीं दिला पाते हैं। सांचोर में दो तीन जगह टेप लगाये गये हैं। स्कीम बन गई है। लेकिन पाइप नहीं पहुंचा

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

है। पानी शुरू नहीं किया गया है माननीय सभापति महोदय, सांचोर में एक आन्दोलन हुआ था। जिसके अन्दर जलप्रदाय विभाग की जीप और 8-10 हजार रुपयों का लास हुआ। ये कौन कौन थे? किसकी नेग्लीजेंस से यह हुआ है? किसके द्वारा यह हुआ। यह जो 15-20 हजार की जल विभाग की हानि हुई यह कार्यवाही किसके द्वारा और की गई। और इस बारे में अब तक क्या किया गया है? इसकी जानकारी आप कराने की कोशिश करें। सभापति महोदय सांचोर, ग्राम पंचायत है, उसकी जो कनेक्टिंग स्कीम है-ग्राम पंचायत सांचोर-उस पाइप स्कीम के जरिये से विभाग पैसा वसूल करता है. वह अलग कर दें। बाकी जो रीजनल पाइप लाइन है, वह अलग होनी चाहिए। वहां पैसा वसूल नहीं होता है। ये कुछ प्राब्लम्स हैं, जिनको हमेशा के लिए समाधान कर देना चाहिए।

सभापति महोदय, जो दो सांचोर की स्कीमें हैं, वह अण्डर कन्सट्रक्शन के कार्य चल रहे हैं। ये जितनी भी हैं, उनमें कितना पानी कब तक जायेगा या नहीं। इस क्षेत्र में मीठा पानी कहीं भी उपलब्ध नहीं था।

इन रीजनल पाइप लाइन के जरिये यह स्कीम वर्क आउट करके शुरू की गई है, इससे जब पानी मिलेगा, तभी लोगों को संतोष होगा। मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करके स्कीम पूरी करें ताकि लोगों को पानी की सुविधा मिल सके।

सभापति जी, इसके अलावा जो दूसरी अण्डर प्रोग्रेस हैं, वह हैं ही, लेकिन एक या दो लाइनों के अन्दर बस्तियां रह गई हैं लाइन जा रही है लेकिन सौ घर की बस्ती है, जैसे सेडियावास। उसके लिए प्रश्न पूछा था तो उसके लिए कहा कि अब सर्वेक्षण किया जा रहा है। लाइन जा रही है उसमें कुछ बस्तियां या गांव छोड़ दिये गये हैं। गांव वाले चन्दा करके टैंक बना दें, वहां आप पानी की व्यवस्था कर दें। लेकिन मेरा निवेदन है कि लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं तो जो ऐसे गांव बसे हुए हैं, वहां होज बना कर आप पानी सप्लाई करें तो ज्यादा जनता को पानी मिल सकता है। जब नया नया सर्वे किया गया है, उसमें गलती हो सकती है, लेकिन अनुभव के आधार पर यह कोशिश करें कि कई बार स्कीम को रिवाइज नहीं करना पड़े और थोड़े रुपये में ही जो स्कीम वर्क आउट की गई है, वहां पाइप लाइन से लोगों को पानी मिल सके। हम नहीं चाहते कि हर जगह पाइप लाइन ले जा आप केवल होज बना दें तो लोग वहां से पानी ले जायेंगे। इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

इसके अलावा यह दूसरा नया क्षेत्र है, लूणी का बेंड है, वहां पूरी तरह से पानी के सोर्सेज का सर्वे जरूर किया गया है। मैं चाहूंगा, अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड आपके पास है, उसकी 200 ट्यूब वैल की पहिले स्कीम बनी थी, लेकिन फिर भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पानी बिल्कुल उपलब्ध नहीं कर सके। पानी का जो सोर्स है उसको आप सर्च आउट कर लीजिये। उसके बाद रीजनल पाइप लाइन के जरिये जो साठ सत्तर गांव बचते हैं उनके बारे

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

में सर्वेक्षण चल रहा है, प्रायोरिटी के बेसिस पर, जहां पीने के पानी की गम्भीर समस्या है, वहां के लिए सोचें और स्कीम वर्क आउट करके रखें और जैसे ही पैसा मिले उस स्कीम के कार्य को करें। गुजरात में ट्यूब वैल बना दिये हैं लेकिन हमारे इस इलाके में यह समस्या मौजूद है। आठ–दस मील से भी ऊंट पर या गाड़ी में लोग पानी ले जा सकते हैं लेकिन पानी है ही नहीं। इसलिए ट्यूब वैल बना कर होज बना कर उसमें पानी भर दें, तो लोग पखाल से और तरीकों से पानी ले जाकर पी सकते हैं। आज तिल्ली की बीमारी, जो पेट में मिट्टी जाने से फैलती है, वह कम हो जायगी इसके अलावा रिंग वार्म की या और तरह की डिसीजेज होती हैं उनके कारण जल प्रदाय विभाग द्वारा स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की मांग है। उसके लिए जितना रुपया प्राप्त हो उसके अनुसार प्रायोरिटी देकर सर्वेक्षण करा कर ड्रिंकिंग वाटर की जो प्राबलम है, उसका समाधान करने की आवश्यकता है।

यह कहते हुए और माननीय मंत्री को इसके लिए धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने काफी काम किया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आगे भी ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। आपने यह बताया था जनरल बजट डिस्कशन के वक्त कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में आठ नौ हजार गांव रहेंगे जिनमें पानी उपलब्ध नहीं कर पायेंगे। फिर भी केन्द्रीय सरकार पर दबाव देकर, जितनी ज्यादा प्रायोरिटी इस पानी की समस्या को दी जा सके, वह दी जाय, और कम से कम पांच मील के रेडियस में सर्वे करके, स्कीम बना कर उसको इम्प्ली-मेंट किया जाना चाहिये, ताकि कम से कम जनता को कह सकें कि पानी लाने का सोर्स तो है। जो आठ नौ हजार गांव बताये हैं जो पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त के बाद भी पानी से वंचित रहेंगे, उनके लिए आप यह स्कीम बनायें और कम से कम ऐसे एरिया के अन्दर स्वच्छ पानी के सोर्स हैं, वहां पानी का सोर्स बना दें, वहां से गांव वाले पानी ले आयें। वहां पानी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे तो मैं धन्यवाद दूंगा।

इसके अलावा तीन सौ, चार सौ, पांच सौ फीट से लोग पानी खींचते हैं, वहां पर पम्पिंग सेट लगाकर आप हौज बना दें। एक पानी से भरवा दें। इतना कर दें, इसमें खर्च कम होगा, वह आप ग्राम पंचायतों के पी.डी. खाते में खर्च में डाल दें। ऐसी स्कीम बनायें, क्योंकि इतने गहरे गहरे कुए हैं, जिनमें से लोग पानी खींच नहीं सकते हैं, और अकाल के वर्ष के अन्दर तो ऊंट और बैल से भी नहीं खींच सकते हैं, वहां पर पानी पम्प करके होज में भर दें। ऐसी योजना बनायें तो जो आठ नौ हजार गांव बाकी रहते हैं, उनके लिए स्कीम वर्क आउट करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि थोड़े पैसे में आप इस समस्या को हल कर सकते हैं। जगह जगह होज बनाने की आवश्यकता नहीं है, दस मील के रेडियस में जहां पानी का सोर्स है, वहां कम से कम एक होज बना दें तो वहां से लोग पानी भर कर ले जायेंगे। इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था कर दें, ताकि एक जगह इकट्ठे किये हुए पानी को लोग ले जा सकें। आज लोग ऊंट और बैल से बड़ी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

मुश्किल से पानी खींच कर ले जाते हैं, बारह महीने में छः महीने तक। जब बरसात आती है तो वहां कोई तालाब है नहीं, जहां तालाब है उनमें तीन महीने से ज्यादा पानी रहता नहीं है। मवेशियों के पीने के लिए भी पानी नहीं है। ऐसे क्षेत्र में लोगों का ज्यादा समय पीने के पानी को निकालने में और ले जाने में लगता है। इसलिए इस क्षेत्र के लिए विशेष स्कीम बनायें ताकि इकट्ठे किये हुए पानी को लोग इकट्ठा किया हुआ पानी दस मील से आकर भी ले जायं। इसमें उनको दिक्कत नहीं है उनको कुओं से खींच कर पानी निकालने में दिक्कत है। इसलिए इस ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करें, और इस बजट में नहीं तो अगले वर्ष में घोषणा करें कि पानी को स्टोर कर जनता को पानी उपलब्ध करने की कोशिश करेंगे। इससे यह समस्या कम होगी और हमें भी कहने के लिये होगा कि पानी स्टोर करके सरकार हमको देती है। वैसे रेगिस्तान के लोग दूर दूर से पानी ले जाने के लिए काफी मजबूत हैं। वह घबरायेंगे नहीं। उनके लिए पानी खींचना मुश्किल होता है क्योंकि गहरे कुऐ हैं। इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुऐ जो कटौती प्रस्ताव मैंने रखे हैं उनके बारे में मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी अपनी इन्फार्मेशन के जरिये संतोष दिलायें कि यह प्रोग्रेस है, और इसके बारे में जन स्वास्थ्य विभाग में यह प्रगति हुई है। साथ ही जिन आफिसर्स ने कार्य करने में नेगलीजेंस की है, उस ओर भी मंत्री जी ध्यान देने का कष्ट करें।

श्री सभापति : श्री रामकिशन। श्री गोटेवाला, आप बाद में इनके।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप आधा घण्टा बोलेंगे। मुझे दो मिनट बोलना है।

एक माननीय सदस्य : गनगौर के काम से जाना है।

श्री सभापति : पांच मिनिट लें तो आप को मौका दे दें। इनको पांच मिनिट बोल लेने दिजिये।

श्री गोटेवाला !

श्री रामकिशन : ऐसी क्या आवश्यकता है कि बोलना ही है पांच मिनिट।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, जलदाय विभाग के सम्बन्ध में, बिकानेर के संबंध में कटौती प्रस्ताव दिये हैं, इस सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर के अन्दर पिछले दो वर्ष से पानी की व्यवस्था की गई है, उसके लिए माननीय मंत्री को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं, जयपुर शहर के अन्दर परकोटे के भीतर मकान बने हुए हैं वह मुख्यत: तीन चार मंजिले मकान हैं। वहां स्थिति यह है कि पानी ऊपर तक नहीं पहुंचता है, हालांकि मैं कहूंगा, आपके विभाग की तरफ से पिछले दो वर्ष में काफी अच्छा प्रयास किया गया है, उसके बावजूद भी अभी नहीं कह सकता कि तीन चार मंजिले मकान में ऊपर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था है। मैं निवेदन करूंगा, जहां आपने इतनी व्यवस्था की है, इस बात को भी ध्यान में रखें और जो समय निश्चित करते हैं उस

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
समय तीन मंजिल, चार मंजिल तक पानी पहुंचायें।

एक बात और, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा, पिछले सालों में कई बार जल के कई प्रकार के नमूने पेश किये गये, बताये थे, लेकिन अब की बार मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जल व्यवस्था की ठीक व्यवस्था चल रही है। इसके साथ ही जल निस्सरण की व्यवस्था हो, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे, मुझे कहीं भी तीन करोड़ का प्राविजन जयपुर शहर में जल व्यवस्था के लिए नजर नहीं आया, वह जल निस्सरण के लिए व्यवस्था है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, गत वर्ष 20 लाख रुपये सीवर लाइन ठीक करने के लिए रखे गये थे। उस रुपये का उपयोग नहीं हुआ। उसके लिए मैं अनुरोध अवश्य करना चाहूंगा, यह व्यवस्था आप करवाने की व्यवस्था करें। वरना यहां सारी सड़कों की व्यवस्था खराब होती जा रही है, सड़कों पर पानी आ जाता है और सड़कें टूट जाती हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, रुपये के अभाव के अन्दर, योजना के अभाव के अन्दर यह काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा, भारत सरकार इस काम के लिए काफी रुपया देती है। आपने तमाम गन्दी बस्तियों के अन्दर, जयपुर के अन्दर ऐसी लाखों रुपया लगा दिया, मेरी समझ में नहीं आता, माननीय सदस्य जिन बस्तियों के लिए पीने के पानी की शिकायत करते हैं, मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के अन्दर कोई मोहल्ला नहीं छोड़ा गया है, जहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर दी गई हो। मैं यह मान कर चलता हूं, कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें यह कहा था कि सब जगह, सारे गांवों के अन्दर पीने के पानी की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र करवा देंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो हमारा लक्ष्य है, उसके सम्बन्ध में आपके मुंह से बात सुनते हैं कि अगली पंचसाला योजना के बाद, जो राजस्थान के 32 हजार गांव हैं, उनमें से हजार गांवों के अन्दर हम पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पायेंगे क्योंकि आर्थिक संकट है, हम 31 करोड़ रुपये की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। इससे मेरे दिल में तकलीफ होती है। आप और हम कमिटेड हैं, और आपने और मैंने चुनाव घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा है, आपने और हमने कहा है कि हर गांव में पीने के पानी की व्यवस्था कर देंगे। हमारे सामने आर्थिक कठिनाई है और आर्थिक कठिनाई आयेगी, लेकिन मैं मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहूंगा कि वह उस इलाके से, उस जिले से आते हैं, जिस इलाके से लोग लोटा और डोरी लेकर राजस्थान के बाहर रोजी कमाने निकले थे और करोड़पति और अरबपति बन कर वापिस आये हैं मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 30 करोड़ रुपये जो तखमीने का हिसाब लगाकर आप बताते हैं और कहते हैं कि हमको साधन प्राप्त नहीं हो सकते। 50 एजेंसियां इस देश में काम करती हैं जो हर गांव में पीने के पानी का प्रश्न है, उस कार्य को पूरा करवाने की स्थिति में आ सकती हैं। तो इस काम को आप हाथ में लें और इस व्यवस्था को रुकाने का संकल्प घोषित करें।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

जयपुर शहर में जो पानी की टंकियां बनवाई हैं, उनमें से 3 टंकियों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है, उन टंकियों का भुगतान कर दिया गया है, हालांकि टंकियां अभी भी अधूरी पड़ी हैं और ठेकेदारों की सिक्योरिटी रिलीज की गई। चाहे 5 प्रतिशत सिक्योरिटी रिलीज की गई है और मान लीजिए नहीं की गई है तो भी मैं जानना चाहता हूं कि क्या विभाग के पास इस बात की व्यवस्था है कि विभाग उस सारे काम को उसी ठेकेदार से बिना राज्य सरकार को अधिक हानि पहुंचाए सारे काम को पूरा करवा लेगा? इस प्रकार से हमारे देश के धन का दुरुपयोग होता रहे और ठेकेदार को जहां तक मुनाफा हो वहां तक तो वह काम करे और उसके बाद चला जाए और अधिकारीगण उसका पेमेन्ट कर दें, सिक्योरिटी भी रिलीज हो गई या नहीं मुझे जानकारी नहीं, आप देखें लेकिन आप उसको अच्छी तरह से देखें और व्यवस्था करायें।

हम वर्षों से कहते आए हैं कि बीसलपुर बांध के द्वारा यहां की जल व्यवस्था को ठीक करेंगे, यह योजना अकेला जयपुर शहर के पीने के पानी का समाधान नहीं करेगी। यह योजना आपके अजमेर के पीने के पानी समस्या का समाधान करेगी, ब्यावर भी लाभान्वित होगा और 8 बड़े शहर लाभान्वित होंगे। पिछली बार आपने जवाब दिया था कि हम 24 करोड़ रुपये अकेले जयपुर शहर की सप्लाई व्यवस्था में ठीक करने में लगा दें या सारे राजस्थान के गांवों में पीने का पानी सप्लाई करने में लगा दें। वाजिब था, स्वाभाविक था, सारे सदन ने एक बात कही कि पहले गांवों को लें, जयपुर को बाद में कर लें और मैं भी अनुरोध करता हूं कि अकेले जयपुर का सवाल हो तो मत कीजिए लेकिन जयपुर राजस्थान की राजधानी है, 7 लाख की आबादी है, जयपुर शहर के 30 प्रतिशत हैं और 70 प्रतिशत सारे राजस्थान के हिस्सों से आकर यहां बसते हैं। इस सारी आबादी के लिए आप ठीक ढंग से पीने के पानी की व्यवस्था करें, यह अकेले जयपुर की बात नहीं है। इस पंच वर्षीय योजना में आप कितनी व्यवस्था कर रहे हैं? दो वर्ष पहले 24 करोड़ था आज हो सकता है कि 32 करोड़ हो, जब तक योजना क्रियान्वित होगी हो सकता है कि वह 50 करोड़ हो जाए। हमारे पास जहां अंडरग्राउंड वाटर है वहां सर्वे करवा रहे हैं, अभी जयपुर शहर का पानी का स्तर लगभग 5 फीट नीचे जा चुका है। आपके सामने अचानक आकर कभी संकट खड़ा हो इसके बनिस्बत अच्छा होगा यदि आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे राजधानी पर कभी संकट नहीं आये।

जल निःसरण के बारे में निवेदन है कि जो लोकल आथोरिटीज हैं जैसे यू. आई. टी. है, नगरपालिकायें हैं इनके साधनों को इकट्ठा करके 3 करोड़ रुपये ड्रेनेज व्यवस्था को ठीक करने के लिए रखे हैं, इसमें भी योगदान करके एक प्रोग्राम बनाकर इस प्रोग्राम को एक्जीक्यूट करवायें ताकि 70-80 लाख रुपए जयपुर में गत वर्ष सड़कों को ठीक करवाने में लगाए हैं वे सड़कें बच जायं और शहरों को गंदा होने से रोका जाए।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

बिक्री कर के बारे में जो मैंने कटौती प्रस्ताव दिए हैं उनके बारे मे निवेदन करना चाहता हूं। उद्योग की मांग पर मैंने कहा था कि 15 अगस्त 1970 को राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री सुखाडिया ने इस सदन में तो नहीं, लेकिन सदन के बाहर घोषणा की थी कि जो भी नए उद्योग लगाते हैं उनको बिक्री कर में रियायत दी जाएगी, उसके आज तक नियम नहीं बनें। इन नियमों को बनवायें ताकि जो लोग नए उद्योग लगाते हैं उनको यह रियायत मिल सके।

हरियाणा के मुख्य मंत्री ने आदेश जारी किया कि कोई भी बिक्री कर अधिकारी किसी भी दुकान पर नहीं जाएगा, वहां चैकिंग करने नहीं जाएगा। आपने भी ऐसे आदेश तो जारी किए हैं, आपके आदेश हैं:

"It has been brought to the notice of this office that many Assistant Commercial Taxes officers are side tracking these instructions and are still calling the dealers of the category mentioned in these circulars and asking them to produce their books of accounts on one or the other plea. When the Government have decided to give some facility to the small dealers no assessing authority should snatch from such dealers the facility unless circumstances so demand.

It is therefore, enjoined upon all the assessing authorities that whenever they consider the attendance of the dealer or his representative or production of the books of accounts to be necessary, he should record his reasons for doing so in the order sheet and than call the party otherwise in other case where the assessing authority is satisfied with the correctness of the returns, he should pass final assessment order and send copy of the same to the assessee. By this system petty dealers shall be saved from unnecessary harrassment and our assessment will also be accelerated.

All officers are therefore required to see and ensure compliance of the above noted circulars in conformity with this order.

मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस ढंग के आपके कई आदेश हैं लेकिन अदब के साथ आपसे जानना चाहता हूं कि कितने केसेज आपके अधिकारियों ने बिना बुक्स मंगवाए, बिना डीलर्स को बुलवाए, सेटिल किए? छोटे छोटे व्यापारियों को तो परेशान करते है और बड़े लोगों के लिए इसी सदन में मैंने जे.के. और डी. सी. एम. का सवाल उठाया कि वे 70 लाख की बिक्री कर से बच गए क्योंकि वे साधन संपन्न लोग हैं, हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए और आप उनसे सारी वसूली नहीं कर पाते हैं और वसूली की मात्रा कम हुई। उन पर जब जोर नहीं दे पाए और जिनसे वसूली एक हजार या 1800)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

की बनती होगी, उनको परेशान करें, यह उचित नहीं। मैं मानकर चलता हूं कि जब से आप वित्तमंत्री बने हैं उसके बाद में यह सही है कि काफी हैरसमेंट कम हुआ है और पहले जो टेरर का वातावरण था, वह समाप्त हुआ है लेकिन जिस प्रकार से आयकर विभाग में सुविधा है कि 25 हजार रुपये तक जिसका आयकर का रिटर्न होता है उस आदमी को कभी वे बुलाते नहीं है और उसका असेसमेंट आटोमेटीकिली होकर आ जाता है। किसी में संदेह तो जरूर उस बारे में बात होती है। आज बिक्री कर में छोटे छोटे लोगों के 8–8 वर्ष के असेसमेंट के केसेज पेंडिग हैं. इसलिए अच्छा होगा कि आप उनके बारे में एक तरीका बनाकर जल्दी से जल्दी उनका निपटारा करें ताकि एक तरफ आपकी आमदनी बढ़े और दूसरी तरफ वे छोटे छोटे लोग परेशान न हों। तो आप एक और कदम उठायें ताकि छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी।

एन्टी इवेजन के बारे में बताया गया कि करीब 4 लाख रुपए की बचत हुई सारा खर्चा काटकर। आयकर में व्यवस्था है, वहां बड़े लोगों को पकड़ते हैं, पकड़ने वाला और चालान करने वाला अलग अलग अथोरिटीज हैं। सेल्स टेक्स में भी ऐसा होना चाहिए।

पिछली बार उद्योगों की मांग पर मैंने निवेदन किया था, मैंने कहा था कि राजस्थान की राजधानी में 25 हजार आदमी जवाहरात की कटाई मजदूरी में काम करते है, यहां पर हजारों आदमी हैंडलूम के कामों में लगे हुए हैं जबकि कपड़े वाले लोग, बनारसी साड़ी का जिक्र आता है कि यू.पी. में टैक्स नहीं, राजस्थान में उन पर कर लगता है तो उन लोगों के मन में असन्तोष रहता है। तो आप छोटे मोटे धन्धा करने वालों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से और आप 50 करोड़ साल की आमदनी बिक्री कर से करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था को देखें। बड़े लोग जो बिक्री कर से बच जाते हैं जिनका हैड आफिस राजस्थान में नहीं है, राजस्थान के बाहर हैं, वे सारी सुविधायें तो राजस्थान से लें और राजस्थान को कुछ नहीं दें....

इसलिये माननीय वित्त मन्त्री महोदय मेरा निवेदन है कि इन बड़ी बड़ी फर्मों के हैड आफिस हमारे राजस्थान में होने चाहिये ताकि वे लोग सेल्स टैक्स की चोरी नहीं कर सकें। इसके लिये मैं आपकी जानकारी के लिये यह बता देना चाहता हूं कि आज हमारे पड़ोसी प्रांत हरियाणा में भी यही प्रणाली है। जो जो भी फर्म्स है उनके हेड आफिस वहीं पर है। दूसरी जगह हैड आफिस रखने का प्रावधान ही नहीं है। लेकिन मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि मैंने आपसे पिछले साल भी यह निवेदन किया लेकिन आपने इस पर कुछ भी तवज्जोह नहीं दिया। इसके साथ ही मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि आपके यहां जो सेल्स टैक्स की रेट्स है वह वैराई क्यों करती है। मेरा आपसे यह सुझाव है कि इसके लिये समान दरें होनी चाहिये। आज हमारे दिल्ली में जो कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा बिजनेस सेन्टर है वहां पर जो सेल्स टैक्स की रेट है वह हमारे से कम है। हमारे यहां की रेट्स सेल्स टेक्स की ऊंची है। यह होना नहीं चाहिये। इसलिये मैं, मन्त्री महो-

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

दय आपसे अनुरोध करूंगा कि सेल्स टैक्स की एक तो समान दर होनी चाहिये दूसरी आपकी सेल्स टैक्स की रेट थोड़ी ऊंची नहीं होनी चाहिये। इसके अलावा एक बात और मैं सेल्स टैक्स विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आज आपके जयपुर शहर में जो बिक्री कर विभाग के कार्यालय हैं वे सभी बहुत ही बिखरे हुए हैं एक तो जलेबी चौक में है तो दूसरा दफ्तर सी.टी.ओ. का बनीपार्क में है। तो तीसर आफिस आपके सेल्स टैक्स का रामबाग पैलेस के पास है तो मेरा निवेदन है यह है कि सेल्स टैक्स के कामों के लिये जनता को काफी परेशानी आज हो रही है लोगों को इधर उधर आने जाने में काफी समय उनका नष्ट हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस आफिस को एक ही बिल्डिंग में अगर रखें तो व्यापारी वर्ग की काफी परेशानी मिट जायेगी। इसके लिये मेरा सुझाव वित्त मन्त्री जी को यह जो हाईकोर्ट बिल्डिंग है खाली होने वाली है क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट जज के आफिसेज कलेक्टरी के पास बन रहे हैं अगर आप उन्हें यहां पर करवा दें तो यह शहर के सेन्टर क्षेत्र में भी पड़ता है और लोगों को एक ही जगह में सभी सेल्स टैक्स के अधिकारियों के कार्यालय से उनका काम हो जायेगा। लोग परेशानी से बच जावेगें। इसके अलावा थोड़ा में हलवाइयों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं आपने हलवाइयों को पिछले साल 30 हजार रुपये तक छूट दी थी उसके लिये तो मैं आपका स्वागत करता हूं..

एक माननीय सदस्य : तीस हजार नहीं पचास हजार।

श्री श्रीराम गोटेवा ा : तीस नहीं पचास हजार सही उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन उसके बाद की इनकम वालों से आप उनका एकाउन्ट्स पूछते हैं तो उन्हें बहुत दिक्कत आती है वे बेचारे कहां कहां याद रखते फिरेंगे कि कितनी कचोरी बेची और कितने समोसे बेचे। इसके लिये तो मेरा सही निवेदन है कि आप एक बैठक कर हलवाइयों की एसोसियेशन बनी हुई है उनके नुमाईन्दों से बात कर लें और तय कर लें कि हमें आप लोगों से इतना टैक्स लेना है उतनी बैठकर तय कर लें तो दोनों पक्षों को आराम रहेगा। आपको भी अपनी टैक्स की रकम पूरी प्राप्त हो जायेगी और उन्हें भी काफी दिक्कत बच जावेगी। इसके अलावा एक बात और मैं जो निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि आज आपकी जितनी भी ये चैक पोस्ट बनी हुई है उसमें आज हजारों रुपये जयपुर के व्यापारियों के जमा हुए पड़े है इन चैक पोस्ट्स के बारे में हमारे यहां पर सदन में पिछले दो सालों में कई बार विवाद हुआ आपने हमारे सुझावों को माना भी उसके लिये तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन वह आपने आधा ही माना पूरा नहीं माना। इसके लिये तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है जो कि मद्रास को डनलप कम्पनी के मामले में हुआ था उसको अगर आप मान ले तो काफी चैक पोस्ट्स पर जो व्यापारियों को दिक्कत आ रही है वह नहीं आये और आपकी इनकम में भी लाभ होगा।

श्री शंकरसिंह रावत : आप तो धन्यवाद दो कि आज आपके राजस्थान के हलवाई पढ़े लिखे नहीं है और अगर थोड़े पढ़े लिखे होते तो पता नहीं क्या करते?

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं हलवाइयों के बारे में नहीं निवेदन कर रहा हूं मैं चैक पोस्ट्स के बारे में निवेदन कर रहा हूं तो मेरा निवेदन है कि आज इन चैक पोस्ट्स पर जो अधिकारी काम कर रहे हैं वह 49,50,50 और सौ सौ रुपये रोज कमा रहे हैं और जो लोग पैसा नहीं देते हैं उनको अन–नेसेसरी हेरसमेंट कर रहे हैं। सभापति महोदय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ था उसके अन्दर सुप्रीम कोर्ट की स्पेसिफिक रूलिंग है कि चैक पोस्ट्स पर चैकिंग नहीं कर सकते है तो मेरा निवेदन है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरा माने ताकि व्यापारी वर्ग को राहत मिले और आपकी भी इनकम ठीक पूरी तरह हो जावे। अन्यथा वहां काम करने वाले भ्रष्टचार करते हैं। इस तरफ राज्य सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अब थोड़ा मैं हाथ का काम करने वाले लोगों के बारे में कहूंगा बीच में मैं विषयान्तर हो गया था। सभापति महोदय आज जो लोग जयपुर में जवाहरात का धन्धा करते है उसमें सेल्स टैक्स की काफी चोरी होती है सभापति महोदय जवाहरात में आपने सिर्फ तीन परसेन्ट टैक्स लगा रखा है लेकिन उसमें काफी चोरी हो रही है आप साल भर में दो लाख रुपये भी जवाहरात के टैक्स से वसूल नहीं कर पा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ गुजरात में हीरों के व्यापार से करीब 60 लाख रुपया टैक्स का वसूल होता है। लेकिन हमारे यहां पर जवाहरात का व्यापार अधिक टैक्स वसूल नहीं कर सके। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप आपना टैक्स के असेसमेंट का तरीका बदलें। आज आपके गलत तरीके से असेसमेन्ट करने से जवाहरात के व्यापारियों को काफी दिक्कत हो रही है। आज आप जो भी आदेश देते हैं उसकी क्रियान्विति ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। उनका एग्जीक्यूशन ठीक ढंग से हो उसके लिए व्यवस्था की जाये।

श्री दीपंकर : गोटे के काम का क्या हुआ। उस पर टैक्स के बारे में....

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप फिकर नहीं करें वह भी साथ में ही हो जायेगा। इसके लिए आपको संकल्प करना पड़ेगा इसके लिए आपको तय करना पड़ेगा कि अगर हमें खतरा उठाना पड़ेगा तो वह भी उठायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसको पूर्णतया लागू करावें। इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमको राजस्थान की जनता से करीब 50 करोड़ रुपये टैक्स के वसूल होते हैं लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक हम पीने के पानी की व्यवस्था हमारी ग्रामीण जनता को नहीं करा सके हैं। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि वैज्ञानिक तरीकों से इस समस्या का हल किया जाना चाहिए।

श्री सभापति : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : सभापति महोदय आज लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है और न ही राजस्थान सरकार यह कहने की स्थिति में है कि वह पीने की पानी की समस्या का हल जल्दी ही निकाल देगा सभापति महोदय हमने इतनी पंच वर्षीय योजनायें बनायी और यह जो फिफ्थ फाइव इयर प्लान बनाया है उसका तो आपने अभी

(श्री रामकिशन)

प्रारूप ही प्रकाशित किया है और उसके अनुसार राज्य सरकार यह कहने के स्थिति में नहीं है कि आपकी पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक आप ग्रामीण जनता को पीने को पानी पूरी तरह से दे सकेंगे। अब सवाल यह है कि इसका कारण क्या है कि हम लोगों को पीने का पानी नहीं दे पाये हैं। इसका कारण चाहे हमारा भोगौलिक कारण रहा हो या आर्थिक कारण रहा हो चाहे हमारे यहां पर रेगिस्तानी इलाका होने के कारण या पानी नहीं मिलने के कारण यह सभी हुआ हो। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि जब हमने राज्य की इतनी पंच वर्षीय योजनाओं को पूरा किया है तो हमने कुछ तो उपलब्धि की है। लेकिन मेरा इस बारे में यह निवेदन है कि हमारी राज्य सरकार ने पानी की समस्या के बारे में ठीक ढंग से सोचा ही नहीं। हमारी जो प्रथम पंच वर्षीय योजना थी उसमें हमने किसी भी चीज के बारे में प्राथमिकता तय नहीं की और सभी मुद्दों पर बराबर खर्च किया जिससे यह हुआ कि हमको उनके फल ठीक नहीं मिले। आज आजादी को हुए 25 साल से ज्यादा हो गये हैं लेकिन हम अभी तक राजस्थान में इस पीने के पानी की समस्या का हल नहीं कर पाये हैं। और सरकार की स्थिति यह है कि दस पन्द्रह साल के बाद भी सरकार यह कहने की स्थिति में नहीं है कि सारे राजस्थानियों को पीने का पानी मिल जावेगा। जब यह स्थिति है तो पीने के पानी की सबसे पहले प्राथमिकता तय करनी चाहिए थी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। रूस जब आजाद हुआ और वहां पर कम्युनिस्ट सरकार बनी तो, चाहे वह क्षेत्रफल में हमारे देश के हिसाब से कम ज्यादा हो, लेकिन आबादी निश्चित तौर पर कम नहीं थी। जब विज्ञान ने इतनी प्रगति नहीं की थी। युरोप से और सब तरफ से उसको घेर लिया गया था, उससे व्यापार बन्द कर दिया गया, सेनाओं से सम्पर्क नहीं था, सब दुनिया ने उसको घेर लिया तो उसने प्राथमिकतायें तय की। उस समय भी उसने साइबेरिया जैसे ऐरिया के लिए भी पानी पहुंचाने की व्यवस्था की।

राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए कि हम अपने साधनों से पानी नहीं दे सकते। पानी नहीं दे सकते 30 साल की आजादी के बाद और सरकार आने वाले 15 वर्ष में भी नहीं दे पायेगी इससे अधिक दयनीय स्थिति और सरकार की क्या हो सकती है? जो प्रगति रिपोर्ट दी है उसमें दिखाया गया है कि ग्राम और शहरों को पानी दिया गया। इसमें अपनी उपलब्धियों का जिक्र किया। जो काम हो पाये हैं। अथवा दिखाये गये हैं वे काम मौके पर हैं भी और उनका फायदा जनता को हो पा रहा है या नहीं असल में उनका फायदा नहीं मिल पा रहा है। योजना बनाने के लिये योजना विभाग भी आपके पास है, वित्त विभाग भी आपके पास है और पानी देने का विभाग भी आपके पास है। अन्य सुविधायें भी आपके पास है। ये योजनायें आपने बनायी, जब शुरुआत ही हुई तो खामी नजर आयी। 8, 10 साल पहले भरतपुर में पानी देने का काम शुरू किया और दो साल बाद ही पानी की किल्लत पड़ गयी। आखिर आपकी योजनायें क्या हैं? बड़े बड़े इन्जीनियर्स बैठे हैं। क्या आपने योजना बनाते समय अन्दाज

118

(श्री रामकिशन)
नहीं लगाया था कि आबादी नहीं बढ़ेगी, उद्योग धन्धे नहीं बढ़ेंगे ? जो कुछ काम हमने शुरू कर दिये वे नक्शा में है और देखने के लिये उनका उपयोग है वरना जनता को फायदा नहीं मिल रहा है। आपने प्रगति रिपोर्ट में भी जिक्र किया है कि योजना को दुबारा संवारने के लिये कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ेगी।

सुबह को आपने प्रश्नोत्तर काल में उत्तर दिया कि बांरा का बांध टूट गया। हम मालदार नहीं है। न ही मेरा ऐसा मानना है। जो गड़बड़िया हैं वह मेरे ध्यान में है। अगले साल यही दिक्कत होगी तो वहां पानी की क्या व्यवस्था होगी ? पहले जो भी योजना बनायी जाती थी तो पचास साठ साल आगे की सोच कर बनायी जाती थी। आप ऐसी योजनाये बनाते हैं जिनका बस प्रचार हो जाय। राजस्थान पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सकता तो उसको केन्द्रीय सरकार के सामने इसको रखना चाहिये चाहे किसी दूसरे ढंग से इसको रखें ताकि समस्या का निदान हो सके।

(3.34 म. प.)

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, सभापति, पदासीन)

श्री दीपंकर : सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

श्री रामकिशन : चालू रखूं क्या ? कांग्रेस के लोग गणगोर देखने चले गये हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : कांग्रेस वाले गणगोर देखने गये हैं और अपोजिशन वाले गणगोर बन गये।

(कोरम सूचक घंटी)

श्री दीपंकर : (कोरम पूरा होने पर) बोलिये साहब।

श्री रामकिशन : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आज हमारी जो स्थिति है उसको देखते हुए हमें केन्द्रीय सरकार पर दवाब डालना पड़ेगा कि वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि हम पीने का पानी सब को उपलब्ध करा सकें।

हमारा जीवन स्तर बढ़ रहा है। वाटर वर्क्स की स्कीम्स चालू की, मान लीजिये की आबादी भी नहीं बढ़ी हो और औद्योगीकरण भी न बढा हो लेकिन जीवन स्तर बढा और रहन-सहन का स्तर बढा है तो उसमें भी पानी की खपत ज्यादा होगी। बढ़ते हुए जीवन स्तर बढती हुई आबादी और बढता हुआ औद्योगीकरण इन तीनों को ध्यान में रखकर हमको चलना होगा। यदि इन तीनों को ध्यान रखे कर हमने अपने प्लान में प्रावधान नहीं किया तो हर साल हमको नये प्रावधान करने होंगे और फिर भी कमी पड़ जावेगी और नये नये क्षेत्रों के लिये हम पानी की व्यवस्था नहीं कर सकेंगे।

शुद्ध पानी मिले यह भी जरूरी है। जिस राज्य में पानी नहीं मिले पीने को तो

(श्री रामकिशन)

वहां पर उस सरकार को राज्य करने का अधिकार नहीं है। हम अजीब स्थिति में पड़ गये हैं। हम किस दिशा में चलते हैं और बगैर देखे चल देते हैं। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर बड़े बड़े शहरों में पानी की व्यवस्था नहीं करें तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है किन्तु सभापति महोदय, जहां पानी दस दस मील से लाना पड़ता हो, खराब पानी है उससे रोग उत्पन्न होते हैं, आदिवासी क्षेत्र हो, रेगिस्तानी क्षेत्र हो तो उसके विकास के लिए ज्यादा ध्यान देना होगा। जब पैसे की कमी हो तो प्राथमिकता का निर्धारण करना होगा और यह देखना होगा कि जहां अधिक कष्ट है उनके कष्टों को किस प्रकार का निवारण किया जाय। दूसरे इलाकों से प्रावधान हटाकर ऐसे इलाकों की तरफ प्रावधान करने चाहिये।

विकास के दूसरे कार्य हैं बिजली, सिंचाई, सड़कें। जिन इलाकों में ज्यादा जरूरत है, जहां पर उनसे ज्यादा रिजल्ट्स आ सकते हैं उन योजनाओं को प्राथमिकता देकर उनको पूरा करना होगा। लेकिन हमारी जो योजनायें बनी है उनमें न तो क्षेत्र को देखा गया है और न ही प्राथमिकता को देखा गया है। प्रचार चला और उस दिशा में चल पड़े।

माननीय मंत्रीजी से एक विशेष बात का जिक्र करना चाहूंगा। मुझे भरतपुर के बारे में जिक्र करना है। मैंने एक काल-अटेन्शन मोशन दिया था तो मुझे कहा गया था कि आज इस सम्बन्ध में डिमाण्ड होगी उस समय आप इसको भी प्रस्तुत कर दें। भरतपुर शहर के चारों तरफ नहर है। वह किले की रक्षा के लिए नहीं है। हमले से इसका कोई मतलब नहीं है। उसका असली मतलब यह था कि उसमे शहर के लोगों को पानी मिलता है। उसके सहारे सहारे बहुत से कुए बने हुए हैं। जनता को पानी की दिक्कत नहीं होती थी। वाटर सप्लाई योजना है वह शहर को पूरी तरह से पानी नहीं दे पाती है। नहर की स्थिति यह हो गयी है कि 25 वर्ष के बाद भी आज तक उसकी कोई मरम्मत नहीं की गयी है। जगह जगह से वह कट गयी है। सारे शहर का गन्दा पानी उस नहर में जाता है जब कि पहले उस पानी का निकास हो जाता था नहर जनता के नहाने धोने आदि का बहुत बड़ा साधन है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है और जैसी कि आपकी वित्तीय स्थिति है, मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे जो पुराने पानी के साधन थे, चाहे करौली हो, भरतपुर, हिन्डौन हो, उन पुराने साधनों को आप चालू रखें जब तक आपकी वित्तीय स्थिति ठीक न हो जाय मैं भार नहीं डालना चाहता। लेकिन स्थिति तो यह है कि नयी चीज की ओर बढ़ते जा रहे हैं लेकिन जो पुराने साधन हैं पानी के उन साधनों का कोई फायदा नहीं उठा पा रहे है। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से कहूंगा कि भरतपुर नहर की मरम्मत के लिए व्यवस्था करायें। आज ही यह प्रश्न नहीं नया उठा है। बल्कि पहले भी कई मौकों पर इसको उठाया जा चुका है। यह जवाब दे दिया था कि इसको नगरपालिका करायेगी। नगरपालिका की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि वह इसको कर सके। वह कहती है कि विभाग के साथ इसको जोड़ दिया गया है। आपके

(श्री रामकिशन)

झगड़े में नतीजा यह हो रहा है लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ आप कोई तवज्जाह नहीं कर रहे हैं। नम्बर 2, आपकी वित्तीय स्थिति को देखते हुए आने वाले 15 वर्ष में भी आप लोगों को पीने का पानी नहीं उपलब्ध करा सकेंगे इसलिए इसके लिए आपको केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालना चाहिये।

तीसरा सुझाव यह दूंगा कि पूर्वी राजस्थान में जहां कुओं आदि की सिचाई वगैरह की ठीक व्यवस्था है वहां शुद्ध पानी देने की व्यवस्था करें तथा पश्चिमी राजस्थान में जहां अत्यन्त कष्ट है, सुनते हैं वहां के बारे में तो कष्ट होता है दर्द होता है कि पांच पांच और सात सात मील से पीने का पानी लाते हैं दस मील से लाना पड़ता है विश्नोई जी कहते हैं कि वहां लाने में उतना कष्ट नहीं होता जितना उन पाताल कुओं से खींचने में कष्ट होता है। तीन-तीन, चार-चार घड़े सिर पर रख कर लाते हैं। बड़ा कष्टमय जीवन है उनका।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप देखें। दोनों न हों तो कम से कम एक तो करें।

श्री रामकिशन : आप तो बिना धन की बात करते हैं। मैं तो और कहना चाह रहा हूं। मेरा कहना है कि आप जहां सिचाई आदि के साधन हैं, कुए हैं वहां पूर्वी हिस्से को सड़कें, बिजली और सिचाई के साधन दें भरपूर और इससे जो आय बढ़े आपकी उससे तथा और उसमें मिलाकर पीने के पानी की पूरी पूरी व्यवस्था करने में उस धन को पश्चिमी हिस्से में लगावें। पीने के पानी के लिये सारे साधन उधर आप डाइवर्ट करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो किसी भी हिस्से को उठाने में आप समर्थ नहीं हो सकेंगे और पश्चिमी हिस्से के पीने का पानी देने में भी आप सफल नहीं हो पावेंगे। व्यवस्थित योजना से ही काम चलेगा।

अब राजस्थान सरकार के सारे विभाग कितने सतर्क हैं वे नियमों का कहां तक पालन करते हैं इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं कहना है। आज तो राजस्थान की ही नहीं सारे देश की ही हालत ऐसी हो गई है जिससे न विभाग बचा है न और कोई कर्मचारी या अधिकारी सरकार का बचा है। समाज की आज जो स्थिति है वह सब जगह रिफ्लेक्ट हो रही है।

वाटर वर्क्स विभाग, अजमेर के कर्मचारियों ने एक स्मारिका निकाली है सभापति महोदय जो वहां पानी की व्यवस्था करते हैं। यह स्मारिका वैसे ही मेरे हाथ में अचानक आ गई। वैसे स्मारिका निकालने से मेरा विरोध नहीं है। पर आप देखेंगे कि ये लोग किस तरह से लापरवाह हैं। यह कहना चाहता हूं मैं इसके माध्यम से। इसमें अपने मंत्री की फोटो है, मुख्य मंत्री का फोटो है, गवर्नर का भी है और चन्दनमल जी का भी फोटो उसमें है और भी जितने भी नये पुराने छोटे बड़े मंत्री हैं या थे काफी के फोटो उसमें हैं।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : आप हमारी तरफ आ जावें तो आपकी भी फोटो अपनी शुरू हो जावेगी।

श्री रामकिशन : आपकी तरफ आने में अब मेरा मन फट गया है। आपके कारनामे देखकर मन नहीं करता।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : आप योग्य हो नहीं हैं।

श्री रामकिशन : तो मै निवेदन कर रहा था कि उसमें जोगेन्द्र सिंह जी हैं गवर्नर, पर फोटो लग गया है हुक्मसिंहजी का। दस्तखत हो रहे हैं उसके नीचे जोगेन्द्र सिंहजी के। यह बहुत गम्भीर मामला है। चोफ इन्जीनियर और इसके आडिट विभाग में जो हैं वे भी क्षमता वाले लोग हैं, योग्य हैं। मंत्री जी को कापी मिली होगी उन्होंने देखा होगा। मंत्रियों ने भी कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा लगता है। अपनी फोटो को देख लेते है या रात को अपनी पत्नियों को दिखाते होंगे। क्या उनको यह जानकारी नहीं है कि इसमें गवर्नर साहब की यह फोटो कैसे लग गई है? कुछ घटनाएं भी याद हैं उन को मरे हुए लोगों की?

श्री जयकिशन लाल तोसावडा : दोनों ही सरदार हैं। आप देख लें। आप कहीं भ्रम में न हों।

श्री रामकिशन : मैं जिम्मेदारी से कहता हूं जो कुछ कहता हूं। वैसे मैं जो कह रहा हूं वह भी आरोप के लगाने के इरादे से नहीं कह रहा हूं। 16 नवम्बर 73 की यह स्मारिका है 16 नवम्बर से लेकर 21 दिसम्बर तक की यह स्मारिका छपी है। जलदाय विभाग को तरफ से है। मैं जिक्र कर रहा था इस प्रकार की और भी स्थितियां आप देखें। गोटेवाला जो कह रहे थे कि योजना में तीन करोड़ कहां रक्खा है, जयपुर के लिये तो तीन अरब रख रखा है। जयपुर वालों को यह बता दूंगा तो वे उछल पड़ेंगे कि यह तो अच्छा राज आया। कहा जाता है तीन करोड़ की बात और योजना में लिखा है तीन अरब। मैं पूछता हूं इन विभागों में बड़े बड़े विद्वान योग्य इन्जीनियर अपने को समझने वाले लोग भरे पड़े हैं। उनकी यह जिम्मेदारी है कि वे इन गलतियों का ध्यान रखते। अगर सारी स्थितियों को देखेंगे तो आज इनमें केवल ऐश आराम की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिम्मेदारियों की तरफ पूरे लापरवाह हो गये हैं। यह रिफलेक्ट करता है ये अशुद्धियां गलतियां जो ये इन छोटी मोटी स्मारिका जैसी चीजों में भी कर देते हैं। जब इन छोटी चीजों पर भी ध्यान नहीं देते, लापरवाही बरतते हैं तो फिर ये पानी देने जैसी महत्वपूर्ण समस्या और टैक्निकल चोजों में तो कितनी गफलत करते होंगे। कितनी गड़बड़ियां ये अपने कामों में करते होंगे। इससे अन्दाज लगा लें। इस सम्बन्ध में तो इतना ही कहना है कि वे इन सारे मामलों में गम्भीरता से सोचें।

दूसरा निवेदन और करना है राज्य सरकार ने अपनी किताबों में अपने विभाग की काफी उपलब्धियों का उल्लेख किया है। जब आप रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तो उसके लिये कुछ सुझाव मैं देना चाहूंगा कि आप अपनी उपलब्धियों के साथ, खामियों क्या रह गई हैं उनका भी उल्लेख उसमें साथ साथ कर देना चाहिये। कोई भी मनुष्य दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ जिससे भू

(श्री राम किशन)

तियां नहीं हुई हों। विज्ञान में भी कई चीजें नित नई आती रहती हैं। हर विभाग की रिपोर्ट आती है तो इतना सुन्दर वर्णन अपनी अपनी उपलब्धियों का उनमें होता है कि अगर बाहरी कोई व्यक्ति उसको पढ़े तो उसे ऐसा लगे कि राजस्थान हर क्षेत्र में प्रगति कर चुका है, वह कष्ट मुक्त हो चुका है। होना यह चाहिये कि हर विभाग यह बतावे कि उसके विभाग के टार्गेट क्या थे, कितने अचीव किये, कितने नहीं कर सके, क्यों नहीं कर सके, क्या कारण है, और आगे का रास्ता क्या है? इन सबका जिक्र अगर इन रिपोर्टों में हो जाता है तो उनके अध्ययन करने में आनन्द आता और सुझाव देने में भी आसानी होती है। विभाग आज जो प्रकाशित करता है अपना लेखा–जोखा उसमें मात्र अपनी स्तुति का गान प्रस्तुत करते हैं। बाकी न सुझाव के लिये मौका देते हैं न सही स्थिति के अंकन करने में वे मददगार होते हैं।

सभापति महोदय, आपने पांचवीं योजना के लिये यह कहा है कि 62 गांव ऐसे हैं जिनमें पानी की समस्या नहीं है। साथ साथ यह भी जिक्र किया कि कई ऐसे हैं जिनके पास पीने के पानी का साधन है ही नही और है तो खराब है। अब इसके साथ साथ आप यह भी जिक्र करते कि आगे क्या व्यवस्था की जावेगी तो अच्छा लगता। रोग बता देना और उसका इलाज छिपाते रहना अधूरी तस्वीर है। जन स्वास्थ्य के बारे में इतना ही निवेदन करूंगा।

अब मैं बिक्री कर को लेता हूं। इसका राजस्थान की आमदनी में बहुत बड़ा हिस्सा है। एक बात के लिये पहली बार बड़े कष्ट के साथ में सरकार की प्रशंसा करूंगा।

श्री चन्दनमल बैद: बड़े कष्ट के साथ?

श्री रामकिशन: जी हां और वह इसलिये कि पारसल राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी। कर्मचारियों की हड़ताल भी थी। बिजली का भी अभाव था। फिर भी बिक्री कर विभाग ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। इस लिये इस विभाग को बधाई देना चाहता हूं। पर इसके साथ साथ एक शब्द और जोड़ना चाहता हूं और आप देख रहे होंगे कि विगत दस पन्द्रह वर्षों से बिक्री कर की आमदनी निरन्तर बढ़ती जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके विभाग में लीकेज बहुत ज्यादा है। अगर इस विभाग को ठीक तरह से चलाया जाय तो यह आमदनी और भी बढ़ सकती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने जिस साल में जो अपने लक्ष्य रखे हैं यह विभाग उससे कभी पीछे नहीं रहा। बल्कि कुछ अधिक ही आगे बढ़ा है आप हर साल अपने लक्ष्य को एक्सटेन्ड कर रहे हो। हालांकि पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ नहीं रही है, फिर भी आपकी आय बढ़ती है तो यह साफ है कि इस विभाग को अभी भी काफी सुधारने की गुंजाइश है। अबकी साल आपने 46 करोड़ का प्रावधान रखा है, अब इसमें पचास करोड भी हो जावे तो बढ़िया है। क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है। फसल मारी गई हैं। सरसों चना की फसल हुई नहीं, अरहर नष्ट हो गई, मटर भी पूरी तरह नष्ट हो गई। इसके बावजूद भी अगर इस विभाग में सुधार किया जावे तो यह प्राप्ति बढ़ सकती है। इस विभाग में दोनों

(श्री राम किशन)

ही कर देने वाले और लेने वाले समाज के सबसे चतुरतम और योग्यतम वर्ग है। व्यापारी भी तेज होता है और इस विभाग वाले भी तेज हैं। इन योग्यततम और तेज आदमी वाले विभाग को सुधारना आसान नहीं है। आपने 73-74 के अपने प्रशासनिक प्रतिवेदन में ऊपर ही ऊपर एक श्लोक को उधृत किया है। श्लोक बहुत बढ़िया है। मैं संस्कृत का विद्वान् नहीं हूं। वैसे मैं इसे ब्रह्मणों की भाषा समझता हूं। और इसलिये पढ़ने की जरूरत भी नहीं समझता। यह राज करने वालों की भाषा उस युग में रही है जब ब्रह्मणों का राज था। इसके बाद मुसलमानों का राज आया तो फारसी अरबी आई। उसे भी मैं जनता की भाषा नहीं मानता इसके बाद अंग्रेजी आई अंग्रेजों के राज में। तो यह भी राजभाषा बनी। यह भी जनता की भाषा नहीं बन सकती। तो उस संस्कृत से मतलब नहीं पर आपने जो भाव उसमें बताये हैं वे सुन्दर हैं। लोक कल्याण की भावना से प्रजा से कर लिया जाता है उसी तरह जिस तरह सूर्य समुद्र से जल खींच कर उसे हजार गुना करके पृथ्वी पर बरसा देता है। वही राज उत्तम है जो ऐसा करता है। मैं पूछता हूं। आपका राज ऐसा ही है? क्या आपके मन्त्री गण और अधिकारी गण इसकी भावना से प्रेरित हैं? एक सूत्र यह ही अगर आप पकड लें और उस पर निरन्तर ईमानदारी से चलते रहें तो आदर्श राज्य आपका बन सकता है। पर स्थिति इससे उल्टी ही दिखाई देती है। इसको आपने ऊपर से कहा है। इससे आपकी आत्मा स्पर्श नहीं कर पाई है। आज राज्य सरकार जो कुछ इन टैक्सों से वसूल करती है उसे बड़ी निर्दयता से अपने ऐश आराम में, भ्रष्ट आचरणों में इस बुरी तरह से बरबाद करती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपने नैतिकता के इन सारे बन्धनों को और मर्यादाओं को समाप्त कर दिया है। आज जनता के कल्याण पर यह पैसा खर्च नहीं होता। मैं यह आलोचना के रूप में नहीं कह रहा हूं। आज राजस्थान सरकार के कारनामे सर्वविदित हैं। इस पर से ऐसा लगता है कि यह मोटो उनको बराबर ध्यान में रखना चाहिए। आज राजस्थान की हालत यह है कि अधिक टैक्स देने की क्षमता जनता में नहीं है। यह आप स्वयं मानते हैं।

सेल्स टैक्स की वृद्धि में दो तरह के आधार होते हैं। औद्योगिक प्रगति वाला राज्य और कृषि की प्रगति वाला राज्य। खेती वाले राज्यों में हमारी गिनती आती है और इन खेती वाले राज्यों में से राजस्थान में जनता पर सबसे अधिक मात्रा में सैल्स टैक्स लगाया गया है। यह तो आपकी जानकारी में है। औद्योगिक क्षेत्रों में आज हरियाणा गुजरात, महाराष्ट्र आते हैं जो औद्योगिकरण में आगे बढ़े हुए हैं। वहां सेल्स टैक्स से आमदनी ज्यादा बढ़ी है। पर जो हमारे समकक्ष राज्य हैं उनमें से राजस्थान की सेल्स टैक्स की दरें बहुत ज्यादा हैं। तो इस स्थिति में अधिक टैक्स बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। असल जरूरत यह है कि सारी स्थिति को सुधारें अपने विभाग को सुधारें। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि उत्तरप्रदेश के मुकाबले में हमारे यहां सैलस टैक्स की दरें ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में एक आदमी पर औसत टैक्स 8.00 समर्थिग है

(श्री राम किशन)

मध्य प्रदेश में 11.62 है।

बिहार में	7.4	प्रति व्यक्ति सैल्स टैक्स
उड़ीसा में	7.8	"
कश्मीर में	7.42	"
आसाम में	7.46	"
आन्ध्र प्रदेश में	12.98	"

लेकिन राजस्थान में 14.69 प्रति व्यक्ति सैल्स टैक्स।

अब न तो मैं घटाने की बात कह रहा हूं लेकिन इतना मेरा निवेदन है औद्योगिकरण जब तक तेजी से न हो तब तक सैल्स टैक्स ज्यादा है। हर साल आप बढ़ाते जाते हैं उसकी आवश्यकता है नहीं। इसमें जो लेप्सेज हैं, गड़बड़ियां हैं, प्रशासनिक भ्रष्टाचार है उसके सुधारने के लिए आप क्या सोचते हैं? न तो मेरे कहने से सुधरेगा और न आप इसमें कुछ सुधार करने वाले हैं अगर राज्य सरकार पक्का इरादा करले जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, खराब अधिकारी हैं तो 10 अधिकारियों में से एक को सजा दे दो तो मैं समझता हूं 49 को सुधारने की संभावना बन जाती है। लेकिन आज जो जिस तरह करना चाहे, करता है। ट्रान्सफर करने के अलावा सजा मिलती नहीं है। आमदनी का एक ही जरिया है, आपके विभाग का बिक्री कर बढ़ा है। विभाग में मोटर और दूसरे तरह के कर प्राप्त होते हैं तो इस विभाग को कसने और सुधारने की बड़ी जरूरत है। आमदनी बढ़ाने के साथ जो खर्च का प्रतिशत है यह नहीं बढ़ा है इसलिए कि आप सोचते हैं, अगर आप यह सोचते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था कम है और ज्यादा प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करलें तो ज्यादा आ सकता है। तो हम, यह सदन इस बात के लिये तैयार है और कोई बढ़ोतरी करना चाहे तो करे लेकिन साथ में जो आपका मौजूदा विभाग है और जो मौजूदा कर्मचारी हैं, मैं समझता हूं राजस्थान के लिए काफी है केवल सुधार की जरूरत है, आनेस्टी की कहें, काम की दृष्टि से कहें तो राज्य सरकार की आमदनी काफी बढ़ती है।

सभापति महोदय, मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। एक आपके यहां कोई आफीसर है–कैलाशचन्द गुप्ता, ए. सी. टी. ओ. जयपुर सर्किल। एक पार्टी को असेस करते है एक दिन तो वे करते है 55) रु. और दूसरे दिन करते हैं 495) रु.। एक दिन का असेसमेंट है 55 और एक दिन का असेसमेंट है 495 है इसका मतलब न तो मैं कैलाश चन्द जी को जानता हूं न कोई उनके इनटेगरिटी की बात बताता हूं लेकिन स्पष्ट है अगर पैसे मिल जाते है तो 55) रु. और यदि पैसे नहीं मिलते है तो 495) रु. यह सारा इस प्रकार का मामला है। मैं समझता हूं राज्य सरकार को छोटे छोटे मामलों को ज्यादा गहराई से देखना चाहिये। अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो आपके विभाग को कड़ा परिश्रम करने की जरूरत पड़ेगी।

सभापति महोदय, जब राज्य सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल थी और उन दिनों सारे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था और कर्फ्यू में सभापति महोदय आप जानते हैं न शहर में जा सकते हैं और न आ सकते हैं। एक छोटी सी पार्टी है महेश कुमार,

(श्री रामकिशन)

अशोक कुमार, किशन पोल बाजार की पार्टी है इन पर हाजिर नहीं होने का जुर्माना किया गया कि तुम मुकदमें की तारीख में हाजिर क्यों नहीं हुये। अगर कोई आफिसर आफिस में गया तो उन्होंने वास्तव में कर्फ्यू को तोड़ा और नियमों का उल्लंघन किया और नहीं गया तो रेकार्ड गलत बनाया और क्या कर्फ्यू में पार्टी जा सकती है? ऐसे समय में राज्य सरकार को तो उत्साह भी दिखाना चाहिये, यह बिल्कुल साफ मालुम पड़े कि किसी को तंग करने के लिये काम किया जा रहा है तो स्पष्ट है कि इसमें किसी कर्मचारी को या किसी अधिकारी की बदनियति है। इसलिये हम आशा करते हैं कि इस विभाग को जितना सुधारेंगे उतना ही बढ़िया है और उतनी ज्यादा आमदनी देने वाला है।

देश की जनता टैक्स देने से न कतराती है और न कतरायेगी लेकिन मेरा कहना केवल यह है अगर आप इस विभाग को जितना कसेंगे उतना ही आपको बढ़िया फल मिलेगा और पांचवी योजना में जितने सोर्सेज आपने आंके हैं, उतने मिल सकते हैं। यह कोई कठिन काम नहीं है–जैसा प्रगति विवरण से देखा, हर साल आमदनी बढ़ती जा रही है। अबकी बार क्रय शक्ति घटे, हो सकता है आपके टारगेट पूरे न हो और शीत लहर के कारण क्रय शक्ति घटेगी–हो सकता है और नहीं भी हो सकता है यह कोई जरूरी नहीं है। लक्ष्य पूरे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं लेकिन इतना निवेदन है इस विभाग को सुधारने की कोशिश करें।

एक और चर्चा होती है इस विभाग में, पुलिस विभाग में, ट्रान्सपोर्ट विभाग में इनकी सर्विसेज में जाना क्यों ज्यादा चाहते हैं। मैं समझता हूं आप भी मंत्री महोदय कोई अमेरिका से नहीं आये है, कोई विलायत से नहीं आये हैं। आप भी हिन्दुस्तान के एक हिस्से चुरू से आये हैं। इन विभागों में एडवरटाइजमेंट होगा तो हजारों एप्लीकेशन्स आ जायगी। दिल्ली से, हरियाणा से और सारे हिन्दुस्तान से और फिर तमाम जगह से फोन और दबाव आयेंगे कि इन्हें इन्सपेक्टर बना देना, इन्हें फलां बना देना। अब आप उसे स्वीकार करें या नहीं करें मेरा मतलब यह नहीं है जो आमदनी राज्य सरकार के खजाने में जानी चाहिये थी वह नहीं जा पाती है।

कुछ भरती ऐसी देखी है, आपके समय के मामले नहीं हैं, आप नाहक में न घबराये। चार–पांच साल पहले कोई वित्त मंत्री थे–सर्विसेज में एक लीव रिजर्व क्लब बना दिया जाता है। इससे सर्विसेज में असन्तोष फैलता है और फिर ईमानदारी से चलने वाले लोग हैं उनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। जबकि भरती हो तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाय, मैं नहीं कहता गलती हो ही नहीं सकती लेकिन मैरिट के आधार पर बढ़िया से बढ़िया लोगों को सर्विसेज में लिया जाय ताकि मैरिट वालों के साथ न्याय हो सके। आप उन लोगों को चुने जो मैरिट में आते हो। इन्सपेक्टर के लिये लम्बी–चौड़ी दरख्वास्तें आई हैं और जैसे ही रिजल्ट आया उनको भर्ती करें लें वरना देर करेंगे तो आप पर दबाव पड़ेगा और आप उस दबाव से कहां तक बिचेंगे?

(श्री रामकिशन)

रिजल्ट के आते ही एक दम लिस्ट निकाल देनी चाहिये। शिक्षा विभाग में अब साफ है सिफारिश की जरूरत नहीं, मैरिट देख लिया जाता है, नम्बर देख लिये जाते हैं और उसको जो मैरिट में स्टेण्ड करता हैं, ले लिया जाता हैं। अगर आप भी अपने विभाग में बढ़िया लोग लाना चाहते हैं तो मैरिट के आधार पर लें चाहे वह मैरिट बी. काम. की माने, चाहे एल. एल. बी. को ले लेकिन उस श्रेणी के जो हाईएस्ट लोग हैं उनको से लें। आपके पास सर्विसेज का दबाव भी कम आयेगा और कम रद्दी लोग आयेंगे। रद्दी लोगों के लिये सिफारिशें आती हैं अगर रद्दी लोगों को ले लेते हैं तो उनका ट्रान्सफर करना, हटाना सजा देना भी मुश्किल हो जाता है। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा आप अपने विभाग को सुधारें, आप अपने विभाग को कसें। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री दीपंकर : समय को देखते हुये समय का विभाजन सब के लिये करें।

श्री राम किशन : मैं अपने टाइम से खत्म करने वाला हूं, आप चिन्ता न करें। तो सभापति महोदय एक निवेदन और करना है कि ये मनोरंजन कर। विभाग इसकी वसूली के लिये जाता है तो विवाद हमेशा से चलता रहा है लेकिन मेरी मांग है और बहुत ज़रूरी है हिन्दुस्तान में समाजवादी परिवर्तन लाने के लिये सिनेमाघरों का राष्ट्रीयकरण किया जाय। वैसे जिस-जिस का राष्ट्रीयकरण हुआ है हम समर्थक होते हुये भी कहेंगे उसमें भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ा है और वह उद्योग जिसका राष्ट्रीयकरण किया है घाटे में चला गया है लेकिन सिनेमा एक ऐसा उद्योग है जिसमें घाटे की सम्भावना नहीं है। जो ऊंची श्रेणी में देखने वाले लोग है, सिनेमा ऐसी चीज है जितना टैक्स बढ़ा दीजिये, वे देखेंगे और अवश्य देखेंगे। गरीब जो है, उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। जो बाक्स होते हैं, उनमें बड़े क्लास के लोग जाते हैं चाहे वे व्यापारी तरीके के हो और चाहे सरकारी सेवा में उच्च पद पर गलत तरीके से आये हो वे जायेंगे तो मेरा सुझाव है सिनेमा का राष्ट्रीयकरण करें और जो ऊंची आमदनी वाले लोग हैं उन पर भी टैक्स करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : सभापति महोदय, बिक्री कर ऐसा विभाग है जिससे हमारे राज्य को बहुत ही आय होती है और वह आय हमारे प्रदेश के विकास के काम में आती है लेकिन इस आये के अन्दर कुछ ऐसी आय भी है कि चोरी अधिक होने से इसके ऊपर बढ़ा भारी अनुपयुक्त असर पड़ता है और नतीजा यह होता है कि और अधिक आय करने के लिए टैक्स लगाने की सोचना पड़ता है।

सभापति महोदय, मैं यात्रीकर के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी भी प्राइवेट बसें चलती हैं और उनके अन्दर सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि प्राईवेट बस वाले टिकट ही नहीं काटते हैं और वह इसलिए नहीं काटते हैं कि उनको यात्रीकर सरकार में जमा कराना पड़े। तो

(श्री लूणाराम)

इस मामले के अन्दर अगर देखा जाये तो परिणाम यह होता है कि जो अभी सरकार को इस यात्रीकर से आय होती है उससे कहीं अधिक आय हो सकती है यदि सही उसके पास आये। इसी प्रकार से आज शहरों के अन्दर और बाजारों के अन्दर जो भी वस्तु बेची जाती हैं उन पर नियमों के अनुसार बिक्रीकर देना पड़ता है और यह बिक्रीकर दुकानदार तो हम लोगों से लेते हैं और न वह रसीद काटते हैं और न वह पैसा सरकार के खजाने में जमा होता है। रसीद नहीं काटने से बिक्रीकर की चोरी होती है। इसका कारण एक तो उपभोक्ताओं की अजानकारी और अशिक्षा है। इसलिए मैं माननीय वाणिज्य मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि कम से कम हर जगह पर वाणिज्य निरीक्षकों को नियुक्ति की जाये तो यह वसूली के अन्दर काफी कारगर कदम होगा।

दूसरे आज यह भी है कि आज एक एक सी.टी.ओ. के पास लम्बा चौड़ा क्षेत्र है। इसके कारण से आज उसके ऊपर पूरा कन्ट्रोल नहीं हो पाता है। सभापति महोदय, हमारा चूरू जिला जो कि 7 तहसीलों में विभक्त है बहुत लम्बा चौड़ा जिला है और उसके अन्दर सिर्फ ए.सी.टी.ओ. का दफ्तर है और सी.टी.ओ. का दफ्तर नहीं होने से आज उस क्षेत्र के ऊपर पूरा नियंत्रण नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा ऐसा निवेदन है कि वहां पर सी.टी.ओ. का दफ्तर भी होना चाहिए।

इसके साथ ही साथ अब मैं कुछ जल प्रदाय विभाग के बारे में निवेदन करूंगा। चूरू जिले को पानी के मामले में देखा जाये तो राजस्थान के कई जिलों में से यह ऐसा जिला है कि जहां पानी का सबसे बड़ा भारी अभाव रहता है। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ आंकड़े चूरू जिले के जोर जोर से बताये थे। उनका अभिप्राय यह था कि इस जिले को ज्यादा अनुदान दी गई है। इस समय हाऊस में नहीं है लेकिन स्वतन्त्र पार्टी के श्री मीठालाल जी भी बार बार इस प्रकार से व्यंग चूरू जिले के जलदाय के बारे में करते हैं कि चूरू जिले को बहुत ज्यादा पैसा दिया गया है। हमारे जन स्वास्थ्य मन्त्रीजी उस जिले से आते हैं इसलिए यह सारी बातें कही जाती हैं लेकिन वास्तव में देखा जाये तो यहां पर जब भी कभी बांधों की बात होती है तो हम चुप रहते हैं क्योंकि उसके ऊपर कहीं भी कितनी भी रकम दी जाये हम कुछ नहीं कहते। इसलिए कि हमारे यहां वह नहीं हो सकता तो फिर हम उसका जिक्र भी क्यों करें। जहां जरूरत है वहां पर तो इस तरह से देखा जाये तो पीने के पानी की हमारे जिले की बहुत गहन समस्या है और जन स्वास्थ्य मंत्री महोदय कभी हमारे साथ पक्षपात तो नहीं कर रहे हैं अपितु यह कहा जाये कि जितना काम कराना चाहिए उतना काम नहीं करा रहे हैं और उतनी रकम मन्जूर नहीं कर रहे हैं—हमारे जिले के होने के नाते यह हमारी शिकायत है। आज चूरू जिले की जो पीने के पानी की समस्या है वह बहुत गहन समस्या है। तो इस संबंध में सभापति महोदय माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रकार से किया जाये हमारे जिले की पीने के पानी

(श्री लूणाराम)

की समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर हाथ में लिया जाना चाहिए।

इसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनकी तरफ माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे जिले के अन्दर दो अधिशासी अभियन्ता के दफ्तर हैं और उनके पास तहसीलवाइज काम बंटा हुआ नहीं होने से आज एक काम के लिए एक ओर 50 मील दूर दौड़ते हैं और दूसरी ओर 70 मील दौड़ते हैं। दोनों ही अधिशासी अभियन्ताओं के दफ्तर चूरू में हैं। मैं मंत्री महोदय से सुझाव रूप में कहना चाहता हूं कि जिले को दो भागों में बांट कर एक अधिशासी अभियन्ता काटकर तो रतनगढ़ में स्थापित किया जाये और दूसरे को चूरू में रखा जाये ताकि सारी तहसील पर अच्छी तरह से प्रशासन रखा जा सकें।

इसी प्रकार आज दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं सभापति महोदय, आज हमारी जो स्थानीय योजनायें मंजूर की गयी है उनके बारे में भी आज अधिकांश में यह है उदाहरण के तौर पर सोनियासर, रिड़ी और तोलियासर आदि है जिसके ऊपर अन्य काम पहले करा दिया गया है लेकिन पानी का कोई पता नहीं लगाया गया है। नतीजा यह है कि बिना पानी का पता लगाये जो काम करवाया गया वह सारा काम बेकार है और जब तक पानी नहीं मिलता है वह सारी योजना बेकार हैं। दूसरे नतीजा यह है कि मंत्री महोदय फरमा रहे थे एक प्रश्न के उत्तर में दो रोज पहले कि पाइप खरीदकर वहां पर पैसा खर्च किया गया है जब कि वहां पर पैसा खर्च किया जाना नजर नहीं आता। तो इसका हमें क्या पता पर मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि प्लान नहीं है कि कहां से पानी मिलेगा, कितना पानी मिलेगा तो उसके पहले किस हिसाब से पाइप खरीद सकते हैं। तो यह धन का अपव्यय है और इस अपव्यय को रोकने के लिए पहले पानी के सोर्स का मालुम करके रिजर्वायर और टैंक आदि का काम करवाते तो अच्छा काम हो सकता है और इससे फिजूलखर्ची भी रोकी जा सकती है।

इसी सम्बन्ध में दूसरा निवेदन यह है कि आज जो भी रिजर्वायर जैसी योजनायें विभाग द्वारा बनायी जाती हैं वह सिर्फ मनुष्यों की गणना के आधार पर बनाई जाती है। नतीजा यह होता है कि वह छोटे छोटे रिजर्वायर होते हैं और पशुओं को भी दूसरा साधन पानी पिलाने का नहीं होता है। पशुओं को भी पानी पिलाना पड़ता है तो हमारे वहां पर पशुओं की तादाद बहुत मात्रा में है और उनको पानी की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है तो वह रिजर्वायर ना के बराबर बनाये जाते है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह भी उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और वह यह समस्या भी महसूस करते होंगे तो मैं चाहूंगा कि इसमें संशोधन किया जाकर पशुओं की भी गणना रिजरवायर के बनाने में शामिल करा कर और उसमें उनके भी पीने के पानी की कोन्टेटी को ध्यान में रखकर उनका निर्माण कराया जाये जिससे

(श्री लूणाराम)

हमारे जो रिजर्वायर हैं वह कम नहीं पड़े ग्रौर वह जिजर्वायर जो कोटे बने हैं सो एक दिन भी काम नहीं चल पाता है। एक तरफ तो स्कीम बना ली ग्रौर मीलों से पानी लाते हैं ग्रौर एक तरफ यह भय रहता है कि न मालुम किस समय वह योजना बन्द हो जाय ग्रौर लोगों के सामने मुसीबत खड़ी हो जाय। पीने के पानी के स्टाक को मैं चाहूंगा कि इस बारे में सुधार किया जाय।

दूसरा इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन करना यह है कि जो काम ठेकेदारों के द्वारा करवाये जाते हैं, हमारे जिले के बारे में मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार से उसमें जो सामान लगाया गया है, सीमेंट का पिछले साल ग्रभाव था इसलिए सीमेंट का तो नाम ही नहीं रहा ग्रौर थोड़ा बहुत ऊपर से पोत कर बता दिया कि सीमेंट लगी है ग्रौर सीमेंट का नाम कर दिया गया। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा ग्रौर यह ग्राशा रखता हूं कि ग्रायन्दा के लिए जो काम ठेकेदारों को दिये जावें उस काम के ग्रन्दर सीमेंट ग्रौर लोहा जैसी चीजों को ठेकेदारों पर नहीं छोड़ा जाय ग्रौर डिपार्टमेंट की ग्रोर से सीमेंट ग्रौर लोहा लगे, वहां रिजर्व स्टाक रख दिया जावे जिससे हमारे यहां बनने वाले काम में कमी नहीं ग्रावें ग्रौर मजबूत चीजें बनें।

ग्रब इसी सम्बन्ध में मेरा दूसरा निवेदन यह है कि मेरे गांव बिग्गा की योजना के बारे में, मैं निवेदन करना चाहूंगा वह सात साल से योजना चल रही है ग्रौर पानी के सोर्सेज के बारे में जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया वही स्थिति यहां पर भी है। पूरा पानी नहीं है सारी टूटियां लगी हैं, हर मोहल्ले में टूंटियां लगी हैं, टंकी भी बन गई है, सब कुछ योजना पूरी कर ली पर पानी का पता नहीं है। नतीजा यह होता है कि चार महीने बाहर से पानी लाना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि यह योजना पंचायत के सुपुर्द की गई। इस योजना को पंचायत डिपार्टमेंट के ग्राधीन रखा है। यह योजना ग्रधूरी है ग्रौर जिससे लोगों को कोई सुविधा इस योजना से नहीं है। पिछले साल भी माननीय मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी ग्रौर ग्राश्वासन दिया था कि जो योजना पंचायत नहीं लेना चाहती हम हाथ में ले लेंगे या पंचायत को कुछ ग्रनुदान दे सकते हैं। लेकिन ग्राज तक न तो किसी प्रकार का ग्रनुदान दिया गया ग्रौर पंचायत ने यह लिख कर दे दिया, ग्रपना प्रस्ताव पास कर दिया कि ग्राप ग्रपनी योजना संभालें ग्रधिशासी ग्रभियन्ता चूरू को योजना संभलाने की सूचना दे दी उसके बावजूद उस योजना का खर्चा, विद्युत् का खर्चा, पंचायत को वहन करना पड़ता है ग्रौर पंचायत पर ग्रधिक भार पड़ जाने से विद्युत् विभाग ने कनेक्शन विच्छेद कर दिया जिसका नतीजा यह हुग्रा कि चार दिन तक सारा गांव प्यासा मर गया। ग्राखिर किसी तरह से पंचायत ने रुपये इकट्ठे करके दो हजार रुपये जमा कराये। इस प्रकार से जन स्वास्थ्य विभाग को सुस्ती ग्रौर नींद नहीं उड़ी ग्रौर पंचायत के प्रस्ताव पास करने के बाद भी ग्रौर लिख कर देने के बाद भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस पर मैंने खुद हमारे चीफ इंजीनियर साहब को

(श्री लूणाराम)

एप्लीकेशन दी कि साहब आप इस योजना को अपने हाथ में ले लें ताकि लोगों के सामने इस प्रकार का संकट न हो।

इसी प्रकार से दूसरी समस्या इस योजना के अन्दर यह है कि वहां जो कुए हैं बीदासर, मोटासर में वह ढहने के काबिल हैं। मोयासर में एक कुआ है जो ढहने के लायक हो गया है और एक करते वह कुआ तो ढह भी गया है। उसके लिए एक लाख का एस्टीमेट विभाग ने बनाया लेकिन आज तक कोई भी काम कहीं कराया गया। ये कुए किसी भी समय ढह सकते हैं पर हमारे विभाग ने दूसरे पानी के सोर्सेज की खोज करने में और कुओं की मरम्मत के लिए कोई काम नहीं करवाया है। मैं चाहूंगा कि दैवी संकट विपत्ति न मालूम किसी भी वक्त हो सकती है, इसलिए ऊपर से पैसा मंजूर करवा कर इन कुओं को शीघ्रातिशीघ्र तैयार करवाया जाय।

इसी प्रकार से आज हमारी दूसरी योजना जो है वह डूंगरगढ के बारे में है। इसके बारे में इतना ही निवेदन है कि आज हमारे डूंगरगढ़ के बारे में जैसा कि माननीय मंत्री महोदय फरमा रहे थे मेरे प्रश्न के उत्तर में प्रश्न काल में कि वहां पर योजना नगरपालिका चला रही है। नगरपालिका वहां पर कोई योजना नहीं चला रही है वह तो सिर्फ तीन कुओं का पानी बेच कर अपनी आमदनी चला रही है। बाकी के सारे के सारे सार्वजनिक कुए अपने आप गांव में चल रहे हैं। कुओं में बहुत गहरा पानी है। मैं उनसे चाहूंगा कि दूसरे सोर्सेज ढूंढ कर वहां के लिये पीने के पानी की व्यवस्था कराई जाय। दूसरे सोर्सेज ढूंढ भी लिए गए हैं। इसके लिए मैं एक निवेदन और करूंगा कि जो पानी के लिए जगह 2 टूंटियां लगाई जाय, इन टूंटियों के अन्दर ऐसी व्यवस्था की जावे कि सार्वजनिक कुए वंचित नहीं रहे, उनका भी कनेक्शन किया जाय जिससे कि रिजर्वायर से भी पानी मिल सके और इन कुओं का भी उपयोग हो सके और पशुओं के लिए भी पानी मिल सके। मोहल्लों के अन्दर भी पानी मिल सके और कुओं की सुन्दरता भी खराब नहीं हो। जो उनकी टूट फूट है उसको ठीक करा दे ताकि लोग उनको बर्बाद न करें।

इसी प्रकार से हरिजन मोहल्लों के बारे में हमारे माननीय मंत्री महोदय ने पिछले साल भी यह फरमाया था कि कोई भी हरिजन मोहल्ला हमारी योजना से वंचित नहीं रखना चाहिए। पर आज हरिजन मोहल्लों के अन्दर न कोई ऐसी लाईन पहुंचाई गई है और न वहां पर रिजवांयर बनाये गये हैं न कोई टूटियां लगाई गई हैं। नतीजा यह हुआ कि आज वर्तमान समय के अन्दर गांव के अन्दर अगर तीन कुए थे और तीन जगह पानी की सुविधा थी परन्तु उन तीन जगहों का पानी की सुविधा को खत्म कर दिया गया। इसके अन्दर न तो गांव की राय ली, न पंचायत से राय ठेकेदारों से राय लेना उचित समझा और अपनी मर्जी आई वैसे ठेकेदारों ली, न डिपार्टमेंट ने किसी प्रकार से से हाथ मिलाया और वहां पर एक रिजर्वायर खड़ा कर दिया और दो जगहों को बन्द कर दिया है। जैसा कि मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि वहां पर इस प्रकार से

(श्री लूणाराम)

रिजर्वायर छोटे हैं और छोटे-छोटे रिजर्वायर होने से उसमें अगर पांच दस टूंटी लग गई और तीन सौ घर का गांव है और एक साथ पचास घर के आदमी पानी लेने आ जायं तो वहां पर जमघट मच जाएगा और पानी नहीं ले पाते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा और यह आशा करूंगा कि वे आश्वासन देंगे कि किसी हरिजन मोहल्ले में जो वर्तमान सुविधा उपलब्ध है उनकी सुविधा को कम न करते हुए उसी प्रकार से बनाए रखेंगे।

दूसरा इस सम्बन्ध में, सभापति महोदय मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि गांव के जो कुए हैं, इस योजना से जो कुए काम में नहीं रहेंगे, ऐसे कुओं को जिनको आज हम रिजर्वायर कहते हैं हौज कहते हैं, वे इतने मजबूत हैं कि आज के बनने वालों से भी काफी मजबूत हैं और उनसे मुकाबला नहीं हो सकता है। उनको जरा सा सुधार कर, तैयारी करके रिजर्वायर की तरह से बनाया जाय तो इस जगह जो पीने के पानी का साधन है उसमें कमी नहीं आएगी और दूसरा सरकार का भी इतना ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आज नए काम कराने वाले हैं उसमें भी बचत होगी और पीने के पानी की अच्छी सुविधा इस रूप में अलग से प्राप्त होगी।

श्री सभापति : आप अब समाप्त कीजिए।

श्री लूणाराम : सभापति महोदय, हम प्यासे इलाके के लोग हैं, हमें अपनी बात रखने दें।

श्री सभापति : मिनिस्टर भी तो आपके इलाके के ही हैं।

श्री लूणाराम : इसी प्रकार से आज हमारे इलाके के बारे में दो तीन रोज पहले प्रश्न के उत्तर में हमारे जन स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने फरमाया था कि उस इलाके के उत्तरी क्षेत्र में अधिक पानी नहीं है, ऐसा हमने अनुभव कर लिया है और इसलिए जो वहां पर दूसरी योजना बना कर राजस्थान केनाल से बनाई जा रही है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि जो योजना बनी है वह उत्तरी क्षेत्र के लिए नहीं, वह तो पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र के लिए है, तारानगर और राजगढ़ तहसीलों के लिए योजना बनी है और दो तहसीलों के लिए जो योजना है जिसमें हमारे जन स्वास्थ्य मंत्री जी का भी क्षेत्र आ जाता है और दूसरा रामसिंह जी का क्षेत्र है, वहां पर योजना बननी आवश्यक थी। क्योंकि वहां का पानी खारा है हमारे जिले में खारा पानी बहुत है और उस योजना से लगता हुआ इलाका ही है जिसमें अधिक हिस्सा माननीय जन स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र का है और मेरे क्षेत्र का भी है। मेरा क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहां खारा पानी का और कम पानी वाला न हो, ऐसी बात नहीं है। मैं चाहूंगा कि उत्तरी क्षेत्र का जो हिस्सा है चूरू जिले का ठेठ पूनासर से लेकर और उसके बारे में जैसा जन स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने कहा कि उनको यह विश्वास हो गया है कि जमीन के अन्दर अधिक पानी नहीं है इसलिए राजस्थान नहर या दूसरे किसी हैड से योजना बना कर जोड़ना चाहते हैं तो वे जल्दी से जल्दी पानी की व्यवस्था करवायेंगे, ऐसी मैं उनसे उम्मीद रखता हूं।

(श्री लूणाराम)

इसी प्रकार से, सभापति महोदय, आज चाहे लखूवाली या बीरदावाल किसी भी हैड से चूरू जिले के अन्दर हमारे गांव एक गांव से दूसरे गांव तक काफी दूरी होने के कारण और पानी गहरा होने के कारण जो योजना ली जाती है वह योजना उतनी मुश्किल हो जाती है बिजली के बिना। मैं चाहूंगा कि जो योजना रीजनल लाईन डाल कर काम करवाया जाता है उसकी जगह अगर जन स्वास्थ्य मंत्री महोदय विद्युत लाइन खिचवा दें तो योजना सस्ती होगी और जो रीजनल लाइन के कारण दिक्कत आती है वह भी कम हो जाएगी ऐसी उम्मीद है।

इसी प्रकार से दूसरा निवेदन है कि आज इस योजना के कारण....

श्री दीपंकर : सभापति महोदय, आपके सामने घण्टी लगी हुई है।

श्री सभापति : मैं तो इनको पहले ही कह चुका हूं कि समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : चूरू का घण्टा बज रहा है तो घण्टी क्या करेगी।

श्री सभापति : आप कृपया समाप्त करें।

श्री लूणाराम : मैं तो अभी समाप्त कर रहा हूं लेकिन जो बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं।

श्री दीपंकर : मैं माननीय सदस्य को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं लेकिन लिस्ट काफी लम्बी है, त्यौहार का दिन है थोड़ा थोड़ा समय सभी माननीय सदस्यों को बोलने दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : दीपंकर जी आपकी गणगौर तो यहां पर नहीं है।

श्री लूणाराम : आज इन योजनाओं के कारण हमारे जो टैंक व जहाज बने हुए हैं, लाखों रुपये के कुंड हैं जिनका पानी पीने के लिए बहुत काम का है और उनके साथ साथ इस क्षेत्र के अन्दर जो जंगली जानवरों के लिए पानी पीने के लिए हौज बने हुए थे वे भी बेकार हो रहे हैं। इस ओर भी कृपया माननीय मंत्री महोदय ध्यान देने का कष्ट करें। इसी प्रकार से एक बात बीकानेर के बारे में है। इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि वहां पर रिजर्वायर के लिए लाखों रुपये खर्च करने की आवश्यकता हो रही है। दूसरी तरफ वहां पर एक सूर सागर नाम का तालाब है जिसमें गंदा पानी रहता है। उसको पाटने के लिए लाखों रुपयों की आवश्यकता है। ये दोनों विभाग भी स्वास्थ्य मंत्री महोदय के पास हैं। इसलिए यह निवेदन है कि इस नये रिजर्वायर के बनाये जाने की जगह इस सूरसागर को सुधारा जाये तो यह बीकानेर शहर के लिए रिजर्वायर भी होगा और खर्चा भी अधिक नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल (पाली)

श्री शंकरलाल (पाली) : सभापति महोदय, समय की कमी को देखते हुए मैं

(श्री शंकरलाल)

अत्यन्त ही संक्षेप में निवेदन करूंगा। माननीय मंत्री महोदय ने कुछ ही दिनों पूर्व मेरे प्रश्न के उत्तर में यह बताया था कि राजस्थान के अन्दर पांचवीं पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक भी आठ हजार गांव से कुछ अधिक गांव बिना पानी की समस्या हल हुए ही रह जाएंगे। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इसी सदन के अन्दर ग्रामीण पेय जल समस्या के निवारण के लिए एक बोर्ड के गठन की बात पर चर्चा करके एक प्रस्ताव स्वीकार किया था। इस सम्बन्ध में आज मैंने पूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर ली है और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज ही नहीं बल्कि काफी समय पूर्व एक गैर सरकारी प्रस्ताव, दिनांक 4 अप्रेल 68 को इस सदन के अन्दर रखा गया था। इस गैर सरकारी संकल्प पर लगातार दो वर्ष तक ग्रामीण जल समस्या के निवारण के सिलसिले में माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार यहां पर रखे थे और 31 मार्च, 1970 को यह प्रस्ताव पारित हुआ है यह गैर सरकारी संकल्प इस सदन ने स्वीकार किया और उस वक्त के मंत्री श्रीमती सुमित्रा सिंह

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति पदासीन)

ने यह स्वीकार किया था कि इस प्रकार के बोर्ड का गठन किया जाएगा और राज्य मंत्री ने यह कहा था उस वक्त कि ज्यादा अच्छा तो यह होता कि माननीय सदस्य इस बात के लिए स्ट्रेस करते कि ग्रामीण पेय जल समस्या के निवारण के लिए एक सक्षम बोर्ड बनाया जाये जिसको इस समस्या को हल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेन्शियल पावर्स भी प्राप्त हों। यह राज्य मंत्री श्रीमती सुमित्रासिंह ने कहा है। इसके बाद आगे माननीय सदस्यों की राय है। इसके पहले हरिशचन्द्र जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गयी थी। माननीय सदस्यों ने जो राय जाहिर की है, शंका की है उस सम्बन्ध में भी इसमें कहा गया है और यह बात कही है कि 'ग्रामीण पेय जल समस्या के निवारण के बोर्ड के गठन का जो प्रस्ताव है, उसको स्वीकार करते हैं।' इतना ही नहीं सभापति महोदय उन्होंने आगे जाकर यह कहा है कि दो महीने के अन्दर बोर्ड बना दिया जायगा। मैं माननीय सदस्यों के समक्ष इसलिए यह बात रख रहा हूं कि इसी सरकार के······

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह कौनसी तारीख की प्रोसिडिंग्स है।

श्री शंकरलाल : 31 मार्च 70 की है।

यह कोई व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं। आपने जो बात राज्य मंत्री के बतौर कही है, वह कह रहा हूं।

मैं यह कह रहा था कि यह राय हमारी राज्य सरकार की थी।

इसलिए मैं मौजूदा मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि आपको इस बारे में क्या कहना है। क्या आप इस बात को किसी तरह से उड़ाना चाहते हैं। इस सदन

(श्री शंकरलाल)

के अन्दर दो साल तक गैर सरकारी संकल्प पर चर्चाएं होती रहीं और उसके बाद राज्य सरकार ने उसको स्वीकार किया और दो महिने के अन्दर बोर्ड के गठन का आश्वासन दिया। वह आश्वासन आज पूरा नहीं हुआ। यह बात 70 की थी और आज 1974 चल रहा है। चार साल के बाद भी यह बोर्ड नहीं बना है जबकि राज्य सरकार ने राजस्थान के ग्रामीणों के पेय जल की समस्या के निवारण के लिये बोर्ड के गठन की बात को यहां पर स्वीकार कर लिया था। अफसोस इसलिए होता है कि जब मंत्री महोदय यह कहें कि क्या बोर्ड के गठन से समस्या हल हो जायेगी? यह आपके कहने की बात है। माननीय सदस्यों ने यहां पर चर्चा की है, विचार किया गया है और विचार करने के बाद यह तय हुआ है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह निर्णय सदन का है और उस निर्णय पर यहां पर सदन में घोषणा की गई थी। जब बोर्ड का गठन होगा और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेन्शियल पावर्स मिल जायेंगे, तो वह इस समस्या को हल करने के लिये अलग से मशीनरी रख सकेगा, पब्लिक से कन्ट्रीब्यूशन ले सकेगा। जो बड़े बड़े लोग हैं, उनकी मदद ले सकता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जब जल बोर्ड था तो उस वक्त गावों के अन्दर जो काम हुआ था, चाहे वह कुओं के लिए हुआ हो, उतना काम आज तक नहीं हुआ है। यह काम सरकारी मशीनरी नहीं कर सकी है। जनतन्त्र के अन्दर इस प्रकार का बोर्ड बनना चाहिये जिसमें गैर सरकारी सदस्य भी हों, सरकारी सदस्य भी हो वरना आपकी जो मशीनरी है, वह इस काम को जल्दी नहीं कर पायेगी। जितना आपका पैसा है और जितनी मशीनरी है उसका उपयोग ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। तेजी से काम करने की कोई इस प्रकार की विचारधारा नहीं है। यह बोर्ड ही उनको दे सकता है। इसलिए यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर ध्यान देना चाहिये कि सरकार अपने निर्णय को वापिस ले ले। मंत्री महोदय को यह कान्क्रीट बात बता रहा हूं। इसके बाद में, उनके क्या विचार हैं यह बतायें। सदन ने यहां पर विचार किया था और उसको स्वीकार किया था। इसलिए इस बोर्ड का जल्दी से जल्दी गठन किया जाये और ऐसे बोर्ड का गठन हो कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राजस्थान का एक भी गांव ऐसा न रहे जहां पीने के पानी की व्यवस्था न हो। दूसरी जो योजनायें हैं उनको आप काट दें। अगर आप सड़कें कम बनवायेंगे तो कोई बात नहीं। दूसरे कामों के अन्दर आप कमी कर सकते हैं लेकिन यह जो पेयजल की समस्या है, इसको आप उच्च प्राथमिकता दें। यह हमारी प्राथमिक मांग है। अगर इसको आप कर देते हैं तो एक ऐतिहासिक चीज आप कर देंगे। आजादी के इतने साल बाद भी हम राजस्थान के अन्दर पीने के पानी की सुविधा गांवों को नहीं दे सके हैं। सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य श्री रामकिशनजी एक पुस्तक का हवाला दे रहे थे कि मौजूदा राज्यपाल की जगह पहले के राज्यपाल हुकमसिंह का फोटो इस पुस्तिका में छपा है। हुकमसिंह जी भी राज्यपाल हैं और दूसरे भी राज्यपाल हैं। कोई बात नहीं। एक का फोटो दूसरी जगह छप गया है। परन्तु इस विभाग के अन्दर ऐसे गावों के नाम भी ले लिये गये हैं जहां

(श्री शंकरलाल)

कि गांव है ही नहीं। मेरे क्षेत्र में गुन्दोज में पेय जल की एक योजना चल रही है। उसमें यह प्रश्न किया था—यह प्रश्न आज ही था किन्तु सदन में समय के अभाव के कारण नहीं आ सका। कितने गांवों को आप यह पानी पहुंचा सकेंगे। इसमें एक गांव बताया है युदनोर। पता नहीं गको जगह य टाइप हो गया हो। परन्तु इस नाम का कोई गांव पाली जिले में नहीं है। इस प्रकार आप देखेंगे कि आपके विभाग से ऐसी सूचनाएं आती हैं जिसके कोई सिर पैर नहीं हैं। गुन्दोज में काम चल रहा है और 67 लाख 50 हजार की स्वीकृति हो चुकी है जिसमें से 60 लाख 66 हजार अभी तक खर्च होने बाकी हैं। इस योजना से 58 गांवों को पानी मिलेगा। यह बहुत अच्छी योजना है परन्तु इसकी जो प्रगति है वह बहुत ही धीमी है। इस प्रश्न के जरिये जो कि आज सदन में नहीं आ सका, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपकी योजनाएं बनती हैं, चालू होती हैं परन्तु कई योजनाएं अधूरी रह जाती हैं। कई योजनाओं को देखिये। पाइप लगे हुए हैं, लाइन भी है किन्तु पानी नहीं आता है। इस प्रकार की जो आपकी योजनाएं हैं, उनको आप पूरा करें।

श्री परसराम मदेरणा : क्या आप उस योजना की बात कर रहे हैं जिसका उद्घाटन माननीय मुख्य मंत्री ने किया था।

श्री शंकरलाल : हां उसी का जिक्र कर रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : उसका काम काफी अच्छा चल रहा है।

श्री शंकरलाल : यह जो काम हो रहा है, उसको आप स्वयं जानते हैं। अगर इन गांवों को पानी दिया जाये तो काफी पानी आप जोधपुर भी पहुंचा सकेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सिविल वर्क्स पहले होते हैं और बाद में एक्चुअल वर्क्स होते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : सिविल वर्क्स का काम पहले नहीं हुआ है। वर्क्स को दो महिने पहले मैंने देखा था और एक महीने पहले देखा है तो वर्क्स में काफी प्रगति हुई है।

श्री शंकरलाल : प्रगति तो हुई है लेकिन जिस गति से होनी चाहिए उस गति से नहीं हो रही है। आने वाली बरसात में आप जोधपुर को पानी पहुंचाना चाहते हैं तो वह पानी कच्ची नालियों से, माननीय मंत्री जी, गांवों के अन्दर पानी दें। कुछ गांव ऐसे हैं कि जहां पक्की लाईन बिछाई जा रही है। यों तो कन्स्ट्रक्शन पूरा नहीं होगा और एक आध गांव में भी पानी नहीं पहुंच सकेगा तो पानी का बचाव नहीं कर सकेंगे जोधपुर के लिए यह मेरे कहने का तात्पर्य है।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें 15 लाख रुपया शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रखा है वह मैं समझता हूं कि पर्याप्त नहीं है। मैं पाली शहर की बात करता हूं कि वहां पर मैंने पूछा कि आपने हरिजन बस्तियों के लिए प्रावधान क्यों नहीं किया तो उन्होंने कहा कि पैसा खत्म हो गया और कुछ पैसा समाज कल्याण विभाग देता है तो वह समाज कल्याण विभाग से ट्रान्सफर नहीं किया

(श्री शंकरशाल)

मैंने पूछा एक्स.ई.एन. से तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास कागज आया है कि इतना पैसा स्वीकृत हुआ है, लेकिन पैसा नहीं आया इसलिए पैसा शेड्यूल्ड कास्ट की बस्तियों में नहीं लगाया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक्स.ई.एन. ने मुझे सूचना दी है कि समाज कल्याण विभाग से पैसा शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बस्तियों के लिए आना चाहिए था वह नहीं आया है, केवल कागजी सूचना आई है, इसलिए पाइप लाईन नहीं लगाई गई है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कागजी काम नहीं होकर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जितनी बस्तियां हैं, मैं पूरे राजस्थान के लिए कह रहा था कि आप शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बस्तियों को पानी देने के लिए नल योजना के लिए पैसा पूरा रखें, उसको कार्यान्वित करवायें।

यह मैं निवेदन कर रहा था कि सेल्स टैक्स के बारे में अधिक विचार नहीं करना चाहता हूं। मैं अपने क्षेत्र की ही एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि पाली के अन्दर रंगाई और छपाई का बहुत बड़ा काम होता है। वहां पर सेल्स टैक्स लगा हुआ है, और सेल्स टैक्स का जो कानून है उसमें डीलर को माफी दी हुई है। डीलर शब्द की परिभाषा में यह लिखा हुआ है कि जिस आदमी का खुद का कारखाना हो, खुद का कपड़ा होता है उसको तो सेल्स टैक्स माफ है। इसका मतलब यह है कि जो बड़े बड़े आदमी हैं जो खुद अपना कपड़ा मंगाते हैं और रंगते हैं उनको तो सेल्स टैक्स माफ है, लेकिन जो छोटे रंगरेज हैं जो बेचारे दूसरे दुकानदार का कपड़ा लेकर उनको रंगते हैं उनसे सेल्स टैक्स वसूल किया जाता है, और उनसे कहा जाता है कि आप डीलर नहीं हो। मेरी समझ में नहीं आता है कि समाजवाद की नीति से आप काम ले रहे हैं तो डीलर शब्द का अर्थ ऐसा लगाया जाय। कम से कम इसको आप देखें। 5-10 रुपये रोज कमाने वाले से तो आप रंगाई पर सेल्स टैक्स ले रहे हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले जो हैं जो खुद के कपड़े को रंगाई करते हैं, वे आपकी सोशियेलिस्टिक पालिसी है तो उसका इन्टरप्रिटेशन भी सोशियेलिस्टिक होना चाहिए। इसमें गलत इन्टरप्रिटेशन हो तो उसको ठीक किया जाय जिससे वहां के जो छोटे आदमी हैं उनसे टैक्स न लिया जाकर जिन आदमियों से लिया जाना चाहिए उनसे लिया जाय।

सभापति महोदय, मैं सरकारी आदमियों की पैरवी नहीं करता लेकिन सरकारी नौकरियों के अन्दर सन्तोष बना रहे और वह लोग काम करें तो उनके साथ में न्याय होना चाहिए। ए.सी.टी.ओ. और इन्सपेक्टर्स के मामले में जो लोग मुझ से मिलने के लिए आये हैं उन्होंने जो फैक्ट्स रखे तो, सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य हुआ कि कई ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10-10, 15-15 साल से ए.सी.टी.ओज. के पद पर काम कर रहे हैं लेकिन डी.पी.सी. ने नहीं माना इसलिए इन्सपेक्टर्स बना दिये गये। 15 साल से आदमी काम करे उसको डी.पी.सी. ने क्यों नहीं माना? मैं निवेदन कर चुका हूं कि कान्फीडेन्शियल रिपोर्ट ठीक नहीं थी। ऐसे आदमियों को जिन पर मुकद्दमें बने, भ्रष्टाचार के मुकद्दमें बने उनका जो है कन्फर्मेशन को गया, और

(श्री शंकरलाल)

उन आदमियों को ए.सी.टी.ओ. पद पर 15 साल से कार्य कर रहे हैं इन्सपेक्टर बना दिया गया सिर्फ कान्फीडेन्शियल रिपोर्ट के आधार पर जो कि लॉजीकल और ठीक नहीं होती है और साइन्टीफिकली बेस्ड नहीं होती है और सिर्फ जो चमचागिरी पर ज्यादा होती है उसको बेस लेकर यह कर दिया। इतना ही नहीं उनको आफिशियेटिंग चान्स भी नहीं दिया। कई इन्सपेक्टर्स ए.सी.टी.ओज. के पद पर काम कर रहे हैं और ए.सी.टी. ओज. के पद पर 15 साल से काम कर रहे हैं उनको आफिशियेटिंग भी नहीं देते हैं। वह नौकर बडी दर्द भरी बात करते हैं। वे कहते हैं कि हमने सेवा के अन्दर ईमानदारी से काम करने की कोशिश की और इतना टैक्स कलेक्ट किया। इन ए.सी.टी. ओज. ने कितना टैक्स कलेक्ट किया है और दूसरों ने कितना टैक्स कलेक्ट किया है इस आधार पर भी हम देखें। टैक्स जिन्होंने अच्छा कलेक्ट किया है उनको कान्फीडेन्सियल रिपोर्ट पर यह करते हैं तो सर्विसेज का हार्ट बर्निग होता है, उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। वह लोग *अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते हैं।* इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय से मैंने यह बात कही थी उन्होंने इस बात के लिए असमर्थता जाहिर की है कि डी.पी.सी. ने जो कुछ कर दिया

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

वह कर दिया। जहां अन्याय की बात हो तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप उनकी शिकायत को सही महसूस करें और सही बात के आधार पर न्याय करना है तो उसके लिए कदम उठायें। बस इतना ही मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : श्री विजयसिंह

(अनुपस्थित)

श्री चेतराम

(अनुपस्थित)

श्री भंवरलाल भदाद

(अनुपस्थित)

श्री नन्दलाल बैरवा।

श्री नन्दलाल बैरवा (केशव राय पाटन) : सभापति महोदय, टैक्स के मामले पर भी मैंने कटौती के प्रस्ताव दिये हैं उस पर निवेदन करूं उसके पहले मैं जल-योजना के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान में सबसे बड़ी मुख्य समस्या जो है वह पीने के पानी की समस्या है। पीने के पानी की योजना में ग्रामीण योजना के क्षेत्र मे राज्य सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया है और करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद भी जिस प्रकार से वह समस्या हल होनी चाहिए थी नहीं हुई है। उसमें काफी कठिनाइ अनुभव हो रही है।

सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र बूंदी जिले के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। बूंदी शहर में, केशोराय पाटन, लाखेरी और नैनवा में जल-प्रदाय योजनाएं ली गई।

(श्री नन्दलाल बैरवा)

लेकिन जल-प्रदाय योजना बनाते समय किसी ने इस बात का प्रावधान रखने का ध्यान नहीं रखा कि जहां पर अनुसूचित जाति की जो बस्तियां बनी होती हैं उनमें भी पर्याप्त मात्रा में पानी देना है। मैं ज्यादातर यह देखता हूं कि पिछड़ी जातियों में एक आधा इंच का नल लगाकर उनको पानी देते हैं। वह कागजों पर नल लगाते हैं लेकिन मौके पर जाकर देखते हैं तो पता लगता है कि योजना के बराबर हैं। आज सैकड़ों गांवों में हरिजन परिवारों को कुए पर पानी नहीं भरने दिया जा रहा है। इसी प्रकार से शहरों के अन्दर भी ग्रामीण क्षेत्रों की तरह हरिजनों को पानी मिलता है इसलिए नल योजना का कार्य किया जाता है, लेकिन उनकी बस्तियों में पीने के पानी का नल एक से ज्यादा नहीं लगाया जाता है।

ग्रामीण–नल योजना के अन्दर भी मेरे क्षेत्र में एक गांव है करवड़। उस क्षेत्र में पिछले दो साल से जल योजना कार्य कर रही है। वहां पर पानी दिया जाता है रैगर जाति की बस्ती को तो उसके अन्दर आधा इन्च का नल विभाग की तरफ से लगाया गया है। कई दफा लिखा पढ़ी करने के बाद उसको चालू करते हैं लेकिन 15–20 दिन में ही वह हटा दिया जाता है और उनका पानी बन्द कर देते हैं। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे ग्रामीण नल–योजना हो, चाहे शहरी नल योजना हो लेकिन हरिजन बस्तियों में प्राथमिकता के आधार पर पीने का पानी उसी आधार पर दिया जाना चाहिए जैसा कि अन्य बस्तियों में दिया है। हम बार–बार अधिकारियों से मिलते हैं तो वह केवल कागजों पर बता देते हैं कि हमने हरिजन बस्तियों में मन्जूर कर दिया है।

बड़ा खेड़ा की योजना विभाग के विचाराधीन है। इसमें पाटन खेड़ा योजना अभी तक चालू नहीं हुई है। इसी तरह से कांग्रेस के अन्दर योजना के लिए जनता की ओर से पैसा जमा कर दिया गया है। केशोराय पाटन को चम्बल से पानी दिया जा रहा है। चम्बल का गन्दा पानी आता है। उसमें कीड़े मकोडे आते हैं। इसी प्रकार से लाखेरी नगर पालिका के अन्दर टैंक से पानी दिया जाता है। वहां की आबादी को देखते हुए वहां पानी पहुंच नहीं पाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि गांवों में रहने वालों को पानी मिल सके। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बूंदी जिले के एक्स.ई.एन. का आफिस पहले कोटा के बजाय झालावाड़ मे रख दिया गया है। कोटा छोड़ दिया है। अब लोगों को झालावाड़ जाना पड़ता है। झालावाड़ में दो साल हो जाये, काम नहीं होता है। तो मेरा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन है कि झालावाड़ में जो आफिस रखा है तो उसका हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन बूंदी वालों के लिए उक्त आफिस बूंदी में ले जाना चाहिए। इसके साथ–साथ एक और निवेदन है कि अब मई-जून आयेगी। लाखेरी सीमेंट फैक्ट्री को अगर पानी नहीं दें तो निश्चित रूप से बड़ी दिक्कत होगी। वहां पर्याप्त मात्रा में पानी देने की आवश्यकता है। लाखेरी योजना चलाई जा सकती है। इसके साथ–साथ

(श्री नन्दलाल बैरवा)
ग्रामीण योजना बनाते वक्त राजस्थान का कोई भी कोना है उसमें सबसे पहले पिछड़े वर्ग को पानी की योजना होनी चाहिए। हरिजन बस्ती के लिए 36 हजार रुपया मन्जूर हुआ। बहुत खेद का विषय है। मैंने मन्त्री महोदय को पूछा है और डिपार्टमेंट को भी लिखा है कि क्या वह हरिजन बस्ती पर खर्च किया है। उस एरिया में पाइप पड़े हुये हैं। हरिजन बस्ती में जो पैसा मंजूर होता है, वह वहां लगना चाहिए।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : सभापति महोदय, आज जन स्वास्थ्य और बिक्री कर की चर्चा हो रही है। यह बिक्री कर है 5–6 करोड़ का एण्टरटेनमेंट टैक्स स्टेट ड्यूटी इत्यादि इसमें 6,7 शामिल हैं। यह राज्य की आमदनी देने वाला विभाग है। हमारी स्टेट इनकम इस इरादे से प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जन स्वास्थ्य विभाग है। राजस्थान के ऐसे गांव हैं. जहां या तो पानी है नहीं या बहुत गहरा है, कड़वा है। पहाड़ी रेगिस्तानी गांव हैं, इन सबसे ताल्लुक रखने वाला विभाग है। जो खर्चा 10–11 करोड मांगा गया है, मैं समझता हूं कि कोई अधिक पैसा हमने नहीं मांगा है। आज स्वतन्त्रता के 26 वर्ष बाद भी जनता को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा सके। इससे बड़ी खामी राज्य की कोई और नहीं हो सकती है। इस सदन में जलपूर्ति के सम्बन्ध में वाद–विवाद के दौरान इस प्रकार के प्रश्न उठाये गये हैं कि कुछ जिलों को पैसा ज्यादा दे दिया गया है मैं समझता हूं कि सैधान्तिक रूप से यह प्रश्न बिलकुल गलत है। राजस्थान के रेतीले इलाकों में जहां दूर दूर से 10–10 मील से पानी का एक एक घड़ा लाना पड़ता है। अगर चूरू और जैसलमेर जिलों का हम मुकाबला कर के चले तो यह सही नहीं होगा। यह प्रश्न एक सैधान्तिक प्रश्न है। इनकी अपनी प्राथमिकता है। इसके लिए राज्य सरकार जितना भी खर्च करे, उतना ही कम है, और यह भी बहुत अच्छी बात है, सभापति महोदय कि यह दोनों ही मांगें जुड़वा सदन में प्रस्तुत की गई हैं। यह एक तो आमदनी देने वाली मांग है और दूसरी जलपूर्ति करने वाली मांग है। सभापति महोदय, कष्ट तो इस बात का है। समाचार पत्रों में आपने देखा ही होगा कि चूरू और बीकानेर जिले में अन्तर शोध से 10 हजार आदमी बीमार हो गये।

श्रीमती सुमित्रासिंह : यह अन्तरशोध है या आन्त्रशोध ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आन्त्रशोध कह लीजिये। वैसे आप को तो कुछ होगा नहीं चाहे कितना ही खा जायें। यह बीमारी तो गरीबों को ही लगती है। खारा पानी पीने से उत्पन्न होती है।

सभापति महोदय, कष्ट तो इस बात का है कि आज हम अपनी रिकवरीज को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम भ्रष्टाचार और टैक्स की बात करते हैं। हम रोडवेज के द्वारा प्राप्त होने वाली आमदनी को ले लें। इसके साथ साथ प्राईवेट बसेज की आमदनी के आंकड़े ले लें। तो आप देखेंगे

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

कि कई गुना फर्क है । इससे क्लीयर यह निष्कर्ष निकलता है कि पैसेंजर टैक्स की चोरी होती है। एण्टरटेनमेण्ट टैक्स को ले लीजिये। मैं ने यह मांग की थी। आवश्यकता इस बात की है कि सिनेमाओं को नेशनलाईज कर दें। नहीं तो कम से कम वित्तमन्त्री जी यह घोषणा कर दें कि अगर क्लासेज पर सेण्टपरसेण्ट टैक्स लगादें मेरा ख्याल है, अगर टैक्स इवेजन से बचा जाये तो 146 करोड़ रुपये टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है इससे अधिक 51 कलेक्ट कर सकते हैं । इससे अधिक राशि को कलेक्ट कर सकते हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, गंगानगर के अन्दर कुछ राजनीतिज्ञों के सिनेमा घर चलते हैं, आर.के. टाकीज सूरतगढ़ के अन्दर है, आदर्श टाकीज गंगानगर शहर में चलता है । बहुत बड़े राजनीतिज्ञ सिनेमा घर के मालिक हैं। आप दूसरे सिनेमा घरों से मुकाबला करके देख लें, मैं कहता हूं कि जांच करके देख लें, तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे, उस शहर के सिनेमा घरों के मुकाबले में यह सिनेमा नगण्य टैक्स अदा करता है। इसी प्रकार से सारे राजस्थान के अन्दर एन्टरटेनमेंट टैक्स की स्थिति देखें, सिनेमा घरों के अन्दर में दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे बन्धु विधायक सिनेमा देखने जाते हैं, कौनसा सिनेमा घर ऐसा है जिसमें एक्स्ट्रा चेअर्स नहीं होती हैं, कौनसा सिनेमा घर ऐसा है जिसमें एन्टरटेनमेंट टैक्स का इवेजन नहीं होता है, कौनसा सिनेमा घर ऐसा है जिसमें कुछ लोग जो सिनेमा देखने जाते हैं उनसे टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है। इस मामले में भयंकर टैक्स इवेजन है।

जल प्रदाय के सम्बन्ध में मैं एक निवेदन करना चाहूंगा । आज हम टैक्स बढ़ायें, एन्टरटेनमेंट टैक्स बढ़ायें, स्टेट के अन्दर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी तो अपने आप बढ़ जायेगी। अगर आज जो बिजली बिड़ला को 11 नये पैसे पर यूनिट पिलानी में दे रहे हैं, उसकी रेट बढ़ा दीजिये, जो भरत राम चरतराम को तीन नये पैसे पर यूनिट के हिसाब से बिजली दे रहे हैं, उसकी रेट बढ़ा रहे हैं तो बिजली पर और ड्यूटी लगाने की नौबत नहीं आ पायेगी। हम बड़े बड़े लोगों पर टैक्स लगा सकते हैं, सिनेमा घरों का नेशनलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन ब्लेक मार्केटिअर्स का पैसा योजनाओं में काम में लेते हैं, बजाय इसके कि ब्लेक मार्केटिअर्स के काले धन को लें, उन पर केस बनायें, उनको जेल के सीखचों के पीछे लाकर डाल दें, उनके ब्लेक मनी को निकालें, अगर उनका ब्लेक मनी योजनाओं के खर्च में शामिल होता है तो वह बड़े कष्ट का विषय हो जाता है और एक गलत नीति का प्रतिपादन होता है । बीदासर की जल प्रदाय योजना का इस सम्बन्ध में मैं उल्लेख करना आवश्यक समझूंगा । इसका उद्घाटन 24 अक्टूबर 69 को माननीय सुखाड़िया जी, जो मुख्य मंत्री राजस्थान के थे, के कर कमलों से हुआ । सभापति महोदय, उस समय चोरडिया ट्रस्ट ने इस योजना के लिए, इस योजना का नाम भी चोरडिया जल प्रदाय योजना रखा गया था, ढाई लाख रुपये की राशि दी थी। माननीय सुखाड़िया जी उस समय पधारे थे, उनके गले में भी दस हजार रुपये की माला इस सम्बन्ध के अन्दर डाली गई थी, लेकिन इस ऐतराज के ऊपर कि यह जो चोर-

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

दिया हैं, लक्ष्मीकान्त चोरडिया हैं, वह विशेष रूप से बम्बई हाई कोर्ट से सजा-याफ्ता हैं, और सुप्रीम कोर्ट से भी इनकी सजा बहाल रही है, इण्डियन ला जनरल, 1966, पेज नं. 347 के अन्दर यह केस रेकर्ड है····

(4.52 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

यह शिकायत आज के वित्त मन्त्री, और उस समय के एग्रो इन्डस्ट्रियल कोर्पोरेशन के चेयरमैन ने सुखाडिया जी से की और उस आधार पर इन चोरडिया के द्वारा दिया गया ढाई लाख रुपया उन्हें लौटा दिया गया, और दस हजार रुपये की माला भी लौटा दी गई। मैं इस पत्र को सदन में पढ़कर सुनाना चाहूंगा जो कि उस समय मोहनलाल जी सुखाड़िया ने उस समय के पी. सी. सी. के जनरल सेक्रेटरी श्री फूलचन्द जैन को लिखा था :

"At the time of inauguration of the Bidasar Water Supply Scheme today I was presented with two garlands by the Chordia Family containing currency notes of the value of ten thousand six hundred. The money was for the PCC I had given the garlands to you. On my return journey from Bidasar I was told by Shri Chandanmal Baid that Shri Chordia was convicted in a smuggling case. If is a fact there can be no question of accepting any donation from him or associating him in that Water Supply Scheme.

यह उस समय के मुख्य मंत्री का कांग्रेस पी. सी. सी. को लिखा हुआ पत्र है

I would therefore like you to refund the money immediately to Shri Chordia,

यह पत्र 24 को लिखा गया 17 को पी. सी. सी. के दफ्तर में रिसीव किया गया 27-10-69 को, 28-10-69 को पी.सी.सी. दफ्तर की मोहर लगी और चोरडिया को, दस हजार रुपये की राशि लौटा दी गई, और ढाई लाख रुपया भी लौटा दिया गया। लेकिन बड़े खेद से कहना पड़ता है, सभापति महोदय, इन्हीं चोरडिया के द्वारा ड्राफ्ट नं. आर. जी. ए. 227, 10-10-72 को ढाई लाख रुपये का दिया गया, एक आर. जी. ए. 22381, ढाई लाख रुपये का दिया गया 11-10-72 को और पांच लाख रुपये का दिया गया 18-12-72 को। यह सारे के सारे मनी की जल प्रदाय मुख्य अभियन्ता के दफ्तर में एन्ट्री हुई। इसकी स्वीकृति मेरे प्रश्न के उत्तर में की गई है। यह जल प्रदाय योजना पिछले वर्ष पूरी हुई। अब कहा जाता है कि महकमे को पता नहीं था, इसलिए 5 लाख रुपये की राशि स्वीकृत कर ली गई। अब प्रश्न पैदा होता है, जब राज्य के मुख्य मंत्री ने कहा था कि इस ब्लेक मार्केटिअर को, इस काला बाजारी करने वाले को, जो चीन से सोना लाकर भारतवर्ष में

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
सोना का ब्लेक करता हुआ पकड़ा गया है, इस चोरडिया को राशि से एसोसियेट नहीं करता है, उसके बावजूद इस राशि से क्यों एसोसियेट किया गया, क्योंकि इस राशि को लेने के एक साल बाद तक काम चलता रहा, तो क्या राज्य करने वालों को, राज्य के मंत्री को इस बात का पता नहीं चला कि चोरडिया को पांच लाख रुपये लौटा दिये गये थे, वह वापिस जल प्रदाय योजना के लिए ले लिये । आप टैक्स बढ़ा दीजिये बड़े बड़े लोगों के ऊपर लेकिन उनका ब्लेक का पैसा योजना के अन्दर शामिल करके उनको ब्लेक मार्केटिंग के अन्दर प्रोत्साहन मत दीजिये । लेकिन आज कहीं उनको डाक्टरेट की डिग्री दी जा रही है, कहीं उनका पैसा योजनाओ में सम्मिलित करके उनको इस बात की खुली छुट्टी देना चाहते हैं कि जितना मन में आये ब्लेक कीजिये, मन में आये जितना जनता को लूटिये....

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, मांगें पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि आज की मांगें पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय ?

श्री रामकिशन छः बजे तक कर दीजिये ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आज गणगौर है ।

श्री सभापति : यह आप लोगों पर है, जितना बोलेंगे उतना समय लगेगा ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : साढ़े छः बजे तक बढ़ा दीजिये । आज गणगौर है, पत्नी मेला देखने जायेंगी ।

श्री चन्दन मल बैद : मुझे जवाब देने के लिए पचास मिनिट चाहिये दोनों मांगों के सिलसिले में, इसको छोड़ कर जितने समय माननीय सदस्य बोलें, बोल लें ।

श्री देवीलाल : पांच पांच मिनिट जल प्रदाय योजना पर सब बोल लें ।

श्री राम रघुनाथ : पांच मिनिट मुझे भी बोलना है ।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा ; सभापति महोदय,....

श्री सभापति : सदन का समय सात बजे तक के लिए बढ़ाया जाता है ।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : सभापति महोदय, माननीय जल प्रदाय योजना के मंत्री, जिन्होंने इस राशि को अस्वीकार करने के लिए कहा था, जिनके कहने पर यह राशि लौटाई गई थी, उनके ही मंत्री काल के अन्दर यह राशि स्वीकृत कर ली जाए, इसका उपयोग कर लिया जाय – इससे अधिक गम्भीर बात नहीं हो सकती. ...

श्री दीपंकर : इसके लिए आचार्य जी ने भी कई प्रकार की प्रेरणा दी है सरकार को ।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : किसी प्रकार हुआ हो, किसी प्रेरणा से हुआ हो, किसी कमेटी की मीटिंग के अन्दर कैसे ही राजीनामा हुआ, कैसे ही सारी चीजें हुई हों– इसके लिए मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता...

श्री गिरधारी लाल व्यास : करिये ।

श्री चन्दनमल वैद : जरूर करिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : विरोधाभास किस प्रकार पैदा हुआ–इसकी जानकारी मुझे है, राजीनामा किसने करवाया, किस प्रकार इस सिलसिले के अन्दर साम्प्रदायिकता की ज्वाला भड़की, किस प्रकार वैष्णव समाज के अन्दर और तेरह पंथियों के अन्दर दंगा फिसाद की किस प्रकार नौबत आई, किस प्रकार ब्यूरोक्रेसी इस साम्प्रदायिकता के अन्दर सम्मिलित हुई इन चीजों को मैं दोहराना नही चाहता। यह गम्भीर बात है कि माननीय मौजूदा वित्त मंत्री और उस समय के एग्रो इण्डस्ट्रियल कोर्पोरेशन के चेयरमैन साहब के समय में, जो राशि पहले लौटा दी गई थी, वही उनके मंत्री काल में उस स्मगलर की राशि स्वीकार कर ली गई, चाहे वह आचार्य तुलसी की प्रेरणा से किया हो, चाहे शंकराचार्य की प्रेरणा से किया गया हो, चाहे किसी भी व्यक्ति की प्रेरणा से किया गया हो –वह उचित कार्य नही था। काला धन नहीं निकाल सकते ? चोरडिया के करोड़ों के काले धन को जब्त किया जाता तो कोई बात नहीं थी । उस बात को लेकर राजस्थान सरकार भारत सरकार पर जोर डालती, वित्त मंत्री जी जोर डालते तो कोई बात नहीं थी····

चूरू जिले में अधिक पैसा इस्तेमाल हो, जल प्रदाय योजना के लिए, मुझे एतराज नहीं। चूरू जिला जिस तरह से प्यास से छटपटा रहा है, वहां कोई नहर पहुंचाने की बात नहीं है। इसको देखते हुए पैसा खर्च किया जा सकता है लेकिन उसी चूरू शहर में हमारे वाटर वर्क्स का पानी किसी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए उपयोग में आए तो उससे अधिक शर्मनाक बात नहीं हो सकती। मैं श्यामलाल व खैरुद्दीन के भट्टे की बात करता हूं, यह जिलाधीश के कार्यालय के पीछे हैं और चूरू वाटर वर्क्स से स्पेशल पाइप लाइन डालकर इस भट्टे को पानी दिया जाता है । आज चूरू से आने वाले माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं है और एक दूसरे सदस्य एतराज कर रहे हैं कि चूरू जिले में पानी पर अधिक खर्च किया जा रहा है और दूसरे एक मेग्नेट को, बड़े पूंजीपति को भट्टा लगाने के लिए वहां का वाटर वर्क्स विभाग 17 हजार रुपए खर्च करके स्पेशल पाइप लाइन प्रदान करे। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, यहां तक होता तो ठीक था। आज मैं जानता हूं कि ये श्यामलाल और खैरुद्दीन कोयले के इस भट्टे में नहीं जाते चाहे कलक्टर बिच्चू साहब भट्टे का उद्घाटन करें और इसमें आग दे । भट्टा चालू हो, हाइएस्ट अधिकारी जाएं, मिठाई बांटे और आग दे भट्टे को। बहुत कोयला है इसका कुछ थोड़ा सा उपयोग करने के बाद भट्टा वगैरह के लिए, ब्लैक के अन्दर, सारे का सारा बिकता है और आज चाहे चूरू जिले में पानी का गम्भीर संकट है, वाटर वर्क्स का पानी लगातार उपयोग करते हैं और वहां के कलक्टर साहब ने अपने को उसके साथ एसोसिएट किया है। सारे के सारे पत्रकार चूरू जिले के उपराष्ट्रपति को ज्ञापन दें, कलक्टर के खिलाफ ज्ञापन दें और कलक्टर साहब को अनिय-

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

मिततात्रों व उनकी आदतों के खिलाफ चूरू जिले के बड़े से बड़े व सारे के सारे पत्रकार और जन प्रतिनिधि लगातार शिकायत करें और वह कलक्टर वहां पर बना रहे और भट्ट के अन्दर जाकर खुद आग दे, यह स्थिति सहन नहीं की जा सकती। आप अधिक राशि लें, टैक्सेज लगायें, इन टीबों के अन्दर पानी नहीं पहुंचाना इससे अधिक शर्म की बात नहीं हो सकती।

सेल्स टैक्स की चोरी के बारे में मैंने शुरू में निवेदन किया। मैं टैक्स इवेजन के कुछ उदाहरण आपके सामने और प्रस्तुत करना चाहूंगा। यह दूसरी बात है कि कीमती जमीन का कृषि भूमि में कन्वर्शन किया गया चाहे वह 15 एच.एम.एच. की जमीन प्रद्युम्न सिंह के नाम की हो, 10 बीधा 4 आर. डी. पी. सुरजन सिंह [illegible] हो, 15 एच.एम.एच चौधरी रामचंद्र के नाम कन्वर्ट की गई हो लेकिन उनको जो कोयला प्राप्त हुआ बिल्टियों के जरिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वेगन प्राप्त हुआ 17–1–73 को वैगन नं. 67359 चौधरी रामचंद्र को प्राप्त हुआ, वैगन 84064 30–3–63 का चौधरी रामचंद्र के नाम प्राप्त हुआ, एक वैगन प्राप्त हुआ 31–11–72 को और दूसरा वैगन नं. 15–3–73 को, आर. आर. नं. 607542 पहले वैगन का। दूसरे वैगन का आर.आर. नं. 607968। इसी प्रकार से सुरजाराम और रिप्रद्युम्न सिंह एस. डी. ओ. इरीगेशन के।

लेकिन एक बात मैं पूछता हूं एक तो कोड आफ कन्डक्ट है विधायकों के लिए, मंत्रियों का भी कोड आफ कन्डक्ट है, विधायकों के लिए, मंत्रीयों का भी कोड आफ कन्डक्ट है, आखिर में कोड आफ कन्डक्ट के जरिए एक मंत्री पहले तो अपने नाम से कोयले के दो वैगन्स मंगवाए उसके भाई के नाम से आ जायं, कोई बात नहीं, एस. डी. ओ. उसके रिश्तेदार हों, नौकरी में हों तो कौनसा नियम है कि भट्टे के काम के साथ साथ एक तरफ बिजनेस करे और दूसरी तरफ एस. डी. ओ. इरीगेशन हो। मंत्री होते हुए भी कोयला प्राप्त कर ले और भट्टा चलाये और उस सिलसिले में भी अगर उसका भट्टा नहीं चलता है अव्वल तो तीनों भट्टों में एक चला है पता नहीं सारे के सारे कोल सेल्स टैक्स का बहुत बड़ा इवेजन हो, यह प्रश्न है।

(5.07 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

यह तो मैंने सेल्स टैक्स का केस प्रस्तुत किया। आदर्श टाकीज, जो चौधरी साहब का है, इसके मनोरंजन कर का हिसाब खुद वित्त मंत्री एग्जामिन करवा लें और सूरतगढ़ में चलने वाला टाकीज जो चौधरी मनफूलसिंह और उसके भाई का है उसके मनोरंजन कर के हिसाब की भी आप जांच करवालें कि भूतपूर्व मंत्रीगण और वहां के प्रधान महोदय आपको कितना मनोरंजन कर सिनेमा से देते हैं।

मोतीराम कमेटी ने सिफारिश की है कि राजस्थान केनाल के दोनों तरफ आपका

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कर्तव्य है कि तीन मील तक पीने का पानी पहुंचाया जाए। आज आपके वाटर वर्क्स विभाग का कर्तव्य हो जाता है कि जो गांव राजस्थान कैनाल के तीन मील के आर्बिट में आते हैं, तीन मील के पांइट पर लाकर आपका विभाग और कैनाल का विभाग एक दूसरे से तालमेल बिठाकर इन पाइंट्स को आगे शिफ्ट करके सैंकडों गांवों को पीने का पानी दे सकते हैं। यह शर्म की बात है कि लूणकरणसर में लिफ्ट इरीगेशन पहुंच जाए लेकिन आज भी वहां पानी बाकायदा टंकियों के जरिए आ जाए और वहां पानी की कीमत 25 या 50 पैसा घड़े तक हो जाय। लिफ्ट इरीगेशन का परपज इस सारे क्षेत्र में पीने का पानी पहुंचाना, पहले होना चाहिए। उसके बाद पावर लेन्स का होना चाहिये चाहिए। जिस लिफ्ट इरीगेशन आने के बाद सिधमुख नहर को चूरू जिले में ले जाना जरूरी है, तभी आप सारे जिले का स्थाई समाधान कर सकते हैं। गंगनहर राजस्थान नहर को जैसलमेर व बाड़मेर ले जाना जरूरी है, कांडला तक ले जाना जरूरी है क्योंकि संविधान के अन्दर जनता को आश्वासन दिया है सरकार का सबसे छोटा आश्वासन पीने का पानी उपलब्ध कराना है लेकिन इससे बड़ी लज्जाजनक स्थिति नहीं हो सकती कि हम पीने का पानी प्रोवाइड नहीं कर सकते। कोआर्डीनेटेड स्कीम बनायें, आपके वाटर वर्क्स की विचित्र स्थिति है। सूरतगढ़ में वाटर टैंक तीन बार क्रेक हुई, कोई जांच नहीं हुई। पिछले वर्ष जाकर कार्य पूरा हुआ। वहां के लोगों ने सोशियल सर्विसेज दी, जोइंट्स दिए, टंकियों की फिलिंग की, आज भी वाटर वर्क्स की दयनीय स्थिति है. सारा पाइप लाइन लीक हो रहा है, जगह जगह पर सड़कें खुदी हुई पड़ी हैं।

आज आप का वाटर वर्क्स फंक्शन पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है। आपके वाटर वर्क्स की टंकियों में जगह जगह पर क्रेक्स आयी हुई हैं। यह आप चाहें तो नोहर भादरा, विजयनगर और सूरतगढ़ वगैरहा की जगहों की टंकियें देख सकते हैं। इसके लिए कारण यह है कि आज आपके गांवों में जो भी वाटर वर्क्स के महकमें काम कर रहे हैं उनमे आपस में कोर्डीनेटेड ढंग से काम नहीं हो रहा है। आप जो भी स्कीम्स बनाते हैं उनकी क्रियान्विति नहीं हो पाती है। आज आपने बजट में यह उल्लेख ही नहीं किया है। उपाध्यक्ष महोदय, आज लूणकरनसर में ऐसी स्थिति है कि वहां पर पीने का पानी खारा है और इसके लिये ट्रेनस में पानी की टंकियों द्वारा पानी पहुंचाया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, आप चाहे तो देख सकते हैं कि लोग स्टेशन पर गाड़ी के सामने सैंकड़ों की तादाद में क्यू लगाकर पानी के लिये खड़े रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज आपको ट्रेनस एरांटिक है आप आये दिन सुनते रहते हैं कि आज फलां गाड़ी सस्पेन्ड करदी कभी कोई हड़ताल हो गयी तो इससे आज काफी जनता को दुख होता है और इस प्रकार ट्रेन्स सस्पेन्ड होने की वजह से लोगों को वहां पर दो दो दिन तक प्यासे रहना पड़ता है। इसलिये मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आप पानी के लिये वाटर वर्क्स की स्कीमों में कार्डीनेटेड वे से काम करें।

Page No 146

(146)

श्री उपाध्यक्ष : आपको पानी की जरूरत होगी काफी समय हो गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो कई लोगों को पानी पिलाऊंगा। तो जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था कि वहां दो स्कीमें पहले तय हुई थीं उसके अन्दर एरिया कमिश्नर है, कोलोनाईजेशन कमिश्नर और डेवलेपमेन्ट कमिश्नर के यहां से तय होनी थी। उसके लिये मेरा निवेदन है कि उन स्कीमों को तय करने के लिये आपको उन मीटिंग्स में एम. एल. एज. और वहां एम. पीज को इन-कारपोरेट किया जाना चाहिये। उनके व्यूज लेना चाहिये। आज वे लोग मनमानी कर रहे हैं जिससे यह स्थिति है कि कहीं टंकी नहीं बनी है तो कहीं डिग्गी नहीं बनी हुई है यह आपके वाटर वर्क्स के जो वह किसी प्रकार का जन सहयोग लेने को तैयार नहीं है मैंने खुद ने कई बार वाटर वर्क्स के इन्जीनियर्स को पर्सनल लेटर्स लिखे है लेकिन वह सुनते ही नहीं है। आज हमारे रायसिंह नगर, सूरतगढ़ और विजयनगर जैसी जगहों में पानी की बहुत ही तकलीफ होती हैं पानी खारा और गन्दा है और उपाध्यक्ष महोदय यह मन्डियें आज को नहीं बल्कि 40—50 वर्ष पुरानी मन्डियें हैं...

श्री परसराम मदेरणा : यह आप एरिया कमिश्नर की बात कर रहे हैं यह गलत है वह डवलपमेन्ट कमिश्नर है और कोलोनाईजेशन कमिश्नर है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हां साहब कोलोनाईजेशन कमिश्नर। वह अपना दफ्तर लिये बैठे हैं। उन सभी को मैंने उपाध्यक्ष महोदय, पर्सनल एप्रोच किया है। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं कि कोई सुन नहीं रहा है। जनता को पीने के लिये गन्दा, सड़ा और खारा पानी मिलता है इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा मन्त्री महोदय से कि इसके लिये आप उन एरिया में एक कमेटी बना दें और उसमें उन स्थानों के जन प्रतिनिधियों को भी रखा जाय तो यह तय करें कि वहां पर सस्ते दामों में और जल्दी जल प्रदाय योजना बन सकती है जिससे कि जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। बस धन्यवाद।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़ा होने पर, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। अगर माननीय सदस्य चाहें तो मन्त्री जी का जवाब शुरू करा दिया जाय।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो थोड़ा सा बस एक दो मिनट ही निवेदन करना चाहूंगा। जब मन्त्री महोदय जवाब दे ही रहे हैं तो उसके साथ मेरे प्रश्नों को भी डील कर लेंगे।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में दो तरह की मांगों पर विचार हो रहा है उसके लिये मैंने भी कटौती प्रस्ताव दिये हैं। इन दो मांगों में एक तो है वाणिज्यिक कर विभाग के बारे में दूसरी है जल दाय विभाग के बारे में। आपके माध्यम से जलप्रदाय योजना की मांगों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की समस्या आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत है। आज

(श्री दीपंकर)

हमारे वाटर वर्क्स की जो स्कीम्स हैं वह ज्यादातर शहरों में है। पहले हमने ऐसा सुना था कि एक वाटर बोर्ड का गठन किया गया है और उसके माध्यम से हमारे यहां गावों में कई जगहों पर पानी की व्यवस्था के बारे में काम किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, बाद में उसके अन्दर कई गबन के मामले हो गये और उसकी कई शिकायतें भी आई फिर भी मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि उसने कुछ ठीक ढंग से काम किया। मेरा मंत्री महोदय को जो खास निवेदन है वह यह है कि मंत्री महोदय को चाहिये कि पीने के पानी को प्राथमिकता मिलनी चाहिये। इसके लिये अगर आप यह कहते हैं कि फलां जगह की स्कीम इस लिये नहीं कर सके कि हमारे पास धन नहीं था। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज आपकी देवस्थान की जो ट्रस्ट बनी हुई है उसमें से पैसा लेकर आप उन योजनाओं को चालू कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज धार्मिक मामलों में हमें कई जगह से पैसा मिल सकता है। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कि धार्मिक मामलों में काफी पैसे देने को तैयार हैं सैकड़ों सेठ साहूकार लोग ट्रस्ट में पैसा देते हैं तो क्या वह इस पीने के पानी की समस्या के लिये पैसा नहीं देंगे। लोग इसके अलावा माननीय दृष्टिकोण से भी पैसा दे सकते हैं। आप चाहे तो इसके लिये काम कर के देख सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, लाखों और करोड़ों रुपयों की देवस्थान की प्रापर्टी है उसको आप चाहे तो काम में ले सकते हैं। इससे समस्या का समाधान किया जाय। पहले ऐसा सुना था कि पीने के पानी की समस्या के लिये एक बोर्ड का गठन किया जा रहा है पर अब उसके बारे में कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। इसलिये मेरा आपके माध्यम से वित्त मन्त्री जी से निवेदन है कि जहां जहां राजस्थान में पानी की कमी है उसके लिये एक बोर्ड का गठन किया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे राजस्थान में कई जगह ऐसी हैं जहां का पानी खारा है और वह जगह खारी पट्टी के नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार बांका पट्टी एक ऐसी जगह है कि जहां का पानी पीने से वह व्यक्ति टेढ़ा हो जाता है आज लोग हर साल सैकड़ों की तादाद में पानी की कमी के कारण प्यास के कारण उस पानी को पी जाते हैं और बाद में मर जाते हैं। इसके लिये पहले उन जगहों के लिये योजनायें बनाई भी थी। काम भी थोड़ा बहुत वहां पर शुरू हुआ लेकिन बाद में वह बन्द कर दी गयी या यों कहिये कि उन कामों को वापिस हाथ में नहीं लिया गया है। उन स्कीमों को पूरी करने के लिये मैं वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वित्त मन्त्री जब बजट की स्पीच पढ़ रहे थे तब वह बीच बीच में कुछ घोषणायें जनता को राहत देने की कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे हैं तो फिर हमने बाद में सोचा कि अब की बार जो घोषणा करेंगे कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की समस्या को दूर करने के लिये योजना बनाकर उन्हें क्रियान्वित करने जा रहे हैं लेकिन वह घोषणा नहीं हो सकी। उपाध्यक्ष महोदय, अगर राज्य सरकार के पास धनाभाव है तो मैं यह कहूंगा, कि आज ऐसे कई सेठ लोग हैं जो कि धार्मिक मामलों

(श्री दीपंकर)

में पैसा खर्च करते है बड़े बड़े मन्दिर बनवाते हैं अगर उनसे इस काम के लिये चन्दा लिया जाय तो वे सहर्ष चन्दा दे देंगे और आप इन ग्रामीण समस्याओं का हल कर सकते हैं। आप प्यासी ग्रामीण जनता की प्यास बुझा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर वित्त मन्त्रीजी यह करेंगे तो आपके राजस्थान की वह जनता, जो कि रेगिस्तान में रहती है, जहां पर पानी की कमी है, आपकी आभारी रहेगी। आपने इतने उद्योगों को खोलने की घोषणायें की है कम से कम आप ऐसी घोषणायें तो करिये कि उन लोगों को पीने को पानी तो मिल जाय। इसलिये मेरा निवेदन है कि उन योजनाओं को, जो कि पहले मन्जूर शुदा थी और शुरू नहीं की गयी थी वे योजनायें, जो कि अधूरी पड़ी है, आप कम से कम उन योजनाओं को तो शुरू करें। हमारे नागौर जिले में मन्डावासिनी, बादूवासिनी वगैरह ऐसी जगह हैं जहां पीने के पानी की बहुत भारी समस्या है उन्हें हल करने के लिये आप योजना बना कर उनको पीने के पानी की समस्या हल की जाय उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये मैं आपको एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि जब हमारे नागौर जिले के मन्त्री जी थे तो उन्होंने इन अपेक्षित क्षेत्रों के लिये कुछ योजनायें बनाई थी और उन्होंने प्रयत्न भी किये थे वहां पर पेय जल की समस्या को दूर करने के लिये कुछ हद तक काम भी हुए थे। पर अब चूंकि नागौर जिले का कोई मन्त्री नहीं है अतः नागौर जिला एक तरह से अपेक्षित हो गया है। आज भी नागौर जिले में मकराना जो कि मकराने के पत्थर के लिये प्रसिद्ध है वहां संगमरमर के उद्योग चल रहे हैं वहां की जनता को पानी की बहुत ही समस्या है इसी प्रकार डेगाना और बकरियां व सांवला आदि गांव है जहां पीने के पानी की बहुत भारी समस्या है। उनके बार बार इस सदन में निवेदन करने पर भी कोई प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिये। लेकिन आज चूंकि हमारे पास पोलीटिकल प्रेसर नहीं है इसलिये इन जगहों को उपेक्षित किया जा रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जहां आप करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं तो कम से कम यह खारी पट्टी और बांका पट्टी में जहां की जनता के लिये पानी में भयंकर खराबी है। उस जगह की जनता की पेयजल की समस्या को हल जल्दी से जल्दी करावें। इसके लिये चाहे आपको कोई दूसरी योजनाओं में कटौती करनी पड़े या आपको अगर टैक्स भी लगाना पड़े तो आप लगावें और इन ग्रामों की दुखी और प्यासी जनता को पीने का पानी दे। अगर आप पीने के पानी जैसी चीज की समस्या को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं तो आप क्या प्रगतिशील नीति रखते हैं। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा कि आप चाहें तो राजस्थान की जनता पर इसके लिये टैक्स लगावे मैं आपको मन्त्री जी दावे से कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता सहर्ष टैक्स दे देगी। उपाध्यक्ष महोदय, इस पेयजल की समस्या का समाधान अब तो होना जरूरी है। जिस तरह से माननीय हांडा साहब ने कहा हमारी जरूरत पूरी करने के लिये पानी

(श्री दीपंकर)

नहीं मिला सके। अलग मकान हो रहने के लिये यह तो बाद में भी हो सकता है लेकिन आदमी जिन्दा रह सके उसके लिये पानी की समस्या हल नहीं कर सके इससे अधिक लज्जास्पद और क्या बात हो सकती है। कोई टैक्स लगाये आप, ट्रस्ट से ले या भारत सरकार पर दबाव डालें कुछ भी करें।

श्री परसराम मदेरणा : आप ट्रस्ट के बारे में बात कह रहे थे। आपका मतलब प्राइवेट ट्रस्ट से है या देवस्थान से? देवस्थान की प्रापर्टी गवर्नमेंट के पास है।

श्री दीपंकर : प्राइवेट ट्रस्ट हैं। धार्मिक ट्रस्ट हैं। वे पैसा दे सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : प्राइवेट ट्रस्टों के पास जो कुछ सम्पत्ति है वह उनका है गवर्नमेंट के पास तो 35 लाख रुपया है। प्राइवेट ट्रस्टों में तो सब ही जगह के डोनर्स होते हैं। जैसे श्रीनाथजी का है तो डोनेशन किसी ने सेवा पूजा के लिये दिया है और किसी और परपज के लिये। उनको कहें कि कुए में लगा दो तो कैसे मंजूर करेंगे वे?

श्री दीपंकर : मैं लाडनूं में कह सकता हूं और चार लाख रुपया दिला सकता हूं। आप उन से कहिये तो सही।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तैयार हूं परिश्रम करने के लिये और आप भी सहयोग देने के लिये तैयार रहें।

श्री दीपंकर : बड़े बड़े सेठ लोग बम्बई कलकत्ता में रहते हैं। आप वहां 2 मिटिंग करते हैं। यह भी एक मिटिंग करिये कि पानी की समस्या को हल करना है। वे जरूर आपको देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गौरीशंकर मुनीम।

श्री गौरी शंकर मुनीम (खानपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं झालावाड और झालरापाटन में वाटर वर्क्स हैं उनके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। झालावाड़ और झालरापाटन में वाटर वर्क्स से जो पानी दिया जाता है वह एक ही जगह से आता है। सुबह और शाम एक एक घंटा ही पानी दिया जाता है इससे लोगों को बहुत ही परेशानी होती है। पानी जहां से आता है वहां पर बडा बांध बना हुआ है। दो साल तक बरसात न हो तब भी वहां पर पानी की कोई कमी नहीं आने वाली है।

श्री केदारनाथ : फन्डामेन्टल राइट्स का हनन हो रहा है।

श्री गौरीशंकर : इतना पानी है वहां पर कि चार घंटे सुबह और चार घंटे शाम को भी रोजाना दे दें तो पानी की कोई कमी नहीं आ सकती है। पैसा ज्यादा मिलेगा। आपको लाभ होगा और जनता को आराम मिलेगा।

दूसरी बात यह है कि झालावाड़ शहर में वार्ड नं. 10 में हरिजन बस्ती है। वहां पर आज तक पानी का नल लगाने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मैं पांच साल से निवेदन कर रहा हूं। दो साल से तो जब से मैं यहां आया हूं तब से बराबर कर रहा हूं। आप क्यों नही उन गरीब लोगों

150

(श्री गौरीशंकर)
के लिये पीने के पानी की व्यवस्था कर देते हैं। समाज कल्याण मंत्रीजी से निवेदन कर दिया पर ध्यान नहीं दिया जाता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चन्दनमल जी से भी निवेदन करूंगा कि कृपा कर वार्ड नं. 10 हरिजन बस्ती में नल लगा कर पानी दिलवाने की व्यवस्था करें।

खानपुर क्षेत्र में हरीगढ़ गांव है।

श्री केदारनाथ : मैं एक सुझाव दे रहा हूं। जो आज बोलना चाहते है उनको आप परसों एडजस्ट कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं। माननीय सदस्य इजाजत दें तो मैं माननीय मंत्रीजी से रिक्वेस्ट कर सकता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : जितने कट मोशन्स हैं आज के उनके सब के जबाव में दिलवाऊंगा।

श्री गौरीशंकर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय हरीगढ़ तीन हजार की आबादी का गांव है। 2½ साल से नियमानुसार पैसा भी वहां पर जमा करा दिया गया है। पहले तो मंत्री महोदय ने फरमाया कि चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रावधान नहीं है, पांचवीं में जरूर करेंगे। अभी बजट देखा तो कोई नाम ही नहीं है। न ही सारोला सारोद का नाम है। हरीगढ़ और सारोला से रकम जमा करा दी गयी। क्या कारण है कि जहां जरूरी नहीं है वहां तो लगाते हैं और जहां जरूरी है वहां पर नहीं लगाते हैं? यह तो आपके समझने की बात है। आप कहेंगे वह मानना पड़ेगा। हम वहां जाकर लोगों को क्या कहेंगे? वाजिब मांग है उसको भी आप नहीं मानते हैं तो आखिर वहां जाकर हम उनको क्या जबाव देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी मार्फत माननीय सदस्य से प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रोफेसर साहब बाल बच्चों सहित गणगोर देखने जाना चाहते हैं।

श्री केदारनाथ: इन मनसूबों में माननीय हांडा जी का नाम पहले है।

श्री गौरीशंकर : माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खानपुर में तीन चार वर्ष हो गये पाइप डालकर छोड़ दिया गया है। काम पूरा नहीं हुआ है रकम जमा हो गयी है। चार साल से पाइप डाल दिये है लेकिन काम नहीं हो रहा है।

(समय-सूचक-घंटी)

दो मिनट में निवेदन कर देता हूं। खानपुर में वाटर वर्क्स के काम को पूरा करायें।

टैक्स के विषय में मेरा यह निवेदन है कि करों की चोरी इतनी होती है कि अगर ईमानदारी से मन्त्री महोदय ध्यान दें तो मैं समझता हूं कि लाखों रुपये इसमें बच सकते हैं। चोरी कैसे होती है? चोरी जरूर करेगा व्यापारी। करते हैं। जब ही करते हैं जबकि सरकारी कर्मचारी उनसे मिल न जांय। जब तक आफिसर व कर्मचारी नहीं मिलते वे चोरी कर नहीं सकते।

(श्री गौरीशंकर)

जानते हुए भी आप इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। मैं गारन्टी से कहता हूं, आप एक कमेटी बना दीजिये राजस्थान में और उसमें जितने ईमानदार आदमी हैं उन को लगाईये। आप हंसिये, चाहे अफसरान से बात करिये क्योंकि आप ऐसा करना नहीं चाहते हैं और आपकी हिम्मत भी नहीं है। मेरी ज्यादा बोलने की प्रवृत्ति नहीं है। इन करों के विषय में यही कहना है कि अगर करों की चोरी को बन्द करना चाहते हैं तो इसके लिये कमेटी बिठा दीजिये अगर आप चाहें तो उसमें सरकारी अफसर भी रख दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामगोपाल।

श्री रामगोपाल (किशनगंज कोटा) : माननीय उपाध्यक्षजी, जलप्रदाय विभाग की मांग के सम्बन्ध में निवेदन करते हुए शाहबाद क्षेत्र में ऐसे गांव हैं जहां पर कि पीने के पानी की समस्या है, अभाव है उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय मन्त्रीजी, आपको उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी बता देना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्षजी, शाहबाद पंचायत समिति का एक भाग तलहटी है और दूसरा भाग ऊपर का है वहां ऊपर ही के गांवों में पीने के पानी की समस्या है।

वहां आठ दस मील से पानी लाया जाता है। किशनगंज तहसील भी दो हिस्सों में है। वहां के गांवों में भी पीने के पानी की समस्या है। रामगढ़ के पास व नाहरगढ़ के पास के गांवों में भी पीने के पानी की समस्या है।

पंचायत समिति शाहबाद की सीमा मध्य प्रदेश से लगी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने इन बोर्डर के गांवों में हैण्ड पम्प लगाकर इस पानी की समस्या का हल निकाला है, अब जो बोर्डर पर राजस्थान के गांव हैं वे भी इन गांवों के हैण्ड पम्पों से पानी लेते हैं और पूछते हैं वहां के लोग कि जब मध्य प्रदेश की सरकार ने पम्प लगा दिये तो हमारी राजस्थान की सरकार इस ओर जागरूक क्यों नहीं है?

ग्राम गणेशपुरा है जो इसी तरह से है। गांव के हिस्से तक बंटे हुए हैं दो राज्यों में। मध्यप्रदेश में जो हिस्सा है उसका श्मशानघाट हमारे हिस्से में है। कई इस तरह की बस्तियां आपस में बंटी हुई है। पर उनके हिस्से में हैण्ड पम्प लगे हैं और उनसे राजस्थान के हिस्से वाले पानी लेते हैं। यह हमारे लिये शर्म की बात है कि हमारी अपनी व्यवस्था नहीं है।

इसके लिये तो मुझे प्रसन्नता है कि हमारे यहां भू-गर्भ में जल कहां कहां है इसका सर्वे करा लिया है। दूसरा यह भी है कि जब पिछली साल अकाल था तो आपके विभाग की ओर से इस एरिया में 37 पीने के पानी के हैंड पम्प लगाने की स्वीकृति भी दी गई थी। इसके लिये बहुत मुश्किल से कह सुनकर एक मशीन भेजने की व्यवस्था आप से हम करवा सके। इसके द्वारा केवल सात हैंड पम्प लगे हैं। पर वे भी अभी साल भर होने आया चालू नहीं हो पाये हैं। इसके लिये जो बोरिंग मशीन आपने भेजी थी वह केवल 200 फीट तक ही बोर होल कर सकती थी, अधिक की उसकी कैपेसिटी नहीं थी। और 200

152

(श्री रामगोपाल)

फीट नीचे तक वहां पानी नहीं है। उसके लिये आप ऐसी मशीन भेजें जो 200 फीट से अधिक निचाई तक होल कर सके। तब जाकर पानी हमें मिल सकेगा और इन 37 जगहों पर हैंड पम्प काम दे सकेंगे।

शाहाबाद में मुहालेगांए गांव है। पिछले साल जिलाधीश कोटा श्री जगन्नाथ सिंह जी मेहता अकाल सहायता के सिलसिले में उन गांवों में आये थे। मौका स्वयं ने देखा था। और वे स्वयं गांवों की पीने के पानी की समस्या का अध्ययन कर गये हैं। आप उनसे पूछ सकते है कि वहां लोगों को इसकी कितनी कठिनाई है। अब आप ऐसा करिये कि इस दो सौ फीट तक होल करने वाली मशीन को तो किशनगंज तहसील में भेजिये। वहां पानी का स्तर ऊंचा है। पर रामगंज उपरेटी है इन क्षेत्रों में पानी चूंकि काफी नीचा है, इसलिये वहां अधिक नीचे के स्तर तक होल करने वाली मशीन भेजिये। 37 गांवों के लिये आपने मंजूरी दी है जिसमें से 7 में लगे हैं। बाकी गांवों के लिये आप केवल अधिक कैपेसिटी वाली मशीन भेज दीजिये। धनराशि की हमें आवश्यकता नहीं रहेगी। गांव वाले स्वयं सहयोग करके वह धनराशि जुटा लेंगे। धनी मानी धर्म के काम करने वाले वहां हैं वे पेमेन्ट कर देंगे। आप तो केवल अधिक कैपेसिटी की मशीन भेज दीजिये ताकि वहां लोगों को पीने के पानी का कष्ट अधिक दिनों तक नहीं सहन करना पड़े। इस आजादी के युग में स्वतन्त्रता का इतना फल तो उनको लेने दीजिये।

कुछ शहरों में जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। पमेन्ट योगदान स्थानीय लोगों का होना चाहिये था वह हो गया है। मंगरगढ़ गांव है मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, वहां धनराशि जमा हो चुकी है। कस्बा थाणा के लोगों ने भी धनराशि जमा करा दी है, और भी कई कस्बों की जनता ने अपना हिस्सा जमा करा दिया है। अब आप वहां यह काम प्रारम्भ करें ताकि वहां की जनता की पीने के पानी की समस्या हल हो सके।

रामगढ़ हमारे जिले में ऐसा स्थान है जिसके कुओं में पानी इतना गहरा है कि गर्मी के दिनों में वे सूख से जाते हैं। 24 घंटों में जितना पानी आता है उसके लिये महिलाएं प्रातः चार बजे पहुंच जाती हैं और घंटे आध घंटों में वह सारा पानी ले जावेंगी। इसके बाद पांच-छः बजे पहुंचने वाली महिलाओं को तो अपने खाली घड़े लेकर ही लौटना पड़ता है। यह स्थिति वहां है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी कठिनाई है वहां लोगों को पीने के पानी की। पिछले साल आपने ब्लास्टिंग मशीन वहां भेजी थी उन कुओं को गहरा करने के लिये। पर कामयाबी नहीं मिली। इस क्षेत्र में भी केवल एक साधन है बोरिंग मशीनों से हैण्ड पम्प लगाकर पानी लिया जा सकता है और कोई साधन नहीं हो सकता।

हमारी तहसील में राजपुर गांव है जिसमें पानी की स्कीम मंजूर हो चुकी है। आपके बंगले पर जाकर मैंने बात भी की थी इसके बारे में उस समय कहा गया

(श्री रामगोपाल)

था कि विभाग के पास सीमेन्ट और पाइप की कमी है इसलिये देरी हो रही है। मैं समझता हूं कि अब तक तो सीमेन्ट और पाइप की कमी की समस्या हल हो गई होगी, अब आप इस काम को शीघ्रता से हाथ में लें।

कोटा जिले में हरणावदा शाहजी, छीपा बड़ौद, शाहाबाद, छबड़ा ऐसे कस्बे हैं जिनके लिये पीने की योजनाएं मंजूर हो चुकी हैं। इनमें से शाहाबाद को चालू है। छबड़ा की चालू नहीं हुई। छीपा बड़ौद का ठेका हुआ है। टंकी बना दी, पर कुआ नहीं खुदा। आप विभाग को सतर्क करें कि काम में कोआर्डिनेशन हो।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

अब शहरों में हरिजन लोगों के लिये पीने के पानी के नल लगाने की योजनाएं हैं। प्रावधान भी है। समाज कल्याण विभाग भी इनके पीछे खर्च करता है। आप का विभाग भी है। धन राशि स्वीकृत हो जाती है। पर या तो नल लगाये ही नहीं जाते, अब अगर लगाये भी जाते हैं तो दूसरे मोहल्लों में लगा दिये जाते हैं या इनके मोहल्लों में भी लगाते हैं तो टूटी फूटी हालत के लगाते हैं, बे-मन से लगाते हैं वे काम नहीं करते। यह भारी समस्या है। हमने आन दी स्पाट जाकर हालत देखी है। कभी कभी तो यहां तक हुआ है कि एक एक साल से मंजूर राशि पड़ी रही, खर्च नहीं की गई। नल नहीं लगाये गये। जब हमने कहा कि विधान सभा की समिति यह सब देखने जा रही है तो रातों रात विभाग ने टूंटियां लगा दीं और पानी उसमें छोड़ दिया गया। तो इस प्रकार की लापरवाही, अकर्मण्यता और उपेक्षावृत्ति इस विभाग में है। इस ओर मन्त्री महोदय ध्यान दें और जो मैंने शाहाबाद पंचायत समिति के गांव में जहां पानी उपलब्ध है वहां बोरिंग करके हैण्ड पम्प लगाने के लिये कहा है वे शीघ्र लगा दें। यह हमारे लिये शोभा वाली बात नहीं है कि वहां के लोग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगाये गये पम्पों से पानी लेते रहें। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री देवीलाल (सराड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जल प्रदाय की मांग पर जो बहस चल रही है उसमें मेरे भी दो कट मोशन है। सराड़ा तहसील हैड क्वार्टर पर सर्वेक्षण होकर योजना यहां जयपुर में आ गई है लेकिन अभी तक मंजूर नहीं हुई। उस विषय में लोगों की बहुत मांग है। माननीय मंत्री जी ने यह जानकारी दी थी कि मैं जल्दी कर रहा हूं लेकिन वह आज तक नहीं हो पाई। सीमाली की नल योजना चार वर्ष पूर्व हुई थी उसमें नाजायज काफी पैसा खर्च किया गया था। पुरानी बावड़ी खोदी गई थी। पहले काफी पैसा खर्च कर दिया है। ठेकेदार ने पैसे समाप्त कर दिए हैं। सीमाली नल योजना यों की यों पड़ी हुई है। जो टंको बनाई थी वह भी बिखेर दी और अब नई बनाई है। ऊपर के अधिकारियों ने देखा नहीं। जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर थे उन्होंने देखा नहीं और जैसा उस ठेकेदार ने काम किया वैसा ही श्री पखेरा साहब ने एस्टीमेट मंजूर कर लिया चाहे तरीके से काम किया या नहीं, चाहे सीमेन्ट

(श्री देवीलाल)
लगाई या न लगाई, रुपया वाजिब खर्च हुआ या नहीं हुआ। सारा काम फर्जी हुआ है। नल योजना पूरी नहीं लग पाई। टंकी अधूरी पड़ी है।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं आप किसी अधिकारी को भेजकर जांच करवा लें कि जितना पैसा खर्च हुआ है उतना काम हुआ है या नहीं हुआ है।

दूसरा उदयपुर के नजदीक की नगरपालिका पानेरियों की मादड़ी सवाना के अन्दर जो गांव पड़ते हैं वहां मेरा चुनाव क्षेत्र पड़ता है। उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब नल योजना लग गई है, नल पहुंचे हैं और सारे मोहल्ले में नल लग चुके हैं लेकिन आदिवासी मोहल्लों में नल नहीं लगाये हैं उनके पानी की समस्या नहीं सुधरी। सवर्ण लोग पानी नहीं भरने देते हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मोहल्लों में जो सहायता पानी के नल लगाने के लिए दी जाती है वह सारी सवर्ण लोगों में खर्च की जाती है, सड़कों के लिए जो सहायता दी गई वह सहायता कहां खर्च होती है, यह पता नहीं। सारी धनराशि सिटी में खर्च हो जाती है। शिड्यूल्ड कास्ट्स में एक पैसा भी खर्च नहीं होता है। एक मोहल्ला पानेरियों की मांदड़ी में आदिवासियों का व भीलों का है उसमें एक भी टूंटी नहीं है जब कि काफी मांग की गई है और वहां की नल योजना के बारे में विभाग ने भी कोई ध्यान नहीं दिया है। जो पैसा विभाग के पास गया ता सवर्ण जाति में खर्च कर दिया, उन लोगों में नहीं किया। सड़कों का पैसा भी उन लोगों में खर्च नहीं किया। किशनपोल के पास आदिवासी रहते हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है। सड़कों का काम नहीं है। उनको आज तक प्लाट भी नहीं मिल पाये। ऐसी स्थिति सवीणा गांव में है। सवीणा गांव में बड़े पाइप नहीं लगाये हैं। एक छोटा पतला पाइप लगाया गया है उसमें पानी पूरा नहीं आता है इसलिए वहां पाइप लगाया जाय। दूसरे बड़े पाइप लगें तो सब लोगों को पानी पर्याप्त मिलेगा। पतला नल लगा दिया उससे पानी सब लोगों को मिलता नहीं है। सब लोगों को तकलीफ हो रही है। इस वर्ष पानी की तो बहुतायत है लेकिन आदिवासी और शिड्यूल्ड कास्ट्स के मोहल्लों में नल लगना चाहिए। और सराड़ा तहसील की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान जाय····

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

नल योजना स्वीकार करके नल लगाया जाय, क्योंकि उस क्षेत्र में पानी की बहुत बीमारी है हर वर्ष नारू बाला निकलता है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कोरम भी हो साहब। मिनिस्टर साहब को आने दीजिये।

श्री देवीलाल : बहुत जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रताप सिंह।

श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं जो हमारे यहां किशनगढ़ में····

एक माननीय सदस्य : कोरम बैल बजाइये।

(गणपूरक–सूचक–घन्टी)

गणपूर्ति के पश्चात्

श्री रामनारायण चौधरी : कोरम लेने गया था।

श्री प्रतापसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था किशनगढ़ का तालाब है उसमें जो पानी इकट्ठा होता है उसको निकासी के लिए जो भूतपूर्व मुख्य मंत्री थे श्री बरकतुल्ला साहब ने आश्वासन दिया था। उसके अनुसार योजना बनाई है और योजना चालू करने में यह मतभेद रहा कि कौन से डिपार्टमेंट से कराई जाय इसलिए वह इम्पलीमेंट नहीं हो पाई। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं इस मतभेद को दूर करके बजट में प्रावधान होना चाहिए और नहीं हो तो बजट में प्रावधान करके जो जल का वितरण किया जा रहा है उससे वहां की जनता बच सके और जो स्वच्छ पानी मिलना चाहिए वह वहां उपलब्ध हो जाय। पानी के लिए तो मैंने पहले प्रश्न में निवेदन किया था और मंत्री महोदय ने सदन में बताया था वहां स्टाफ की व्यवस्था नहीं है। स्टाफ की कमी है तो उसे दूर किया जाय। वहां की जो टंकी है वहुत छोटी बनी हुई है। उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मैं मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा। टंकी और स्टाफ की जो कमियां हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा जो छोटी छोटी कमियां हैं उससे जनता में असन्तोष और आक्रोश रहता है इसलिए पेटी चीजों के लिए जनता में असन्तोष पैदा न करें यही निवेदन करूंगा। इसके लिए शीघ्र प्रयास करें।

ग्रामीण जल योजना के लिए यूनिसेफ द्वारा नल कूप जो खुदवाये जा रहे हैं उनको ग्रामीण जल प्रदाय योजना से सम्बद्ध कर दिया जाय और जो सर्वे विभाग है उसमें कौन इन्टरेस्ट लेकर करे तो ग्रामीण जल प्रदाय योजना काफी सहायक सिद्ध हो सकती है। बहुत सी जगह नल कूप खुदे हुए पड़े हैं, पानी का उपयोग नहीं किया जा रहा है। उनके उपयोग के लिए सुचारु रूप से कोई योजना बनाकर मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

....उनको चालू करने की व्यवस्था हो जाय। ढाई प्रतिशत कन्ट्रीब्यूशन वाली बात मेरे क्षेत्र में है। दो गांव हैं राई और सिलोरा, ढाई प्रतिशत का जो है वह जमा करा दिया है लेकिन योजना को लागू करने के लिए अभी कुछ नहीं हुआ है। इसलिए निवेदन करूंगा तत्काल ध्यान देकर इस योजना का विस्तार कराया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशन मोटवानी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज की मांग के संदर्भ में मैं जो निवेदन करूंगा वह केवल एक रिपीटीशन ही होगा लेकिन वह रिपीटीशन मैं आज खास तौर से निवेदन करूंगा इसलिए कि आश्वासन के रूप में मंत्री महोदय कुछ कहें। पहले तो यह था कि अजमेर की वितरण योजना थी वह म्युनिसिपैलिटी के हाथ में थी और म्युनिसिपैलिटी ने कुछ काम भी बकाया नहीं दिया, यह भी कारण बताकर अजमेर के लोगों को पानी से वंचित रखा गया है। परन्तु अब मेरी मान्यता है गवर्नमेंट के आदमी

(श्री किशन मोटवानी)
बैठे हैं-टेक इट एनी टाइम और उसका यह भी आया है कि केबिनेट में डिसिजन हो चुका है और जल्दी ही नोटिफिकेशन निकाल कर उसको गवर्नमेंट के हाथ में ले लें-पी एच.डी. के माध्यम से। उसमें मेरा यह निवेदन है कि जल की समस्या इन दिनों, आज से एक महीने पड़ गई थी उसको टेक ओवर करने से पहले मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, नोटिफिकेशन निकालें उससे पहले अपने विभाग को यह कहें कि अभी से ही प्लान बनायें। मिनिमम नीड जो है, मेक्सिमम तो न दीजिए, कोई रिक्वेस्ट ही नहीं करते इस समय, और हम समझते हैं रीजनेबिल भी नहीं होगी परन्तु मिनिमम नीड है उसके लिए अभी से प्लान तैयार कर दें ताकि लोगों को थोड़ा बहुत पानी मिल सके।

समाज कल्याण के लिए सभी लोगों ने कहा परन्तु पानी नहीं आया, यह मेरी भी शिकायत है। नल केवल दिखाने के लिए लगें तो उचित नहीं होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अजमेर के लोगों ने पैसा दिया है। म्युनिसिपेलिटी ने भले ही आपको नहीं दिया हो। अजमेर के लोग उससे बाउन्ड नहीं हैं। उन्होंने तो पैसा दिया है और उनकी जो नीड पानी की है, उसकी पूर्ति होनी चाहिए। उन्होंने किसी किस्म का दोष नहीं किया है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के समक्ष दो मांगें प्रस्तुत हुई हैं एक करों के सम्बन्ध में और दूसरी जल प्रदाय विभाग के सम्बन्ध में। वैसे देखने में दोनों मांगें बहुत भिन्न भिन्न मालूम पड़ती हैं लेकिन वैसे देखा जाये तो यह दोनों मांगें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं--एक आमदनी की है और एक खर्च की है और इन दोनों ही मांगों पर माननीय सदस्यों ने दिल खोलकर अपने विचार प्रकट किये हैं। काफी सुझाव कर वसूल करने के सम्बन्ध में और जल प्रदाय योजनाओं को चलाने के सम्बन्ध में यहां प्राप्त हुए हैं और मैं समझता हूं, मैं भूलता नहीं हूं तो करीब 200 से ऊपर कटमोशन्स इन दोनों ही मांगों के सम्बन्ध में आये हैं। मैं सारे माननीय सदस्यों को, जो बोले हैं और इस विषय पर अपने विचार प्रकट किये हैं और नहीं किये हैं, को विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी कटमोशन्स हैं उनके बारे में उत्तर भेज दिये जायेंगे क्योंकि यह मेरे लिए सम्भव नहीं होगा कि जितने भी कटमोशन्स आये हैं और जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं उन सबके बारे में विस्तार से जवाब दे सकूं। इसलिए मैं पूरी तरह से उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर मैं उनका जवाब नहीं देता हूं तो यह मतलब नहीं है कि उनके सुझावों के बारे में कोई उपेक्षा की भावना बरत रहा हूं बल्कि केवल इतना ही है कि समय की कमी है और मेरे लिए सम्भव भी नहीं है कि सारी बातों का यहां जिक्र कर सकूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं जलप्रदाय विभाग के बारे में कहना चाहूंगा। यह वह विभाग है जिसने हमेश

(श्री चन्दनमल बैद)

शानदार काम किया है। हम इस बात को नहीं भूले हैं कि पिछले साल हमारे प्रदेश में सूखे का साल था, हम इस बात को नहीं भूले हैं कि पिछले साल हमारे प्रान्त में बहुत बड़ी बाढ़ भी आई और हम इस बात को भी नहीं भूले हैं कि पिछले साल हमारे राज्य कर्मचारियों ने 37 दिन की हड़ताल की थी लेकिन इन सारी दिक्कतों के बावजूद हम यह समझ रहे थे कि उदयपुर को खाली कराना पड़ेगा, शायद जोधपुर को खाली कराना पड़ेगा, शायद ब्यावर को भी खाली कराना पड़ेगा और जब उन झीलों में जहां बाहर से विदेशों से आकर लोग सैर किया करते थे वहां जीपें चलीं तो उस समय सदन के सारे माननीय सदस्य चिन्तित थे उस समय भी बहादुरी के साथ इस विभाग ने काम किया। जोधपुर, उदयपुर और ब्यावर को खाली होने से बचाया और उन दिनों में भी जिन दिनों 37 दिन की हड़ताल राज्य कर्मचारियों की हुई मुझे इसको कहते हुए गौरव होता है कि हमारे इस विभाग के मजदूरों ने कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने और इन्जीनियर्स ने अपनी कर्त्तव्यपरायणता के साथ कार्य किया और राजस्थान की 2½ करोड़ जनता के साथ खड़े रहे और उनको मुसीबत में नहीं डाला। अगर इस विभाग के कर्मचारी भी राज्य कर्मचारियों के साथ हड़ताल में शामिल हो जाते तो निश्चित रूप से राजस्थान के सामने मुसीबत आ जाती। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत और सदन की मार्फत अपने इस विभाग को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और बधाई देता हूं कि सारी मुसीबतों के बावजूद भी इस विभाग ने बहुत शान के साथ और कर्त्तव्यपरायणता के साथ कार्य किया। मैं मानता हूं कि बहुत सी जगह जहां सैकड़ों और हजारों जगह काम हो रहे हैं वहां कमियां होना सम्भव है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी तरफ हम आंखें नहीं मीच रहे हैं। उनकी तरफ ध्यान देंगे और उनको सुधारेंगे और कोशिश इस बात की करेंगे कि जिनकी तरफ माननीय सदस्यों ने हमारा ध्यान खींचा है सरकार उनको दूर करने का प्रयत्न भरसक करेगी।

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ खास मुद्दों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आज यह अर्ज करना चाहता हूं कि चर्चा हुई है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी 8 हजार गांव ऐसे रह जायेंगे जिनमें पीने का पानी उपलब्ध नहीं होगा। जब मैं यह कहता हूं कि 8 हजार गांव ऐसे रह जायेंगे तो माननीय सदस्यों को सोचना चाहिए कि मैं किस सन्दर्भ में यह कह रहा हूं। वह सन्दर्भ यह है कि जो प्राब्लम्स हैं उसमें एक तो यह है कि उन गांवों का जिक्र मैं करता हूं जहां पानी नहीं मिलता है। इसका मतलब यह है कि अखिल भारतीय स्तर के अनुसार वे पानी नहीं मिलने वाले गांव समझे जाते हैं जहां 100 फीट से ज्यादा गहरा पानी है या फिर एक मील से ज्यादा दूर से पीने के लिए पानी के लिए पानी लाना पड़ता है। राजस्थान के लिए समस्या नहीं है लेकिन जब अखिल भारतीय स्तर के अनुसार सोचते हैं और अपने प्रदेश के लिए पैसा मांगते हैं तो यह नहीं कह सकते कि

(श्री चन्दनमल बैद)

राजस्थान में तो हमको चार, चार और पांच, पांच मील से पानी लाने की आम आदत है। उस समय मैं भी यही कहता हूं कि अगर एक मील से ज्यादा दूरी से पानी मिले और 00 फीट से ज्यादा गहरा है। वह भी हमारे ही गांव हैं। उस समय जब मैं कहता हूं कि 8 हजार गांवों को पानी नहीं दे सकेंगे तो वह दुःख की बात नहीं होती है बल्कि मेरे लिए खुशी की बात है कि हम उन गांवों को भी देने की बात सोचते हैं जिनका पानी 100 फीट से ज्यादा गहरा है और जहां एक मील दूर से पानी के लिए जाना पड़ता है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उन गांवों के लिए जहां नाहरू का रोग होता है, जहां फ्लोराइट से हड्डियों का रोग होता है और जहां ब्लेकिश वाटर है उनके लिए कोशिश करूंगा कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में ले लें। लेकिन उन गांवों की समस्या जिनका पानी 100 फीट से ज्यादा गहरा है या एक मील से ज्यादा दूर जाना पड़ता है सम्भव है कि सारे गांवों की समस्याओं को हल नहीं कर पायें। फिर ऐसे गांव भी रह सकते हैं जिनकी आबादी बहुत कम है। जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा जो भरतपुर से आते हैं, मैं उनको दाद देता हूं बिना इसकी परवाह किये कि उनके इलेक्टोरेट्स उनको क्या कहेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर को चाहे पीने का पानी नहीं दें जहां कि मीठा पानी है लेकिन जहां नाहरू का रोग होता है या खारी पानी है या जहां हड्डियों की बीमारी होती है उनको भी दें तो उन्हें ज्यादा खुशी होगी। हमारी यही स्प्रिट होनी चाहिए।

जब लोग इसकी चर्चा करते हैं कि चूरू में ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, बीकानेर में ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, बाड़मेर में ज्यादा पैसा खर्च कर दिया तो वह माननीय सदस्य इस बात को भूल जाते हैं कि वहां की समस्यायें क्या हैं और उनकी क्या हैं जहां मीठा पानी है। तो सारे सन्दर्भ में सारी चीजों को देखना चाहिए। जहां हम चूरू, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जालौर इन जगहों पर पैसा खर्च कर रहे हैं और डूंगरपुर, बांसवाड़ा जहां कि नाहरू का रोग होता है वहां भी पैसा खर्च कर रहे हैं और वहां 80 लाख रुपये की स्कीम चल रही है। 300 गांवों में हम 450 के करीब ट्यूब वेल बना चुके हैं और वहां की समस्याओं को हल करना चाहते हैं। डूंगरपुर की समस्याओं को हल करने के बाद जहां नाहरू का रोग होता है प्रतापगढ़ और सिरोही है या कोटा का इलाका है उसको भी लेंगे और स्कीम को आगे बढ़ायेंगे और समस्याओं को हल करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं आपसे यह अर्ज कर रहा था कि किस तरीके से हम इस काम को कर रहे हैं। अभी जिन डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में मैं चर्चा कर रहा था कि जहां समस्याओं का भयंकर रूप है उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए क्योंकि बार बार यह प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं झालावाड़ में काम किया, क्यों नहीं सवाई माधोपुर में काम किया? हमने 2½ पर्सेन्ट पैसा जमा करा दिया फिर भी क्यों नहीं काम किया? पैसा तो जमा करा दिया है लेकिन 97½ पर्सेन्ट तो राजस्थान सरकार को खर्च करना पड़ता है। 2½ पर्सेन्ट जमा करा देने

(श्री चन्दनमल बैद)

से समस्या का हल नहीं हो जाता है। इसलिए आपके 2।। पर्सेन्ट पैसे के जमा होने के बावजूद हमने उन इलाकों में जो 2।। पर्सेन्ट नहीं जमा करा पाये हैं और जैसा पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था 67 लाख रुपया खर्च होता है उस स्कीम को पहले लेना पड़ता है क्योंकि उनकी दिक्कतें ज्यादा हैं। हम सभी राजस्थान में बसते हैं और यह सोचते हैं कि जिनकी तकलीफ ज्यादा है उनका काम पहले किया जाये, ताकि उनकी तकलीफें कम हों। वे डिस्ट्रिक्ट हम इन्क्लूड कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि वे हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, बीकानेर, चूरू, नागौर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सीकर और झुंझूनूं और उदयपुर व चित्तौड़गढ़ के कुछ हिस्से। तो इन जिलों में जहां पीने के पानी की समस्या है उन जिलों को पहले लेना है। और जब मैं यह कहता हूं कि आठ हजार गांव पानी के बिना रह जायेंगे तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आठ हजार गांव ऐसे रह जायेंगे जिनमें आम तौर पर या तो सौ फीट से ज्यादा गहरा पानी है या एक मील दूर से पानी लाना पड़ता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि राजस्थान में पानी के बारे में जितना काम किया गया है, शायद ही किसी प्रदेश ने इतना काम किया हो। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमें जब मध्यप्रदेश से पानी लाना पड़ता है तो हमें शर्म आती है। मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मिनिस्टर का पत्र मेरे पास है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आप कोटा में जो आपका पानी है उस पानी को मध्यप्रदेश के फलाने ग्राम में दे दें क्योंकि वहां लोगों को पानी की तकलीफ है। यह तो आदान-प्रदान की बात है हो सकता है कि आज मध्य प्रदेश के किसी गांव में पानी हो और वहां से हमें पानी लेना पड़ता हो तो उसके मुकाबले मध्य प्रदेश के मिनिस्टर का पत्र भी हमारे पास है जिसमें वे लिखते हैं कि आपके पास के पानी को हमारे गांव में दे दें। हो सकता है कि हरियाणा के पास में पानी हो, बिजली हो, हरियाणा से हम मांगते हैं तो हरियाणा वाले भी कभी हमसे पानी मांग सकते हैं। यह आदान प्रदान तो चलता रहता है।

श्री रामगोपाल (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन लीजिए पहले, मैं आपको बाद में मौका दूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : मैं अर्ज कर रहा था कि राजस्थान ने पानी के लिए जितना काम किया है शायद ही किसी प्रदेश ने किया हो। हम केवल ढाई पर्सेंट का कण्ट्रीब्यूशन लेकर वाटर सप्लाई स्कीम के लिए अपनी तरफ से साढ़े सित्तानवे पर्सेंट अपनी तरफ से खर्च करते हैं स्टीम पम्प स्कीम पर। उसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूं कि पम्प इन स्कीम पर हम कोई चार्जेज वसूल नहीं करते हैं। इसके अलावा जितनी पी. एस. टी. स्कीम्स हैं, चाहे शहरों में हों या देहातों में हों उसके लिए कोई चार्ज वसूल नहीं करते और जो हरिजन मोहल्लों में पानी पहुंचाने की स्कीम है उसमें कोई चार्ज वसूल नहीं करते

(श्री चन्दनमल बैद)

हैं। मैं समझता हूं कि इतना बड़ा काम हम वहां पर करते हैं और इसके अलावा इन सारे कामों में शहरों में जहां एक करोड़ सरकार को खर्चा करना पड़ता है वहां करीब डेढ़ करोड़ देहातों में खर्चा करना पड़ता है और इस प्रकार पी. एस. टी. स्कीम पर ढाई करोड़ खर्चा सरकार को करना पड़ता है। इसके उपरान्त जब यह कहा जाता है कि सरकार देहातों पर ध्यान नहीं देती है इसलिए मुझे यहां पर यह कहना पड़ा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक थोड़ी सी चर्चा यहां पर यह भी की गई कि शहरों और देहातों में बड़ा फर्क है। हम ज्यादा शहरों में कर रहे हैं और देहातों में जो काम करते हैं वो कम काम करते हैं। मैं मानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि शुरू शुरू में जो हमारी पंचवर्षीय योजनायें शुरू हुई तो शहरों में ज्यादा काम हुआ और आज स्थिति यह है कि 157 हमारे राजस्थान में शहर हैं उनमें से एक साल के अन्त तक 151 शहरों में हमारे काम समाप्त हो जायेंगे। वहां पर वाटर वर्क्स के काम पूरे हो जायेंगे। जो 6 शहर हैं उनमें भी अगले साल में काम पूरा कर लेंगे, लेकिन जैसा कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आप एक जगह की स्कीम बना देते हैं उसको पचास साल तक छेड़ने की जरूरत महसूस नहीं हो ऐसी स्कीम बनावें, यह सम्भव नहीं है। एक तो आर्थिक स्थिति इसमें कारण है। दूसरा किसी भी शहर की आबादी इस रेट से बढ़ेगी यह निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं हो सकता है। मुझे खुशी है कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जहां हमारी आलोचना की वहां इस बात को भी माना कि हमारा लिविंग स्टेंडर्ड बढ़ रहा है। जब लिविंग स्टेंडर्ड बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी आम जनता की हालत अच्छी हो रही है और उसी से लिविंग स्टेंडर्ड बढ़ रहा है। तो यह कहना बड़ा मुश्किल है कि हमें उस शहर की स्कीम को कब रिवाइज करना पड़ेगा। आज जयपुर की स्कीम को हम दो बार री-आर्गेनाइज कर चुके हैं और करना पड़ेगा। जयपुर के बारे में यहां पर हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य बहुत जोर जोर से कह रहे थे कि जयपुर में पानी की समस्या है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जयपुर में 1 करोड़ 90 लाख गैलन वाटर रोजना सप्लाई कर रहे हैं। अगर छः लाख की आबादी जयपुर की मानें तो तीस गैलन प्रति व्यक्ति आज जयपुर को पानी सप्लाई किया जा रहा है। जितना पानी आज जयपुर में दिया जा रहा है राजस्थान में शायद ही कहीं सिवाय जोधपुर को छोड़ कर सप्लाई किया जा रहा हो। इसके बाद भी माननीय सदस्य को संतोष नहीं है। वे समझते हैं कि हमारे लिए बनास से ही पानी लाया जाय और बनास से ही पानी आ जाए तभी संतोष हो तो मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप को अर्ज कर देना चाहता हूं कि बनास की स्कीम बनाई गई थी सिंचाई का पानी और पीने का पानी सप्लाई करने के लिए और उस समय वह स्कीम 24 करोड़ की थी। आज सिंचाई विभाग इस स्कीम में हिस्सेदार नहीं बनना चाहता है। आज वही वाटर स्कीम जो पहले

(श्री चन्दनमल बैद)

24 करोड़ की थी, आज वह 40–करोड़ की हो गई होगी और जब कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शहरी योजना के लिए 17 करोड़ रखा था। शायद वे यह चाहते हैं हम तीनों योजनाओं, पांचवीं, छठी, सातवीं योजना को केवल जयपुर के लिए ही रिजर्व कर दें और बाकी शहरों और देहातों को भूल जायं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह कभी नहीं चाहेंगे। हम भी चाहते हैं कि जयपुर हमारी राजधानी है, यहां पर पानी की सप्लाई ठीक तौर पर चलती रहें। जयपुर में लाखों आदमी रहते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं और बाहर की डिगनिटरीज भी आती हैं, मैं भी चाहता हूं कि यहां पानी की व्यवस्था सुचारु रूप से रहे लेकिन जो एक करोड़ 90 लाख गैलन पानी प्रतिदिन दिया ज रहा है, यानी एक आदमी को तीस गैलन पानी दिया जा रहा है उसके उपरान्त भी उनको संतोष नहीं हो तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं। यह सम्भव हो सकता है कि तीसरी चौथी मंजिल पर पानी पहुंचता नहीं हो, किसी गली में ठीक से पानी नहीं पहुंचता हो, यह सम्भव हो सकता है और उसको हम ठीक कर रहे हैं और ठीक करेंगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जयपुर की वाटर सप्लाई स्कीम ऐसी हो गई कि जैसे अगले साल में ब्रेक डाउन हो जायगी। पिछली गर्मी का मौसम भी निकाला था जब कि वह सूखे का टाइम था, आप भी अखबार रोज पढ़ते हैं आप भी पढ़ते हैं, और लोग भी पढ़ते हैं, मैं भी बराबर पढ़ता रहा हूं ऐसी तकलीफ महसूस की हो तो बतायें...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तकलीफ महसूस की ही नहीं, कर रहे हैं, इसलिए तो कह रहा हूं। आज भी आप हर गली, मोहल्ले में चले जायं, परकोटे के भीतर...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दीपंकर : ये माननीय सदस्य इस तरह से डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर को बड़ी भारी तकलीफ है तो डिस्टर्ब क्यों नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आपको बाद में उत्तर प्रत्युत्तर का समय मिलेगा। आप बिराजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : रेगिस्तान के लोगों की भावना की कद्र कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री चन्दनमल बैद : मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह हमारे लिए सम्भव नहीं है कि किसी शहर की योजना बनाते वक्त पचास साल की योजना पहले से बना लें। पांच साल, दस साल की बात हम सोच सकते हैं और हमेशा इस बात को खयाल में रखा है और रखते रहे हैं कि हम कोई भी योजना बनाते हैं तो इसका पुनर्गठन करना पड़ेगा और उसका पुनर्गठन करते हैं। अभी 17 योजनायें पुनर्गठन की हमारे हाथ में हैं। हम कर रहे हैं और अगले साल फिर सात योजनायें पुनर्गठन की हाथ में लेंगे। पुनर्गठन का प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। 17 योजनायें चल रही हैं और 7 योजनायें इस

(श्री चन्दनमल बैद)

साल लेने वाले हैं। यह पुनर्गठन की योजना कभी बन्द नहीं होती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी अजमेर का जिक्र किया गया। मैं खुद इस बात में दिलचस्पी रखता हूं कि अजमेर की वाटर सप्लाई स्कीम राज्य सरकार के पास में आ जाय तो राज्य सरकार कुछ पैसा लगा कर उस योजना को सुधार सके और कुछ काम कर सके। पहले यह योजना नगरपालिका के पास थी, वह देना नहीं चाहती थी लेकिन आज नगरपालिका भंग हो गई तो उसके बाद किसी प्रकार की कानूनी दिक्कत आ गई है। हम सब इस बात से सहमत हैं और मंत्रीमण्डल इस बात से सहमत है कि यह योजना हमारे पास आनी चाहिए, लेकिन जो कानूनी दिक्कत है हमें उसको दूर करना पड़ेगा और कानूनी दिक्कत दूर होते ही इस योजना को हाथ में लेंगे और इसके बाद सुधारेंगे। ठीक है, मैं जानता हूं कि कोई हमारे हाथ में लेते ही चमत्कार हो जाय और जादू के डंडे से काम पूरा हो जाय यह सम्भव नहीं है। फिर भी जितना जल्दी हो सकेगा उस योजना को सुधारा जाएगा और केवल अजमेर के लिए ही नहीं, अजमेर, ब्यावर और किशनगढ़ की तीनों योजनाओं को साथ मिला कर बनास पर पिकअप वेयर बना कर तीनों ही शहरों की पानी की सप्लाई योजना को पूरा करेंगे और उसके बाद ही चैन की सांस लेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष-महोदय, एक बात यह कही गई कि हम देहातों में कुछ कम पैसा खर्च कर रहे हैं। मैं सदन को समय समय पर इस बात को बता चुका हूं कि देहातों में कितनी योजनायें चल रही हैं और कितना काम किया है। आज मैं यह फिर बताना चाहता हूं कि चौथी योजना में हमने कितना पैसा देहातों में खर्च किया है और कितना शहरों में खर्च किया है और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कितना शहरों में खर्च करना चाहते हैं और कितना देहातों में खर्च करना चाहते हैं।

चौथी पंचवर्षीय योजना में शहरों में हमने 24,83,36,000) रु. खर्च किया है वहां देहातों में 26,25,30,000) रु. खर्च किया है। उसके बजाय पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हमने यह प्रावधान किया है कि देहातों में 58 करोड़ और शहरों में केवल 17 करोड़ का खर्चा किया जावे। आप और भी इस बात को महसूस करेंगे कि हम पीरे 2 पिछले दो सालों से बराबर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि देहातों का शेयर बढ़ाते चले जायं और शहरों का शेयर कम होता चला जाय और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस सारे को स्ट्रेस कर रखा गया है, सारा हमारा इम्फेसिस, हमारा सारा जोर, और हमारा सारा ध्यान जो है देहातों की तरफ केन्द्रित हो जाए। जिससे माननीय सदस्यों को यह विश्वास हो और यह आश्वासन मिले कि हम यह चाहते है कि ज्यादा से ज्यादा काम देहातों में हो और हम गांवों की उपेक्षा नहीं करना चाहते हैं।

श्री रामकिशन : शहरों में काम नहीं होगा।

श्री चन्दनमल बैद : शहरों में भी काम हो रहा है। 17 योजनाएं चल रही हैं और 7 अगले मास चलेंगी। अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ की योजनाएं हैं, वे भी चलेंगी। भरतपुर की योजना अगले साल खतम हो रही है। जो शहरों की योजनाएं हैं वे एक दम से खतम होने वाली नहीं हैं। उनका पुनंगठन होता रहेगा। 74-75 में जो अगले साल की योजना है उसमें 6 करोड़ 50 लाख रुपया देहातों में खर्च होगा और शहरों में 2 करोड़ 50 लाख खर्च होंगे। हम इस तरह से धीरे धीरे देहातों में एलाटमेंट बढ़ाते जा रहे हैं और शहरों में काम कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी की मांग के साथ बोदासर जल योजना के बारे में सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। मैं भी चाहता था कि वे इस प्रश्न को उठावें। मैं इसके लिए उनका शुक्रगुजार हूं जिन्होंने कि इस प्रश्न को यहां पर उठाया। एक हवा चल पड़ी है कि किसी तरीके से कुछ लोगों को जो कि उन्हें पसन्द नहीं हैं, उनके बारे में आरोप लगाए जाएं। कभी साली के नाम से, तो कभी किसी के नाम से आरोप लगा देंगे। प्रजातन्त्र में कहने की सबको छूट है। एक परम्परा बराबर यहां पर चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं विद्यार्थी था, इतिहास में पढ़ा था यूरोप के अन्दर कुछ समय पोप द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाता था-स्वर्ग में जाने का सर्टिफिकेट दिया जाता था। पोप का सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो यह समझा जाता था कि उसके बिना स्वर्ग में नहीं जा सकते। ऐसा उस समय लोगों की मान्यता थी। हमारे यहां इस विधान सभा में भी ऐसे चार माननीय सदस्य हैं अगर आपको प्रगतिशील बनना है, जन सेवक कहलाना है, तो वे कहते हैं कि हमसे सर्टिफिकेट लेओ और जो उनसे सर्टिफिकेट नहीं लेता है वे उन पर हमला करते हैं। मैं हमलें से डरता नहीं हूं। यहां पर सर्टिफिकेट नहीं लिया तो मेरे पर आक्रमण आरम्भ हो गया। मैं ऐसी बातों से डरने वाला नहीं हूं, जो हमला होता है, आक्रमण होता है, तो मैं उसका जवाब देने को तैयार हूं। एक फाइल, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं और मैं विस्तार से यहां इसको पढ़ देना चाहता हूं। यह फाइल का पैरा नम्बर एक है। यह मैं पढ़ूंगा जो कि श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया ने लिखा है।

"I inspected the Water Supply Scheme at Sujangarh. I was then told that thousands of people were waiting at Bidasar for the foundation stone laying ceremony of Bidasar Water Supply Scheme..."

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप यहां पर फर्माने के बजाय यह पत्रावली उपाध्यक्ष महोदय को दे दें वे इसका अवलोकन कर लेंगे।

श्री चंदनमल बैद : मैं इसको पढ़ रहा हूं ताकि सब बात स्पष्ट हो जाए।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रोसीजरल बात है।

श्री चंदनमल बैद : "I was also given to understand

(श्री चंदनमल बैद)

that this Water Supply Scheme had been approved by the F.M."

I was not the F.M. then.

"I proceeded to Bidasar, inaugurated the Water Supply Scheme. At the time of inauguration, I came to know that the Chordia family had donated Rs. 2.5 lakhs for this Water Supply Scheme and their name would be associated with it. On my return journey I enquired from Shri Chandanmal Baid, who was accompanying me, as to the occupation of Shri Chordia and I was then told by him that Shri Chordia had been arrested and convicted in a smuggling case. It appears that the case went up to the Supreme Court and there was some modification of the penalty.

"This fact came to my knowledge through Shri Chandan Mal Baid only on my return journey from Bidasar. If there is any truth in regard to Shri Chordia's being involved in smuggling case, there can be question......'

यह गलती है; thould be "there can be no question.....,

"......of the Government associating him with the Water Supply Scheme, I would, therefore, like that the facts of the case should be ascertained and it must be found out whether Shri Chordia was ever involved in any smuggling case. If it is so, we should immediately refund the donation received from him for this scheme and his name should not in any manner be associated with the Scheme. The stone mentioning his name should also be removed.

The water Supply Scheme should not, however, stop and should be completed at Government cost."

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : यह तो उसमें भी है जो मैंने पढ़ा है।

श्री चन्दनमल बैद : आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैंने भी जब आप बोल रहे थे पेशन्स के साथ सुना है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद यह फाइल चलती है। यह जिक्र है। ढाई लाख रुपया उनकी तरफ से जमा नहीं हुआ। 10,600 का जिक्र है जिसके बारे में पत्र पढ़ा। क्या हुआ। इससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। अब मैं पैरा 67 की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं

"As intimated on telephone, the file bearing No. F.I (87)/69 regarding Bidasar Water Supply Scheme is being sent herewith for perusal of Chief

(श्री चन्दनमल बैद)

Minister, which may kindly be returned when done with.

Sd./xxx

Addl. Chief Engineer

P. H. E. D.

9-2-72"

दिनांक 9–2–72 को मैं एम.एल.ए. भी नहीं था, मिनिस्टर होने की बात तो दर किनर रही। इसके … रकतुल्लाखां साहब का एक नोट है जि… … मैं पढ़ कर सुना देना चाहता हूं जिससे सारी स्थिति क्लीयर हो जाएगी। इसके तुरन्त बाद ही बरकतुल्ला खां साहब मुख्य मंत्री थे

"I called for this file as Beghraj Bhanwarlal Charitable Trust was representing to me that the Trust was keen to donate for this Water Supply Scheme and that the misgivings against acceptance of the donation of the Trust were not well founded

"I have gone through the record and I find that this Trust is a public charitable trust devoted to social and philanthropic work and that it receives public donations for its activities. The Trust has made donations to the Prime Minister's Defence Fund and has also contributed Rs. 2 lakhs to Lala Lajpat Rai College, the foundation stone of which was laid by the late reverred Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri. The Trust has also been making donations for the famine relief works in our State. The accounts of the Trust are regularly audited and the Trust has also been granted the permissible exemptions by the Income Tax Authorities. When the donations made by the Trust, which is a public charitable trust, are being accepted at national level and when its accounts are subjected to regular audit, I think it would not be improper or irregular to accept its donation for a public utility scheme. The Trust is keen that its donation for this Water Supply Scheme should be accepted by us and its name associated with it. I find that the present estimated cost of the Bidasar Water Supply Scheme is Rs. 21.50 lakhs. According to the existing instructions, a donor has to contribute more than 50 per cent of the cost of the project if his name is to be associated with it. But in the case of certain Water Supply Schemes like Sujangarh Water Supply, we have in the past accepted contributions on a lesser scale and associated the name of the donor with

166

(श्री चन्दनमल वैद)

donation is of a substantial order and is at least 25 per cent of the cost of the scheme, we should relax this provision in this case. The Truts had originally agreed to contribute Rs. 2.5 lakhs for this scheme but now it is willing to contribute Rs. 5 lakhs in cash for it. In addition, the Trust is also making available substantial land tor the scheme. According to the Trust, the value of land it self is Rs. 1 lakh. Butveneed not go into the valuation of the land and accept the whole of the land offered by the Trust. Taking the land and the donation together, the total donation of the Trust for the scheme will be over 25 per cent, of the present estimated cost of Rs. 21.50 lakhs. I am, thercfor, of the view that we may accept the donation of Rs. 5 lakhs and the land from the Trust for the Bidasar Water Supply Scheme and name that scheme as "Government Begraj Bhanwarlal Chordia Charitable Trust Water Supply Scheme" If the Finance Minister and the P.H.E.D. Minister have no objection, orders may issue accordingly".

This is dated 26th May, 1972

यह बरकतुल्ला खां साहब का 25-5-72 का आर्डर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारी फाइल में, जो फाइल मैंने अभी पढ़ी है, क्योंकि बहुत से लोगों को शायद इस बात की शंका हो कि शायद मैंने सही पढ़ा हो या गलत आपको पेश करता हूं। इसमें फाइनेन्स मिनिस्टर कहां पर आता है ? यह दो चीफ मिनस्टरों की बात है। एक चीफ मिनिस्टर को यह सूचना मिली कि इससे पैसा नहीं लेना चाहिए। दूसरे चीफ मिनि-स्टर ने एन्क्वायरी करके यह पता लगाया कि 25 लाख की स्कीम के लिए यह 5 लाख रुपया देता है तो लेने में कोई ऐतराज नहीं है और उन्होंने लेने का आर्डर दे दिया। इसमें मुझे इन्वाल्व करने की, मुझ पर छींटे उछालने की, मुझे इसमें घसीटने की क्या जरूरत है ? यह दो चीफ मिनि-स्टरों के बीच की बात है मोहनलालजी। सुखाड़िया और बरकतुल्ला खां साहब। सुखाड़ियाजी को सूचना मिली थी कि यह स्मगलिंग के केस में कन्विक्टेड हैं तो नहीं लेना चाहिए, और बरकतुल्ला साहब ने खुद ने कहा है कि आई हैव एन्क्वायर्ड इन टू दी मेटर। उन्होंने खुद ने एन्क्वायरी की और वह एन्क्वायरी करके 5 लाख रुपये ले लिये और आर्डर कर दिया और इनका नाम एसोशियेट कर दिया और वह स्कीम भी कम्प्लीट हो गई। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह फाइल आपके देखने के लिए दे रहा हूं। आप देख लें कि मैंने जो पढ़ा है इसमें कोई गलत तो नहीं पढ़ा है।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : आपने आब्जेक्शन क्यों नहीं किया । पहली बार आपके आब्जेक्शन पर ही...

श्री चन्दनमल बैद : चीफ मिनिस्टर जब कह रहे हैं कि "आई एम सेटिस्फाइड" तो मेरे आब्जेक्शन करने का मौका ही कहां रहता है? जब चीफ मिनिस्टर आफ राजस्थान यह कह रहा है कि "आई एम सेटिस्फाइड" तो मैं क्या आब्जेक्शन करता ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : 25-2 को आप मिनिस्टर थे ।

श्री चन्दनमल बैद : मैं खुद कह रहा हूं कि मैं मिनिस्टर था ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : तो आपने नोट दिया ।

श्री चन्दनमल बैद : मुझ से कोई नोट नहीं मांगा गया ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपसे पूछा भी नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप सुखाड़ियाजी के समय में आब्जेक्शन कर सकते थे..

श्री चन्दनमल बैद : मैंने सुखाड़ियाजी के समय भी आब्जेक्शन नहीं किया । सुखाड़िया साहब ने मुझ से पूछा था, एन्क्वायर किया था कि इनका आक्यूपेशन क्या है तो मैंने उनको बतलाया था कि स्मगलिंग के केस में इनका कन्विक्शन हुआ है । बरकतुल्ला साहब ने इस बात की एन्क्वायरी स्वयं ने की और उन्होंने यह कहा कि ट्रस्ट से पैसा आ रहा है तो उसमें कोई आब्जेक्शन नहीं है । एक तो ट्रस्ट का पैसा लेने में एतराज नहीं और जब एक चीफ मिनिस्टर ने ऐतराज किया और दूसरे ने स्वीकार कर लिया तो मेरे आब्जेक्शन करने की क्या बात है ? मुझे किसी प्रकार से, येन केन प्रकारेण पुल डाउन करना चाहते हैं लेकिन माननीय सदस्य..

श्री उपाध्यक्ष : (श्री हाण्डा के खड़े होने पर) आर्डर प्लीज ।

आप तशरीफ रखिये ।

श्री चन्दनमल बैद : मैं आपकी बात को ध्यान से सुनता हूं तो मेहरबानी करके आप मेरी बात को भी ध्यान से सुनें ।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : ध्यान से सुनूंगा, केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आपको पहले सुन लें उसके बाद में प्रश्न करें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह समाप्त हो जायगा । मैं तेजी से नहीं बल्कि शान्ति से पूछता हूं ।

इण्डियन ला जरनल 1966 के पेज 340 पर इन्हीं चोरड़ियाजी का केस है

(श्री योगेन्द्रनाथ हुंडा)
जिसमें दो साल की इनको पनिशमेंट मिली है इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में • • •

श्री चन्दन मल बैद : आपका प्रश्न इर्रेलेवेन्ट है। वह इस वास्ते. . .

श्री योगेन्द्रनाथ हुण्डा : आपने जो बात उनके ब्लेक मार्केटियर होने की कही थी • • •

श्री चन्दनमल बैद : मैंने जो शब्द कहे थे वह सारे मैंने पढ़कर सुना दिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हुण्डा : जब वह रेकार्ड पर हैं तो आपने पढ़ कर क्यों नहीं सुनाया ?

श्री चन्दनमल बैद : बरकतुल्ला साहब के सामने सारी फाइल थी। उन्होंने कहा कि "आई एम सेटिस्फाइड"।

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

श्री चन्दनमल बैद : मेरी कोई बात नहीं हुई। जब वह खुद सेटिस्फाइड हैं तो मैं क्या बता सकता हूं ? मेरा नोट नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके समक्ष कर सम्बन्धी मांगों के बारे में जो कुछ बातें कही गई हैं उनके सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं। मैं ज्यादा बातें नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन 2-3 बातें ऐसी हैं जिनके बारे में जिक्र करना चाहता हूं। पड़ोसी राज्य के साथ हमारे कर समान होना चाहिये, और इसके बारे में हमें दूसरे राज्यों के जो मंत्रीगण हैं या अधिकारीगण हैं उनसे बोलना चाहिए। यह प्रश्न हम बारबार एजीटेट कर रहे है, बार-बार इस बात के लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं। और अभी थोड़े दिनों पहले दिल्ली में सारे जो टैक्सेशन कमिश्नर हैं, सारे हिन्दुस्तान के, उनकी एक मीटिंग हुई थी; और उस मीटिंग में हमने इस चीज को एजीटेट किया था। जो मिनिस्टर लेवल की मीटिंग थी उसमें भी मैंने इस चीज को एजीटेट किया था कि हरियाणा, पंजाब, जम्मु–कश्मीर और राजस्थान इन सबकी टैक्स रेट सेल्स टैक्स की एक ही हो। एक नहीं होने से क्या होता है कि ट्रेड का डेवलपमेंट नहीं होता है और दूसरे चोरियां होती हैं। तब्दीली का, दिल्ली के लिए एक कानून लोक सभा में पेश किया हुआ है, और उसमें जनरल रेट आफ सेल्स टैक्स 7 पर्सेंट तक परमिसिबल लिमिट रखने है तो जब वह कानून पास हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि उसका असर यह होगा कि दिल्ली, यू.पी. और दूसरे प्रान्तों के साथ हमारी समता हो जायगी, क्योंकि हमारी जनरल सेल्स टैक्स रेट 7 पर्सेंट हैं और दूसरे प्रान्तों की भी 7 पर्सेंट आ गई है, करीब करीब या तो आ गई है या आगे बढ़ जाएगी। दिल्ली में 7 पर्सेंट आ जायेगी तो मैं समझता हूं कि यह समस्या हल हो जायगी।

दूसरी बात टैक्सेशन के बारे में यह कही गई है कि टैक्स की चोरी अभी भी काफी होती है। माननीय उपाध्यक्ष महो-

(श्री चंदनमल बैद)

दय, मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि यह नहीं होता है, सेल्स टैक्स की चोरियां नहीं होती हैं, जरुर होती हैं, लेकिन एक बात मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि 64–65 के जो आंकड़े मैंने दिये हैं और 74–75 के जो मैंने अनुमान लगाये हैं उससे आपको मालूम होगा कि इन सारी चीजों के बावजूद, इन सारी चीजों को रोका है और हमारी टैक्सेशन रेवेन्यू बढती चली जा रही है। पहले हमारी 14 करोड की रेवेन्यू होती थी और 74–75 में हम 56 करोड की रेवेन्यू करना चाहते हैं। टैक्स लेवल पर बहुत कुछ फर्क नहीं, यह जरूर है कि टैक्स बढा है लेकिन इतना नहीं कि 14 करोड से एकदम 56 करोड हो जाय। टैक्स की दर बढ़ी हैं लेकिन जो सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन ने हमको दिया है उससे ज्यादा नहीं बढी है। उन्होंने कहा है कि सेल्स टैक्स की दरें इन्क्रीज हों वह 7 पर्सेंट तक होनी चाहिए। आर.जी.पी.टी. की दर इन्क्रीज 8 पर्सेंट होनी चाहिए, एन्टरटेनमेंट की 12 पर्सेंट और इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिसिटी के सेल के अनुसार होनी चाहिए। अगर हम उन्हीं के आंकड़ों के अनुसार केलक्यूलेट करें तो 74–75 में हमारी रेवेन्यू सेल्स टैक्स की 42–41 करोड़ होनी चाहिये और आर.पी.जी.टी. के लिए होनी चाहिए 5.69 करोड़ एन्टरटेनमेंट के लिए 2.55 करोड़ लेकिन उसके बजाय हमने जो हमारे फिगर्स रखे हैं तो सेल्स टैक्स के 42.41 करोड़ के बजाय 46 करोड़ रखे हैं, और आर.पी.जी.टी. के 5.69 करोड़ के बजाय 6.05 करोड़ रखे हैं और एन्टरटेनमेंट 2.55 करोड़ के बजाय 2.60 करोड़ रखे। यानि हमने पहले से ही यह सोचा है कि जो फाईनेन्स कमीशन ने सारे देश के लिए एवरेज माना है उससे ज्यादा टैक्स वसूल करेंगे तभी हमारी वाह वाही होगी और जितना फाईनेन्स कमीशन ने एलाट किया है, फाइनेन्स कमीशन ने माना है उतना ही वसूल करेंगे तो हमारी वाह वाही नहीं है। खुद इस बात के लिए सजग हैं और जानते हैं कि टैक्स रेवेन्यू जो होना चाहिए वह ज्यादा होना चाहिए और हम उसको कसावट के साथ, सजगता के साथ सतर्कता के साथ और विजिलेन्स के साथ बढ़ा सकते हैं, और इस ओर हमने कदम भी बढ़ाये हैं।

दूसरी बात, माननीय उपाध्यक्ष यह कही गई है कि हमारे टैक्सेज की वसूली का जो खर्चा है वह बहुत ज्यादा होता है इसके बारे में, मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं कि दूसरे प्रदेशों और हमारे इस प्रदेश के टैक्स कलेक्शन में···

श्री रामकिशन : इसके बारे में तो किसी ने नहीं कहा है। यह तो आपको अच्छा बताया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हम तो यह कहते हैं कि 2.01 करोड़ में अच्छी वसूली करते हैं। इसके ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : दूसरी बात यह कही गई कि हमारी बकाया ज्यादा है। 1966–67 से लेकर करीब 7 साल में हमारा बकाया, 404 करोड़ 5 लाख 54 रुपया

(श्री चंदनमल बैद)

है। उसमें से 30 सितम्बर तक 34 लाख रुपया वसूल कर लिया। अब 3,70,98,000 रु. बकाया है। अब तक हमने 70 लाख रु. टैक्सेशन का वसूल किया है। मैं समझता हूं कि हमने फिगर्स नहीं देखे हैं, फिर भी मैं समझता हूं कि ये लेटेस्ट फिगर्स हैं। ये 72–73 के ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि कई केसेज चल रहे हैं। यह भी सरकार में आने वाला है। हम इसके लिए सजग हैं। जो यह सोचते हैं कि हम टैक्स बकाया रख दें, यह नहीं है। यह सोचकर नहीं चलें कि चन्दन मल बनिया है इसलिए बनियों को छोड़ देगा।

श्री रामकिशन : क्या चन्दन मल बैद बनिया है?

श्री चन्दन मल बैद : पता नहीं है। आपको तो पण्डितजी कहते हैं।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : इनकी गोली कहीं खा मत लेना। आजकल इतवारी गोली खा रहे हैं।

श्री चन्दन मल बैद : झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि सी.टी.ओ. आफिस वहां खोलना चाहिये। यह सही है कि 56 हजार की आय वहां हो सकती हैं। वहां पर हमको स्टाफ एक्सटैण्ड करना पड़ेगा। मैं गम्भीरता से इसके बारे में सोच रहा हूं। अगले साल सी. टी. ओ. आफिस खुले तो उस समय तय करने में झालावाड़ का नम्बर आ सकता है। दूसरी जगहों का भी आ सकता है। झालावाड़ का केस काफी मजबूत है यह मैं झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य को अर्ज कर देना चाहता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जालौर का नाम नहीं है?

श्री चन्दन मल बैद : इस बारे में, मैं सभी जगह के फिगर्स दे सकता हूं।

झालावाड़	34.78 लाख
झुंझुनू	33.91 लाख
चूरू	84.98 लाख
बाडमेर	26.97 लाख
जालौर	10.70 लाख

एक माननीय सदस्य : सिरोही रहने दिया।

श्री चन्दन मल बैद : सिरोही 33.17 लाख।

एक माननीय सदस्य : मिल गया।

श्री चन्दन मल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे किसी जिले के प्रति मोह या दुराव नहीं है। जो कुछ मैं कर सकूंगा वह अवश्य करूंगा। हम चाहते हैं कि हम अपने स्टाफ को बढ़ायें। जो हमको ज्यादा आमदनी वसूल करके दें। जो हम वसूलकरना चाहते हैं उसको ठीक तरह से वसूल करें। मेरी यह मंशा भी नहीं है कि जो आमदनी कराने वाले व्यापारी हैं, उनको हम बेजा तरीके से तंग करें। मैं जानता हूं कि व्यापारी कितने हैं। बेईमान व्यापारियों को पकड़ेंगे। क्योंकि बेईमान व्यापारियों को पकड़ेंगे तो ईमानदार व्यापारी पनपेंगे। इसलिए मेरी मंशा यह है कि बेईमान व्यापारियों को

(श्री चन्दनमल बैद)
पकड़े और ईमानदार व्यापारियों को तंग नहीं करें। यही डिपार्टमेण्ट की मंशा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों को आज गणगौर के मेले में जाना है। इसलिए वह मेरी ओर बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। कब खत्म करूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि जो मांगें प्रस्तुत की गई हैं, उनको पारित करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जो फाइल के बारे में बात करते थे। स्वर्गीय मुख्यमन्त्री महोदय की उस स्थिति के बारे में कोई सबूत है तो फाइल रिकार्ड पर रख दें ?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : फाइल रिकार्ड पर रख दें। मैं भी जो मेरे पास है, रख देता हूं। क्योंकि अब स्व. बरकतुल्ला जी तो गवाही देने के लिए आ नहीं सकते हैं।

श्री चन्दन मल बैद : रिकार्ड में रखने से क्या मतलब है–

This is a Government file which no Hon. Member cansee.

श्री केदार नाथ : कई डाउट फुल आब्जेक्शन्स हैं।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : माननीय मन्त्री महोदय ने क्या लिखा है ? फाइल तो देखना चाहूंगा ही।

श्री उपाध्यक्ष : आसन देख सकता है।

श्री चन्दन मल बैद : मैंने कह दिया है। मैंने कुछ नहीं लिखा है।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : तो इन्फार्म करना चाहिए था। इनकी और बरकत साहब की क्या मित्रता रही है, यह दुनियां जानती है। एक चीफ मिनिस्टर को इन्फार्म कर दिया जाये दूसरे को करें नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : फाइल की जरूरत नहीं है ?

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : मैं तो देखना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आवश्यक नहीं समझता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वाटर बोर्ड का क्या किया है सदन में प्रस्ताव पारित हुआ था। उसका जवाब ही नहीं दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय जवाब दे चुके हैं। आर्डर प्लीज।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,56,99,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 13,82,66,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल दि. 27 मार्च, 1974 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सांय 6 बज कर 38 मिनट पर बुधवार दिनांक 27 मार्च, 1974 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

(173)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 470 की सूची)

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक।सत्ताई।73।971 दिनांक 12-4-73 श्रोर से सब डिवीजनल ग्रोफिसर, बहरोड वास्ते जिलाधीश महोदय, ग्रलवर।

विषय :–रिपोर्ट बाबत ग्रनियमितताएं जो कि सरदार सिंह चीनी डीलर दहमी सैन्टर पर पाई गई।

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 9-4-73 को मैं व तहसीलदार बहरोड दहमी सरदार सिंह डीलर की दुकान पर चीनी का स्टाक एवं वितरण की जांच के लिए गये डीलर का स्टाक रजिस्टर ग्रामद व बिक्री चीनी-देखा गया उसमें दिनांक 4-4-73 को 69-600 ग्राम चीनी पोते बाकी दर्ज हो रही है। डीलर रजिस्टर बिक्री चीनी ग्रासामी वार देखा गया इसमें दिनांक 6-4-73 को सात राशनकार्ड की चीनी की बिक्री दर्ज कर रखी है, लेकिन इसका मीजान बाबत बिक्री चीनी दर्ज नहीं हो रहा है। इसका मीजान लगाने पर बिक्री चीनी का वजन 27–300 ग्राम होता है। रजिस्टर बिक्री का देखने से यह पाया जाता है कि दिनांक 5-4-73 को कोई चीनी नहीं बेची गई है। दिनांक 4-4-73 को रजिस्टर स्टाक में जो पोते बाकी 69–300 ग्राम दर्ज कर रखी है उसमें से दिनांक 6-4-73 को बेची गई चीनी वजनी 27–300 ग्राम कम करने पर 42–300 ग्राम होती है। जब कि डीलर की दुकान पर मौके पर दो बोरी पूरी भरी हुई व करीबन 65 किलो चीनी मौके पर मिली। इस प्रकार जो बेलेन्स चीनी 42–300 ग्राम दिनांक 6-4-73 को रहती है इसके मुकाबले 265 किलो चीनी मौके पर पाई गई जिससे मौके पर स्टाक ग्रोर मुताबिक रजिस्टर स्टाक बेलेन्स चीनी की मात्रा में Discrepency मिलने से यह साबित होता है कि यह डीलर द्वारा सारा हिसाब बिक्री चीनी पोते बाकी चीनी का इन्द्राज फर्जी किये गये हैं। मौके पर डीलर की दुकान पर रेट लिस्ट लगी हुई नहीं मिली।

12 राशन कार्ड चीनी डीलर के पास मौके पर मिले जिनका इन्द्राज दिनांक 4-4-73 को हो रहा है फिर भी डीलर ने इन राशनकार्डों को ग्रपने पास दिनांक 9-4-73 तक रोके रखा यह भी इसकी बदनीयती का द्योतक है। इस प्रकार इस रिकार्ड के देखने पर डीलर द्वारा भयंकर ग्रनियमितताएं करना व फर्जी इन्द्राज चीनी के स्टाक रजिस्टर में दर्ज करना पाया जाता है। लिहाजा डीलर की नियुक्ति पत्र कैन्सिल फरमाया जावे सिक्योरिटी जब्त की जावे ग्रोर इसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्यवाही करना मुनासिब समझा जावे ग्रादेश फरमाया जावे। दिनांक 10-4-73 को सरदार सिंह व रामदेव सिंह ने दो दर मेरे समक्ष पेश की है जो संलग्न है साथ ही स्टोक रजिस्टर व वितरण रजिस्टर तथा मौके पर पकड़े गये 12 राशन कार्ड भी भिजवाये जा रहे हैं। डीलर को शेष चीनी बेचने के लिए मौके पर पाबन्द कर दिया गया है कि बिना ग्रागामी ग्रादेश ग्रवशेष चीनी नहीं बेचे।

(174)

परिशिष्ट 2

(स्थगित प्रश्न संख्या 51 की सूची)

LIST OF EXEMPTIONS

1. All instruments executed in connection with the business of the Rehabilitation Finance Administration Act, 1948.
2. Sale deed executed by the Government of Rajasthan in favour of the Government of India for the Building land of Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
3. Land Revenue Department.
4. Forest Department.
5. Educational institutions.
6. Medical Department.
7. Post and Telegraph Department.
8. Railway Department.
9. All deeds executed by Government Servant and Contractors in favour of Government.
10. Mortgage deed of Rs. 3/- lacs executed by Municipal Board, Ganganagar in favour of Government of Rajasthan. Only a token Stamps duty of Rs. 5/- shall be chargeable.
11. Bonds executed by Jagirdars under rule 40 of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs.
12. Lease deeds executed by the employees State Insurance Corporation New Delhi in respect of Premises hired for regional local and Inspector offices of that corporation in the State of Rajasthan.
13. Deeds executed in Rajasthan by Income Tax Department for constructions of their offices in Rajasthan.
14. 50% Stamp Duty payable on two agreements and mortgage deeds executed by Small Scole and Cottage Isdustries in favour of Government of Rajasthan.
15. Security Bonds executed by Government servant in favour of Government.
16. Instruments executed by or on behalf of or in favour of Government of India or any State Government.

17. Instruments executed by foreign missions to Indian missions reduced by 75%.

18. Bonds executed by trainers for Gram Sevika's Midwives, Dais, Supervisory and Administrative Personnel Course conducted by Kasturba Gandhi National Memorial Trust in favour of the President of India.

19. Any instruments executed in this State by the personnel belonging to the Technical Cooperation mission invited State of America in connection with their properties etc.

20. Bonds mortgage deeds executed in favour of the Board of Trustee Employees Provident Fund in Rajasthan in connection with advance loan by the said Board for sites, Building of Houses.

21. Transfer deed, mortgage, assignment, certificate, affidavite Bond or any other instrument or writing whatsoever and any copy thereof by a Banking Company in liquidation.

22. All Government Servants of Central Government are exempted from Stamp duty on the mortgage deeds executed by them in favour of Government of India for dwelling houses etc.

23. Agreements and mortgage deeds executed in favour of any Panchayat Samiti in connection with an advance of loans by it.

24. Transfer deed of the Treasury Sevings Deposit Certificates.

25. Transfer deed of Defence Deposit Certificates.

26. Affidavits produced before Magistrate and S.D.O. etc. by Goldsmiths.

27. Agreements, mortgage deeds executed by Rajasthan Khadi and Village Industries Commission in connection with the advance of loans by the Commission for development of Khadi and village industries.

28. Instruments of transfer of debentures flovated by the Rajasthan Central Co-operative Land Mortgage Bank Ltd. Jaipur.

29. Mortgage deeds executed by widows of armed forces killed in action in September 1965 in favour of Government of Rajasthan.

30. Indemnity Bonds executed by guardians of minor dependents of deceased member of Rajasthan Coal mines provident fund scheme.

31. Mortgage deeds executed by refugee of Burma in favour of Government.

32. Mortgage deeds executed by agriculturists in favour of Scheduled Banks as defined in Clause (e) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934.

33. Deed of hypothecation executed by a Gevernment servant in favour of any Schedule Bank.

34. Stamp duty chargeable on the receipts given by beneficiaries of special gratuitous relief given by the State Government in areas effected with famine.

35. Bonds and agreements executed by adult apprenticeship or the guardian of a minor apprentice under training scheme of national apprenticeship.

परिशिष्ट-3

समयाभाव के कारण सदन में न लिए गये तारांकित प्रश्नोत्तर

खाद्य विभाग के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को सौंपे गये मामले

480. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) जनवरी 1973 से अब तक खाद्य विभाग सम्बन्धी कितने मामले भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को दिये गये और कितने मामलों में अब तक अन्तिम निर्णय कर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

(ख) क्या गत सत्र से पूर्व तत्कालीन खाद्य मंत्री ने सदन में उठाये गये खाद्य विभाग के भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामले भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को देने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो इनमें से कितने मामले उक्त विभाग को दिये गये और कितने नहीं ? और कितने मामलों में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ।

उत्तर

(क) 14 मामले जांच हेतु भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को दिये गये हैं। वहां अभी तक जांच की जा रही है । किसी मामले में अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ।

(ख) जी हां, सभी 14 मामले जांच हेतु भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को दिये गये हैं। वहां अभी तक जांच की जा रही है । अन्तिम निर्णय किसी मामले में नहीं हुआ है ।

लूणकरणसर क्षेत्र के कृषकों के खेती के व्यावहारिक ज्ञान की व्यवस्था

481. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल क्षेत्र में काश्तकारों को लाभप्रद खेती की किस्मों की जानकारी हेतु कृषि विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कैनाल क्षेत्र के ऊपरी हिस्सों में कृषि कार्य हेतु सिचाई के लिये पानी उपलब्ध होने लगा है लेकन कृषि विभाग ने खेती के व्यावहारिक ज्ञान लेने हेतु अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है ?

उत्तर

(1) लूणकरणसर लिफ्ट योजना क्षेत्र में लाभप्रद खेती की जानकारी हेतु कृषि विभाग अनुसन्धान हेतु एक रिसर्च फार्म खोलने की कार्यवाही कर रहा है। ताकि उसमें किये जाने वाले परीक्षणों के आधार पर कृषकों को तदनुसार जानकारी दी जा सके।

(2) जी हां, लूणकरणसर लिफ्ट का पानी इस वर्ष लूणकरणसर क्षेत्र में उपलब्ध होने लगा है। इस वर्ष कृषकों को केवल प्रदर्शन लगाकर रबी उत्पादन में

(श्री कृषि मंत्री)

सहायता दी गई है। रिसर्च के अभाव में व्यावहारिक ज्ञान व्यापक रूप से देना सम्भव नहीं हुआ है।

पांचवी पंच वर्षीय योजना का प्रारूप

482. श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य की पांचवीं पंचवर्षीय योजना पर कुल कितना रुपया खर्च किया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिये राज्य सरकार को यह निर्देश दिये गये थे कि ग्रामो के स्तर तक आवश्यकताओं को आंका जाकर जन-प्रतिनिधियों की राय ली जाकर योजना का प्रारूप तैयार किया जावे ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस निर्देश का पालन किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य की पांचवीं पंचवर्षीय योजना पर की जाने वाली व्यय के बारे में योजना आयोग द्वारा अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(2) जी नहीं। राज्य की पांचवीं योजना के प्रारूप को तैयार करने के लिये केन्द्र सरकार से इस तरह के निर्देश प्राप्त नहीं हुए।

बकाया ऋणों की वसूली

483. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति क्षेत्र जालोर, आहोर एवं सायला में केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं भूमि विकास बैंक का बकाया ऋण काफी ज्यादा है ? अगर हां, तो समितिवार कितना कितना ऋण किस किस में कब से बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उपरोक्त बैंकों के बकाया ऋण वसूली की प्रगति धीमी होने के कारण क्या क्या थे ? अब बकाया ऋण की वसूली कब तक करवा दी जावेगी ? पिछले तीन माह के बकाया ऋण वसूली का विवरण समिति वार देने की कृपा करें।

(3) ऋण वसूली समय पर न करने की जिम्मेवारी किस किस को निर्धारित की गई है ? ऋण वसूली की शिथिलता के बारे में राज्य सरकार द्वारा किसी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? भविष्य में इस बारे में क्या क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) बैंकों की ऋण वसूली की प्रगति धीमी होने का मुख्य कारण पिछले कई वर्षों से अकाल स्थिति व चालू वर्ष बाढ़ आ जाना है साथ ही क्षेत्रीय कर्मचारियों की भी शिथिलता। आगामी फसल तक वसूली होने के

(श्री सहकारिता मंत्री)

प्रयास जारी हैं। पिछले 3 माह की पंचायत समिति वार बकाया ऋण वसूली की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) ऋण वसूली समय पर नहीं होने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय स्टाफ की होती है। ऋण-वसूली में शिथिलता पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। सर्वश्री जेठूमल जैन, सहायक निरीक्षक श्री बाबूराम शर्मा सहायक निरीक्षक श्री श्रोमप्रकाश, सहायक निरीक्षक की वेतन वृद्धि रोकी गई है। सर्वश्री हुकमसिंह, प्रभुदयाल गुप्ता, नरपतसिंह व सत्यनारायण शर्मा को चेतावनी दे दी गई है। अन्य दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्यवाही विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नारायणपुर ग्राम में बांटी गई भूमि

484. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जिलाधीश अलवर ने दो अक्टूबर, 1972 को नारायणपुर तहसील थानागाजी में कोई जमीन बांटी थी ? यदि हां, तो उक्त भूमि किस किस को बांटी गयी है। सम्पूर्ण सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर वास्तविक रूप से किसी अन्य व्यक्ति की खातेदारी थी ? यदि हां, तो सरकार वास्तविक रूप से जिसके पास उक्त भूमि थी उसको मुआवजा देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या जिलाधीश, अलवर को किसी अन्य के खातेदारी की जमीन को बांटने का अधिकार था ? यदि नहीं, तो जिलाधीश ने किस आधार पर उक्त जमीन को बांटी ? सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) यह सही नहीं है।

(2) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(3) प्रश्न पैदा नहीं होता।

झालावाड़ में सी. टी. ओ. का कार्यालय

485. **श्री राम प्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ में सी. टी. ओ. कार्यालय दो तीन साल से बन्द कर दिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ की सेलटैक्स की आमदनी दूसरे कई जिलों से हमेशा ज्यादा रही है ? फिर भी सी. टी. ओ. कार्यालय हटा दिया गया है।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले के बोर्डर एरिया पर होने के कारण सेल-टैक्स की काफी चोरी होती रही है। यदि हां, तो राज्य सरकार अब यहां कब

(श्री राम प्रसाद बोहरा)
तक पुनः सी. टी. ग्रो. कार्यालय खोलने का विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। सी.टी. ग्रो. का कार्यालय कर निर्धारण के मामलों की संख्या, सेल्स टेक्स की ग्राय एवं प्रशासनिक सुविधा ग्रादि को ध्यान में रखते हुए खोला जाता है।

(3) ग्रगले वर्ष इस पर विचार किया जायेगा।

शक्कर का वितरण

486. श्री ग्रमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) दिनांक 1-10-72 से 31-12-73 तक राज्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी लेवी शक्कर ग्रावंटन की गई, उसमें से कितनी प्राप्त हुई ग्रौर प्राप्त हुई में से जिलेवार कितनी 2 बांटो गई ? कृपया उसको पूर्ण सूची माहवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभिन्न जिलों के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में विषमता वरती गई ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

(3) निम्न नगरों में उपरोक्त काल में उपभोक्ताग्रों को प्रतिमाह प्रति व्यक्ति कितनी शक्कर वितरित की गई :–

जयपुर, जोधपुर, ग्रजमेर, कोटा उदयपुर, बीकानेर।

उत्तर

(1) दिनांक 1-10-72 से 31-12-73 तक केन्द्र से प्राप्त लेवी शक्कर के ग्रावंटन की सूची परिशिष्ट (ग्र) तथा जिलों को माहवार ग्रावटन एवम् प्राप्ति की सूची परिशिष्ट (ब) सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) ग्रामीण एवम् शहरी क्षेत्रों में 325 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह वितरण करने के ग्रादेश हैं। कहीं 2 ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों द्वारा चीनी नहीं उठाने पर थोक विक्रेता के पास चीनी एकत्रित होने से वह शहरी क्षेत्रों में वितरित कराई गई है।

(3) सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम गुन्दोज की जल प्रदाय योजना

487. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या जन स्वस्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली तहसील के गांव गुन्दोज में बन रही जल प्रदाय योजना में विभिन्न मदों पर 1 फरवरी सन् 1974 तक कितना रुपया व्यय किया जा चुका है व कितना व्यय करना शेष है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस योजना का कार्य कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ग्रौर कुछ

(श्री शंकरलाल)

कितने व कौन कौन से गांवों को पानी दिया जा सकेगा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस योजना का कितना व कौन कौन सा कार्य ठेकेदारों के मारफत कराया गया व कराया जा रहा है और कितना कार्य सीधा विभाग द्वारा कराया गया व कराया जा रहा है।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) योजना 1975-76 तक पूर्ण होने की संभावना है। योजना के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) स्वच्छ जलाशय, सर्विस रिजर्वायर व भवन निर्माण का कार्य ठेकेदारों द्वारा करवाया जा रहा है। व पाइप विभाग द्वारा क्रय किये जा रहे हैं।

प्रश्न 1 की सूची

क्र.सं.	मद	प्रावधान	फरवरी 74 तक खर्च	
1.	पाइप की खरीद व बिछाने	34,10,000	5,10,000	29,00,000
2.	राइजिंग मैन	32,000	—	32,000
3.	भवन, जलाशय सर्विस रिजर्वायर	25,33,000	1,34,000	23,99,000
4.	पंप, फिल्टर आदि मशीनरी	4,85,000	—	4,85,000
5.	अन्य खर्च	2,90,000	40,000	2,50,000
		67,50,000	6,84,000	60,66,000

प्रश्न 2 की सूची:—

क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना गुंदोज के ग्रामों की सूची:—

1. डिगाई
2. गुड्डा सोनपुरा
3. जेतपुरा
4. जनी खण्डाला
5. खोरवा
6. गुड्डा इन्दला
7. कोनेलाव
8. बाला
9. युदरामा
10. पुरला
11. सेली
12. गिरवर
13. बेडा
14. हेमवास
15. रामवासिया
16. माडो खुर्द
17. कटवरा

(प्रश्न 2 की सूची)

18. गुरदाई
19. मूनपुरा
20. माडिया
21. पुनायता
22. गिराधरा
23. बेवरिया
24. रूपावास
25. दयालपुरा
26. मूलियावास
27. गुरडायी
28. कुरला
29. दवदारी
30. चाटेलाव
31. बुराबास
32. मालवा
33. गिरालिया
34. ऊंडाली
35. सकरलाई
36. जैतपुरा
37. गरवाडा
38. मादीरी
39. खेरला
40. कानावासिया
41. चोटोला
42. बंडाई
43. बागडिया
44. बीम
45. भोरिया
46. निम्बाला
47. भलेलाव
48. निम्बरी
49. डाबर कला
50. डाबर खुर्द
51. धुदिया
52. बारी की ढाणी
53. जोजा जी की ढाणी
54. बुद्वाजी की ढाणी
55. मालस की ढाणी
56. काला पीपल की ढाणी
57. मांडली दर्जिया
58. भाखरी वाला गांव

पंचायत समिति नोखा की समितियों का कार्यकाल

488. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले की पंचायत समिति नोखा की प्रशासन एवं वित्त कर स्थाई समिति का आटोमेटिक रिटायरमेन्ट का समय समाप्त होने के बाद भी कार्यालय समाप्त नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि स्थाई समिति के विरुद्ध जिलाधीश बीकानेर एवं राज्य सरकार को समय समय पर ऐतराज पेश किये गये थे ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जिला बीकानेर की पंचायत नोखा की प्रशासन एवं वित्त स्थाई समिति का आटोमेटिक रिटायरमेन्ट होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1959 की धारा 20 उप-धारा 10 के तहत स्थाई समितियों का कार्यकाल की अवधि उतनी ही होती है

(पंचायत मंत्री)
जितनी पंचायत समिति के कार्यकाल की अवधि है।

जहां तक पंचायत समिति, नोखा की प्रशासन एवं वित्त स्थाई समिति के सदस्यों का निवृत्तिकरण का प्रश्न है यह सही है कि उक्त स्थाई समिति का गठन 9-2-70 को हुआ था। और प्रतिवर्ष नियमानुसार एक तिहाई सदस्यों के निवृत्तिकरण की कार्यवाही की जानी थी जो नहीं की जा सकी है। परन्तु विकास विभाग के परिपत्र संख्या 3972–73 दिनांक 7-10-72 के अनुसार यदि सदस्यों का निवृत्तिकरण नहीं करवाया जा सका है तो भी राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1959 की धारा 71 के प्रावधानों के अनुसार स्थाई समितियों में कार्य कर रहे वर्तमान सदस्यों को बदस्तूर कार्य संचालन करते रहने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।

(2) श्री रिक्ताराम एवं अन्य 13 व्यक्तियों द्वारा उक्त स्थाई समिति की दिनांक 18-4-70 से 26-3-71 की अवधि में बुलाई गई बैठकों में की गई कार्यवाहियों एवं निर्णयों के विरुद्ध स्थाई समिति के गठन एवं अधिकारों को चुनोती देते हुए पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम की धारा 85 के तहत चार निगरानियां प्रस्तुत की थी जो अस्वीकृत की जा चुकी है। इन आदेशों के विरुद्ध इन व्यक्तियों द्वारा अब राज्य सरकार को नजरसानी पेश की हुई है जो विचाराधीन है।

ग्राम पंचायत मावली क्षेत्र की जमीन पर कब्जे

489. श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, मावली (जिला उदयपुर) के अधिकार क्षेत्र में स्थित बिला नाम जमीनों पर कई लोगों ने कब्जा कर मकानात अथवा अन्य काम तामीर कर लिए है? यदि हां, तो किन किन लोगों ने और कब कब और किस किस किस्म का काम तामीर कराया है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत मावली (जिला उदयपुर) के अधिकार क्षेत्र में स्थित बिला-नाम भूमि पर 9 व्यक्तियों ने अनाधिकृत कब्जा कर मकानात आदि का निर्माण कर लिया है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

Page No 184

184

सूची

पंचायत मावली को दी गई म्रा. नं. 145 में बिलानाम के वक्त लोगों ने ना. कब्जा किये उनकी कार्यवाही का स्टेटमेन्ट

न.शु.	नाम गाँव	नाम प्रतिक्रमी	म्रा.नं.	रकबा या मुरब्बा गज	प्रतिक्रमण के किस्म	तहसील में कार्यवाही का मी. नं.	पेनाल्टी की रकम	निर्णय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मावली	श्री–रामा पिता चोखा बलाई सा. देह	645	बिस्वा 1	कच्चा छपरेल का मकान बना निवास है।	मी. नं. 385/72 18–9–72	11)	जप्त सरकार
2.	,,	श्री सूरजमल पिता लक्ष्मण खटीक सा. देह	645	234 मुरब्बा गज	,,	378/72 18–9–72	11)	,,
3.	,,	श्री मांगीलाल पिता हिमार कुमार सा. देह	645	बिस्वा 1	,,	383/72 18–9–72	11)	,,
4.	,,	श्री दौलतराम पिता लक्ष्मण छीपा	645	बिस्वा 1	,,	386/72 18–9–72	11)	,,
5	,,	श्री भंवरलाल पिता चतरभुज नाई	645	बिस्वा !	,,	384/72 18–9–72	11)	,,

Page No 185

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	,,	श्री हरदेव पिता भैरूलाल खटीक सा. देह	645	बिस्वा 2	,,	376/72 / 18-9-72	11)	,,
7.	,,	श्री गोविन्दराम पिता बद्रीप्रसाद	645	बिस्वा 1	,,	377/72 / 18-9-72	11)	,,
8.	,,	श्री पुखराज पिता भगवान माथुर	645	बिस्वा 2	पक्का मकान निवास	374/72 / 18-9-72	11)	,,
9.	,,	श्री मोहन पिता रूपा कुमार	645	बिस्वा 1	बाड़ा	381/72 / 18-9-72	11)	,,

अनाज की खरीद

490. श्री मनोहर लाल गुप्ता (कामां)—क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान खरीफ फूड ग्रेन्स प्रिक्योग्ररमेन्ट (लेवी ओन प्रोड्यूसर्स) आर्डर, 1973 में अब तक क्या क्या संशोधन किये गये और क्यों ?

(2) इस आर्डर के अन्तर्गत किस किस तहसील से अब तक कितना अनाज एकत्रित हुआ ?

(3) इस अनाज में कितना कितना अनाज किस किस भाव से खरीदा गया ?

उत्तर

(1) इस आदेश में कोई संशोधन नहीं किया गया।

(2) सूची संलग्न है।

(3) विभिन्न मोटे खाद्यान्नों की क्रय कीमत की सूची संलग्न है। तहसीलों में कितना कितना किस किस किस्म का खाद्यान्न किस किस दर पर क्रय किया गया इससे संबधित आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बीदासर की जल प्रदाय योजना

491. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़)—क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू जिले की बीदासर कस्बे की जल प्रदाय योजना का कार्य कब प्रारम्भ हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि इस योजना का शिलान्यास उस समय के मुख्य मन्त्री राजस्थान द्वारा किया गया व शिलान्यास समारोह के समय चौरड़िया ट्रस्ट ने ढाई लाख रुपये इस योजना के लिए भेंट किये तथा मुख्य मन्त्री को 10,600) रु. की माला भी पहनाई ?

(3) यदि हां, तो क्या यह सही है कि उपरोक्त माला की राशि एवं चौरड़िया ट्रस्ट द्वारा योजना के चन्दे में दी गई राशि इस आधार पर लौटा दी गई कि श्री चौरड़िया स्मगलिंग के मामले में बम्बई हाई कोर्ट से सजायाफता थे व यह सजा सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी बहाल रखी गई थी, तथा उन्हीं श्री चौरड़िया द्वारा 10-10-72 को दो बैंक ट्रस्टों द्वारा दिया गया पांच लाख रुपये का चन्दा उपरोक्त योजना के लिए स्वीकार कर लिया गया ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

(4) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष यह योजना पूरी हो गई है ? यदि नहीं, तो यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

उत्तर

(1) बीदासर कस्बे की जल प्रदाय योजना दिनांक 21-7-1970 स्वीकृत की गई और इसके पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया गया।

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी हां। मुख्य मन्त्री जी द्वारा योजना का शिलान्यास दिनांक 24-10-69 को किया गया तब चौरड़िया ट्रस्ट ने ढ़ाई लाख रुपये इस योजना को भेट करने को कहा था। उन्होंने मुख्य मन्त्री को 10,600) रु. की माला पहनाई यह जानकारी विभाग को नहीं है।

(3) माला की राशि के विषय में विभाग की जानकारी नहीं है। चूंकि चन्दे की राशि विभाग द्वारा प्राप्त नहीं की गई थी अतः लौटाने का प्रश्न ही नहीं उठता। चौरड़िया ट्रस्ट द्वारा दिनांक 18-10-72 को दो बैंक ड्राफ्ट द्वारा पांच लाख रुपये विभाग को चन्दे के रूप में दिये गये।

(4) जी हां, यह योजना पिछले वर्ष चालू कर दी गई।

पंचायत को नगरपालिकाओं में परिवर्तन करने का आधार

492. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशन-पोल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत को नगरपालिका में परिवर्तित करने के लिए क्या क्या नियम तथा आधार हैं?

(2) क्या पंचायत द्वारा न चाहने पर भी राज्य सरकार अपनी मनमानी से पंचायत को नगरपालिका में परिवर्तित कर सकती है? यदि हां, तो किन कारणों से?

(3) क्या यह सही है कि जिला जयपुर की शाहपुरा तथा मनोहरपुरा पंचायतों को कुछ राजनैतिक कारणों के फलस्वरूप नगरपालिका में परिवर्तन करने के आदेश जारी किये जा रहे हैं?

(4) क्या यह सही है कि उक्त दोनों पंचायतों ने प्रस्ताव पास कर राज्य सरकार के पास भेजा है कि वे पंचायत के रूप में ही कार्य करना चाहती है और उनकी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है कि जिससे वे नगरपालिका के रूप में सक्षम हो सकेगी?

उत्तर

(1) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959, की धारा 5 में प्रावधान दिया गया है।

(2) अधिनियम की धारा 5 में पंचायत के चाहने या न चाहने का प्रावधान नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां।

राज्य सरकार ने इन पंचायतों को नगरपालिका में परिवर्तित नहीं करने का निर्णय दिया है।

कृषि भूमि की रेट

493. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के सभी बड़े नगरों में कृषि भूमि रूपान्तरण-करण की दरें निर्धारित कर दी गई हैं?

Page No 188

(188)

(श्री केदारनाथ)

यदि हां, तो जयपुर नगर में कृषि भूमि रूपान्तरणकरण की दरें विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार कितनी हैं ? सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) जयपुर नगर में रूपान्तरणकरण के कितने मामले दर्ज किये गये और कितने मामलों का निपटारा कर दिया गया और उनसे राज्य सरकार को कितनी धनराशि उपलब्ध हुई ?

(3) क्या जयपुर नगर में सभी क्षेत्रों की कृषि भूमि रूपान्तरणकरण की दरें निश्चित कर दी गई हैं ? यदि नहीं, तो किस क्षेत्र की करनी बाकी हैं और क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, जोधपुर, सीकर, भरतपुर, कोटा, बारां, बीकानेर, उदयपुर, पाली, सवाई माधोपुर एवं गंगापुर नगरों में कृषि भूमि रूपान्तरकरण की दरें निर्धारित कर दी गई हैं। जयपुर नगर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए निर्धारित दरें संलग्न सूची के बारे में अंकित हैं।

(2) जयपुर नगर में फरवरी 1974 तक रूपान्तरकरण के 3861 मामले दर्ज हुये हैं। जिनमें से 884 मामले फरवरी, 1974 तक निर्णीत किये गये हैं जिनमें कायम की गई प्रिमियम राशि रु. 70,58,-003.57 है। फरवरी 1974 तक प्रिमियम राशि रु. 7,88,638.47 वसूल की जा चुकी है।

(3) जयपुर नगर के जिन क्षेत्रों की दरें निर्धारित की गई हैं उनका विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। नगर परिषद जयपुर की सीमा के कुछ शेष क्षेत्र जिसमें आमेर सड़क के दोनों तरफ के क्षेत्र तथा आगरा बाईपास व उसके आगे आगरा सड़क के दोनों तरफ के क्षेत्र आदि शामिल है, के लिए दरें निर्धारित करना शेष है। उपरोक्त क्षेत्रों की दरों के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

सूची 'क'

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

REVENUE (Gr. IV) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur Dated 14th November, 1973

No. F. 6(94)Rev/Gr./V/73.—In pursuance of rule 3 read with rule 9 of the Rajasthan Land Revenue (Allotment and Conversion of Agricultural Land for Residential or Commercial purposes in Urban Areas) Rule, 1971 and in supersession of Revenue (B) Department Notification No. F.6(32)Rev.B.71 dated October 9, 1971 published in the Rajasthan Rajpatra Part IV (C) dated 9-10-71, the State Government prescribes the following rates of premium for the places noted below:—

S.No.	Name of the Town.	De-limitation and description of the Zone.	Rate of the premium to be charged for conversion of one's own Agricultural Land for Residential purposes.	Rate of the premium to be charged for conversion of one's own Agricultural land for Commercial purposes.	Rate of the premium to be charged for encroachment upon Govt. Agricultural Land and conversion there of for Residential purposes	Rate of the premium to be charged for encroachment upon Govt. Agricultural and conversion thereof for Commercial purposes
1	2	3	4	5	6	7
1.	Within the Municipal	(1) Mirja Ismail Road. Frontage	Rs. 40/- per sq. yd	Rs. 160/- per sq. yd.	Rs. 50/- per sq. yd.	Rs. 170/- per sq. yard.

1	2	3	4	5	6	7
	limits of Jaipur City.	and on either side (Four walls on the North and Ashoka Road on the South and a straight line throughout)				
		(2) S. M. S. Highway	Rs. 30/- per sq. yd.	Rs. 120/- sq. yd.	Rs. 33/- per sq. yd.	Rs. 123/- per sq. yd.
		1. College, Hospital & Tonk Road on West & Thandisarak on east.				
		2. 'C' Scheme upto Rly. line.				
		3. Civil lines (excluding Ajmer Road)				
		4. P.W.D. Office				
		5. Gopal Bari				
		6. Lal Kothi Scheme				

(3) Bapunagar.	Rs. 20/-per sq. yd.	Rs. 80/- per sq. yd.	Rs. 26/- per sq. yd.	Rs. 86 per sq. yd.
1. Bapunagar				
2. Gandhinagar				
3. Tilaknagar				
4. Adarshnagar				
5. Bajajnagar				
6. University area upto Jhalana Road, Malviya Engineering College				
7. Sindhi Camp				
8. Banipark				
9. Nirman Marg on either side				
(4) Tonk Phatak and beyond upto Air port	Rs. 15/- per sq. yd.	Rs. 60/- per sq. yd.	Rs. 19/- sq. yd.	Rs. 64/- per sq. yd.
(5) West of Railway line excluding Civil lines	Rs. 10/- per sq. yd.	Rs. 40/- per sq. yd.	Rs. 14/- per sq. yd.	Rs. 44/- per sq. yd.

191

Provided that following concessions shall be given to the persons noted as below:—

Area of the land.	Sch. Castes of Sch. Tribes.	other persons of low Income.
For the first, 125 sq. yard.	25% of the prescribed premium urban assessment and penalty, if any.	50% of the prescribed rate of premium, urban assessment and penalty, if any.
For the next 126 sq. yards upto 250 sq. yds.	37% of the prescribed premium urban assessment aud penalty, if any.	75% of the prescribed rate of premium, urban assessment and penalty, if any:

Provided further that the above concession shall only be applicable for the use of land for residential purposes only:

Provided also that if the area of the land for which permission has been sought exceed 250 sq. yards the premium, urban assessment and penalty chargeable shall be that which stands prescribed for the area of full land and the above concessions shall not be allowed.

Explanation:—1. The premium to be charged as above for regularisation of past conversion of agricultural and shall be deemed to include penalty also as required under Section 90 A of the Rajasthan Land Revenue Act.

2. The premium to be charged as above shall be deemed to include the urban assessment also as required under Section 90 A of the Rajasthan land Revenue Act.

By Order of the Governor,

मनपतराय,

Deputy Secretary to Government,

नीमला नल कूप

494. श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग द्वारा नीमला नलकूप से सोनडी बैसाला भूरा, कमोडा, कैरावा नाद, दूधाबेरी, सोखरा, बसरा एवं जाखडू तक क्षेत्रीय ग्रामीण जल प्रदाय योजना तैयार कर ली है? यदि हां, तो उक्त योजना की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त योजना की स्वीकृति अब तक न होने के क्या कारण हैं और उक्त योजना की स्वीकृति कब तक कर दी जायगी ?

उत्तर

(1) जी हां। योजना के विवरण की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) योजना की स्वीकृति धन की उपलब्धि के अनुसार की जा सकेगी।

LIST FOR QUESTION-2

REGIONAL WATER SUPPLY SCHEME NIMLA SURA JAYDOO DISTRICT BARMER

SALIENT FEATURES OF THE SCHEME

1.	Name of the villages included -	1. Sonri 8. Basra 2. Sura 9. Kanora 3. Bisala 10. Labrau 4. Sokhrall 11. Malva 5. Nand 12. Jaydoo 6. DudhaBer 13. Chautiya 7. Kerowa 14. Indrroi 15. Sianl
2.	District	BARMER
3.	Tehsil	BARMER
4.	POPULATION AS PER 1961 Census	9443
5.	Design Population	19,000 souls
6.	Category of scheme	REGIONAL
7.	Estimated cost	Rs. 28.82 lacs.
8.	(1) Cost per capita as per 1961 census. (2) Cost per capita as per design.	Rs. 305.20 Rs. 151.70
9.	Permissible limit for per capita cost as per delegation of power to Chief Engineer Health for technical sanction.	Rs. 200
10.	Annual maintenance cost estimated after considering depreciation, repairs and other charges etc. required for production.	Rs. 3,35,950
11.	Pattern	The Scheme has been framed on the standard datas and prescribed norms for the staff required.
12.	Collector's Certificate	CALLED FOR
13.	Panchayat Resultation for maintenance of scheme	CALLED FOR
14.	Public contribution	EXEMPTED
15.	Cost of water per 1000 gallon	Rs. 5.38

पंचायत समिति रानीवाड़ा के प्रधान के विरुद्ध मामला

459. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा)—क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान श्री मंगलसिंह दिनांक 4-8-72 को नाजायज मजमा बनाकर शस्त्रों से लेस होकर पंचायत समिति कार्यालय में दाखिल हुए और कार्य में व्यस्त समिति का स्टाफ से सरकारी रिकार्ड; डाक स्टाम्प, डुप्लीकेटर, टाईप मशीन, ट्रैक्टर कल्टीवेटर आदि सामग्री छीनकर अपने घर ले गये तथा कार्यरत स्टाफ को डरा धमका कर जबरन कार्यालय से बाहर निकाल दिया और कार्यालय के ताले लगा दिये ?

(2) क्या यह सही है कि श्री मंगलसिंह की उक्त कार्यवाही पंचायत समिति एवं जिला परिषद् एक्ट के तहत मिस कन्डक्ट की तारीफ में आती है ?

(3) क्या यह सही है कि कलेक्टर जालौर उक्त मामले की जांच कर इसे गंभीर एवं नियम विरुद्ध मानते हुए प्रधान श्री मंगलसिंह को शीघ्र पद मुक्त कर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार को रिपोर्ट काफी अर्से पहिले भेजी जा चुकी है ?

यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक सरकार ने उक्त प्रधान को पदमुक्त कर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की है ?

उत्तर

(1) श्री मंगलसिंह प्रधान पंचायत समिति रानीवाड़ा दिनांक 4-8-72 को सर्व श्री अर्जुनसिंह, मालसिंह एवं लालचन्द के साथ पंचायत समिति कार्यालय में आये और कर्मचारियों को कार्यालय से बाहर निकाल कर कार्यालय के ताले लगा दिये। श्री मंगलसिंह द्वारा जहां तक कर्मचारियों को डरा धमका कर पंचायत समिति के कार्यालय के बाहर निकालने एवं सरकारी रेकार्ड डाक स्टाम्प टाइप मशीन आदि छीन कर अपने घर ले जाने की बात है सही नहीं है।

(2) श्री मंगलसिंह प्रधान के विरुद्ध जांच कार्यवाही सरकार के समक्ष विचाराधीन है अतः इस स्टेज पर यह कहना उपयुक्त नहीं होगा कि श्री मंगलसिंह की उक्त कार्यवाही पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम के तहत मिसकन्डक्ट की तारीफ में आता है।

(3) जिलाधीश की जांच रिपोर्ट दिनांक 15-10-73 को प्राप्त हुई जिसमें प्रधान को पद मुक्त किये जाने की सिफारिश नहीं की गई है। राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अन्तर्गत प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है। श्री मंगलसिंह की व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देने के लिए दिनांक-4-4-74 नियत कर दिनांक 12-3-74 को नोटिस दिया जा चुका है।

बून्दी जिले में कृषि योग्य भूमि

496. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बून्दी जिले में राजस्व विभाग के अधीन कितनी ऐसी भूमि है जिसमें खेती की जा सकती है और भूमिहीनों एवं अनुसूचित जाति को आवंटन किया जा सकता है ? तहसील एवं ग्राम पंचायत वाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कृषि योग्य भूमि को आवंटन किये जाने के लिये राजस्व विभाग का क्या कार्यक्रम है ?

उत्तर

(1) बून्दी जिले में राजस्व विभाग के अधीन कुल 46645-24 एकड़ भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध है। जिसकी भूमि आवंटन नियमों के अन्तर्गत भूमिहीनों एवं अनुसूचित जाति को आवंटन की जा सकती है। तहसील एवं ग्राम पंचायत वार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) भूमि आवंटन नियमों के अन्तर्गत परगना अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम बनाया जाकर आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि का शीघ्र ही आवंटन किया जा रहा है।

विधान सभा तारांकित प्रश्न सं. 901 रा. मं. द्वारा श्री नन्दलाल बैरवा, स. वि. स. के उत्तर में पंचायत वाइज भूमिहीनों व अनुसूचित जातियों को देने योग्य भूमि :—

क.सं. 1	नाम पंचायत 2	क्षेत्रफल एकड़ों में 3
	तहसील, केशवराय पाटन	
1.	रड़ी	538
2.	चिताथा	64
3.	मायजा	1851
4.	करवाला	3025
5.	लेसरदा	299
6.	सुनगर	265
7.	भीया	261
8.	चरड़ाना	123
9.	कापेन	151
10.	बलकासा	155
11.	जलोदा	165
12.	अरनेठा	16
13.	सारसला	785
14.	रोटेदा	3425
15.	आजन्दा	1969
16.	घाट का बराना	320
17.	देईखेड़ा	782
18.	लबान	136
19.	उतराना	3269
20.	गेण्डोली	934
21.	फोलाई	429
22.	करवाला की झोपड़िया	97
23.	जेथल	24
24.	बराना	184
25.	बोरदा काछियान	2
26.	रेबारपुरा	714

1	2	3
27.	नोताड़ा	203
28.	हिंगोनिया	151
29.	रमपुरा	—
30.	हापड़ी	2730
31.	बसवाड़ा	1396
32.	माखीदा	1870
	तहसील हिण्डोली	
33.	हिण्डोली	221
34.	मेंडी	98
35.	पगारां	652
36.	उमर	272
37.	पेंच की बावड़ी	24
38.	टोंकड़ा	86
39.	काछोला	392
40.	सहसपुरया	144
41.	बड़ोदया	466
42.	बड़ा नयागांव	—
43.	धोबड़ा	350
44.	सथूर	21
45.	ठाकरदा	139
46.	चेता	681
47.	अलोद	185
48.	रामचन्द्रजी का खेड़ा	454
49.	बसोली	318
50.	नेगढ़	53
51.	मोवन	687
52.	थाना	583
53.	बिनयगढ़	—
54.	खीन्या	144
55.	गुढ़ा	131
56.	दबलाना	784
57.	आकोदा	532

1	2	3
58.	डाबेटा	278
59.	साबंतगढ़	636
60.	जजावर	1648
61.	भवानीपुरा	193
62.	रानीपुरा	274
63.	रोणीजा	8
64.	गोठडा	791

तहसील, नेनवां

		कमाण्ड	नोन कमाण्ड
65.	बाछोला	–	102
66.	–	–	98
67.	सीसोला	–	50
68.	खानपुरा	–	45
69.	दुगारी	–	105
70.	बांसी	190	11
71.	फुलेता	–	99
72.	देई	–	205
73.	सादेडा	274	95
74.	मजनेरी	111	51
75.	गुढ़ा सदावरीतया	264	24
76.	डोकून	108	41
77.	पीपल्या	323	42
78.	मोडसा	–	116
79.	जेतपुर	50	51
80.	करवर	–	42.24
81.	भांतरदा	–	–
82.	तलबास	–	132
83.	सहन	–	217
84.	खजूरी	–	–
85.	जरखोदा	–	–
86.	माएा	354	99

1	2	3	4
87.	केथूदा	333	104
88.	वामनगांव	–	51
89.	रजलावता	–	114
90.	गुढ़ादेवजी	–	30
91.	बालापुरा	–	78
92.	समिवी	–	57
93.	गम्भीरा	–	91
	तहसील, बून्दी		
94.	गुमानपुरा		115
95.	गुवांर		40
96.	डाबी		266
97.	डोरा		140
98.	धनेश्वर		180
99.	नभाना		48
100.	वरूंधन		40
101.	लक्ष्मीपुरा		120
102.	लामाखोह		160
103.	कोइचा		40
104.	मल्हानगर		–
105.	तालेड़ा		192
106.	जमीतपुरा		147
107.	बाजड़		123
108.	लाड़पुर		77
109.	देहित		60
110.	मन्थड़ा		132
111.	तीरथ		50
112.	बावड़ी		120
113.	नोताड़ा		80
114.	सुवांसा		53
115.	मंगाल		14
116.	रामगंज		60

	2	3
117.	रामनगर	70
118.	किसीलोद	20
119.	हसटकड़	357
120.	प्रजेता	3
121.	खिवाखदा	60
122.	नयागांव	121
123.	बम्बोरी	93
124.	भूरूपुरा	22
125.	मादुंदा	166
126.	रायथल	48
127.	लालपुरा	44

झालावाड़ जिले में भूमि का आवंटन

497. श्री भेरूलाल (अकलेरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला झालावाड़ के क्षेत्रान्तर्गत तहसील अकलेरा में सन् 67 से अब तक कितने भूमिहीन कृषकों को भूमि का आवंटन एवं भूमि का नियमन हुआ ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि आवंटित भूमि पर कितने ही कृषकों को अभी तक कब्जे नहीं दिये गये हैं और नियमन की हुई भूमि का भी कागजात पटवार से अब तक इन्द्राज नहीं कराये जाने से वे नियमित कृषक ट्रेसपासर में शुमार किये जा रहे हैं जिससे उन्हें दण्डित कर बेदखल किये जा रहे हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिलाधीश झालावाड़ ने भी वक्त मुआयना तहसील अकलेरा दिनांक 14-3-73 में अन्दर 9 माह आवंटित भूमि पर कब्जा एवं नियमन भूमि का शीघ्र पटवार कागजात में इन्द्राज का सम्बन्धित तहसील को कराये जाने का उल्लेख किया गया किन्तु तहसील द्वारा पालना नहीं हुई ?

(4) क्या यह भी सच है कि तहसील द्वारा कि जा रही उक्त लापरवाही से कृषक जनता में असन्तोष है ? यदि हां, तो यह कागजी कार्यवाही व तकमील अब तहसील द्वारा कब तक पूरी करायी जावेगी और अब तक न कराये जाने का क्या कारण है ?

(5) क्या तहसील द्वारा की गई लापरवाही से कृषकों को हुए नुकसान एवं जुर्माने की रकम को सरकार भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब और किस रूप में ?

उत्तर

(1) जिला–झालावाड़ के क्षेत्रान्तर्गत तहसील–अकलेरा में सन् 67 से आज तक 1420 भूमिहीन कृषकों को भूमि आवंटन व 1960 को भूमि का नियमन किया गया। सूची तहसील कार्यालय में देखी जा सकती है।

(2) जी नहीं। आवंटित भूमि पर समस्त आवंटियों को कब्जा दिया जा चुका है तथा नियमन की गई भूमि का अमल दरामद किया जा चुका है, किन्तु 225 व्यक्तियों के नियमन का अमलदरामद पटवार रिकार्ड में नहीं हो सका है।

(3) जी हां। जिलाधीश झालावाड़ ने निरीक्षण के समय आवंटित भूमि पर कब्जा देने एवं नियमन भूमि पटवार रेकार्ड में इन्द्राज करने के आदेश दिये थे। तदनुसार तहसील द्वारा यथासम्भव नियमानुसार पालना की गयी।

(4) जी नहीं। जहां तक इन्द्राज दुरस्ती का प्रश्न है, उसकी पूर्ति सक्षम अधिकारी द्वारा बाद जांच आदेश होने पर ही संभव होगी तथा विलम्ब वसूली तथा अकाल राहत कार्य के कारण हुआ है।

(5) उपरोक्त स्थिति में यह प्रश्न पैदा नहीं होता है।

मोटे अनाज की वसूली

498. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चालू वर्ष में राज्य सरकार ने मोटे अनाज जैसे बाजरा की लेवी वसूली करने के आदेश जारी किये हैं ? यदि हां, तो ये आदेश कब कब और क्या हैं ? कृपया प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि लेवी वसूली के आदेश प्रसारित करने में किस्म जमीन और औसत पैदावार प्रति बीघा का कोई ध्यान नहीं रखा गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि लेवी वसूली का आदेश उन इलाकों में भी दिया गया जो पिछले तीन साल से अकाल ग्रस्त हैं और रेगिस्तानी हैं जहां बरसात की औसत भी बहुत कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे इलाकों में लेवी वसूली कार्य बन्द करेगी ?

(4) क्या यह भी सरकार के ध्यान में है कि ऐसे अभाव ग्रस्त इलाकों में सैकड़ों काश्तकारों पर ग्रामीण जनता में भय बनाये रखने के लिए वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अधिकारियों द्वारा झूठे मुकदमें दायर कर रखे हैं ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या ऐसे निर्दोष व्यक्तियों को रिहा करने के आदेश सरकार जारी करेगी ?

उत्तर

जी हां, राजस्थान खरीफ फूडग्रेन्स प्रोक्योरमेंट (लेवी ऑन प्रोड्यूसर) आदेश, 1973 के अन्तर्गत बाजरा की लेवी वसूल करने के आदेश जारी हुये हैं। इसकी प्रतिलिपि *सदन की मेज पर रख दी गई है।

एक आधार न्याय संगत माना गया क्योंकि ऐसा कोई मापदण्ड नहीं था जिसको अपनाकर इतनी शीघ्रता एवं सुगमता से लेवी वसूली की जा सकती थी।

लेवी वसूली के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार ने लेवी आदेश राज्य के सभी क्षेत्रों में लागू किया है। परन्तु जिस क्षेत्र में फसल नहीं हुई है या नष्ट हो गई है उस क्षेत्र को लेवी से मुक्त रखने के लिये सभी जिलाधीशों को क्लाज 3 (1) के प्रोवीजो के अन्तर्गत अधिकार प्रदान किये गये हैं।

राज्य सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार 3/7 के अन्तर्गत काश्तकारों पर कोई झूठे मुकदमे दायर नहीं किये गये हैं।

*(प्रतिलिपि विस्तृत होने के कारण वि. स. पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 14-3-74)

बाईजी का तालाब

203. श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर): क्या

Page No 204

(२०५)

क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर में बाईजी का तालाब नाम का एक विशाल कुण्ड है ? यदि हां, तो इसकी लम्बाई, चौड़ाई, गहराई और पानी धारण करने की क्षमता क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि इस तालाब में आजकल पानी नहीं रोका जाता क्योंकि इसकी नहर को जगह जगह से फोड़ दिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि इस तालाब में पास पड़ोस के मकानों का गन्दा पानी एकत्रित होता है ?

(4) क्या राज्य सरकार गन्दे पानी की सड़ांद को जन स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद नहीं समझती ? यदि हां, तो इस तालाब की सफाई कराने की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां।

तालाब की लम्बाई 520 फुट चौड़ाई 32 फुट है इसकी क्षमता 5 मिलियन क्यूबिक फीट है।

(2) जी हां।

(3) कुछ लोग अनधिकृत तौर पर अपने मकान से निकलने वाला पानी इसमें डाल देते हैं।

(4) तालाब में वर्षा का पानी इकट्ठा होता है। पानी जन उपयोग में नहीं आता है। इसलिए जन स्वास्थ्य पर किसी विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

वर्तमान में इस तालाब की सफाई की योजना राज्य सरकार व नगरपरिषद् के विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ठ 4

(सा. प्र. सं. 473 की सूची)

राजस्थान सरकार

सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग

क्रमांक-एफ. 139 (7) (142) सा. वि. प.।प्र.शा/73/11511

जयपुर, दिनांक 31-12-73

आदेश

राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1959 की धारा 86 (9-अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार विकास अधिकारी पंचायत समिति, टोडारायसिंह (टोंक) के आदेश जिसके द्वारा टोडारायसिंह नगरपालिका प्राथमिक शालाओं से जिन अध्यापकों को स्थानान्तरण किया गया है को इस शिक्षा सत्र की समाप्ति तक स्थगित करने के आदेश तत्काल प्रभाव से देती है। उक्त शालाओं के अध्यापक उन्हीं शालाओं में यहां से कि उनको स्थानान्तरण किया गया था यथावत् कार्य करते रहेंगे।

ह.
अवर सचिव,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

(1) सचिव, राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा चयन आयोग; जयपुर।
(2) जिलाधीश, टोंक।
(3) सचिव, जिला कर्मचारी वर्ग समिति (जि. प.) टोंक।
(4) विकास अधिकारी पंचायत समिति टोडारायसिंह को भेजकर लेख है कि इस शिक्षा सत्र के अन्त तक इसी व्यवस्था को ही बनाए रखे।
(5) आदेश पत्रावली।

ह.
अवर सचिव,
राजस्थान, जयपुर।

206

परिशिष्ट–5

(अ.ता.प्र. सं. 356 की सूची)

परिशिष्ट 'क'

बाड़मेर जिले में विभिन्न तहसीलों में गत सात वर्षों में चरागाहों पर किये गये
अतिक्रमण की सूचना

क्र. सं.	नाम तहसील	तादाद गोचर जिन पर अतिक्रमण हुआ	रकबा बीघों में
1.	बाड़मेर	35	2991–13
2.	चोहटन	13	3956–13
3.	शिव	23	581–00
4.	पचपदरा	39	1811–00
5.	सिवाना	–	–

परिशिष्ट—6

(अता. प्र. सं. 358 की सूची)

अतारांकित प्रश्न संख्या 18[illegible]।पंच.मं. के भाग (1) व (4) से सम्बन्धित सूचना।

राज्य की [illegible] पंचायत समितियों की वर्षवार निजी आय निम्न प्रकार है :—

वर्ष	कुल निजी आय (लाखों में)
1960–61	32,52
1961–62	38,29
1962–63	49,85
1963–64 1964–65	155,57
1965–66	82,33
1966–67	83,97
1967–68	96,93
1968–69	88,94
1969–70	99,77
1970–71	194,79
1971–72	153,20
1972–73	161,16
महायोग	1237.32

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 67 की सूची (स्थगित))

		जयपुर				जोधपुर			
		हार्ड कोक वेगन		सोफ्ट कोक वेगन		हार्ड कोक वेगन		सोफ्ट कोक वेगन	
क्र.सं.	नाम माह	आवंटित	प्राप्त	आवंटित	प्राप्त	आवंटित	प्राप्त	आवंटित	प्राप्त
1.	अक्टूबर, 72	66	—	102 1/2	—	21	26	24	24
2.	नवम्बर, 72	66	—	102 1/2	—	21	—	24	5
3.	दिसम्बर, 72	66	—	102 1/2	—	21	—	24	4
4.	जनवरी, 73	66	—	102 1/2	—	21	—	24	4
5.	फरवरी, 73	66	—	102 1/2	—	21	32	24	13
6.	मार्च, 73	66	—	102 1/2	—	21	—	24	—
7.	अप्रैल, 73	75	—	88	—	28	12	44	8
8.	मई, 73	75	—	88	—	28	5	44	25
9.	जून, 73	75	—	88	—	28	—	44	8
10.	जुलाई, 73	75	—	88	—	28	32	44	2
11.	अगस्त, 73	29 1/2	78	130 1/2	10	28	24	44	8
12.	सितम्बर, 73	29 1/2	2	130 1/2	30	28	[illegible]	44	2
13.	अक्तूबर, 73	29 1/2	—	130 1/2	—	—	10	—	42
14.	नवम्बर, 73	29 1/2	3	130 1/2	6	—	—	176	—
15.	दिसम्बर, 73	29 1/2	29	130 1/2	6	—	—	—	—

नोट:—जयपुर में माह जुलाई, 1973 तक कोयले पर नियंत्रण न होने के कारण प्राप्ति के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट-8

[अतारांकित प्रश्न संख्या 68 की सूची (स्थगित)]

(आबूरोड, पिंडवाड़ा तहसीलों में अलॉटमेन्ट व नियमन के मामलों की स्थिति)

नाम तहसील	वर्ष 73 में शेष रहे मामले		माह फरवरी 74 तक निर्णीत	
	अलॉटमेन्ट	नियमन	अलॉटमेन्ट	नियमन
1	2	3	4	5
1. आबूरोड	57	393	19	379
2. पिंडवाड़ा	184	169	4	163
कुल :	241	562	23	542

शेष रहे मामले

नाम तहसील	अलॉटमेन्ट	नियमन
1. आबू रोड	38	17
2. पिंडवाड़ा	180	3
कुल :	218	20

210

शुद्धि-पत्र

मंगलवार, 26 मार्च, 1974

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
1	2	3	4
1	नीचे से 7	सिकन्दरा गामों	सिकन्दरा ग्रामों
6	ऊपर से 2	देहली	दहमी
6	नीचे से 9	दरख्वास	दरख्वास्त
13	ऊपर से प्रथम	श्री गेन्द्रनाथ हुांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
27	ऊपर से 3	मैं	में
28	नीचे से 4	प्लाना	पलाना
45	ऊपर से 14	लूणकरणसर	लूणकरणसर
51-52	मुख्य शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	कृ. मं. से स्तीफा मांगने सम्बन्धी व्यवस्था प्रश्न
51	शीर्षक	———	कृषि मंत्री से स्तीफा मांगने सम्बन्धी व्यवस्था का प्रश्न
53-54	मुख्य शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	"
50	अंतिम के नीचे	——	(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ठ 3 देखिये)
54	नीचे से 1 व 2	(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ठ 3 देखिये)	-×××-
62	नीचे से 9	72-78	72-73
62	नीचे से 17	से	के
63	नीचे से 10	नहीं	सही
78	ऊपर से 10	वेगन	वेगन
179	नीचे से प्रथम	मेरीरियल	मेटीरियल
271	ऊपर से प्रथम	(श्री शंकरलाल)	(श्री शंकरलाल)